राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] सप्तम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का पंचम दिवस [संख्या 3

सोमवार
दिनांक 21 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भैरूंलाल।

ल्हास-रानीपुरा (झालावाड़) पेयजल योजना

30. श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत ल्हास-रानीपुरा पेयजल योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना की क्रियान्विति अधिशासी अभियन्ता जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, झालावाड़ की ढिलाई के कारण नहीं हो रही है ?, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के अविलम्ब क्रियान्वयन हेतु आदेश प्रदान करेगी ?

राज्य मंत्री, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री देवेन्द्र सिंह) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

श्री भैरूंलाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह स्कीम कितने अर्से से बनी हुई है और कब शुरू होगी ?

श्री देवेन्द्रसिंह : यह स्कीम 19-12-82 को बनाई गई।

श्री भैरूंलाल मीणा: तो क्या कारण है कि यह योजना अभी तक शुरू नहीं हुई है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम के लिए 1.92 लाख रुपये का सामान खरीदा जा चुका है।

श्री भैरूंलाल मीणा: अब कब काम शुरू कर दिया जायेगा ?

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि वहां के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पहले एक बार टेण्डर काल कर लिये गये पर उन पर कार्यवाही नहीं करके उन्होंने दुबारा टेण्डर काल किये ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित मेरा भी एक पूरक

(श्री बालचन्द आर्यवीर)
प्रश्न है। झालावाड़ जिले में हरनावदा पेयजल योजना की जो स्कीम है वह अभी तक प्रारम्भ नहीं की गयी है, इसका क्या कारण है ? यह भी मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

नैक्स्ट। श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

भरतपुर हास्पिटल में सर्जरी के विशेषज्ञ डाक्टर्स की व्यवस्था

31. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय जनरल अस्पताल, भरतपुर में दिनांक 1-4-1982 से 31-1-1983 तक कुल कितने सर्जिकल आपरेशन हुए हैं ?

(2) सरकार ने उक्त अस्पताल में कितने विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा आपरेशन हेतु नियुक्त कर रखे हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त अस्पताल में आपरेशन्स की भारी संख्या को देखते हुए सर्जिकल में विशेषज्ञ डाक्टर्स की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) 1836 सर्जिकल आपरेशन उक्त अवधि में किये गये।

(2) सर्जरी के नौ विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं ?

(3) जी नहीं। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पर्याप्त डाक्टर उपलब्ध हैं।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो बताया है कि 1836 सर्जिकल आपरेशन अस्पताल में किये गये हैं। मेरा निवेदन यह है कि उनमें कितने मेजर और कितने माइनर सर्जिकल आपरेशन किये गये थे ?

यह भी बतावें कि जो आपरेशन किये गये वह किनसे कराये गये ? क्या वह स्पेशलिस्ट सर्जिकल डाक्टर से कराये गये थे या नॉन स्पेशलिस्ट डाक्टर्स से ?

क्या यह भी सही है कि वहां पर एक ही सर्जिकल स्पेशलिस्ट डाक्टर है दो नहीं है जब कि पहले वहां पर दो स्पेशलिस्ट थे ?

इसके साथ यह भी बतावें कि वहां जो आपरेशन किये गये उनमें से कितने आपरेशन खराब हुए और कितने आपरेशन ठीक हुए ? क्या यह सही नहीं है कि स्पेशलिस्ट सर्जिकल डाक्टर पर्याप्त नहीं होने के कारण जो आपरेशन किये गये थे उनमें से खराब ज्यादा हुए हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड : अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक स्पेशलिस्ट डाक्टर सर्जिकल है, बाकी जो आठ और डाक्टर्स हैं वह सभी एम. एस. हैं। कोई भी एम. एस. डाक्टर विशेषज्ञ ही होता है। जो बाकी आठ डाक्टर्स हैं उनमें एक हरीप्रसाद गोयल, श्री देवड़ा, और आत्माराम वगैरह हैं। कुल मिलाकर आठ डाक्टर्स हैं जो कि एम. एस. हैं। एक सीनियर स्पेशलिस्ट है, तो कुल 9 डाक्टर हैं। जो सीनियर स्पेशलिस्ट डाक्टर होता है वह भी, अध्यक्ष महोदय एम.एस. ही होता है।

श्री हरिसिंह : मंत्री महोदय, स्पेशलिस्ट डाक्टर तो एक ही है। वैसे आप चाहें तो 30–40 डाक्टरों के नाम भी गिना दें। शल्य चिकित्सा में जो स्पेशलिस्ट हो उसकी बात है एम. एस. तो कई हो सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जब डाक्टर एम. एस. हो जाता है तो आपरेशन करने में कोई ज्यादा दिक्कत पैदा नहीं होती है।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कम दिक्कत की बात नहीं, बात तो स्पेशलिस्ट डाक्टर्स सर्जिकल की है। सन् 75 में वहां पर दो स्पेशलिस्ट डाक्टर्स सर्जिकल के थे, तो आपने घटा कर एक ही क्यों कर दिया है अब ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वहां का पुराना इतिहास क्या है उसका तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन अभी वहां पर एक वरिष्ठ शल्य चिकित्सक है। पहले वहां पर अगर दो पोस्ट वरिष्ठ शल्य चिकित्सक की होगी तो मैं देख लूंगा। अगर वहां पर दो सीनियर स्पेशलिस्ट सर्जिकल डाक्टर की पोस्ट हुई तो मैं दो सीनियर स्पेशलिस्ट डाक्टर्स लगाने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री जीतमल जैन।

कृषि उपज मण्डी अलवर में कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती

32. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कृषि उपज मण्डी कार्यालय, अलवर द्वारा दिनांक 21-7-81 को कनिष्ठ लिपिक के पदों के साक्षात्कार हेतु कितने उम्मीदवारों को बुलाया गया था और कितने उपस्थित हुए ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 21-7-81 को हुए साक्षात्कार के परिणाम को रोक कर 13-8-81 को पुनः साक्षात्कार का आयोजन किया गया ?

(3) यदि हां, तो 13-8-81 को कौन-कौन उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त साक्षात्कार के पश्चात् किन उम्मीदवारों का चयन किया गया ? कृपया नाम मय पिता के नाम व निवास स्थान की सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह) : (1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) दिनांक 13-8-81 को किये गये साक्षात्कार के अभ्यर्थियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) दोनों ही साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों की सूची बनायी गई थी व 15 रिक्त पदों को भरने हेतु 15 व्यक्तियों का चयन कर विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों को उनकी नियुक्ति हेतु आदेश जारी किये गये। चयनित अभ्यर्थियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

(५)

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि 21-7-82 को जो सूची नियोजन विभाग द्वारा भेजी गयी थी वह 79 लोगों की थी तो उसके बाद में क्या कारण था कि 13-8-81 को दुबारा एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज से कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती हेतु दूसरी लिस्ट मंगायी गई ?

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूची आई थी वह 79 लोगों की नहीं आयी थी वह 90 लोगों की आयी थी। 79 लोग अलग थे और 11 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अलग थे। आपने फरमाया कि दूसरी लिस्ट नियोजन कार्यालय से मांगने की क्या आवश्यकता थी ? तो इसका कारण यह है कि जो 90 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था उनमें कुछ लोग ग्रेजुएट्स थे। राजस्थान सरकार ने अपने यहां पर ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को टाइप टैस्ट के लिए रिलेक्सेशन दिया हुआ है। उनमें ऐसे लोग थे जो ग्रेजुएट थे पर पहले मंडी समितियों के जो रूल थे उनमें ग्रेजुएट को टाइप टैस्ट की छूट नहीं थी। उनके नियुक्त होने के बाद में दो साल के अन्दर-अन्दर टाइप टैस्ट पास करना आवश्यक था। चूंकि बाद में रूल मंडी समितियों के बनकर आ गये तो इसलिए यह फैसला किया गया कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनको टाइप टैस्ट देना नहीं होगा तो बाद में जो 13-8-81 को इन्टरव्यू के लिए सूची आयी और जो पहले अभ्यर्थी थे उन दोनों को मिलाकर सूची बनायी गयी है। दोनों सूची के लोगों को मिलाकर नियुक्ति दी गयी है।

श्री जीतमल जैन : पहले जिन 90 लोगों को बुलाया उनमें से जो लोग आये थे उन्होंने टाइप टैस्ट दे दिया था तो फिर दुबारा सूची मंगानेकी आवश्यकता क्या थी? उनमें ग्रेजुएट्स नहीं थे क्या ? क्या यह सही नहीं है कि पहले जो लिस्ट नियोजन विभाग से आयी थी उसमें उनके चहेते लोग नहीं आने के कारण दुबारा लिस्ट नियोजन विभाग के कार्यालय से मंगायी गयी ? क्या यह सही है कि जिन चार पांच लोगों के लिए दुबारा नियोजन विभाग से लिस्ट मंगायी थी उसमें राजनैतिक प्रेशर था। उसमें श्री धनराज, श्री अमरसिंह, श्री निहाल चन्द वगैरह थे।

श्री देवेन्द्र सिंह : यह सही नहीं है।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मण्डी समितियों की गड़बड़ियों के बारे में मुझे कुछ निवेदन करना है। मण्डी समितियों की जो व्यवस्था है उसमें बहुत भारी लूट मची हुई है। पहले तो यह था कि बनिया किसान को लूटता था पर अब मण्डी समिति वाले और बनिये दोनों ही मिल कर किसान को लूटते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय सवाल अलग से प्रश्न का नहीं है आज किसान की बहुत बुरी हालत है। मण्डी समिति और बनिये दोनों ही मिलकर लूट रहे हैं बेचारे किसान को।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अलग से प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को उठाना ही चाहते हैं तो आप किसी और अवसर पर किसी और माध्यम से उठायें।

अन्तिम पूरक प्रश्न श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कृपया यह भी बताने की कृपा करें कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज को जो पत्र मण्डी समिति द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की सूची भेजने को भेजा गया था वह कब भेजा गया था? उसमें क्या लिखा था, वह भी पढ़कर सुनाने की कृपा करें। उसमें कनिष्ठ लिपिकों के लिए योग्यता क्या मांगी गयी थी?

क्या यह सही है कि जो 90 अभ्यर्थियों की पहली सूची आयी थी उनमें अधिकांश अच्छी क्वालिफिकेशन के थे? क्या उनमें ग्रेजुएट्स भी थे? अगर उनमें ग्रेजुएट्स थे तो उनको नहीं लेकर क्या अपने चार पांच चहेते व्यक्तियों को लेने के लिए दुबारा लिस्ट मंगायी थी? पहली लिस्ट में उनके चार पांच चहेते केन्डीडेटस नहीं थे इसलिए दुबारा 13-8-81 को 27 लोगों की लिस्ट मंगायी गयी। जो दुबारा केन्डीडेट्स की लिस्ट मंगायी गयी उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गयी? वह भी बताने की कृपा करें।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपने जवाब को सुना नहीं या समझा नहीं। मैं यह कह रहा हूं कि जो 90 आदमी पहली सूची में आये वह सब टाइप टैस्ट पास किये हुए थे और उनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेट थी। उनमें कुछ ग्रेजुएट भी थे। बाद में 33 की सूची मंगायी गई उसमें टाइप टैस्ट पास नहीं थे और सब ग्रेजुएट थे। क्योंकि गवर्नमेंट ने रिलेक्सेशन किया इसलिए ग्रेजुएट को लिया गया और उनका सलेक्शन किया गया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अगला प्रश्न !

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप यह बता दीजिए की पूरी क्वालिफिकेशन होते हुए और टाइप टैस्ट पास करने के बाद भी क्यों नहीं लिया गया...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जिन लोगों को सलेक्ट कर लिया गया उनको आपने हटा दिया...

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, क्या स्वयं आप इस प्रश्न को पढ़कर यह अहसास नहीं करते हैं कि अपने लोगों को सलेक्ट कर लिया गया और दूसरों का नाम कटवाया गया...

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन !

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : यह अमरसिंह किस के रिश्तेदार हैं?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें।

सुश्री पुष्पा जैन !

श्री घनश्याम तिवाड़ी प्रश्न पूछेंगे।

(6)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का नियमितिकरण

33. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :** [सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) की अनुपस्थिति में] : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में जिन मकानों का भूमि रूपान्तरण शुल्क जमा हो गया उनमें से केवल 5 हजार मकानों को ही नियमित करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(2) उक्त निर्णय जयपुर विकास प्राधिकरण के किस स्तर पर, कब और किस अधिकार के द्वारा लिया गया ?

राज्य मंत्री, नगर आयोजना (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ मकानों को नियमित करने का फैसला किया गया, यह समाचार पत्रों में छपा था। इसके अलावा कहना चाहता हूं कि जितने मकानों का भूमि रूपान्तरण शुल्क जमा हुआ उनमें से कुछ स्थानों के ले-आउट और नक्शे पास कर दिये और कुछ मकानों को तोड़ दिया। इसमें ऐसा भी हुआ है कि एक मकान को छोड़ दिया गया और उसके बिलकुल पास में था उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। यह जान-बूझकर भेदभाव पूर्ण तरीके से किया गया है। इस तरह से जयपुर में हजारों मकानों को तोड़ दिया गया। इसके अलावा कुछ कालोनीज थीं उनमें जो इनसे सम्बन्धित थे उनको छोड़ दिया गया और बाकी गरीब आदमियों के मकान तोड़ दिये। कृपया यह बतायें कि कितने मकानों को तोड़ा और कितनों को छोड़ा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अगर आप देखें तो यह इस प्रकार है, "क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में जिन मकानों का भूमि रूपान्तरण शुल्क जमा हो गया उनमें से केवल 5 हजार मकानों को ही नियमित करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?" प्रश्न इन्होंने यह पूछा था, तोड़फोड़ के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा। कितने मकानों को तोड़ा गया उसकी सूची मेरे पास नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य इस बात की जानकारी मुझे दें कि कहां भेदभाव किया गया। जिन कालोनीज के अन्दर मकानों को रेगुलेराइज किया गया उन मकानों के बगल के मकान को तोड़ दिया गया है तो मैं निश्चित रूप से इसकी जानकारी प्राप्त करके आपको दूंगा, इसमें कहीं भेदभाव किया गया है तो इसकी जांच कराऊंगा और यदि कमी पाई गयी तो अवश्य कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिन मकानों का भूमि रूपान्तरण शुल्क जमा किया गया है वह कितने मकान हैं और उनके सम्बन्ध में क्या नीति है ? कितने नियमित कर दिये और कितने करने जा रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने नियमित करने के अन्दर प्लाट्स को बेस

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बनाया है। हमारे पास भूमि रूपान्तरण के लिए जो एप्लीकेशन आई वह 48 हजार एप्लीकेशन्स आई हैं। हमने 48 हजार ही जे.डी.ए. को रेफर कर दीं। टाउन प्लानिंग एंगल से उनके बारे में राय मांगी है क्योंकि टाउन प्लानिंग नियमों मे इस बात का प्रावधान किया है कि सक्षम अधिकारी से टाउन प्लानिंग पाइन्ट आफ व्यू से राय मांगेंगे। 15 नवम्बर तक 19 हजार मामलों के अन्दर जे.डी.ए. ने अपनी राय लैण्ड कन्वर्शन आफिसर के पास भेज दी। यह बात सही है कि उनमें 5 हजार मामले ऐसे थे जो कि क्लियर कट थे, जो टाउन प्लानिंग के एंगल से पूरे उतरते थे। बाकी के मामलों में एतराजात थे। उसके बारे में पुनः मीटिंग हुई और यह निर्णय लिया गया कि उन मामलों के ऊपर भी पुनः विचार करना चाहिए क्योंकि सरकार की नीति है और टाउन प्लानिंग का जो एंगल है उसमें तीन चार बातें हैं, बेयर नेसेसिटी फेसेलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए जैसे पार्क की व्यवस्था है, स्कूल है, सड़क है, नालियों की व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए प्लान को पास कर रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर यह है कि 15 नवम्बर तक की पोजीशन यह थी, हमने युद्ध स्तर पर 6 टीमें गठित की हैं। 15 अप्रेल तक करीब 30 हजार प्लाट्स के बारे में सर्वेक्षण करके जो भी अग्रेतर कार्यवाही करनी है वह कार्यवाही की जाये, इस बात का निर्णय लिया जा चुका है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, 5 हजार जो नियमों के अन्तर्गत थे यह किन किन समितियों से संबंधित थे ?

श्री अध्यक्ष : विस्तृत जानकारी का प्रश्न है। अलग प्रश्न है। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

भूमि के कन्वर्शन के बारे में यहां कई तरह के प्रस्ताव आये हैं। प्रश्न में आपने जो सूचना चाही थी उसका जवाब दे दिया। अन्य तरीके से जब यह प्रश्न सदन के सामने या मेरे सामने आयेगा तो उस समय सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। इसको यहीं समाप्त करें। अल्प अवधि में इतने बड़े प्रश्न का हल नहीं निकल सकता। कई तरह से यह आया हुआ है।

श्री मेघराज तावड़।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : मैं एक छोटा सा प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ...

श्री अध्यक्ष : अब मैंने समाप्त कर दिया है। बहुत प्रश्न आयेंगे। मैं अवसर दे दूंगा, माननीय सदस्या।

अगला प्रश्न।

जनजाति उपयोजना

34. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनजाति उपयोजना कब से प्रारम्भ हुई ? जब से यह उपयोजना लागू

(श्री मेघराज तावड़)
की गई तब से अब तक (1981–82) कितनी राशि केन्द्र ने अलाट की और कितनी राशि राज्य सरकार ने अलाट की ? वर्ष वार केन्द्र और राज्य की बजट राशि का ब्यौरा अब तक का (1981–82) सदन की मेज पर रखें।

(2) उप योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी राशि खर्च की गई ? किन किन विभागों को कितनी कितनी राशि अलाट की गई और कौन कौन से कार्य पूरे हो गये ? वर्ष वार खर्च का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राशि पूरी खर्च न होने की स्थिति में लैप्स हो गई? यदि हां, तो कितनी राशि और किस-किस सन् में ?

मंत्री, जनजातीय क्षेत्रीय विकास (श्री दुलाराम) : (1) जनजाति उपयोजना वर्ष 1974–75 से प्रारम्भ की गई। वर्षवार केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि का ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 तक 22764.27 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। विभाग वार व वर्षवार राशि का आवंटन और व्यय का ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) यह सही नहीं है कि विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त हुई राशि पूरी खर्च नहीं होने की स्थिति में लैप्स हुई है। राज्य सरकार से प्राप्त राशि में से गत वर्षों में वर्ष 1978-79 में 118.26 लाख रु. 1979–80 में 209.69 लाख रुपया, 1980-81 में कोई बचत नहीं एवं वर्ष 1981-82 में 241.96 लाख रुपये की बचत रही।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सूची मुझे प्राप्त हुई है कि किन-किन डिपार्टमेन्ट्स को आपने पैसा दिया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन- जिन योजनाओं के लिए और जिन जिन कार्यों के लिए जो राशि आपने डिपार्टमेंट्स को दी है वह कार्य पूरे हो चुके हैं क्या, ऐसी आपके पास पूरी रिपोर्ट है ?

श्री दुलाराम : जनजाति उपयोजना के तहत हमारा डिपार्टमेंट तो उनको राशि आवंटित करना है। राशि आवंटन करने के बाद जहां-जहां उपयोगी महसूस करते हैं वहां-वहां कार्य करते हैं ।

श्री मेघराज तावड़ : जो राशि आवंटित की जाती है और जो काम डिपार्टमेंट को दिये जाते हैं वह काम पूरे नहीं होने की स्थिति में क्या आपका डिपार्टमेन्ट उन डिपार्टमेन्ट्स के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार रखता है।

श्री दुलाराम : एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। आज तक परम्परा यह रही है। भविष्य में यह परम्परा रहेगी, हर डिपार्टमेंट जिसको हम पैसा देते हैं, की जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम के पास जानकारी हो ।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री-महोदय से जानना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के पुनः सत्ता में आने के पश्चात् आदिवासी क्षेत्रीय विकास परियोजना में जो राशि आवंटित की गई थी उसमें 80–81 के बाद में कमी आई है। मैं यह भी बता सकता हूं कि वर्ष 80-81 में 80.92 प्रतिशत ही विकास क्षेत्र पर खर्चा किया गया है।

श्री दुलाराम : यह सही नहीं है। मैं वर्षवार आपको बता सकता हूं। सन् 74 से 78 तक 72 करोड़ 23 लाख अलाट हुआ। 78-79 में 35.36 करोड़ हुआ। 79-80 में 40.82 करोड़, 80–81 में 41.47 करोड़, 81–82 में 54.40 करोड़। आप बतायें, कहां कमी आई है।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या यह सही है कि 78–79 और 79–80 में जो राशि आवंटित की गई थी और जो खर्चा हुआ वह कांग्रेस शासन की तुलना में अधिक खर्च हुआ। 1980-81 में 54.40 करोड़ आवंटित हुआ उसकी तुलना में 35.43 करोड़ खर्च हुआ, कम खर्चा किया।

श्री दुलाराम : कौन से सन् की बात कर रहे हैं ?

श्री नन्दलाल मीणा : 80–81 की बात बता रहा हूं।

श्री दुलाराम : 1981–82 में 54 करोड़ 40 लाख आवंटित हुआ और 241 लाख रुपये की बचत हुई।

श्री नन्दलाल मीणा : 50 पर्सेन्ट खर्च नहीं हुआ।

श्री दुलाराम : आपको 50 पर्सेन्ट निकालना आता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नन्दलाल मीणा : आदिवासी क्षेत्रीय विकास परियोजना के लिये जितना पैसा आवंटित किया गया, कांग्रेस सरकार ने जनता को भ्रमित करने के लिये राशि की मात्रा अधिक बताई, खर्चा कम किया गया है।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, 78–79 में 1.18 करोड़, 79–80 में 2.9 करोड़, 80–81 में कोई बचत नहीं, 81–82 में 2.41 करोड़ की बचत हुई। इसमें पर्सेंटेज रहा 3.92, 6.28, 5.37।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। श्री जोशी

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या यह सच है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम के दो तरह के फंक्शन्स हैं, एरिया डवलपमेंट और इण्डिविजुअल डवलपमेंट। एरिया डवलपमेंट का काम तो हो रहा है, इण्डिविजुअल डवलपमेन्ट का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ? 1981-82 में पैसा लैप्स हुआ है।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना चाही थी वह तो मैं लेकर आया हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सीधा सवाल किया है···

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न पूछा गया है उसकी परिधि के बाहर का है पूरक प्रश्न।

(10)

एक माननीय सदस्य : सारा बजट का मामला है। कितना आवंटित हुआ है, कितना खर्चा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराज जायें।

अगला प्रश्न। श्री नन्दलाल मीणा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : एक भी समिति की बैठक नहीं हुई।....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्नकर्ता। अन्तिम प्रश्न। श्री मेघराज।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, सीधा प्रश्न यह है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, आपने अभी जो कहा कि व्यवस्था करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जितना भी पैसा आदिवासियों के नाम पर किसी भी योजना में अलाट किया जाता है शिड्यूल्ड कास्ट एवं शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन को अधिकार नहीं है कि उसकी रिपोर्ट ले सके। इसका मतलब यह है कि कोई परवाह ही नहीं करता। 50 पर्सेन्ट पैसा पूरा खर्च नहीं होता। अपने टी.ए., डी. ए., में खर्चा होता है उसकी रिपोर्ट लेने की कमीशन के हाथ में पावर नहीं है। क्या यह अधिकार देने की कार्यवाही मंत्री महोदय करेंगे ?

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। हर साल ट्राइबल एरिया का पैसा लैप्स होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया के लोगों को व्यक्तिगत कुओं में ब्लास्टिंग करके जो फायदा दिया जाता था उसे बन्द कर दिया गया है। जनता पार्टी के पूर्व कांग्रेस द्वारा आदिवासी किसानों के कुओं में युद्ध स्तर पर कार्य कराये जाते थे वे अभी बन्द कर दिये गये हैं, अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि आदिवासियों के कुओं में युद्ध स्तर पर ब्लास्टिंग कराया जाये ताकि आदिवासियों को सीधा फायदा मिल सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री सी. पी. जोशी : जो व्यक्तिगत राशि देने की स्कीम है उसके बारे में क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि इस बोर्ड में आई. ए. एस. आफिसर्स से जन प्रतिनिधि ज्यादा होंगे ? यह तो आश्वासन दें कम से कम।

श्री अध्यक्ष : आप भी प्रश्न पूछ लें।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, यह उसका हिसाब बता दें। खाली आंकड़े दे दें, वह पैसा कैसे खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चिन्ता व्यक्त की गई कि आदिवासियों के लिये आदिवासी क्षेत्रों में पैसा खर्च नहीं होता है। मेरा निवेदन है, आदिवासी क्षेत्र वही घोषित होता है जहां आदिवासियों की संख्या अधिक होती है। उसी क्षेत्र में काम करवाया जाता है और उन्हीं को पैसा मिलता है।

(श्री दुलाराम)

जहां तक माननीय सदस्य, श्री जोशी जी ने कहा 2-2, 4-4 साल हो गये और आदिवासी क्षेत्र में पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैं तो मंत्री पौने चार माह से ही बना हूं. इसलिये मैं निवेदन नहीं कर सकता हूं। जो बोर्ड का गठन होने वाला है, मुझे पता नहीं है कि उसका गठन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी गठन कर दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : बोर्ड के गठन का इनको मालूम ही नहीं है, ये कैसे मंत्री हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मालूम ही नहीं है, आश्चर्यजनक बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य : बोर्ड गठित हुआ है या नहीं हुआ है, मंत्री बता नहीं सकते··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नियमों का पालन करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : ताड़ना तो दीजिये मंत्रीजी को। इनको मालूम नहीं, बोर्ड का गठन हुआ है या नहीं। आश्चर्य है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायें।

श्री नन्दलाल। अगला प्रश्न।

पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त करना

35 श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सक्षम बनाने के लिये नये अधिकार एवं शक्तियां सौंपने की मुख्य मंत्री ने पंचायत राज सम्मेलन, बीकानेर में 30 जनवरी, 1981 को कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की थीं? यदि हां, तो पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग ने अन्य विभागों से जो प्रस्ताव मांगे उनको अन्तिम रूप कब तक दिया जा सकेगा और अब तक क्या-क्या अधिकार ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों को दिये जा चुके हैं?

राज्य मंत्री, पंचायत राज (श्री शीशराम ओला) : जी हां। 30 जनवरी, 1981 के स्थान पर 30 जनवरी, 1982 को घोषणा की गई थी। पंचायत राज संस्थाओं को और अधिक सक्षम तथा प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 1982 व अप्रेल 1982 में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। उन निर्णयों की क्रियान्विति में जो कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा जो कार्यवाही अपूर्ण है उसका विवरण परिशिष्ट 'क' व 'ख' के रूप में सदन की मेज पर रख

(12)

(श्री शीशराम ओला)
दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री नन्दलाल मीणा : मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें, क्या यह सही है कि फरवरी, 1982 में मुख्य मंत्री, श्री शिवचरण माथुर ने पंचायत समितियों को उच्च प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि विस्तार, पौध संरक्षण, प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावी करने की घोषणा की थी और विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मांगे थे ? क्या विभिन्न विभागों के प्रस्ताव, जिन के बारे में बताया, कब प्राप्त हुए ? उनके बारे में किन किन विभागों ने मंत्रिमण्डल को ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया और उसके अब तक के क्या नतीजे रहे ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, वैसे तो इसके बारे मे राजस्थान में एक प्रदर्शनी लगाई गई थी और उसका उद्घाटन किया था···

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : प्रदर्शनियों का काम हो रहा है क्या, अध्यक्ष महोदय। ये क्या जवाब दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भूमिका बान्ध रहे है मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : मैं यह कहना चाहता हूं जो जो निर्णय लिये गये थे उस प्रदर्शनी में···

(व्यवधान)

उसी से सम्बन्धित है, मैं कोट कर रहा हूं नहीं तो आप जो चाहते हैं उसका उत्तर दे दूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। प्रश्नकर्ता।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा सवाल किया था जनवरी, 82 में मुख्य मंत्री महोदय ने उच्च प्राथमिक शालायें, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पौध संरक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, इनको पंचायत समितियों को सुपुर्द करने के लिये अप्रेल, 82 तक कार्यवाही करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस विषय में क्या हुआ ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, सभी घोषणायें जो मुख्य मंत्रीजी ने जनवरी, 82 में की थीं, उनकी क्रियान्विति हो रही है। घोषणाओं के अनुसार कुछ विभागों का काम पंचायत समितियों को अभी सुपुर्द होना है। उनके प्रस्ताव विचाराधीन हैं और अभी तक निर्णय नहीं लिये गये है। राज्य सरकार और विभागों के बीच विचार विमर्श हो रहा है···

(व्यवधान)

सुनने की कोशिश कीजिये।

कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-ये पांच ऐसे विभाग हैं जिनकी सारी जो योजनाएं बनी हैं, पंचायत

(श्री शीशराम ओला)
विभाग में बनकर नहीं आई हैं, बाकी की आ गई हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : जिन जिन विभागों के प्रस्ताव आपके पास नहीं आये हैं उनके प्रभारी मंत्रीजी, क्या मुख्य मंत्रीजी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पंचायत समितियों को पावर्स देने का निर्णय अमान्य समझते हैं ?

श्री शीशराम ओला : प्रस्ताव तो सबके आ गये हैं। प्रस्ताव के बारे में मैंने कब कहा ?

श्री नन्दलाल मीणा : मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं हुए ?

श्री शीशराम ओला : आपको किसने कहा, नहीं हुआ। उन पर विचार हो रहा है। प्रस्ताव आ गये हैं, अब राज्य सरकार और विभागों के बीच चर्चा चल रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जब गवर्नमेंट का फैसला हो गया, जिन योजनाओं को पंचायत समितियों को हस्तान्तरित करने का तय हो गया तो जिन जिन प्रभारी मंत्रियों ने मीमो केबिनेट को अब तक प्रस्तुत नहीं किया वह क्यों नहीं किया ? यह अप्रेल, 82 तक हो जाना चाहिये था· ·

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर) : इन्होंने तो प्रधानों और प्रमुखों के चुनाव भी करा दिये और उनको अधिकार भी दे दिये।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न की सम्पूर्ण जानकारी दे दी है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के चुनाव हुए काफी समय हो गया। राज्य सरकार द्वारा जो घोषणायें की गई थीं, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनमें इन्डस्ट्रीज विभाग से पांच हजार तक की इन्डस्ट्री लगाने को पंचायतों को सक्षम किया था ? क्या इसके प्रशासनिक अधिकार भी उनको दे दिये गये ? मिडिल स्कूलों को जो अधिकार देने की घोषणा की थी, क्या वे पंचायत समितियों को दिये जा चुके हैं ? मेरा निवेदन है कि कोई भी ऐसे प्रशासनिक अधिकार अभी तक उनके पास नहीं हैं। आप इन बातों का जवाब दें। विशेष तौर से स्कूलों को एफीलियेट करने का अधिकार क्या पंचायत समितियों को आप दे चुके हैं ?

(व्यवधान)

मालपुरा में इस तरह के स्कूल खुल चुके हैं जो सरकार से स्वीकृत नहीं हैं और बिना सरकारी स्वीकृति के चल रहे हैं· · ·

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है कि इस प्रकार की घोषणा की गयी थी। अलबत्ता यदि कहीं स्कूल नहीं है और बच्चों को पढ़ने के लिये 3-4 मील जाना पड़ता है तो वहां की

(14)

(श्री शीशराम ओला)

स्थिति को देखते हुए पंचायत समिति वहां कोई स्कूल खोल देती है। अगर अत्यन्त आवश्यकता समझी जाती है तो उसको रेगुलेराइज करने की कार्यवाही के लिए हम शिक्षा विभाग को रिकमण्ड करते हैं लेकिन इसका हमको कोई···

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : क्या मालपुरा मे बिना सरकारी स्वीकृति के ऐसे स्कूल खुले हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, इसके लिए अलग से प्रश्न करें।

श्रीमती विद्या पाठक : कई जगह ऐसे स्कूल खुल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपने उदाहरण दिया है। कृपया बैठ जायें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री जी ने ऐसा निर्णय ले लिया है तो स्पष्ट करें ताकि हमारे क्षेत्रों में भी यह सुविधा हम दिलवा सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या यह सही है कि कुछ पंचायत समितियों को पी. एच. ई. डी. ने हैंड पम्पों की व्यवस्था सौंप दी है ?

श्री शीशराम ओला : एक बार दुबारा फर्मायें, मैं समझ नहीं सका।

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य। आपस में बातें नहीं करें।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री हरीश शर्मा : क्या यह सही है कि पी एच.ई.डी. से हैंड पम्प पंचायत समितियों को स्थानान्तरित कर दिये हैं ? यदि हां, तो उनकी क्या व्यवस्था है ?

श्री शीशराम ओला : पंचायत समितियों के पास अभी नहीं आये हैं।

श्री हरीश शर्मा : इसके आर्डर्स हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, विराज जायें।

अगला प्रश्न।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या यह सही है कि पंचायत समितियों को जो पैसा दिया जाता था वह सारा का सारा···

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हरसहाय मीणा, श्री दीपेन्द्र सिंह ।

अनधिकृत शिकार के मामले

36. **श्री हरसहाय मीणा** (किशनगंज) एवं **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1982 से जनवरी, 1983 तक प्रदेश में कानून के उल्लघन में

(श्री हरसहाय मीणा)
किये गये शिकार के कितने मामले कहां-कहां पकड़े गये ?

(2) उपरोक्त मामलों में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) उपरोक्त मामलों में से कितने चालान किये गये, कितने केस कम्पाउण्ड किये गये तथा कितने विचाराधीन हैं ?

(4) क्या शिकार की इजाजत देने सम्बन्धी कोई नियम हैं ? यदि हां, तो क्या?

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) जनवरी, 1982 से जनवरी, 1983 तक प्रदेश में कानून के उल्लंघन में किये गये शिकार के कुल 226 मामले पकड़े गये हैं। सूची सलग्न है।

(2) उपरोक्त मामलों में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

(3) 76 केस चालान किये गये, 98 केस कम्पाउण्ड किये गये तथा 52 केस विचाराधीन हैं।

(4) जी हां राजस्थान वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत शिकार की इजाजत दी जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री हरसहाय मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो सूचना दी है उसकी तरफ, जयपुर में कुल अपराध हैं 29, इनमें 8 कम्पाउण्ड हैं, 8 विचाराधीन हैं। इसी प्रकार से अजमेर में 36, उदयपुर में 24 और बीकानेर में 22 हैं। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इनका पर्सेन्टेज क्या है, किस रेश्यो से सरकार काम कर रही है और उनके कम्पाउण्ड का क्या क्राइटेरिया और क्या पर्सेन्टेज है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो सूची सलंग्न की गयी है, उसमें विस्तृत विवरण दिया गया है कि कुल अपराध कितने हुए, कम्पाउण्ड कितने हुए, मुआवजे की राशि कितनी वसूल की गयी, विचाराधीन कितने हैं, कोर्ट में चालान कितनों के किये गये, कोर्ट में फैसले कितनों के किये गये और कोर्ट में पैंडिंग कितने हैं। जहां तक फैसले करने का सवाल है वह अधिकार कानून में दिया गया है अधिकारियों को उसके तहत भी कम ज्यादा जितना वह चाहें कर सकते हैं।

श्री हरसहाय मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि इनका पर्सेन्टेज इतना पूअर है, इसका मतलब है कि केस विदिन ड्यू डेट, विदिन ड्यू टाइम रजिस्टर होकर उसका चालान नहीं होता है। मैं कई जिलों के आंकड़े रखना चाहूंगा जिनमें केस तो रजिस्टर हुए हैं परंतु न कम्पाउण्ड हुए हैं न केस का चालान ही अदालत में हुआ है। क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे केस क्या 2-4 साल में अदालत में पेश कर दिये जायेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक साल की सूचना मांगी गयी है, उस में जैसा बता दिया 226 केस हुए, 98 कम्पाउण्ड कर दिये गये, 76 कोर्ट में हैं और

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

52 विचाराधीन हैं। यह सब एक साल के ही हैं।

श्री हरसहाय मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे मैं सहमत हूं। जिला जोधपुर में 10 केस पकड़े गये, कम्पाउण्ड एक भी नहीं और 3 अभी विचाराधीन हैं और 7 कोर्ट में दिये गये हैं। इस तरह से और कई जिले हैं जिनमें एक भी केस न तो कम्पाउण्ड किया है, न कोर्ट में चालान किया है। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय···

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई भी केस नहीं है जो या तो चालान नहीं हुआ या कोर्ट में नहीं दिया गया या कम्पाउण्ड हुआ है। जोधपुर में 10 में से 7 कोर्ट में दे दिये गये हैं, 3 विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : दीपेन्द्र सिंह।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तीन स्पेसिफिक क्वेश्चन माननीय वन मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा। क्या माननीय वन मन्त्री महोदय की जानकारी में यह है कि जैसलमेर, बाड़मेर में बी. एस. एफ. के अधिकारियों द्वारा शिकार किया गया इसी अवधि में, उन अधिकारियों को वन विभाग के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया और उनका चालान किया? यदि हां, तो स्पष्टीकरण दें। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : उसमें व्यक्तिगत व्यक्ति ने क्या अपराध किया, यह नहीं, संख्या पूछिये

श्री दीपेन्द्र सिंह : वहां से सम्बन्धित है। बी. एस. एफ. के अधिकारी इस प्रकार का कर्म करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे रहस्य है, राजस्थान की बड़ी हस्तियों को वहां से शिकार करके पहुंचाया जाता है, यह दिल्ली तक पहुंचाया जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने उनको पकड़ा है। बड़ा गम्भीर मामला है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : इसको किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : डायरेक्टर टूरिज्म शिकार कर रहे है, क्या यह सही है?

श्री दीपेन्द्र सिंह : दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को जानकारी है कि इस अवधि में राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी द्वारा जैसलमेर फेयर के समय जैसलमेर में बहुत बड़ी संख्या में शिकार किया गया? क्या इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वहां हिरण मारे गये, अमेरिकन क्रेंस मारी गयीं? अमेरिकन लड़कियों को साथ ले जाकर वह साथ ठहरे हैं और राजस्थान के अधिकारी कुछ नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मानवता का प्रश्न है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जिन मामलों में आई. ए. एस. अधिकारी लिप्त हों, अध्यक्ष महोदय, उन मामलों को दबा दिया जायेगा। जैसलमेर में

(श्री दीपेन्द्र सिंह)
शिकार करके जयपुर में पार्टियां उड़ी हैं। 50 अमेरिकन क्रेंस मारी गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के मामले हमको उठाने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक अधिकारी इन्वाल्व हों, अमेरिकन लड़कियों को साथ ले जाकर शिकार करते हों, अध्यक्ष महोदय, यह बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है। राजस्थान के अन्दर बड़े अधिकारी इस प्रकार शिकार करेंगे, वन विभाग के अधिकारी कार्यवाही नहीं करेंगे तो आप किस प्रकार से वन्य जीवों का प्रोटेक्शन करना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ल्ड लाइफ एसोसियेशन का मैम्बर हूं, यदि आपने विचार नहीं किया तो, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इसके क्या गम्भीर परिणाम होंगे। जहां हिरन मारे जाते हों; अमेरिकन क्रेंस मारी जाती हों, वहां वन अधिकारी चुपचाप बैठे देखते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री समर्थलाल।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आपने आंकड़े बताये हैं जिनके अनुसार अनधिकृत रूप से वन्य जीवों का शिकार किया गया है और चालान किए गए हैं, उनके चालान से पूर्व क्या यह सही है कि इन शिकारों में वन विभाग के अधिकारियों का एवं कर्मचारियों हाथ रहा है ··

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री समर्थलाल : अच्छा, चालान के बारे में बतायें कि कितनों का चालान किया गया है और वन विभाग के कर्मचारियों में से कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है। जहां पर बहुत से·····

श्री अध्यक्ष : मसले तो बहुत से गंभीर हो सकते हैं। यहां वही सम्बन्धित है, जो पूछा गया है।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत से वन्य जीवों की नस्लें समाप्त हो रही हैं जिनको देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट राजस्थान में आते हैं। उन नस्लों को खतम कराने में यहां के प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ हो, यह बहुत गम्भीर मामला है। क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी ने जैसलमेर फेयर के टाइम में दो अमेरिकन लड़कियों के साथ···

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी अवधि का प्रश्न है जिसको छुपाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसी अवधि से सम्बन्धित

(18)

(श्री दीपेन्द्र सिंह)
सवाल है जिसको दबाया जा रहा है, जिसका जवाब नहीं आ रहा है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हिरण का शिकार हो और आप प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दे····

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : हिरण का शिकार हो रहा है और आप प्रश्न नहीं पूछने दे रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में ऐसे मामलों को छुपाया गया है, एफ. आई. आर. तक दर्ज नहीं करायी गई है।

श्री यदुनाथ सिंह : एक डायरेक्टर ने जब इस तरह का अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जिस डायरेक्टर ने दो विदेशी महिलाओं के साथ जाकर शिकार किया है उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है··

श्री अध्यक्ष : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इसी अवधि का प्रश्न है। इसी अवधि में यह केस हुआ है इसलिए इसी प्रश्न से सम्बन्धित सवाल है, अध्यक्ष महोदय।

राजस्थान में वैसे ही हिरण कम हो रहे हैं फिर भी उनका शिकार किया जा रहा है, उनका गोश्त जयपुर में लाकर बांटा जा रहा है और आप सवाल का जवाब दिलाना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को दबाया गया है, इस प्रश्न का उत्तर छुपाया गया है, इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में एफ. आई. आर. तक दर्ज नहीं कराई गई है। कोई इन्क्वायरी नहीं की गई है और आप जवाब नहीं दिलाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, कम से कम आप मंत्री महोदय से इस बात का आश्वासन तो दिलायें कि इसकी जांच करायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कंवरिया।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अमेरिकन लड़कियों के साथ शिकार करने वालों में प्रशासनिक अधिकारी थे क्या? क्या यह सही है कि पचास अमेरिकन क्रेन्स मारी गई हैं?··

(व्यवधान)

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जिन केसेज का विवरण बताया है कि इतने कम्पाउण्ड हो गए और इतने विचाराधीन हैं। मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि क्या किसी केस में कन्विक्शन भी हुआ है? यदि हुआ है, तो कितने केसेज में?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या खरगोश का भी शिकार हुआ है?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : 76 केस कोर्ट में पेश किए गये थे··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : 76 केस कोर्ट में पेश किए गए थे उनमें से दो में कन्विक्शन किया गया और 74 विचाराधीन हैं कोर्ट में।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि पिछले साल एक बाघ की हत्या हुई थी ? क्या आपने उसका उल्लेख इसमें किया है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कम से कम जांच का आश्वासन तो मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हिरण का शिकार हो रहा है; स्पेसिफिक मामला है; कम से कम जांच का आश्वासन तो मिलना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी शिकार करते हों...

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : आप जांच का आश्वासन तो दिलायें, अध्यक्ष महोदय। यह मानवीय प्रश्न है··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। शांत रहें, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है। ऑर्डर प्लीज। बैठ जावें। माननीय सदस्य··

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, यह इसी से सम्बन्धित प्रश्न है··

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य। कृपया बैठ जावें।

ऐसा है कि माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को मैं समझता हूं कि पढ़ लिया है। प्रश्न जो है वह जनरल नेचर का है कि राजस्थान में जितने शिकार करने के अपराध हुए हैं वह कन्सर्न्ड अथोरिटीज के ध्यान में हैं या नहीं, कितनों में चालान हुआ है, कितनों पर कार्यवाही हुई। उसके बारे में मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है। अब माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि अमुक जगह अमुक व्यक्ति ने शिकार किया··

श्री दीपेन्द्र सिंह : इसी अवधि में किया है।

श्री अध्यक्ष : Please.

फलां व्यक्ति ने फलां जगह शिकार किया, हम आशा नहीं कर सकते कि जितने अपराध हुए हैं उन सभी की जानकारी तत्काल मंत्री महोदय को प्राप्त हो सके इसलिए यदि माननीय सदस्यों के ध्यान में कुछ इस तरह के मामले हों तो उनके बारे में उनको अलग से प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह : प्रशासनिक अधिकारी जिसमें शामिल हों उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे गंभीर मामले में भी जांच का आश्वासन नहीं होगा तो क्या होगा। हिरण के शिकार की जांच का आश्वासन मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को यहीं समाप्त किया जाता है। अगला प्रश्न।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, काले हिरण मारे गये हैं, पचास अमेरिकन क्रेन्स मारी गई हैं····

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : एक शेर और एक बाघ मारा गया, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब और पूरक प्रश्नों का अवसर नहीं दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या सरकार इस तरह का कदम उठाने जा रही है कि इस तरह के शिकार नहीं हों ? डायरेक्टर जैसा उच्च अधिकारी इन्वाल्व्ड हो तो यह टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिये बड़े शर्म की बात है। आप राजस्थान से टूरिज्म को समाप्त कर देंगे. आप मंत्री महोदय से इसकी जांच का आश्वासन तो दिलवायें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मानवता से सम्बन्धित मामला है, काले हिरण का शिकार हो, अमेरिकन लड़कियों से प्रशासनिक अधिकारी शिकार करवायें, थ्री स्टार होटल्स में ऐश करें और मामले की जांच तक नहीं करावें ?···

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या यह सही है कि 15 और 17 जनवरी को एक शेर मारा गया था ? सम्बन्धित अधिकारी ने यह शिकार इसलिये करवाया कि उन विदेशियों से विदेशी शराब मिलती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मंत्री महोदय कहें कि 15 और 17 जनवरी के बीच बाघ और शेर नहीं मारा गया ? पिछले साल बघेरा नहीं मारा था ? आज तक उसका चालान नहीं किया, क्या यह सही है ? इसकी जांच होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब कोई पूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह : हम तो केवल जांच का आश्वासन चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : इसमें आई.ए.एस. अधिकारी इन्वाल्व्ड है उसके खिलाफ क्या भविष्य में भी कोई कार्यवाही करेंगे, यह सदन को आश्वस्त करें।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : एक जमरल प्रश्न ?

श्री अध्यक्ष : किसी पूरक प्रश्न को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : हम जांच का आश्वासन चाहते हैं। सरकार जांच का आश्वासन नहीं दे सकती है ?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, बैठ जायं। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

(21)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री दीपेन्द्र सिंह : ×××

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पुलिस लाइन चित्तौड़गढ़ में कार्यरत एम.टी. के विरुद्ध शिकायतें

1. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस लाइन चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में कार्यरत एम.टी. के विरुद्ध उसके पूर्व में इसी पद पर कार्यरत एम. टी. ने लिखित में पुलिस वाहनों से पैट्रोल, डीजल एवं तेल की चोरी करने की शिकायत की थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि अन्य कई अनियमितताओं की शिकायतें भी एम. टी. चित्तौड़गढ़ को, इस व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त हुई हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस व्यक्ति की एम.टी. के पद पर गलत व पक्षपात पूर्ण पदोन्नति की जाने की शिकायतें भी की गई थीं।

(4) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण शिकायतों की प्रतियों सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

शराब की तस्करी

2. श्री अमीन खां (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत से तस्करी के रूप में पाकिस्तान में शराब जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब के ठेके होने से ज्यादा शराब जाने लगी है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

(3) जिला बाड़मेर-जैसलमेर में सीमा पर किन-किन के ठेके हैं और कौन-कौन से स्थानों पर हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य से तस्करी से शराब पाकिस्तान नहीं जाती है।

(2) जी नहीं।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(गृह मंत्री

(3) देशी मदिरा व विदेशी मदिरा दुकानों के स्थान व अनुज्ञाधारियों के नाम की सूची अलग-अलग संलग्न है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जिला बाड़मेर में सड़क निर्माण में घोटाला

3. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछली साल अकाल में बाड़मेर जिले में सड़क निर्माण में लाखों रुपये के घोटाले के मुकदमे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दर्ज किये गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई शिकायतें तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) कौन-कौनसी तथा कुल कितनी सड़कों के निर्माण में कितने रुपये का घोटाला किस-किस ठेकेदार एवं अधिकारी की मिली-भगत से हुआ है ? कृपया नाम, पते तथा कितने रुपये का घोटाला हुआ है, सहित सूचियां सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मामले में अन्वेषण कार्य कौन कर रहा है तथा अन्वेषण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि अन्वेषण से इस तथ्य का पता चला है कि प्रभावशाली राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों के सम्बन्धियों के लड़कों के बेनामी ठेकों से सम्बन्ध हैं ? यदि हां, तो इन लोगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, इस सम्बन्ध में एक प्राथमिक जांच पंजीबद्ध की गई है तथा एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों मामलों से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) मामला अनुसंधानाधीन है।

(3) इस मामले की जांच उप-अधीक्षक, पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, बीकानेर कर रहे हैं। प्राथमिक जांच के मामले में विशेषज्ञ का तकनीकी प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है। अपराध के मामले में तकनीकी प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और साक्षियों के बयान अभिलेख के आधार पर लिए जा रहे हैं।

(4) मामला अन्वेषणाधीन होने के कारण प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भू-खण्डों की निर्धारित दरें

4. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बिछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में औद्योगिक इकाइयों को भू-खण्ड रु. 16/- प्रति वर्ग मीटर पर दिये जाने का रीको द्वारा प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्या उद्यमी इससे उद्योग स्थापित करने में हतोत्साहित नहीं होंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रेट में कमी करने पर पुनर्विचार करेगी ?

(श्री देवीसिंह भाटी)

(2) राजस्थान के विभिन्न शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा औद्योगिक भू-खण्डों की क्या-क्या दरें तय की हुई हैं? कृपया प्रत्येक शहर के औद्योगिक भू-खण्डों की दरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि बिछवाल औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में औद्योगिक इकाइयों को भू-खण्ड 16/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दिये जाने का निर्णय लिया गया था। रीको द्वारा इस दर पर भू-खण्ड उपलब्ध कराने से उद्यमी उद्योग स्थापित करने में हतोत्साहित नहीं हुए हैं। इस दर में कमी करने में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

(2) राजस्थान के विभिन्न शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों में जो दरें तय की गई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

रजय में हरिजनों पर अत्याचार की घटनायें

5. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1982-83 में हरिजनों पर हमलों व अत्याचार की कितनी घटनायें राज्य में रिपोर्ट की गई? उन हमलों में कितने लोग घायल हुए, कितनों की मृत्यु हुई और कहां-कहां?

(2) उक्त वर्ष में महिलाओं से बलात्कार के कितने केस राज्य में दर्ज किये गये और उनमें से हरिजन महिलाओं की संख्या क्या रही व कहां-कहां?

(3) प्रश्न 2 के संदर्भ में पिछले 3 वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 में हरिजनों पर हमलों व अत्याचार की राज्य में निम्नलिखित घटनाएं हुई:—

अभियोग	हत्या	गम्भीर चोट	बलात्कार	गम्भीर क्षति व आगजनी
अनुसूचित जाति	33	154	50	60
अनुसूचित जनजाति	13	58	13	27

इन अभियोगों में अनुसूचित जाति के 36 व्यक्तियों एवं अनुसूचित जनजाति के 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा अनुसूचित जाति के 315 एवं अनुसूचित जनजाति के 85 व्यक्ति घायल हुये। जिलेवार लिस्ट अलग से संलग्न है।

(2) वर्ष 1982-83 में महिलाओं से बलात्कार के अभियोग राज्य में 281 पंजीबद्ध हुए। इनमें अनुसूचित जाति की महिलाओं के विरुद्ध अपराध की संख्या 50 एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विरुद्ध अपराध की संख्या 13 रही। जिलेवार सूची अलग से संलग्न है।

(3) प्रश्न 2 के सन्दर्भ में महिलाओं से बलात्कार के अभियोग, राज्य में गत तीन वर्षों (1980 से 1982) की संख्या 950

(गृह मंत्री)

है जिसमें अनुसूचित जाति के 189 व अनुसूचित जनजाति के 41 हैं। जिलेवार सूची अलग से संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जिला कोटा की बैंकों में डकैतियां

9. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) व श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

कोटा जिले के किन-किन बैंकों में वर्ष 1981–82 एवं दिसम्बर, 1982 तक बैंक डकैतियां पड़ीं और कितनी-कितनी धनराशि डकैती में गई, डकैती डालने वाले कौन-कौन व्यक्ति थे? उनमें से कौन-कौन व्यक्ति पकड़े गये? वर्तमान में किस-किस अदालतों में मुकदमे जेरकार हैं व किन-किन मुकदमों में किस-किस को कितनी-कितनी सजा व अर्थ-दण्ड हुआ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कोटा जिले में वर्ष 1981-82 एवं दिसम्बर, 1982 तक बैंक डकैती की कोई घटना नहीं हुई बल्कि दो बैंक लूट की घटना घटित हुई जिनमें क्रमशः 51,637 एवं 2,121 रुपये यानी 53,758 रुपये की धनराशि लूट में गई। इस लूट में इन्द्रसिंह, ओमप्रकाश, कमल उर्फ कमलेन्द्रसिंह; चमन उर्फ तिमन प्रथम लूट में अभियोगी पाये गये तथा दूसरी लूट की घटना में अरविन्द कुमार, दुर्जनसाल सिंह, अब्दुल करीम मुल्जिमान नामजद हुये। श्री इन्द्रसिंह, ओमप्रकाश, अरविन्द कुमार, दुर्जनसाल सिंह और अब्दुल करीम को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है। श्री कमल उर्फ कमलेन्द्र सिंह व चमन उर्फ तिमन के रूहपोश होने के कारण उनके विरुद्ध धारा 299 जा. फौ. में चालान पेश किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय अभियोग जे एम. नं. 1 व ए एम. जे.एम. दक्षिण कोटा न्यायालय में विचाराधीन है।

जिला टोंक में क्षतिग्रस्त बांध

10. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टोंक जिले में सिंचाई के कितने और कौन-कौन से बांध 1981 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए थे? क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि, कब-कब आवंटित हुई तथा किस-किस बांध पर कितनी-कितनी राशि खर्च हुई? कृपया प्रत्येक बांध पर हुए व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्षतिग्रस्त बांधों का पुनर्निर्माण पूर्ण रूप से अब तक भी नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है, और कौन व्यक्ति दोषी हैं?

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) कुल 60 क्षतिग्रस्त बांधों में से 39 बांधों की मरम्मत कर ली गयी है, 9 कार्य प्रगति पर हैं, 5 कार्य ठेकेदारों द्वारा अधूरे छोड़े

(सिंचाई मंत्री)

गये हैं। कार्यों के अभी तक पूरे नहीं होने के कारण सदन के पटल पर रखे गये विवरण के कालम नं. 7 में दर्शाये गये हैं। जिन ठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये गये हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। एक कार्य के अलावा सभी कार्य जून, 1983 तक अगली वर्षा से पहले मरम्मत कर दिये जायेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

जिला कोटा में परवन लिफ्ट सिंचाई योजना

11. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा जिले में परवन लिफ्ट सिंचाई योजना से कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होना प्रस्तावित है ?

(2) उक्त योजना पर कितना धन व्यय होगा ? और यह कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

(3) आगामी वर्ष के लिये इस योजना पर कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

उत्तर

(1) इस योजना से औसतन प्रति वर्ष 8181 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होना प्रस्तावित है।

(2) इस योजना की अनुमानित लागत 394.00 लाख रुपये है। इस योजना का पूर्ण होना आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर है।

(3) वर्ष 1983-84 में इस योजना हेतु 30.00 लाख रुपये प्रस्तावित हैं।

राज्य में वर्षा का औसत

12. श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पिछले दस वर्षों से वर्षा का औसत राज्य में कम होता जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) इस वर्ष कौन-कौन से जिले में वर्षा का औसत कम और किन-किन में अधिक रहा ?

(3) राजस्थान में गत पांच वर्षों का औसत क्या रहा ? कृपया जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) सन् 1982 में अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनूं, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, टौंक एवं उदयपुर जिलों में औसत से कम तथा भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर एवं धौलपुर जिलों में औसत से ज्यादा वर्षा हुई है।

(3) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

भण्डारी बांध उप खण्ड दौसा

13. श्री रामकिशोर मीणा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या भण्डारी बांध उपखण्ड दौसा के पूर्वी स्थान पर वेस्ट वे पर बनाये जाने की योजना विभाग के पास विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष की बाढ़ से ग्राम पीलवा एक टापूनुमा हो गया है ? यदि हां, तो इस ग्राम के बचाव हेतु विभाग ने क्या योजना बनाई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्ष 1981 में असाधारण वर्षा के फलस्वरूप भण्डारी बांध से अत्यधिक बहाव के कारण पीलवा गांव टापूनुमा हो गया था। पीलवा ग्राम को बाढ़ से बचाने हेतु योजना के लिये सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध वाहन के दुरुपयोग सम्बन्धी की गई शिकायतें

14. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री बी. पी. गुप्ता जब वे सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कुशलगढ में कार्यरत थे, ने लिखित में श्री पी. के. ठाकोर, जब वे अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बांसवाड़ा में कार्यरत थे, के विरुद्ध विभागीय वाहन के दुरुपयोग की शिकायत की थी ?

(2) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? कृपया शिकायत की प्रति एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जयपुर जिले के अभावग्रस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

15. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या वर्ष 1982–83 में नीदरलैण्ड के राजदूत ने राज्य सरकार को जयपुर जिले में 5.5 करोड़ रुपये की लागत से 300 अभावग्रस्त गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया था ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ? प्रस्तावित शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना की क्रियान्विति में प्रारम्भिक कार्य व सर्वे पूरा करा लिया गया है ? यदि हां, तो इसमें किस तहसील के कौन-कौन से गांव सम्मिलित किये गये हैं ? कृपया योजना का ब्ल्यू प्रिण्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं । किन्तु नीदरलैण्ड सरकार से जयपुर जिले के 256 समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 4.9 करोड़ के प्रारम्भिक प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। शर्तें विचाराधीन हैं।

(2) जी हां। गांवों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

अलवर नगर परिषद् क्षेत्र में पाइप लाइन्स

16. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर नगर परिषद् क्षेत्र के किन-किन क्षेत्रों में जल वितरण हेतु पाइप लाइन नहीं बिछी हुई है ?

(2) उक्त क्षेत्रों में पाइप लाइन कब तक बिछा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न है ।

(2) धन उपलब्धि के अनुसार पाइप लाइनें डाली जा सकेंगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जिला बाड़मेर में ग्रामीण जल प्रदाय योजना

17. श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले के किन-किन गांवों में अभी तक ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत नहीं हुई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों के लिए ग्रामीण जल प्रदाय योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार उक्त ग्रामों को कब तक पेयजल सुलभ करवा देगी ?

(4) बाड़मेर जिले के कौन से ग्रामों के लिये ग्रामीण जल प्रदाय एवं पम्प एवं टैंक योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) धन उपलब्धि के अनुसार योजनायें स्वीकृत की जायेंगी।

(3) धन उपलब्धि के अनुसार कार्य किया जावेगा।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

पीपल्दा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में सिंचाई

18. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा

(श्री हीरालाल आर्य)
करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र की ग्राम पंचायतें हिंगोनिया, महुआ तथा भटवाड़ा के कई गांवों में सिंचाई नहीं होती है ?

(2) यदि हां, तो उक्त ग्रामों में सिंचाई करने की सरकार की क्या योजना है ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई योजना से सिंचाई करने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) पीपल्दा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिंगोनिया, महुआ तथा भटवाड़ा के कई ग्रामों में चम्बल परियोजना की नहरों से सिंचाई नहीं होती है।

(2) चम्बल परियोजना की दाईं मुख्य नहर एवं बाईं मुख्य नहर से लिफ्ट द्वारा सिंचाई करने के लिए रुपये 1253.38 लाख की जलोत्थान सिंचाई योजना तैयार कर राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है। उक्त प्रस्तुत योजना में ग्राम पंचायत हिंगोनिया, महुआ एवं भटवाड़ा के कई गांवों में लिफ्ट सिंचाई से सिंचाई करने की योजना शामिल है।

(3) उक्त लिफ्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति एवं बजट प्रावधान प्राप्त होने पर उक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं हेतु मुख्य मंत्री कोष से योगदान

19. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) एवं श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कमी वाले क्षेत्रों में जन-सहयोग व दान-दाताओं से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आर्थिक योगदान देने पर सरकार भी उतनी ही राशि मुख्य मंत्री कोष से उपलब्ध करायेगी ?

(2) यदि हां, तो यह योजना कब से लागू है और इसके नियम, उप-नियम क्या हैं ? कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना के अन्तर्गत कहां-कहां किस-किस रूप में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार अथवा धन उपलब्ध किया गया है तथा मुख्य मन्त्री कोष से प्रत्येक को कितना-कितना सहयोग दिया गया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह योजना एक जनवरी, 1979 से शुरू की गई थी। नियम एवं उप-नियम की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(नियम की प्रतियां तथा सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

बीकानेर में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध जांच प्रकरण

20. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बीकानेर में पदस्थापित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगाशहर, ड्रग निरीक्षक, बीकानेर, ड्रग निरीक्षक, नागौर व एक कनिष्ठ लिपिक के खिलाफ रुपये 5000/- रिश्वत मांगने संबंधी प्रकरण की जांच रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, बीकानेर से राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह रिपोर्ट विशिष्ट महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग राजस्थान, जयपुर से उनके पत्र संख्या भ्र. नि. वि./परि (5) जांच/147/80/522-23, दिनांक 10-4-81 द्वारा कार्मिक विभाग में प्राप्त हुई है।

(2) इस मामले में कार्मिक (क-3) विभाग द्वारा निम्न दोषी व्यक्तियों को उनके ज्ञापन संख्या एफ.1(107) का/क-3/81, दिनांक 16-8-82 द्वारा राज. असैनिक सेवायें (वर्गी., नियंत्रण व अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र व आरोप विवरण-पत्र जारी कर दिये हैं :–

1. श्री पी. एम. सिमलोट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. श्री विनोद जैन, ड्रग इन्सपेक्टर
3. श्री हीरालाल बंसल, ड्रग इन्सपेक्टर
4. श्री भंवरलाल सेठिया, क. लि.

उपरोक्त दोषी व्यक्तियों में से श्री सिमलोट के अलावा अन्य तीन के लिखित अभिकथन अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

सभी दोषी अधिकारियों से उत्तर प्राप्त होने पर नियमित जांच करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर जांच अधिकारी नियुक्त किया जावेगा और उनकी जांच के बाद ही जांच रिपोर्ट प्राप्त हो सकेगी।

श्री कल्याण अस्पताल, सीकर में अपर्याप्त सुविधायें

21. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) श्री कल्याण अस्पताल, सीकर को 'अ' श्रेणी का करने के पश्चात् भी अभी तक वहां पर आवश्यक स्टाफ नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने स्टाफ की कमी है और इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री कल्याण अस्पताल में एक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त डीजल जनरेटर पिछले कई माह से पड़ा हुआ है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से उसको चालू नहीं किया गया ? यदि हां,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तो जनरेटर सैट कब दिया गया और उसको चालू करने में क्या कठिनाई हैं ?

(3) 'अ' श्रेणी के हिसाब से अस्पताल में कितनी शैयायें होनी चाहिये तथा वर्तमान में कितनी शैयायें हैं ? शैयाओं की पूरी क्षमता कब तक पूरी करली जायेगी ?

(4) 'अ' श्रेणी के हिसाब से कितने कितने वरिष्ठ विशेषज्ञ तथा कनिष्ठ विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है तथा वर्तमान में कितने विशेषज्ञों की कमी है और यह पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) अधिकांश स्टाफ लगा दिया गया है। रिक्त पदों की सूची संलग्न है। इन पदों को शीघ्र ही नियमानुसार भरने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) जनरेटर 13-7-82 को प्राप्त हुआ है अधिकारियों द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। इसके चालू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है। जनरेटर शीघ्र चालू कर दिया जावेगा।

(3) "अ" श्रेणी के चिकित्सालय में कम से कम 300 शैयायें होनी चाहिये। वर्तमान में एस. के. अस्पताल सीकर में 222 भर्ती मरीजों का औसतन इलाज होता है। इसी वित्तीय वर्ष में क्षमता के अनुसार पूरा प्रबन्ध कर दिया जावेगा।

(4) "अ" श्रेणी के चिकित्सालय में सामान्यतः 11 विशेषज्ञों के पद होते हैं। वर्तमान में चार विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं। कमी शीघ्र पूरी कर दी जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

तहसील तिजारा (अलवर) के ग्राम लायला में अज्ञात बीमारी से मृत्यु

22. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) एवं श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या अलवर जिले की तहसील तिजारा के ग्राम लायला में माह दिसम्बर, 1982 में कोई अज्ञात बीमारी से मौतें हुई थीं ? यदि हां, तो किस बीमारी से कितनी मौतें हुईं और विभाग ने उक्त बीमारी की रोकथाम के लिए कब-कब क्या-क्या कदम उठाये ?

उत्तर

छः व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। बीमारी अज्ञात नहीं थी। प्रश्न पैदा नहीं होता।

कोटा आवासन मण्डल के अधिकारियों की जयपुर यात्रायें

23. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) एवं श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटा नगर स्थित आवासन मंडल के किस-किस अधिकारी ने गत दो वर्षों में किराये की किस-किस टैक्सी कार से जयपुर की यात्रा की ? कुल कितना किराया किस-किस अधिकारी ने किस-किस टैक्सी वाले को दिया व कितना यात्रा व्यय किस-किस अधिकारी ने उठाया ? कृपया विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

यात्रा व्यय एवं टैक्सी किराये का संलग्न विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

नगरपालिका सांगानेर हेतु स्वीकृत बाढ़ सहायतार्थ राशि

24. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका सांगानेर को वर्ष 1982–83 के लिए 10.5 लाख रुपये बाढ़ सहायता के अन्तर्गत सुधार व पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये गये थे ?

(2) यदि हां, तो वहां उक्त राशि से पुनर्निर्माण कार्य कहां-कहां किये गये व कितनी-कितनी लागत से ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त राशि जिन-जिन कार्यों पर व्यय की गई है, उसका विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)।

अजमेर में सैनिकों को आवंटित भू-खण्ड

25. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास अजमेर की प्रत्येक आवासीय योजना में भारतीय सेना में सेवारत राजस्थान के नागरिकों के लिये भू-खण्ड सुरक्षित किये जा कर सुरक्षित रेट से आवंटित किये जाने का प्रावधान है ?

(2) यदि हां, तो नगर सुधार न्यास, अजमेर के क्षेत्राधिकार में आज तक कुल कितने सैनिकों को आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये गये ? कृपया उनके नाम, पते व निवास स्थान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि करीब करीब सभी सैनिकों के राजस्थान के बाहर का निवासी होने से उन्हें आवंटित भू-खण्ड निरस्त कर दिये गये ? लेकिन इस निरस्तीकरण को अनियमित रूप से समाप्त कर गलत आवंटन को बहाल रखा और आज ये सभी भू-खण्ड असैनिक लोगों द्वारा खरीदे जाकर उनके कब्जे में हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) न्यास अजमेर के क्षेत्राधिकार में विभिन्न योजनाओं में 124 सैनिकों को भू-खण्ड आवंटित किये उनके नाम, पते, निवास स्थान के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

(32)

आयुक्त नगर परिषद, अलवर द्वारा की गई यात्रायें

26. **श्री जीतमल जैन (अलवर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर नगर परिषद् के वर्तमान आयुक्त ने जब से अलवर नगर परिषद् में कार्यभार संभाला है तब से 31 जनवरी, 1982 तक कितने दिन अलवर में एवं कितने दिन अलवर से बाहर रहे हैं ?

(2) आयुक्त ने उक्त अवधि में 31 जनवरी, 1982 तक परिषद् के कार्य से कितनी बार जयपुर की यात्रा की ? कृपया प्रत्येक दौरे के दिनों की संख्या एवं भत्ते की राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्तमान आयुक्त अपने कार्यभार ग्रहण करने से 31 जनवरी, 1982 तक 172 दिन अलवर में रहे तथा 56 दिन अलवर से बाहर रहे हैं ।

(2) इस अवधि में परिषद् के कार्य से 20 बार यात्राएं कीं । प्रत्येक दौरे के दिनों की संख्या एवं उनके द्वारा उठाया गया यात्रा भत्ता का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

सीकर नगर में सब्जी मण्डी का निर्माण

27. **श्री घनश्याम तिवाडी (सीकर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर नगर में सब्जी विक्रेताओं के लिये सब्जी मण्डी की उचित व्यवस्था नहीं है तथा इस कारण सब्जी विक्रेताओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

(2) क्या सरकार स्टेशन एरिया, जाटिया बाजार और फतेहपुर गेट पर अलग-अलग तीन सब्जी मण्डियाँ एवं एक बड़ी केन्द्रीय सब्जी मण्डी बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक सब्जी मण्डियों का निर्माण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । यह सही नहीं है । नगर में सब्जी मण्डी विक्रेताओं के लिए सूरजपोल गेट के बाहर व्यवस्था की हुई है ।

(2) जी नहीं ।

ग्राम कागदीवाड़ा–छीपीवाड़ा (जयपुर) लिंक रोड से प्रभावित आवास

28. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)** : **श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)** एवं **श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम कागदीवाड़ा–छीपीवाड़ा (ब्रह्मपुरी) जयपुर होकर निकाले जा रहे लिंक रोड (बाई पास) में उक्त बस्तियों के कुल कितने मकानों का कितना कितना हिस्सा आ रहा है ? कृपया मकानों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

33

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त वाई पास में कागदीवाड़ा–छीपीवाड़ा के कुछ नजराना जमा नहीं कराये हुए व बिना सर्वे किये हुए पुराने लेकिन पक्के मकान भी आ रहे हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त मकानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(3) क्या राज्य सरकार उपरोक्त बिना नियमित/नजराना जमा नहीं हुए/बिना सर्वे पुराने मकानों के मालिकों को भी नियमानुसार मुआवजा व जमीन देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो किन-किन को क्या-क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार जिस मकान का आधा या उससे भी कम हिस्सा उपरोक्त वाई पास में आ रहा है तथा मकान मालिक बकाया जमीन पर ही रहना चाहता है, तो राज्य सरकार उसे वहां ही नियमित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिन मकानों का हिस्सा/मकान इस सड़क के कागदीवाड़ा/छीपीवाडा में आ रहे हैं, उनकी सूची परिशिष्ट* (क) पर संग्लन है।

(2) विचाराधीन है।

(3) विचाराधीन है।

(4) विचाराधीन है।

*सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

जिला बीकानेर में चरागाह कार्यक्रम के अन्तर्गत तारबन्दी

29. श्री सुरजाराम टाक (नोखा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर जिले में गत 3 वर्षों में चरागाह विकास कार्यक्रम के लिए कितने हैक्टेयर जमीन की तारबंदी की गई और इस पर कितना खर्चा हुआ ? विभाग द्वारा इसमें चारा आदि लगाने हेतु वर्ष में कितना व्यय होता है ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील नोखा पौधशाला में पिछले तीन वर्षों में कितने-कितने पौध तैयार किये गये और इस पौधशाला पर तीन वर्षों में कितना रुपया व्यय किया गया ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बीकानेर में टीला स्थिरीकरण के कार्य पर गत 3 वर्षों में कितना-कितना रुपया व्यय हुआ और यह कार्य किन-किन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में किया गया तथा इसमें कौन-कौन से ग्रामवासियों को क्या-क्या लाभ हुआ ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त कार्यों का बीकानेर में कार्य कर रहे मूल्यांकन विभाग से एवं जिलाधीश, बीकानेर के माध्यम से मौके की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करके सदन की मेज पर रखने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में गत तीन वर्षों में 10,048 हैक्टेयर क्षेत्र में तारबन्दी कर चरागाह विकास की कार्यवाही की गई एवं इस

(वन मंत्री)

पर जनवरी, 1983 तक कुल 99.265 लाख रुपये का व्यय हुआ है। सर्वे का वर्ष-वार ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) बीकानेर जिले में गत तीन वर्षों में 650 हैक्टेयर क्षेत्र में टीबा स्थिरीकरण के निर्माण कार्य किये गये और इन पर जनवरी, 1983 तक कुल 8.77 लाख रुपये व्यय हुआ है। यह कार्य ग्राम पंचायत गोडू (पंचायत समिति कोलायत) ग्राम पंचायत कागंडवाला (पंचायत समिति लूणकरणसर) ग्राम पंचायत पूगल (पंचायत समिति, बीकानेर) ग्राम पंचायत महाजन (पंचायत समिति, लूणकरणसर) में कराया गया। उक्त कार्य से उड़ते रेत के टीबों की रोकथाम हुई एवं काश्त की भूमि का रेत से दबाव हो सका। इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में अच्छी किस्म की घास व पेड़ भी लगाये गये जिससे क्षेत्र विकसित होने पर ग्रामवासियों को अच्छी किस्म का चारा व ईंधन उपलब्ध हो सकेगा। उक्त कार्य से निम्न ग्रामों में ग्रामवासी लाभान्वित हुए हैं:—हरियासर, नाथवाना, लूणकरणसर, काकडवाला, गोडू पूगल ग्राम पंचायत के चक 7 पो. बो. 10 पो. बो. रसूलसर 6 डवेर 8 बी. एल. डी. 1 ए. डी. एम. 2 ए. डी. एम. व ग्राम महाजन।

(4) आलोच्य क्षेत्र में इन कार्यों का मूल्यांकन वर्ष 1981–82 में मूल्यांकन विभाग द्वारा किया गया है। रिपोर्ट अपेक्षित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में खडीन निर्माण

30. श्री अमीन खां (शिव): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जैसलमेर व बाड़मेर में वर्ष 1981–82 में कितने खडीन बनाए गए? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में वर्ष 1982-83 में कितने खडीन बनाए गए और कितने खडीन बनाने के प्रस्ताव तैयार हैं? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981–82 में सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम/मरु विकास कार्यक्रम/एन. आर. ई. पी. व अकाल सहायता के अन्तर्गत जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में क्रमशः 24 एवं 25 खडीन कार्य प्रारंभ किये गये। दोनों जिलों की तहसीलवार विस्तृत सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जो परिशिष्ट 1 व 2 पर उपलब्ध है।

(2) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में क्रमशः 24 एवं 25 खडीन कार्य जो वर्ष 1981–82 में प्रारंभ किये गये थे वे वर्ष 1982–83 में प्रगति पर रहे। इसके अतिरिक्त अकाल सहायता के अन्तर्गत वर्ष 82–83 में बाड़मेर जिले में 46 कार्य और स्वीकृत किये गये तथा जिला जैसलमेर के 30 कार्य स्वीकृति हेतु राज्य के अकाल सहायता विभाग के विचाराधीन है। इसके

(कृषि मंत्री)
अतिरिक्त इन जिलों के लिए अब कोई नये प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जो परिशिष्ट 3 व 4 पर उपलब्ध है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

जोहड़ बीड़ भेड प्रजनन फार्म, बीकानेर में पशुधन पर फाटक दण्ड वसूली

31. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :** क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर के पास जोहड़ बीड भेड़ प्रजनन फार्म में पिछले पांच वर्षों में किस-किस पशुधन पर कितना फाटक दण्ड वसूल किया गया? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त फार्म की तारबन्दी की हुई है?

(3) उपरोक्त फार्म के चरागाह की निगरानी हेतु कितने चौकीदार नियुक्त हैं? क्या यह सही है कि चौकीदार के होते हुए भी जगह-जगह से तारबन्दी टूटी हुई है? यदि हां, तो क्या प्रभारी अधिकारी ने तार-चोरी अथवा तोड़फोड़ बाबत पुलिस में मुकदमे दर्ज करवाये? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इस बाबत प्रभारी अधिकारी का जवाब तलब करेगी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) पशुधन फाटक में रख-रखाव व चारे पर वर्ष 1977 से अब तक वर्षवार कितनी राशि व्यय की गई है?

(6) राज्य सरकार उपरोक्त फार्म की तारबन्दी की मरम्मत कब तक करा देगी?

उत्तर

(1) बीकानेर के पास जोहड़ बीड़ भेड़ प्रजनन फार्म में पिछले 5 वर्षों में गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट आदि पशुधन पर फाटक दण्ड वसूल किया गया, की सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) जी हां। फार्म के 716 हैक्टेयर क्षेत्रफल में से केवल 530 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर तारबन्दी है।

(3) फार्म की चरागाह की निगरानी हेतु कोई चौकीदार नियुक्त नहीं है। प्रभारी अधिकारी ने समय-समय पर तारबन्दी चोरी एवं तोड़े जाने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवायी।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) फार्म पर रखाव व चारे पर वर्ष 1977 से अब तक अलग से कोई राशि व्यय नहीं की गई। फाटक में पशुधन को फार्म पर चरवा दिया जाता है।

(6) तारबन्दी की तोड़फोड़ की मरम्मत आवश्यकतानुसार समय-समय पर करादी जाती रही है एवं भविष्य में भी जब कभी तारबन्दी की तोड़फोड़ होगी तो मरम्मत कराई जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2४ देखें)

गुजरात से आयातित खरीफ के बीज

32. श्री कनकराज मेहता (सांचोर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में खरीफ बीज अधिकतर गुजरात राज्य से आते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि गुजरात व राजस्थान में जलवायु व भूमि में भी बहुत अन्तर है जिससे बीज हर स्थान पर सफल नहीं हो पाते हैं ?

(3) क्या सरकार खरीफ बीज राजस्थान में विकसित करने की योजना बनाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) केवल संकर बाजरे का बीज मांग अधिक होने से गुजरात से गत दो वर्षों से मंगवाया गया है ।

(2) गुजरात व राजस्थान में जलवायु व भूमि में अन्तर अधिक नहीं है । बीज का अंकुरण सामान्य रहता है ।

(3) खरीफ बीज राजस्थान में विकसित करने की योजना पहले से ही राजस्थान प्रदेश में चालू है ।

आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत चन्दन निवास औषधालय में कार्यरत नर्स का स्थानांतरण

33. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत चन्दन निवास औषधालय, अजमेर में कार्यरत नर्स निर्मला का गत डेढ़ साल में चार बार स्थानान्तरण किया गया ? यदि हां, तो हर बार स्थानान्तरण करने के क्या कारण थे और उसे संशोधित व निरस्त करने के भी क्या कारण रहे ?

(2) क्या यह भी सही है कि नर्स द्वारा आखिरी बार न्यायालय के द्वार खटखटाने पर उसे स्थानान्तरण न करने का न्यायिक आदेश भी विभाग को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो कब और क्या उसकी पालना हुई ?

(3) क्या अब उस नर्स को निलंबित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और निलम्बन के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं । नर्स निर्मला देवी के सिर्फ दो बार स्थानांतरण किये गये हैं, जिसमें से प्रथम बार स्थानान्तरण उनकी स्वेच्छा पर किया गया था । दूसरी बार स्थानान्तरण दिनांक 18-8-82 को किया गया था । स्थानान्तरण का मुख्य कारण उक्त नर्स के विरुद्ध शिकायतों का होना था । इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध मुन्सिफ कोर्ट, अजमेर ने इकतरफा स्थगन आदेश पारित किया जो कि दिनांक 18-9-82 को प्राप्त हुआ । न्यायालय द्वारा इस आदेश को कनफर्म किये जाने के पश्चात् आदेश की पालना में उक्त नर्स को चन्दन निवास, अजमेर में रखा गया ।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) उक्त नर्स द्वारा अपने स्थानांतरण आदेश को रुकवाने हेतु न्यायालय से इकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया जो दिनांक 18-9-82 को प्राप्त हुआ। जिसके अन्तर्गत यथास्थिति कायम रखने के आदेश न्यायालय द्वारा प्रसारित किये गये थे। इसके बाद अस्थाई निषेधाज्ञा कनफर्म हो जाने के पश्चात् आदेश की पालना की गई।

(3) जी हां। नर्स निर्मला देवी को दिनांक 14-1-83 को निलम्बित किया गया है क्योंकि ये दिनांक 1-1-83 को प्रातः 9–10 बजे औषधालय के आकस्मिक निरीक्षण के समय बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित पाई गई। इनके निलंबन का मुख्य कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहना व अन्य शिकायतों का होना है।

पंचायत समिति, सुल्तानपुर एवं सांगोद (कोटा) में निर्माण कार्य

34. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत डेढ़ वर्षों में कोटा जिले की पंचायत समिति, सुल्तानपुर एवं सांगोद की किन-किन पंचायतों में किन-किन योजनाओं के तहत कितनी-कितनी धनराशि के क्या-क्या निर्माण कार्य हुए। कृपया पंचायतवार विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंचायत समिति, सुल्तानपुर एवं सांगोद की ग्राम पंचायतों द्वारा जिन-जिन योजना के तहत निर्माण कार्य हुए हैं एवं उन पर जो धन राशि व्यय की गई है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 25 देखें)।

राज्य में ग्राम पंचायतों की आय

35. श्री कनकराज मेहता (सांचौर): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों की आय फाटकों के खर्च को देखते बहुत ही कम है ?

(2) क्या सरकार उत्तर प्रदेश की भांति यहां भी फाटकों की अनियमिततायें रोकने व अच्छी आय प्राप्त करने हेतु नीलामी करना पसन्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार फाटकों के व्यय को कम करने की कोई योजना बनायेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समितियों से प्राप्त सूचना से प्रकट है कि ग्राम पंचायतों को फाटकों (कांजी हाउस) से आय इस पर होने वाले व्यय को देखते हुए कम है।

(2) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियां राजस्थान से भिन्न हैं। अतः उत्तर प्रदेश की व्यवस्था राजस्थान में लागू करना उपयुक्त नहीं होगा।

सीकर में स्टेडियम का निर्माण

36. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले में माधो स्कूल के ग्राउन्ड में स्टेडियम बनाने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सीकर नगर में स्टेडियम निर्माण की बहुत बड़ी आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार सीकर में स्टेडियम निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त स्टेडियम के निर्माण में कितनी धनराशि व्यय होगी ?

उत्तर

(1, 2 व 3) सन् 1972 में सीकर में स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव जिलाधीश, सीकर ने भेजा था, परन्तु उन्होंने प्लान व एस्टीमेट्स नहीं भिजवाये। पुनः सन् 1979 में रु. 10.80 लाख की जिलाधीश ने योजना बनाकर राज्य सरकार को भिजवाई जिसको भारत सरकार को अनुदान की स्वीकृति हेतु भिजवा दी थी, परन्तु वह स्वीकृत नहीं हुई। स्टेडियम का निर्माण भारत सरकार को इस प्रयोजन हेतु अनुदान की योजनान्तर्गत किया जाता है, जिसमें अधिकतम एक लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। शेष राशि यदि कोई रहे तो अन्य स्रोतों से जुटानी होती है।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री रंगजी मीणा को 17 फरवरी, 1983 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थिति के लिए अनुमति ! सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रंगजी मीणा, विभाजन संख्या 134, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 17 फरवरी, 1983 से सत्रांत तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अस्वस्थता क्या है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : आप भी बीमार हो सकते हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई :—

(1) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से मंगलम सीमेन्ट फैक्ट्री, मोड़क, जिला कोटा से निकलने वाले धुएं से रामगंज मण्डी तहसील का वातावरण दूषित होने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) सर्वश्री अनंगकुमार जैन व बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत दो दिसम्बर को उदयपुर शहर में पत्रकार श्री निशांत व्यास पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा किये गये हमले के विषय में।

(3) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर में गत मास वन विभाग के अधिकारियों की सांठ-गांठ से एक बघेरा व एक शेर का शिकार करने के विषय में।

(4) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील कोलायत जिला बीकानेर में गत दो माह से भेड़ों की भारी संख्या में बीमारी से मृत्यु होने के विषय में।

(5) सर्वश्री जीतमल जैन व समर्थ लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से हरसाना, जिला अलवर में नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय को पुनः माध्यमिक विद्यालय बना देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(6) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 2 फरवरी को सांगानेर कस्बे के एक सरकारी स्कूल में वहाँ की प्रधानाध्यापिका द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के विषय में।

(7) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम निम्बोडिया चाकसू, जिला जयपुर में गत वर्ष आई बाढ़ से प्रभावित किसानों से बिजली के बिल राजस्व की वसूलियां एवं अन्य ऋण वसूलियां की जा रही हैं, इस विषय में।

(8) सुश्री पुष्पा जैन व श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के मुख्य मंत्री जी द्वारा गत 17 फरवरी को राजकीय वायुयान से अपने पुत्र को दिल्ली ले जाने के विषय में।

(9) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा क्रय-विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा भारी अनियमितताएं करने के विषय में।

(10) श्री भंवरलाल शर्मा एवं डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में भूमि रूपान्तरण के नाम से निर्धारित राशि जमा कराने पर भी अनेक लोगों के भवनों को तोड़ देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(11) श्री महावीर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से असम के चुनावों में राजस्थान के लगभग 100 वाहन चालकों को प्रलोभन देकर भेजने और उनकी असमय मृत्यु होने के विषय में।

(12) सर्वश्री गुलाबचन्द कटारिया व दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के राज्य कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा किये गये समझौते की अवहेलना करते हुये सरकार द्वारा वेतनमान घोषित किये जाने के विषय में।

इन सभी स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी मंगवाई जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(५०)

(श्री अध्यक्ष)

(13) सर्वश्री त्रिलोकसिंह, लच्छूराम, व मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से जे.के. सिन्थेटिक्स, कोटा द्वारा भारी संख्या में मजदूरों की छंटनी के विषय में।

इस विषय में पूर्व में प्राप्त एक स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है और इन दोनों ही प्रस्तावों पर बाद में व्यवस्था दी जायेगी।

(14) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर परिषद् द्वारा भीलवाड़ा में अनुसूचित जाति के मोहल्लों में सड़क व नालियों की मरम्मत न होने के विषय में।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(15) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत नवम्बर माह में कोटा क्षेत्र के गरीब पशुपालकों के 15 हजार से अधिक दुधारू पशुओं की यकायक अकाल मृत्यु हो जाने के विषय में।

यह भी अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है और पुरानी घटना से सम्बन्धित है। अतः मैं इसे भी स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

अब जिन दो माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार कर दिया है वह अपनी बात यदि चाहें तो दो-दो मिनट में सदन के समक्ष कह सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री बंशीलाल पटवा।

(अनुपस्थित)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 8-9 नवम्बर, 1982 को कोटा नगर के आसपास के क्षेत्रों में 15 हजार से अधिक पशु अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा नगर के आसपास इस प्रकार की स्थिति बनी कि जिसके कारण तीन-तीन महीने तक इन पशुओं के शव पड़े रहे। राज्य सरकार की लापरवाही के कारण कोटा के आसपास का क्षेत्र सड़ता रहा, कुछ स्थानों पर बीमारियां फैलीं। राज्य सरकार उन पशुओं को अपने स्थान से ना हटा सकी और ना उनको दफन करने की प्रक्रिया कर सकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी ही बात नहीं है, तीसरा एक बड़ा विषय आज तक विद्यमान है, 100 गांवों से अधिक जो पशुपालक रहते हैं जो गूजर भाई रहते हैं उनके जीवन की अवस्था इस प्रकार की हो गई है कि दो जून भोजन भी उनको मिलना मुश्किल हो गया है। वहां के पशुपालक निष्क्रमण करके जा रहे हैं, छोटी-मोटी नौकरियां चारों तरफ कर रहे हैं और भूखों मरने की उनकी सारी स्थिति बन गई है। बैंकों की ओर से उनको नोटिस प्राप्त हो रहे हैं। राज्य सरकार उसमें कुछ सहायता नहीं कर रही है। राजस्थान के निकट मंदसौर जिले में इस प्रकार की घटना हुई थी। आपको सुन कर आश्चर्य होगा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इस प्रकार के पशुपालकों को राज्य सरकार ने सहयोग दिया है, जिनके पास दो पशु से कम रह गये या मर गये उनको राज्य सरकार ने अनुदान दिया, उनके ऊपर जो ऋण हैं उनकी माफी की। बड़े आश्चर्य और कष्ट

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
का विषय है, यद्यपि घटना थोड़ी पुरानी हो गई है जब यहां के पशुपालक निष्क्रमण कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनकी रोजी-रोटी का कोई धंधा नहीं है फिर भी राज्य सरकार किसी भी प्रकार का सहयोग या सहायता करने की दृष्टि से सामने नहीं ग्रा रही है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह सवाल इसलिये बहुत ग्रावश्यक है क्योंकि इसमें प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। 8-9 नवम्बर को इस प्रकार की घटना हुई, 13 नवम्बर को कलेक्टर महोदय कहते हैं मुझे इसका पता ही नहीं है कि पशु मर गये हैं··

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राज्य सरकार कुछ तो समझने की कोशिश करे, कुछ तो प्रयास करे। यह घटना केवल कोटा में ही नहीं हुई, सवाई माधोपुर से शुरू हुई है। सवाई माधोपुर के बारे में लोक सभा में जवाब दिया कि वहां इतने-इतने चीतल ग्रौर दुधारू पशु मारे गये। 8 नवम्बर को वहां घटना हुई। 8-9 नवम्बर को ही कोटा में घटना हुई। 15 नवम्बर को उदयपुर में घटना हुई। उसके बाद सिरोही में घटना हुई। इसकी जांच नहीं हुई है। केवल कह दिया गया है कि ठण्ड से मर गये।

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय ग्रध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार किस प्रकार का कार्य, बर्ताव कर रही है। सबसे बड़ा मानवीय ग्रौर नैतिक पहलू है पशुपालकों को ग्रब भी ग्रपनी ग्रोर से सरकार कोई न कोई सहायता प्रदान करे। जब मध्य प्रदेश कर सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं कर सकता? बराबर मांग की जा रही है मुख्य मंत्री महोदय से···

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ग्राप किसी ग्रन्य तरीके से उठायें। यह तो ग्रल्प अवधि का माध्यम है, माननीय सदस्य, ज्यादा समय नहीं दे सकता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मै आपके माध्यम से राज्य सरकार को कहना चाहता हूं। ग्राप भी राज्य सरकार से इस प्रकार की कोई बात कहें ताकि राज्य सरकार के कान खुलें। वहां के कलेक्टर उनको कोई न कोई सहायता मुहैया करावें।

श्री ग्रध्यक्ष : यहां ग्रध्यक्ष के माध्यम से ही कहा जाता है इसलिये हमारी तरफ से ग्राप ही कह रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि वहां ग्रब भी पशु मरे पड़े हैं। 3-3 महीने बाद पत्रिकाग्रों में फोटो छपी है। बसों में जाने वाले लोगों को कहा जाता था कि नाक बन्द कर लो, खिड़की बन्द कर लो, ग्रगरबत्तियां जला दो। घटना के 3-3 महीने बाद ऐसी निष्क्रियता रही प्रशासन की। इसके पश्चात् भी ग्राज तक उन पशुपालकों को सहयोग, सहायता नहीं दी गई है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी बैठे हैं उनके विधान सभा क्षेत्र का केस है, कोटा डेम पर जाने वाली सड़कों पर 100-100, 150-150 पशु दो महीने तक पड़े रहे।

(52)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
कोई व्यवस्था नहीं बनी। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कम से कम पशुपालकों को तो राहत देने की कोशिश करें। उन्होंने तो गैर-जिम्मेदाराना काम किया सो किया, लाशें नहीं हटाईं सो नहीं हटाईं, आप तो कम से कम उनको अनुदान दें। उनको जो नोटिस बैंक से मिल रहे हैं, किसी प्रकार से सामने आकर बैंक से उन्हें राहत दिलाने की कोशिश करें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा का विषय नहीं बन सकता। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर आप कह सकते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : उनको आश्वासन दिया है मंत्री महोदय ने...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर। अन्य किसी तरीके से उठायें, सदन का समय न लें। आर्डर आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, वहां पर....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ××××

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): पाइन्ट आफ आॅर्डर। अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे चुके हैं और आदेश निकाल चुके हैं कि जब विधान सभा चले तब कोई ऐसी सभा न की जाय जिसमें विधायक सदस्य हों। माननीय अध्यक्ष, आपके और राज्य सरकार के आदेश के बावजूद भी 17 फरवरी को राजस्व अभियान किया गया। लैटर आया है मेरे पास, 19 तारीख को मिला है। इसका कारण यह है, माननीय अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे बुलाते तो मैं रिश्वत नहीं खाने देता। वहां लूट हुई है। यह आदेश है मेरे पास। 17 तारीख का आॅर्डर मुझे 19 को मिला है। आपकी व्यवस्था के बाद भी ऐसा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ऐसी कई अन्य शिकायत भी प्राप्त हुई हैं। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, छुट-पुट विषय है। मैंने व्यवस्था दे दी। इस पर अन्य माननीय सदस्यों ने भी शिकायतें की है। इस पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरीश शर्मा : ऐसी बात नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां जमीन अलाट हो गईं। रिश्वत खा गये....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने व्यवस्था दी लेकिन राज्य सरकार क्या कर रही है? यह क्यों नहीं इस प्रकार के स्टेण्डिंग आॅर्डर

×××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जारी करती और जो उनका पालन नहीं करें उनके विरुद्ध एक्शन क्यों नहीं लेती ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कई मंत्री महोदय बैठे हैं, बतायें तो सही कि आपकी आज्ञा और राज्य सरकार के नोटिस के बावजूद अधिकारी इस प्रकार की मीटिंग क्यों बुला रहे हैं ? क्या निर्णय ले रहे हैं । क्या राज्य सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बुला कर आपने व्यक्तिगत रूप से कहा था····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय न लें । इस पर कार्यवाही कर रहे हैं । मैंने निवेदन कर दिया है । श्री वंशीलाल ।

श्री हरीश शर्मा : क्षेत्र में तो मैं जाऊंगा उनका क्या बिगड़ेगा, लट्ठ तो मेरे पड़ेंगे । मैं तो मारूंगा रिश्वत खाने वालों को । यह तो पक्की बात है । यह मेरे यहां क्यों होता है ? मैं रिश्वत खाने नहीं देता । मैं पहले से सूचना दे रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : हमारे पास शिकायत आई है । मंत्रीजी यहां ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं । कार्यवाही करेंगे । और तो क्या निवेदन करूं ।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष, मुझे यहां प्रिविलेज है । क्षेत्र में जाऊंगा तो मेरे लट्ठ पड़ेंगे । रिश्वत खाने वालों को मारूंगा तो जेल जाऊंगा । गरीबों से रिश्वत खाई है और रिश्वत लेकर जमीन अलाट कर दी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि 17 फरवरी का लैटर मैंने कलक्टर को दे दिया रामकिशोर जी का कि मीटिंग मत करो । कलेक्टर ने एस. डी. एम. को नोट करा दिया । फिर नोट कराने के बाद भी मीटिंग कर ली ।

श्री अध्यक्ष : यह शिकायत मेरे पास आ गई है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या सरकार चला रहे हैं पता नहीं ।

एक माननीय सदस्य : कहां है सरकार ? सरकार तो है ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, समय ना लें ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने म्यूनिसिपल कौंसिल के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि वहां पर जितना भी म्यूनिसिपल कौंसिल द्वारा निर्माण का कार्य कराया जा रहा है वह इतना अव्यवस्थित है कि छोटी छोटी जातियों की जितनी बस्तियां हैं, उनमें आज कमजोर वर्ग के लोगों की इस प्रकार की स्थिति है कि वह कुक्कड़खाने टाइप की जिन्दगी जी रहे हैं । वहां पर सड़कों की रिपेयर 14–15 वर्षों से नहीं हुई । यहां तक कि मुख्य बाजारों में मैन सड़कें हैं, 1975 में उन सड़कों का रीसोलिंग किया गया लेकिन उन पर डामर नहीं हुआ । जहां 9 इंच की नाली से काम चल सकता है, न्यूसेंस का पानी नहीं आता, वहां पर दो दो फ़ीट की ड्रेन्स बनाई जा रही हैं केवल इसलिये कि किस प्रकार से उसमें से

(५४)

(श्री बंशीलाल पटवा)

पैसा प्राप्त किया जाय, पर्सेन्टेज प्राप्त किया जाय, चीटिंग किया जाय। इस तरह की स्थिति है। जो सड़कें आलरेडी डामर की बनी हुई हैं जिनको पौन इंच, एक इंच गिट्टी से ठीक किया जा सकता है उन डामर की सड़कों पर फिर से 6 इंच, 8 इंच का फिर से री-सोलिंग करके टार की सड़कें बनाने का कार्यक्रम चालू है। इससे जन-धन की बरबादी हो रही है। स्थिति खराब है। कई नई बस्तियां है जहां पर ड्रेन्स और सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, कोलियों और हरिजनों की बस्ती में सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, अन्य कमजोर वर्गों की जातियां हैं वहां पर सड़कें नहीं बनाई जा रही है और जन-धन की बरबादी की जा रही है। यहां तक कि म्यूनिसिपल कौंसिल के बाहर जहां 9 इंच की ड्रेन बनी हुई थी उसमें गन्दा पानी नहीं आता था लेकिन उस नाली को 2 फीट खुदवा दिया गया। टाउन हाल में भी इसी तरह से जन धन की बरबादी की जा रही है जहां कुछ कम पैसे में अच्छा कन्स्ट्रक्शन किया जा सकता है लेकिन वह नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति वहां पर है। यदि इसको नहीं रोका गया तो कौंसिल का पैसा बरबाद होगा। जो प्रशासक सिटी मजिस्ट्रेट वहां पर हैं वह करप्ट प्रेक्टिस पर उतारू हैं। जो कमिश्नर बैठे हुए हैं वह चीटिंग करना चाहते हैं। सीमेंट की सड़कें हैं उन पर भी गिट्टी डाल कर उन्हें बनाना चाहते हैं, टैक्नीकल पाइन्ट से भी यह ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि स्वायत्त शासन मंत्री जी नहीं सोचेंगे, सूझ-बूझ से काम नहीं लेंगे तो वहां जन-धन की बरबादी होगी। लाखों रुपये का बजट इस तरह से बरबाद किया जा रहा है कि दो फीट की नाली बनाये उसमें से किस प्रकार से पैसा प्राप्त हो . . .

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री बंशीलाल पटवा : अधिक पर्सेन्टेज प्राप्त हो। इस परम्परा को रोका जाना चाहिये। जो प्रशासक और कमिश्नर चीटिंग करने पर उतारू है और म्यूनिसिपल कौंसिल की दयनीय स्थिति करना चाहते हैं उनको नहीं रोका गया तो जन-धन की बरबादी होगी और चुनी हुई कौंसिल आयेगी वह कुछ काम नहीं कर पायेगी। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस तरह की अनियमितता को रोका जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य, आर्डर।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र
अधिसूचनाएं

उपनिवेशन मंत्री।

व्यवस्था का प्रश्न

अधिसूचनाएं सदन पटल पर रखने में विलम्ब

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हर दिन जो अधिसूचनायें रखी जा रही हैं वह ऐसी अधिसूचनायें लगातार आ रही हैं जो पिछले सत्र में आनी चाहिए थीं यानी कि उसके पहले की हैं। इसके लिये एक दिन तय कर लें। हर दिन नियमों का उल्लंघन क्यों

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
किया जा रहा है ? नियमों के अनुसार जिस सत्र के पहले अधिसूचनायें जारी होती हैं वह जारी होने के तुरन्त बाद वाले सत्र में प्रस्तुत की जानी चाहिये। सरकार से गलती हो गयी, यह बात तो समझ में आ गयी।

मैं बताना चाहता हूं कि पृष्ठ नं. 1 पर यह जो पहली अधिसूचना है 5 फरवरी, 81 की है। उसके पश्चात् सदन मिल चुका है। इसी प्रकार पृष्ठ 7 पर देखेंगे आप उसमें तीन नं. की अधिसूचना है वह 22 जुलाई की है···

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री; परिवहन) : मैं उसको बतला दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप बतला देंगे, यह तो ठीक है लेकिन मैं व्यवस्था यह चाहता हूं कि एक दिन तय हो जाय और पुरानी जितनी अधिसूचनायें हैं वे सारी उस दिन आ जायें। हर दिन गलती करके सरकार क्या दिखाना चाहती है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : पिछले सत्र में सरकार ने इस बात पर क्षमा याचना भी की थी।

श्री अध्यक्ष : पहले अधिसूचनायें 4-5 साल बाद में आया करती थीं। उसके बाद अधिसूचनायें निरन्तर समय पर आती रही हैं। इसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। कभी कभी कोई सत्र निकल जाता है तो कोई बात नहीं है क्योंकि विभाग की अधिसूचनायें हैं, ऐसा हो जाता है जैसे पिछले सत्र में ऐसा हुआ, आ तो गयी थी पर यहां से कुछ त्रुटियां निकालकर वापस भेज दी गयीं। मैं समझता हूं कि इन अधिसूचनाओं को रखने में कोई बहुत देर हो गयी हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यथासंभव अधिसूचनायें समय पर सदन में प्रस्तुत की जायं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री खेतसिंह राठौड (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 29 के अन्तर्गत उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :-

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 18(3) राज/उप/77 दिनांक 5 फरवरी, 1981, जिसके द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भूमि आवंटन नियमों तथा शर्तों में संशोधन किये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4(25) राज/उप/77, दिनांक 10 नवम्बर, 1982 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4(25) राज/उप/77, दिनांक 10 नवम्बर, 1982 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजना, सरकारी भूमि आवंटन) नियम, 1966 में संशोधन किये गये हैं।

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4(25) राज/उप/77, दिनांक 10 नवम्बर, 1982,

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (जवाई परियोजना में सरकारी भूमियों का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1978 में संशोधन किये गये हैं।

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4(25) राज/उप/77, दिनांक 10 नवम्बर, 1982 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग-नहर भूमि स्थायी आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किये गये हैं।

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 4(25) राज/उप/77, दिनांक 10 नवम्बर, 1982 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं।

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 4(25) राज/उप/77, दिनांक 10 नवम्बर, 1982 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना में सरकारी भूमियों का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1957 मे संशोधन किये गये हैं।

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 4(2) रेव/कोल/81, दिनांक 8 नवम्बर, 1982, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं।

(9) अधिसूचना संख्या एफ. 4( ) रेव/कोल/81, दिनांक 8 नवम्बर, 1982, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनायें, सरकारी भूमि आवंटन नियम, 1968 में संशोधन किये गये हैं।

(10) अधिसूचना संख्या एफ. 4(2) रेव/कोल/81, दिनांक 8 नवम्बर, 1982; जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं।

(11) अधिसूचना संख्या एफ. 4(2) रेव/कोल/81, दिनांक 8 नवम्बर, 1982, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (जवाई परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1978 में संशोधन किये गये हैं।

(12) अधिसूचना संख्या एफ 4(2) रेव/कोल/81, दिनांक 8 नवम्बर, 1982, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आवंटन तथा विक्रय नियम; 1956 में संशोधन किये गये हैं।

(13) अधिसूचना संख्या एफ. 4(28) राज/उप/77, दिनांक 8 नवम्बर, 1982, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें, 1956 में संशोधन किये गये हैं।

(14) अधिसूचना संख्या एफ. 3(216) राज/उप/78, दिनांक 8 नवम्बर, 1982, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टे) शर्तें, 19,5 में संशोधन किये गये हैं।

(15) अधिसूचना संख्या एफ. 4(5) राज/उप/82, दिनांक 8 नवम्बर, 1982 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर क्षेत्र में सरकारी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं।

(16) अधिसूचना संख्या प. 4(2) राज/उप/83, दिनांक 7 जनवरी, 1983 जिसके द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि को एक महीने से कम करके 15 दिन किया गया है।

(17) अधिसूचना संख्या प. 4(1) राज/उप/83, दिनांक 4 जनवरी, 1983 जिसके द्वारा सहायक जिलाधीश (मुख्यावास), टौंक को जिलाधीश के सभी कृत्यों का सम्पादन करने हेतु 15 फरवरी, 1983 तक नियुक्त किया गया है।

(18) अधिसूचना संख्या एफ. 4(10) रेव/उप/83, दिनांक 4 जनवरी, 1983, जिसके द्वारा उप-जिलाधीश बूंदी, को चम्बल परियोजना वाले क्षेत्रों के संबंध में जिलाधीश के समस्त कृत्यों की पालना करने हेतु दिनांक 15 फरवरी, 1983 तक नियुक्त किया गया है।

(19) अधिसूचना संख्या एफ. 4(10) रेव/कोल/75 पार्ट II, दिनांक 27 दिसम्बर, 1982, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (जवाई परियोजना में सरकारी भूमियों का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1978 में संशोधन किये गये हैं।

(20) अधिसूचना संख्या एफ.4(10) रेव/कोल/75, पी टी II, दिनांक 27 दिसम्बर, 1982, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं।

(21) अधिसूचना संख्या एफ. 4(10) रेव/कोल/75 पीटी–II, दिनांक 27 दिसम्बर, 1982, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा परियोजना में सरकारी भूमियों का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं।

(22) अधिसूचना संख्या एफ. 4(10) राज/उप/75–पार्ट II, दिनांक 27 दिसम्बर, 1982, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन) गंग नहर भूमि स्थायी आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किये गये हैं।

(23) अधिसूचना संख्या एफ. 4(10) रेव/कोल/75 पी टी–II, दिनांक 27 दिसम्बर, 1982, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं।

(24) अधिसूचना संख्या एफ. 4(10) रेव/कोल/75 पार्ट–II, दिनांक 27 दिसम्बर, 1982 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजना, सरकारी भूमियों का आवंटन) नियम, 1968 में संशोधन किये गये हैं।

(25) अधिसूचना संख्या प. 4(16) राज/उप/79, दिनांक 7 जनवरी, 1983 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं।

(26) अधिसूचना संख्या एफ. 19(26) राज/उप/80, दिनांक 8 फरवरी, 1983,

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जिसके द्वारा उप-खण्ड अधिकारी, रामगंज मंडी को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर जिलाधीश के ऐसे कृत्य करने के लिए नियुक्त किया गया है जो राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1957 के अधीन भूमि के आवंटन हेतु प्रयोक्तव्य है।

(27) अधिसूचना संख्या 4(1)राज/उप/83, दिनांक 4 फरवरी, 1983, जिसके द्वारा श्री गंगानगर जिले के सहायक जिलाधीशों तथा उप जिला विकास अधिकारियों को भू-आवंटन हेतु जिलाधीश के कृत्यों को करने हेतु, अधिकृत किया गया है।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 की धारा 55(4) के अन्तर्गत राजस्व/ग्रुप 4/8 विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:--

(1) अधिसूचना संख्या प. 1(7)राज/ग्रुप-4/81/12, दिनांक 25 फरवरी, 1982, जिसके द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन नियम, 1956 में संशोधन किये गये हैं।

(यह अधिसूचना गत सत्र में सदन की मेज पर रखवाई गई थी परन्तु राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 की धारा 55(4) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इसे प्रक्रिया के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखी जा रही है।)

(2) अधिसूचना संख्या प. 1 (15) राज/ग्रुप-4/80/64, दिनांक 20 दिसम्बर, 1982, जिसके द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन नियम, 1956 में संशोधन किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : परिवहन राज्य मंत्री।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत गृह (ग्रुप-7) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें, जिन के द्वारा राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के शैक्षणिक भ्रमण के अवसर पर अनुबंधित की गई बसों को कर मुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं :-

(1) अधिसूचना संख्या प. 5 (21) गृह-7/82, दिनांक 24-9-1982
(2) अधिसूचना संख्या प. 5 (40) गृह-7/82, शून्य
(3) अधिसूचना संख्या प. 5 (49) गृह-7/82, दिनांक 22-7-1982
(4) अधिसूचना संख्या प. 5 (42) गृह-7/82, दिनांक 22-10-1982
(5) अधिसूचना संख्या प. 5 (55) गृह-7/82, दिनांक 22-10-1982
(6) अधिसूचना संख्या प. 5 (54) गृह-7/8, दिनांक 22-10-1982
(7) अधिसूचना संख्या प. 5 (50) गृह-7/8, दिनांक 22-10-1982
(8) अधिसूचना संख्या प. 5 (52) गृह-7/82, दिनांक 22-10-1982
(9) अधिसूचना संख्या प. 5 (43) गृह-7/82, दिनांक 22-10-1982

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(10) अधिसूचना संख्या प. 5 (60) गृह-7/82, दिनांक 30-10-1982
(11) अधिसूचना संख्या प. 5 (61) गृह-7/82, दिनांक 30-10-1982
(12) अधिसूचना संख्या प. 5 (41) गृह-7/82, दिनांक 16-10-1982
(13) अधिसूचना संख्या प. 5 (39) गृह-7/82, दिनांक 16-10-1982
(14) अधिसूचना संख्या प. 5 (37) गृह-7/82, दिनांक 13-10-1982
(15) अधिसूचना संख्या प. 5 (31) गृह-7/82, दिनांक 14-10-1982
(16) अधिसूचना संख्या प. 5 (87) गृह-7/82, दिनांक 6-11-1982
(17) अधिसूचना संख्या प. 5 (75) गृह-7/82, दिनांक 5-11-1982
(18) अधिसूचना संख्या प. 5 (63) गृह-7/82, दिनांक 3-11-1982
(19) अधिसूचना संख्या प. 5 (53) गृह-7/82, दिनांक 22-10-1982
(20) अधिसूचना संख्या प. 5 (81) गृह-7/82, दिनांक 5-11-1982
(21) अधिसूचना संख्या प. 5 (76) गृह-7/82, दिनांक 5-11-1982
(22) अधिसूचना संख्या प. 5 (91) गृह-7/82, दिनांक 6-11-1982
(23) अधिसूचना संख्या प. 5 (82) गृह-7/82, दिनांक 5-11-1982
(24) अधिसूचना संख्या प. 5 (72) गृह-7/82, दिनांक 5-11-1982
(25) अधिसूचना संख्या प. 5 (74) गृह-7/82, दिनांक 5-11-1982
(26) अधिसूचना संख्या प. 5 (93) गृह-7/82, दिनांक 6-11-1982
(27) अधिसूचना संख्या प. 5 (88) गृह-7/82, दिनांक 6-11-1982
(28) अधिसूचना संख्या प. 5 (96) गृह-7/82, दिनांक शून्य
(29) अधिसूचना संख्या प. 5 (30) गृह-7/82, दिनांक 14-10-1982
(30) अधिसूचना संख्या प. 5 (50) गृह-7/82, दिनांक 22-10-1982
(31) अधिसूचना संख्या प. 5 (57) गृह-7/82, दिनांक 22-10-1982
(32) अधिसूचना संख्या प. 5 (51) गृह-7/82, दिनांक 22-10-1982
(33) अधिसूचना संख्या प. 5 (22) गृह-7/82, दिनांक 25-9-1982
(34) अधिसूचना संख्या प. 5 (67) गृह-7/82, दिनांक 3-11-1982
(35) अधिसूचना संख्या प. 5 (86) गृह-7/82, दिनांक शून्य
(36) अधिसूचना संख्या प. 5 (65) गृह-7/82, दिनांक 3-11-1982
(37) अधिसूचना संख्या प. 5 (73) गृह-7/82, दिनांक शून्य
(38) अधिसूचना संख्या प. 5 (100) गृह-7/82, दिनांक 11-11-1982
(39) अधिसूचना संख्या प. 5 (102) गृह-7/82, दिनांक 10-11-1982
(40) अधिसूचना संख्या प. 5 (97) गृह-7/82, दिनांक 10-11-1982
(41) अधिसूचना संख्या प. 5 (103) गृह-7/82, दिनांक 10-11-1982
(42) अधिसूचना संख्या प. 5 (34) गृह-7/82, दिनांक शून्य
(43) अधिसूचना संख्या प. 5 (66) गृह-7/82, दिनांक 3-11-1982

(50)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(44) अधिसूचना संख्या प. 5 (33) गृह-7/82, दिनांक 14-11-1982
(45) अधिसूचना संख्या प. 5 (92) गृह-7/82, दिनांक 6-11-1982
(46) अधिसूचना संख्या प. 5 (95) गृह-7/82, दिनांक 6-11-1982
(47) अधिसूचना संख्या प. 5 (90) गृह-7/82, दिनांक 6-11-1982
(48) अधिसूचना संख्या प. 5 (109) गृह-7/82, दिनांक 12-11-1982
(49) अधिसूचना संख्या प. 5 (106) गृह-7/82, दिनांक 12-11-1982
(50) अधिसूचना संख्या प. 5 (111) गृह-7/82, दिनांक 20-11-1982
(51) अधिसूचना संख्या प. 5 (32) गृह-7/82, दिनांक 14-10-1982
(52) अधिसूचना संख्या प. 5 (127) गृह-7/82, दिनांक 3-12-1982
(53) अधिसूचना संख्या प. 5 (126) गृह-7/82, दिनांक 3-12-1982
(54) अधिसूचना संख्या प. 5 (130) गृह-7/82, दिनांक 8-12-1982
(55) अधिसूचना संख्या प. 5 (132) गृह-7/82, दिनांक शून्य
(56) अधिसूचना संख्या प. 5 (131) गृह-7/82, दिनांक 8-12-1982
(57) अधिसूचना संख्या प. 5 (134) गृह-7/82, दिनांक 10-12-1982
(58) अधिसूचना संख्या प. 5 (129) गृह-7/82, दिनांक 8-12-1982
(59) अधिसूचना संख्या प. 5 (137) गृह-7/82, दिनांक 18-12-1982
(60) अधिसूचना संख्या प. 5 (138) गृह-7/82, दिनांक 23-12-1982
(61) अधिसूचना संख्या प. 5 (141) गृह-7/82, दिनांक 5-1-1983
(62) अधिसूचना संख्या प. 5 (140) गृह-7/82, दिनांक 4-1-1983
(63) अधिसूचना संख्या प. 5 (1) गृह-7/83, दिनांक शून्य
(64) अधिसूचना संख्या प. 5 (70) गृह-7/82, दिनांक 27-12-1982
(65) अधिसूचना संख्या प. 5 (139) गृह-7/82, दिनांक 22-1-1983
(66) अधिसूचना संख्या प. 5 (2) गृह-8/83, दिनांक 20-1-1983
(67) अधिसूचना संख्या प. 5 (3) गृह-8/83, दिनांक 22-1-1983
(68) अधिसूचना संख्या प. 5 (3) गृह-7/83 दिनांक शून्य

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह दिनांक शून्य का क्या मतलब है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह, जो आपने 3 नवम्बर की बात कही थी जिसका जिक्र किया है, गुजरात के एक स्कूल की बस थी उन्होने 31-10-82 से 4-11-82 की कर मुक्ति चाही थी। अधिसूचना 10 वें महीने में ही निकाल दी गयी थी। उसके बाद हाउस चला भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह इतने बड़े विवाद का विषय नहीं है।

प्रतिवेदन एवं लेखे

प्रतिवेदन एवं लेखे आदि रखे जायेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ी सी गलती रह गयी है। राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1981-82, इसमें खनिज मंत्री होना चाहिए था, लेकिन विधान सभा सचिवालय की तरफ से कोई गलती रह गयी है साइन पढ़ने में। क्योंकि हस्ताक्षर उन्हीं के है इसलिये मैं उनकी ओर से ही पढ़ देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप-धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत:—

(i) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1981—82,

(2) सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 30 सितम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण एवं

(ख) राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उप-धारा 7 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम का 31 मार्च, 1981 को समाप्त हुये वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 1982-83 का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : सभापति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सदस्य, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, 1982-83 के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आज्ञा हो तो।

श्री अध्यक्ष : अनुमति दी गयी।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : यह प्रतिवेदन गत 27 दिसम्बर, 1982 को जब सदन सत्र में नहीं था उपस्थापित किया गया था तथा आपने इस प्रतिवेदन का मुद्रण एवं प्रसारण करने के आदेश प्रदान कर दिये थे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण...

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें।

श्री महाराम चौधरी : समय तो सबसे ज्यादा मिलेगा ही।

श्री अध्यक्ष : आपके दल के लिये नियत समय के अनुसार ही बोलें।

श्री महाराम चौधरी : वह तो मैं देख लूंगा।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण बजट के पहले दिया है वह देने की जो परम्परा बनी हुई है, जो परिपाटी है वह तो अब एक समारोह मात्र बनकर रह गई है। वही का वही वैसे का वैसा अभिभाषण सालों साल होता है उसके अन्दर वही

(श्री महाराम चौधरी)

पुराने रटे रटाये शब्द, आंकड़े, आश्वासन आदि के अलावा और कुछ नहीं होता है। अभिभाषण लिखते समय इतना तक ध्यान रखा गया है कि पहले 28 पेज का भाषण था अब की बार भी उतना ही रखा जाय। लेकिन इस अभिभाषण के अन्दर राजस्थान की ग्रामीण जनता, जो समस्याओं से घिरी हुई है, के लिये किसी प्रकार का कोई नया कार्यक्रम, किसी प्रकार की कोई नई दिशा निर्धारित नहीं की गयी है। इससे कोई नीति, कोई भाव या किसी कार्यक्रम का संकेत नहीं मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की जो विशेष तरह की, खास प्रकार की समस्यायें है पानी बिजली, अकाल आदि की उनके लिये हमेशा की तरह आश्वासन के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। उनका समाधान करने के लिये कुछ नहीं हैं।

(12.30 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

राज्य की योजनाओं, कार्यक्रमों की क्रियान्विति में रोज जो अनेक तरह की शिकायतें की जा रही हैं उनको दूर करने के लिए कुछ नहीं है। जो परियोजनायें क्रियान्वित नहीं हो रही हैं उनके लिये भी कुछ नहीं है। उसके लिए कौन दोषी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए इस सम्बन्ध में इस अभिभाषण के अन्दर कोई संकेत नहीं है। राज्य सरकार अपने कार्यक्रम, योजना के क्रियान्वयन या समस्याओं के निराकरण के संबंध में जो कार्य करती है उनकी तो सब ही जगह सराहना ही सराहना है। इस अभिभाषण के अन्दर राज्य सरकार की कार्यवाहियों की सराहना की गयी है यह सराहना कैसे कामों की की गयी है, सराहना उन कामों की की गयी है जैसे इस बार राज्य सरकार ने पानी की व्यवस्था के लिए 47 प्रतिशत गांवों को पानी उपलब्ध करा दिया है। सभापति महोदया, अगर 47 प्रतिशत गांवों को पानी उपलब्ध करा दिया गया है यह पानी 47% गांवों को उपलब्ध होकर उनकी तृष्णा अगर मिटा देता है तो मैं सिर्फ मेरे क्षेत्र का ही थोड़ा सा जिक्र करके यह बताना चाहता हूं कि मेरे यहां तो जो भी पेयजल योजनायें बनी हैं उन योजनाओं के अन्दर अगर 15 प्रतिशत आबादी को ही फायदा मिला है तो। तो हम कह सकते हैं कि इससे ज्यादा किसी को फायदा नहीं मिला है। अगर इसी तरह की पूरे राजस्थान के अन्दर 47 प्रतिशत की जो उपलब्धि है उस उपलब्धि को ही मान लिया जाये तो यह उपलब्धि जैसी हमारे यहां है वैसी की वैसी है तो मैं यह समझता हूं कि पेयजल समस्याओं के बारे में जो उपलब्धि बताई है यह बिलकुल नगण्य सी है। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रमों के अन्दर से एक कार्यक्रम सबसे ज्यादा ढोल पीट पीट कर लोगों की एक तरह से आशाएं बंधा बंधा कर राजस्व अभियान के तौर पर जो गांवों के अन्दर चलाया उसकी गांव वालों को क्या उपलब्धि रही? राजस्व अभियान के अन्दर क्या क्या काम होने हैं उन कामों की अगर लिस्ट की तरफ ध्यान दें तो 32 काम इन्होंने प्रत्येक गांव के अन्दर या ग्राम सभा के अन्दर करने का बीड़ा उठाया है। इन 32 कामों को ग्राम सभा में पढ़ कर गांव वालों को सुना दिया जाये, इतने में ही टाइम व्यतीत हो जायेगा।

(श्री महाराम चौधरी)

एक तरह से जैसे दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा था, मारवाड़ी में कहावत भी है कि रायकानी ही अर डाकन कहे गी अर ऊंटा चढ़ चढ़ कर टाबरा ने खाणो शुरू कर दियो यानी, जो राजस्व अभियान के अधिकारियों ने काम क्या करना है, उसको तो समझा नहीं और शहरों को खाली करके और गांवों की तरफ मजला लेकर रवाना हो गये। जीप में जाना और जीप में वापस हैड क्वार्टर आना, इसमें खर्चा कितना हुआ? गांव वालों को तो इस राजस्व अभियान से कोई एक नया पैसा अर भी फायदा सिद्ध कर दे हमने इतने नामान्तरण खोल दिये, नामान्तरण खोलकर कौनसा अहसान कर दिया। उनके बाप-दादों की जमीन थी, लापरवाही से अधिकारी नहीं खोल रहे थे, आज नहीं खोलते तो कल खोलते, कल नहीं तो परसों खोलते। नहीं खोलते तो करते क्या। जो काम राजस्व अभियान के सम्बन्ध में बताये हैं उन से कोई फायदा होने वाली बात है नहीं। कई जगह जिन लोगों को गलत काम कराने की जानकारी थी उन्होंने पहले रोज या उससे पहले रोज अधिकारियों से सम्पर्क करके कि इस हुरडाडरासा के अन्दर, इस मेले के अन्दर उस धांधू के अन्दर अपनी बाटियां सेक ली हैं, इस तरह के भी गलत काम बहुत हुए, सही काम बहुत कम हुए। यानी इस राजस्व अभियान में ग्रामवासियों के राजस्व सम्बन्धी जितने भी मामलात हैं वह मामलात अगर सुलझाने होते तो बाकायदा सिर्फ राजस्व सम्बन्धी ही मामलों को उसमें रखते। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस राजस्व अभियान से आम जनता को किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। इस 20 सूत्री कार्यक्रम की जिस दूसरी उपलब्धि का बहुत जबरदस्त ढोल पीटा जा रहा है, 20 सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धि....

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपलब्धि हुई है।

श्री महाराम चौधरी : यह तो उपलब्धि हुई है आपके यहां हुई होगी या आंकड़ों में हुई होगी, किताबों में लिखी होगी लेकिन जिनको उपलब्धि की आवश्यकता थी, जो जरूरतमंद थे उनको आपके इस 20 सूत्री कार्यक्रम की कोई उपलब्धि कहीं पर भी नजर नहीं आयी। सभापति महोदया, जब इस विषय में बातचीत होगी कि विकास अधिकरण के जरिए किस किस तरह के काम हुए हैं और किसके लिए उपलब्धि हुई उस वक्त पर मैं और बातों का जिक्र करूंगा। भू-जल विभाग वालों के द्वारा किस तरह से अधिकारियों के कुएं खोदने और सीलिंग की जमीन खरीदने आदि के जितने अनियमितता के काम हुए हैं उनके अन्दर तो वृद्धि हुई लेकिन सही कामों में किसी तरह की कोई उपलब्धि हमारे तो नजर में आयी नहीं। सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन कराने के लिए डा. हरिसिंह जी साहब और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने हरिसिंह जी कुम्हेर खड़े होकर बोलने लगे तो उन्हें तो समर्थन की बातें ही कहनी थीं। और कहें क्या। वह ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई उनका कंठ पकड़े हुए हो, यह महसूस हो रहा था क्योंकि उनको गांव की बातें अच्छी तरह से मालूम थीं, उनके क्षेत्र की बातें मालूम थीं लेकिन जबर्दस्ती कह रहे थे। उनकी तबियत ठीक नहीं थी, ऐसा आभास होता था। महामहिम राज्यपाल ने जी

(54)

(श्री महाराम चौधरी)

अपना अभिभाषण दिया वह किताब के रूप में लिखा है, या उसमें आंकड़ों का जाल प्रस्तुत किया है। आंकड़ों का जाल प्रस्तुत न कर अगर संकेत देकर बताते कि जो अधिकारियों की काम करने की भावना व नीति है जो प्रवृत्ति बनी हुई है टालमटोल करने की, इस प्रवृत्ति को सुधारने के लिए कोई संकेत देते कि राज्य सरकार के कार्यक्रम, नीतियां, योजनायें, परियोजनायें जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही हैं उनको किस तरह से सुचारु रूप से चलाया जा सकता है। लेकिन इनकी तरफ राज्य सरकार का ध्यान नहीं गया। ग्रामीण क्षेत्र की आज तक अवहेलना की जा रही है। अवहेलना की वजह से जो कार्यक्रम थोड़े बहुत चलाये जा रहे हैं वह कार्यक्रम बिलकुल ही नहीं चलते हैं। उनको गति देने के लिए कोई संकेत देते, कोई भय दिखाते ताकि यह कार्यक्रम ठीक ढंग से चलाये जा सकें। जो यह कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं इनके अन्दर खर्चा जितना हो रहा है उस खर्चे को किस तरह से कम किया जाये, जैसे राजस्व अभियान के वक्त तहसीलदार या नायब तहसीलदार को एक स्थान पर राजस्व अभियान के संबंध में आना था, वहां पर दिन में 10-10 बसें जाती हैं उस जगह अगर यदि बसों में जाकर राजस्व अभियान में जो भी कार्यवाही करनी थी वह कर देते तो डीजल पैट्रोल पर खर्चा नहीं होता। डीजल पैट्रोल के भाव महंगे हैं, अभी अभी और बढ़ गये हैं इसका भार किसके ऊपर पड़ता है? किसान लोगों पर पड़ता है। किसानों की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वह दिना-दिन बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के सम्बन्ध में किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई है। किसानों को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से मूल्य दिलाने और उनकी जो पैदावार है, उस पैदावार का उचित भाव दिलाने की यदि व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले समय के अन्दर ऐसे हालात होंगे कि उत्पादन आपका बिलकुल ही बन्द हो जायगा। किसान जो पैदावार करता है उसकी लागत ज्यादा लग रही है उस लागत को कम करने और जो पैदा कर रहे हैं उसका उचित मूल्य दिलाने की प्रवृत्ति का राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण के अन्दर कुछ संकेत देते तो, उससे किसानों को प्रोत्साहन मिलता और किसान प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने के लिये अपनी पूरी पूरी कोशिश करता।

सभापति महोदया, किसानों के लिये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो कार्यक्रम होने चाहिये, उन कार्यक्रमों की तरफ बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही गांव में रहने वाले जो अनुसूचित जाति और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, जिस तरह से उनको ऊपर उठाने की बात जोर जोर से ढोल पीट पीट कर कही जा रही है लेकिन उनको उसमें से कितना प्रतिशत मिला है इसका कभी किसी ने मूल्यांकन नहीं किया। इस राजस्व अभियान के अन्दर तो लिखा है कि भौतिक उपलब्धियों का हम उनसे जाकर जायजा लेंगे। उनसे अब क्या जायजा लेंगे। जिस टाइम विजिट की उस वक्त में कोई जानवर तो वहां ले ले कर के आये नहीं थे, बैल, भैंसा, बकरी-भेड़ आदि तो लेकर वे आये नहीं

(श्री महाराम चौधरी)

थे क्योंकि वह तो उस समय जंगल में चर रहे थे, मानो भौतिक उपलब्धि के नाम पर ख्वाहमख्वाह खर्चा किया। न कोई किसी तरह का जायजा लिया गया और न यह बतलाया गया कि इनकी जो समस्यायें हैं और जो राज्य सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को सुविधायें उपलब्ध करवा रही है उसका कितना प्रतिशत उनके पास पहुंचा और कौन से जरिये से कितनी उसने उपलब्धि प्राप्त कर ली है या रहन सहन का ढंग अच्छा कर लिया है। न तो उसके पास में ऋण पूरा पहुंचा, न अनुदान पूरा पहुंचा, इस तरह के मेरे पास केसेज हैं कि ग्रामीण आंचलिक बैंक, बालाजी गंज द्वारा वर्ष 1980 के अन्तर्गत 105–110 आदमियों को ऋण और अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र लिये गये, उनको ऋण तो दे दिया गया, लेकिन अनुदान आज तक नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में जिस जगह पर यह मीटिंग हो रही थी, विकास अधिकरण के अधिकारी आये थे उनसे मैंने जिक्र किया कि वर्ष 1980 के अन्दर सीमान्त कृषकों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, ऋण और अनुदान देने की व्यवस्था की थी उसमें से ऋण तो आप लोगों ने दे दिया लेकिन अनुदान कहां गया। अनुदान का किसी को कुछ पता नहीं था। 8–10 गांवों के 102 आदमियों की तो मुझे जानकारी है। अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ या स्वीकृत होकर किसी ने परवारे वितरण कर दिया इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं। तो फिर राजस्व अभियान के अन्दर जो अभाव, अभियोग सुनने के लिये पूरे जिले के अधिकारी थे, उनको शहर से निकाल कर गांव में ले जाकर मेला क्यों किया? इस राजस्व अभियान के अन्दर जितने भी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के लिये चल रहे थे, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी अभाव थे, कमियां थीं उनकी पूर्ति होने की उम्मीद थी। उन लोगों को तो यहां तक उम्मीद थी कि पैर के अन्दर कोई कांटा-सूल लगा हुआ है, निकल नहीं रहा है और एक तरह से सड़ने जैसी स्थिति हो गई है तो अधिकारी लोग आकर के सब तरह की समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी करायेंगे, सारी समस्यायें सुलझायेंगे और पैर में जो कांटा लग गया है उसको भी निकालने के सम्बन्ध में सुझाव देंगे। लेकिन वहां ऐसी कोई बात नहीं हुई। जैसे कोई मदारी आता है और डुगडुगी बजाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है किन्तु भीड़ के अन्दर से कोई बोल नहीं सकता। ऐसी स्थिति हो गई थी।

नायब तहसीलदारों को पावर दे दी। तहसीलदार और एस.डी.ओ. को थोड़ी देर के लिये, सभापति महोदया, पावर तो उनको दे दी लेकिन इस्तेमाल करने का उनको ज्ञान नहीं था क्योंकि उनका कभी काम ही नहीं पड़ा जैसे किसी बन्दर को उस्तरा दे दिया हो। जब मैंने नायब तहसीलदारों से इस सम्बन्ध में पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जब मैंने फिर पूछा कि तुमको जो पावर दी गई है तो उन्होंने जवाब दिया कि साहब, पावर वाला पाना मैं अपने साथ नहीं लाया। इस तरह की प्रवृत्ति राजस्व अभियान जैसे कार्यक्रम

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करिये। काफी समय ले चुके हैं। आपकी पार्टी के और सदस्य भी बोलेंगे

(56)

श्री महाराम चौधरी : और सदस्य आज नहीं बोलेंगे · · ·

श्री सभापति : दो मिनट के अन्दर आप समाप्त करेंगे ।

श्री महाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदया, मैं समाप्त करने की ओर ही हूं । सभापति महोदया, यह बीच में चुका रहे हैं।

माननीय सभापति महोदया, अगर ग्रामीण क्षेत्रों को और किसानों को इस राजस्व अभियान जैसे कार्यक्रम चला कर के वास्तव में राहत पहुंचाने की कोई बात है, तो उनके लिये बाकायदा कार्यक्रम बनायें । एक दिन के अन्दर गांव की पूरी समस्या नहीं सुलझ सकती। समस्या सुलझाने के लिये आप लगातार 5 दिन कैम्प लगायें और 5 दिन कैम्प रखने के बाद में यदि दो आदमियों के बीच में कोई बंटवारे, या नामान्तरण समझ लीजिये, रास्ते का कोई झगड़ा हो वह समझ लीजिये, इस तरह के जो विवाद हैं, जब उनको मालूम होगा कि इस तरह के विवाद यहां पर सुलझाये जा रहे हैं तो एक आदमी आयेगा, दूसरा आयेगा और फिर तीसरा आयेगा। 1966 में भी राजस्व अभियान चला, उसके बाद में जनता शासन में भी राजस्व अभियान चला और यह तीसरा राजस्व अभियान चला। जो लोग इस राजस्व अभियान से वापस जा रहे थे, उनसे मेरी बात-चीत हुई तो कहने लगे कि एक तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने की कार्यवाही चल रही है । ख्वाहमख्वाह हमारा टाइम खराब करते हैं, कार्यवाही एक पैसे भर भी नहीं हुई ।

सभापति महोदया, बजट सेशन शुरू होने के समय जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां अभिभाषण दिया है, जो समारोह टाइप है इस अभिभाषण के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र और आम जनता, यानी गरीबों को या समझ लीजिये मेरे जैसे अनपढ़ आदमी के लिये न किसी तरह की कोई दिशा है न कोई नीति है और न कोई भावों का संकेत है इसलिये मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं ।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री अमीन खां ।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो 17 फरवरी, 1983 को. . .

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदया, मेरा नाम है पहले...

श्री सभापति : माननीय सदस्य का नाम बोल दिया गया है।

श्री अमीन खां : पधार कर अभिभाषण दिया वह काबिले तारीफ है । उन्होंने पिछले साल के सरकार की प्रगति के आंकड़े दिए हैं। गांव में जो लोग हकीकतन घूमे हैं और रेवेन्यू कैम्पों में जाकर आये हैं उनको वास्तव में महसूस हुआ है कि हमारे काश्तकारों के ऐसे छोटे छोटे मसले होते हैं जो 10 साल तक रेवेन्यू अदालतों में नहीं निपटते हैं। सभापति महोदया, मैंने मेरे क्षेत्र में 18 कैम्प अटेण्ड किये उनमें हर कैम्प में मिनिमम 30-35 गैर खातेदारों को खातेदारियां दी गई, 30-30, 40-40 म्यूटेशन पास किये गये। म्यूटेशन वह आये जो कि किसी की मृत्यु होने

(श्री अमीन खां)

के बाद अपने बलियों के नाम होते हैं वह तो होते ही रहते। जिन जमीनों पर कई विकास के काम, पी.एच.ई.डी. के होद पी. एच ई. डी. के क्वार्टर्स और सड़कें जो बनी हैं उनका लगान किसानों को आज तक देना पड़ता था, जमीन तरमीम कहीं भी आज से पहले नहीं थी। इन कैम्पों में ऐसी तमाम जमीन, जिन पर सड़क होद या क्वार्टर्स बने थे, का नामान्तरण मौके पर किया और मौके पर मामले निपटाये गये। इसके अलावा कई ऐसे भोले-भाले काश्तकार हैं जिनका वक्त सैटलमेंट के एक ही बड़े भाई का खाता था और भाइयों का खाता आज तक भी चला आ रहा है तो वहां मौके पर एस.डी.ओ. ने चारों ही भाइयों की हाजिरी में लिखाकर के और उसी वक्त तहसीलदार की रिपोर्ट ले करके आदेश दिये और उस वक्त रिकार्ड आफ राइट में अमल बरामद पटवारी ने मजमे के सामने किया। तो इससे यह बात साफ जाहिर है कि यह जो राजस्व अभियान चलाया गया इससे आम आदमी को फायदा मिला। दूसरे में, हम लोगों को यह भी महसूस हुआ कि कोई आदमी राजस्व अभियान के मध्य में हाजिर थे जिनके काम थे, कोई आदमी ऐसे भी हाजिर थे जिनका कोई काम नहीं था लेकिन जिला प्रशासन की जो प्रक्रिया होती है वह आम आदमी को मालूम ही आज तक नहीं थी। इस तरह के मजमे आम में फैसला कर देने, चाहे गैर कानूनी किसी मसले को खारिज कर देने से एक काश्तकार को कम से कम इस प्रक्रिया का मालूम हो गया कि इस तरह से निपटाये जा सकते हैं और कानून से काश्तकार का यह हक बनता है और यह हक नहीं बनता है। इसके अलावा काफी परिवारों को चयनित किया गया मौके पर, गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों को तीन साल के लिए मजमे आम में चयनित किया गया। यह भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 81237 लोगों को खातेदारी प्रदान, डिक्लेयर कर देना, साढ़े तीन लाख करीब नामान्तरण पास करना एक महीने में यह एक बहुत बड़ी गरीब काश्तकारों के लिए सहूलियत पैदा हुई। और इससे गरीब काश्तकारों को काफी सस्ते न्याय की भी आशा पैदा हुई। तो इस रेवेन्यू अभियान में जो काम किये गये उसका वास्तव में गरीब काश्तकारों को लाभ मिला है। भविष्य में भी ऐसे कैम्प कम से कम साल में एक बार लगाने चाहिएं। इसके साथ रेवेन्यू कैम्प्स में यह भी देखा गया कि यह मात्र रेवेन्यू कैम्प ही नहीं, जिला प्रशासन के सम्बन्ध में हर विभाग की समस्या के बारे में भी लोगों को वहां शिकायतें पेश करने का मौका मिला, चाहे पीने के पानी की योजनाओं का हो, अकाल का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे आयुर्वेद का हो और चाहे पुलिस के सम्बन्ध का हो तो वहां कम से कम एस. डी. एम., किसी किसी कैम्प में कलेक्टर और जन प्रतिनिधियों के सामने ऐसी जो शिकायतें आईं वे शिकायतें शत प्रतिशत सही पाई गईं उनका मौके पर सारा निर्णय दिया गया जिससे काफी गांव में एक जागृति का मार्ग शुरू हुआ है। इसको तो तारीफ के लायक ही मानना चाहिये। इसके अलावा जहां हमारा पश्चिमी रेगिस्तान का इलाका हमेशा से एक ही बात मानता है जहां अकाल में इन्सान भूखा मरता है उसके उपरान्त ही वह पहली फरियाद पानी की करता है।

(58)

(श्री अमीन खां)

तो मैं राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों को धन्यवाद दिये बिना कतई नहीं रह सकता क्योंकि रेगिस्तानी जिले बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में सरकार ने पी. एच.ई.डी. की स्कीम को स्वीकृत करने के लिये 17 करोड़ स्वीकृत किये और उन स्कीमों का काम भी युद्धस्तर पर चालू हो गया। हमारे जिले बाड़मेर में भी ऐसे रेगिस्तानी समस्याग्रस्त गांव हैं जहां बीस बीस किलोमीटर तक इन्सान को पीने का पानी नसीब नहीं होता है, उन 176 गांवों की स्कीम भारत सरकार ने स्वीकृत कर दी और उसका बजट भी अलाट कर दिया जिसके आधार पर वहां पेयजल योजना का काम युद्धस्तर पर चालू हो गया है। उम्मीद है कि अप्रेल–मई तक इन स्कीम का काम कम्पलीट हो जायगा। इसलिए यह सरकार का काम काबिले तारीफ राज्यपाल महोदय ने जो अपने भाषण में कहा है उसमें कोई शक नहीं।

लगातार इस प्रान्त में यह पांचवां अकाल है। इतना बड़ा अकाल होने के कारण सरकारी आमदनी की वसूली के सारे जरिये बन्द होने के उपरान्त भी पश्चिमी राजस्थान में कई गांव ऐसे हैं जहां लोग पांचवें अकाल में पीड़ित हैं उन लोगों को सहायता बार-बार दी गई जिससे आज तक वहां के लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

अब मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि रेगिस्तानी इलाके में जहां इन्सान को पीने के पानी की योजनायें, यह नीति सम्बन्धी बात हैं, बनायी जाती हैं लेकिन पशुओं को उसमें आज तक कतई नहीं लिया गया है। यह ऐसे इलाके हैं जहां पशु और इन्सान अलग रह नहीं सकते। इसलिए सरकार को चाहिये कि रेगिस्तानी इलाके, जहां पशुधन ही इन्सान का मुख्य धन्धा है, में पेयजल योजना में पशुओं का प्रावधान अवश्य होना चाहिये।

दूसरी बात मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। रेगिस्तानी इलाके के साथ आज तक इस मायने में, सही में अगर सोचा जाय, अन्याय किया गया है। सारे हिन्दुस्तान की 1981 की जनगणना के आंकड़े और उनके रिजल्ट देखें तो बाड़मेर जिला सारे हिन्दुस्तान के अन्दर अशिक्षित एरिया में सबसे नीचे है। प्राइमरी स्कूलों की स्वीकृति, मिडल स्कूल और हायर सैकन्डरी स्कूल की जब की जाती है तो पिछड़े को पहले के बजाय जहां पहले से 25 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, और स्कूलों की स्वीकृतियां उस इलाके में ज्यादा की गई हैं और जिस इलाके में 80 प्रतिशत अभी तक अशिक्षित हैं उस इलाके में राजस्थान के दूसरे शिक्षित एरिया की तुलना में कम स्कूल स्वीकृत किये गये बल्कि होने चाहिये ज्यादा। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, सीमावर्ती इलाके में राज्य कर्मचारियों और भारत सरकार के कर्मचारियों को सीमा भत्ता दिया जाता है। सीमा भत्ता दिये जाने का मकसद यही है कि सीमा पर तकलीफ है दूर देहाती रेगिस्तानी इलाके हैं जहां सारे इन्सान अभी तक बैकवर्ड हैं। आदिवासी इलाके जैसा ही यह एरिया है इसलिये इस एरिया में कम से कम प्राइमरी और मिडल स्कूल की संख्या बढ़ाई जाय। सीमा की अनेक समस्या होने के कारण लोगों में अपने देश के प्रति दायित्व

(श्री अमीन खां)

के लिये जागरूक रहने के लिये सिवाय शिक्षा के कोई दूसरा जरिया नहीं है। यहां प्राइमरी और मिडल स्कूल की शिक्षा हर हालत में विशेष रूप से बढ़ाई जानी चाहिये।

तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पंचायती राज व्यवस्था है। हमारे यहां एक एक पंचायतें जिस तरह से जिस क्षेत्र में फैली हुई हैं वह इतने बड़े लम्बे क्षेत्र में फैली हुई हैं कि एक ग्राम सेवक एक पंचायत में सही तरह से पूरा काम नहीं कर सकता। हमारे यहां आज कल एक एक ग्राम सेवक को 6–6 पंचायतें दे रखी हैं इसके कारण यह हुआ कि वहां के सरपंच का काम बिलकुल ठप्प सा चलता है। इसलिये सरकार को कम से कम इस रेगिस्तानी इलाके में तो ग्राम सेवक की पोस्ट प्रति दो पंचायतों के बीच में एक कर देनी चाहिए ताकि पंचायत का काम सुचारू रूप से चले। इसके अलावा मैं सरकार से अब यह बाअदब निवेदन करना चाहूंगा, रेगिस्तानी इलाका और पशुपालक इलाका होने की वजह से हमारा इलाका बाअदब और शान्ति से रहने वाला इलाका है। वहां अकाल की हालत इतनी नाजुक हद तक पहुंच गई है कि इन्सान का जीवन अब बड़ा मुश्किल हो गया है। सरकार ने इस महीने में अकाल राहत कार्य शुरू किये हैं और मजदूर लगाये भी हैं लेकिन जिस तरह से अकाल की हालत गम्भीर है उसको देखते हुए सरकार को चाहिए कि अगले महीने मार्च, अप्रेल में मजदूरों की संख्या इससे चौगुनी की जाय और अकाल राहत में कार्य बढ़ाये जायं। जहां एक एक साल तक पानी ठहरता है ऐसे तालाबों को लिया जाय। जहां मिडल स्कूल हैं वहां कम से कम छात्रावास भी हों और जहां जहां भवन नहीं हैं वहां भवन बनाये जायें। ऐसे पक्के काम जो 60:40 के तहत आते हैं वह हर हालत में ले लिये जायं और मजदूरों की बाड़मेर जिले में अप्रेल में कम से कम एक लाख की संख्या की जायं। जैसलमेर जिले में भी इस वक्त चार हजार मजदूर लगे हैं। वह बहुत कम हैं। वहां कम से कम 15,000 मजदूर लगाने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए नहीं तो वहां की स्थिति बहुत खराब होगी। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिन गांवों में 5 साल से बरसात नहीं होने की वजह से पीने का पानी 20-20 किलोमीटर में नहीं है और पेयजल योजनाओं का काम अभी वहां शुरू हुआ है, जिनमें दो-दो, तीन-तीन महीने का समय लगेगा, उन गांवों में टैंकरों की व्यवस्था के लिए जिलाधीश के पास फण्ड की तुरन्त व्यवस्था की जाए। उनको यह भी आदेश दीजिए कि वहां जो टैंकर नाममात्र के भेजे जाते हैं उनसे अव्यवस्था फैलती है। जो इन्सान के पीने के पानी की टैंकरों द्वारा व्यवस्था है उसमें प्रति आदमी को आधा गैलन पानी दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम दो गैलन पानी प्रतिदिन उनको मिलना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अमीन खां : इस तरह से गांवों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए टैंकरों के आदेश करने चाहिए उसकी हर सप्ताह सरकार को रिपोर्ट मिलनी चाहिए।

अन्त में जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया जिस पर धन्यवाद प्रस्ताव

60

(श्री ग्रमीन खां)
श्री हरिसिंह कुम्हेर ने रखा उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हंसराज शर्मा।

श्री नाथूसिंह : (बांदीकुई) पहले मैं बोल लूं।

श्री सभापति : नाथूसिंहजी बोल लें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है उसका समर्थन करने का जो प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदया, यह जो पूरा अभिभाषण है यह सरकार के द्वारा तैयार करवाया गया है। मैं कहूंगा कि नौकरशाही ने जो नीचे से आंकड़े खाना पूर्ति के लिए प्राप्त होते हैं उनको एक साथ करके एक ऐसा कठिन दस्तावेज तैयार कर दिया जो न तो सरकार की समझ में आता है और न हमारी समझ में आता है। सभापति महोदया, मेरी जानकारी के अनुसार राज्यपाल महोदय को भी इसको समझने में बड़ी कठिनाई आई। राज्यपाल महोदय जब इसको पढ़ने के लिये आये तो पढ़ने से पहले उन्होंने पहली रिहर्सल की पांच घन्टे, दूसरी रिहर्सल की साढ़े तीन घन्टे, और फिर तीसरी रिहर्सल की ढाई घन्टे। इससे पता लगता है, सभापति महोदया, कि राज्यपाल महोदय को भी इस अभिभाषण को समझने और पढ़ने में कितनी कठिनाई का अनुभव हुआ। सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय से पढ़वाया उसमें उन्होंने अपनी शेखी बघारने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जितना विकास मैंने राजस्थान का किया मुख्य मंत्री बनने के बाद, उतना राजस्थान के किसी मुख्य मंत्री ने आज तक नहीं किया है। वह भूल गये कि इसमें लिखा क्या रहे हैं। सभापति महोदया, आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा पहले पेज पर उन्होंने लिखा है, "महत्वपूर्ण उपलब्धियों का महत्वपूर्ण वर्ष रहा है।" अब यह उपलब्धियां उन्होंने आगे गिनाई हैं, वह मैं आपकी सेवा में निवेदन करूंगा। उसके आगे उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति का संकल्प लिया। पहले पेज पर लिखा है, वह यह लिखा है कि हमने 20 संकल्प सामने रखे हैं। यह उन्होंने संकल्प लिया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के 20 संकल्प रखकर उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति कर दी। मुख्य मंत्रीजी ने, सभापति महोदया, आगे कहा है, "जन प्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव कराकर हमने उनको पुनर्जीवित किया। ग्रामीणों, पिछड़े हुओं का विकास किया।" सभापति महोदया, पिछड़े हुए लोगों के उत्थान का नारा लगाने वाली, एस.सी. के उत्थान का नारा लगाने वाली सरकार को शर्म आनी चाहिये। जब प्रधानों और जिला प्रमुखों के चुनाव हुए, मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहूंगा, क्या राजस्थान में एक भी प्रधान और जिला प्रमुख एस. सी. का बनाया ? जहां 28 प्रतिशत वोट अनुसूचित जाति के हैं, उनमें से एक भी एस.सी. का प्रधान और जिला प्रमुख मेरी जानकारी में नहीं है। मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दें तो इसको स्पष्ट करें। सभापति

(श्री नाथूसिंह)
महोदया, इन्होंने आगे कहा, "यह वर्ष मूलतः गरीबों के विकास का वर्ष रहा है।" सभापति महोदया, वास्तविकता यह है कि यह वर्ष केवल मुख्य मंत्रीजी और उनके परिवार के विकास का वर्ष रहा है और किसी के विकास का वर्ष नहीं रहा है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (सारची) : किस के विकास का ?

श्री नाथूसिंह : केवल मुख्य मंत्री और उनके परिवार के विकास का वर्ष रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि यह विकास वर्ष नहीं है, यह भ्रष्टाचार वर्ष रहा है। जब से मुख्य मंत्री बने हैं भ्रष्टाचार के नये आयाम और नये रिकार्ड कायम हुए हैं। अब तक जितने भी राजस्थान के मुख्य मंत्री रहे हैं इतना भ्रष्टाचार किसी के समय में नहीं हुआ जितना इनके समय में हो रहा है। सभापति महोदया, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष में हमने इतने परिवारों को यह दिया, गरीबों को यह दिया, हमने इसको इस तरह से क्रियान्वित किया, इस तरह के आंकड़े दिये गये हैं। मैं समय खराब नहीं करना चाहता; लेकिन मैं 20 सूत्री कार्यक्रम की सरकार को कितनी चिन्ता है इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये एक समिति बनी थी और उसके चेयरमैन हैं स्वयं मुख्य मंत्री। जो कमेटी 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिये बनी वास्तविकता यह है कि उसकी केवल एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में तय किया गया था कि 6 महीने के बाद एक मीटिंग होगी लेकिन मुख्य मंत्री जी 20 सूत्री कार्यक्रम के लिये कितने चिन्तित हैं इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 8 महीने में उस कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई। क्या वह सदन को इसकी जानकारी देने की कृपा करेंगे ? सभापति महोदया, उस 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की मीटिंग नहीं बुलाई गई। 20 सूत्री कार्यक्रम में अलग-अलग सूत्र दिये गये थे, मुख्य मंत्रीजी ने 20 संकल्प दे दिये। उन्होंने सोचा कि मैं भी इन्दिराजी बन जाऊं, राजस्थान का मैं भी भैरोंसिंह शेखावत बन जाऊं...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : इनके कान में कहा था कि भैरोंसिंह नहीं बनना चाहते।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, उन्होंने सोचा, मैं भी सुखाड़ियाजी बन जाऊं। वह अपनी छवि सुधारने के लिये नये 20 संकल्प लाये लेकिन जब प्रधान मंत्री का 20 सूत्री कार्यक्रम आ गया तो उन्हें पीड़ा हुई। दिल्ली का डंडा था अगर उसका कहना नहीं मानते, अगर इशारा नहीं मानते तो मुख्य मंत्री नहीं रह सकते थे, इसलिये उन्होंने दिखावे के लिये एक कमेटी बनाई, जिसकी मीटिंग नहीं हुई। 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति नहीं हुई, उस पर कह रहे हैं कि इसको लागू कर रहे हैं लेकिन लागू नहीं किया। 20 संकल्प पर इन्होंने बड़ा जोर दिया। 20 सूत्री कार्यक्रम का जो दूसरा सूत्र है उसमें लिखा है, "हम तिलहनों की बढ़ोतरी ज्यादा करेंगे।"

(श्री नाथूसिंह)

सभापति महोदया, इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों की तरफ देखें तो जैसा मैंने कहा, यह जो दस्तावेज तैयार किया गया है, वह ब्यूरोक्रेट्स से तैयार करवाया गया है और तैयार कराते समय भूल गए कि हम लिख क्या रहे हैं। इन्होंने लिखा है, देर से मानसून आने के बाद अनाज एवं दलहन की पैदावार 34 लाख टन लक्ष्य के मुकाबले 21.84 लाख टन होने का अनुमान है– 33 पर्सेंट कम। यह दलहन दुगुनी, तिलहन तिगुनी। 100 क्विंटल पैदा होती थी तो 300 क्विंटल तिगुनी। 33 पर्सेन्ट की कमी। ये आंकड़े आपने किस तरह से दिए? इन नारों और सूत्रों का क्या महत्व है। आपने इनकी धज्जियां उड़ा दीं, यह स्थिति है आंकड़ों की। यह तो तब स्थिति है जबकि इन आंकड़ों के अन्दर बताया गया है कि सिंचाई बढ़ गई। इन्होंने कहा कि सिंचाई बढ़ी, और वह सिंचाई कैसे बढ़ी है, इसका एक नमूना मैं आपको बताता हूं। इसमें आंकड़े दिए हैं सिंचाई की कितनी जमीन थी उसमें कई गुना सिंचाई की क्षमता बढ़ा दी। लेकिन वह कैसे बढ़ाई? इसमें जो आंकड़े दिये हैं वे आंकड़े हैं जो 1979 व 1980 के फेमिन में बांध पूरे तैयार हो गए थे और उसके कारण जो सिंचाई की क्षमता बढ़ी उसके आंकड़े मुख्य मंत्री ने अपने कार्यकलापों में जोड़ दिए। मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री से कि यह जो आंकड़े इसमें आपने दर्शाये हैं यह कब के हैं और जिन बांधों के बनने के कारण सिंचाई बढ़ी है वे बांध कब बन कर पूरे हुए? इस बात की मुख्य मंत्री जानकारी देंगे।

सभापति महोदया, आगे इन्होने कहा है कि जमीन बढ़ी, खाद की खपत बढ़ी। इन्होंने और कहा है कि पेस्टीसाइड्स की खपत बढ़ी 7½ पर्सेन्ट। तो जब यह सब बढ़ गया तो फिर पैदावार कैसे घट गई? इसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया। कैसे घटी है? इसका कोई विचार नहीं किया। सेक्रेटेरियेट में बैठ कर पटवारी, तहसीलदार व कलेक्टर आंकड़े बनाकर इकट्ठा करके, कम्पाइल करके विधान सभा के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब खाद बढ़ी, यह सब बढ़ा, तो पैदावार क्यों घट गई 33 पर्सेन्ट? इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है।

सभापति महोदया, 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में और बताना चाहूंगा। इसका छठा सूत्र है, "बन्धुआ मजदूर"। बंधुआ मजदूरों के दफ्तर पर ताला लगा हुआ है। पार्लियामेंट में बिहार के एक एम.पी. ने जब सवाल पूछा, इन्हीं मुख्य मंत्री जी ने गलत जानकारी दी। उस एम.पी. ने गृह मंत्री के विरुद्ध वहां पर प्रिविलेज मोशन मूव किया जिस पर राजस्थान सरकार से एक्सप्लेनेशन मांगा गया केन्द्र की तरफ से। इन्दिराजी ने बुलाकर मुख्य मंत्री को डांट लगाई तब जाकर गृह मंत्री ने उनको कहा। आपके मुख्य मंत्री क्या कर रहे हैं।

श्री महेन्द्र सिंह (सांगरिया) : आप खड़े थे क्या जब डांट लगा रहे थे?

श्री नाथूसिंह : ऐसा है, वह तो मुख्य मंत्रीजी का चेहरा उतरा हुआ होता है जब दिल्ली जाकर आते हैं उसी से पता लगता है कि डांट फटकार मिली है।

श्री महेन्द्र सिंह : इसका मतलब आप सी. आई. डी. रखते हो?

श्री नाथूसिंह : बिलकुल।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आॅर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : तो आप कांग्रेस से मिले हुए हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, यह इस बात से पता लगता है कि मुख्य मंत्री जी अपने बेटे को सरकारी प्लेन में बिठा कर एक्सप्लेनेशन दिलवाने के लिए दिल्ली ले जाते रहते हैं। जब डांट नहीं पड़े तो दिल्ली एक्सप्लेनेशन दिलाने के लिए क्यों जायं? यह छपा है अखबारों में, आपने पढ़ा होगा परसों तरसों स्पेशल विमान से अपने बेटे को बिठा कर ले गये। जो छापा पड़ा सैन्ट्रल एक्साइज का, उसमें स्मगलिंग की हुई कैसेट्स पकड़ी गईं। सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि स्मगलिंग की कैसेट्स उनके बेटे की पकड़ीं। जो चोरी छिपे माल बेचते थे उसमें सैल्स टेक्स का राज्य सरकार को नुकसान होता था, उस सैल्स टैक्स की चोरी मुख्य मंत्री का बेटा करता था इसलिए उनको एक्सप्लेनेशन देने के लिए दिल्ली ले जाया गया। इससे पता लगता है कि उनको डांट पड़ती है या नहीं। इसका मतलब है डांट पड़ी।

सभापति महोदया, यह अब तक की इनकी स्थिति है। आई. आर. डी. की सब्सिडी देने की इन्होंने चर्चा की है कि हम गांवों का विकास कर रहे हैं। आई. आर. डी. की सब्सिडी के इतने आंकड़े दे दिए, बहुत सारे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बांट दिए। पिछले सैशन में सदन में मैंने मामला उठाया था मेरे क्षेत्र का, 15 लाख रुपए का गबन तहसीलदार, बैंक मैनेजर और डाक्टर ने मिलकर वहां पर किया। उनके विरुद्ध आज तक इस सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। सभापति महोदया, फर्जी आंकड़े इकट्ठे किये, फर्जी किसानों के नाम लिख दिए गए कि इन किसानों को इतनी सब्सिडी भैंस, बैल खरीदने के लिए दी गई। जब जांच हुई तो न बैल खरीदे गए थे न भैंस खरीदी गई थी। उस नाम का किसान ही उस गांव में नहीं है। यह स्थिति है। सभापति महोदया, कितना भ्रष्टाचार नीचे के लेवल पर हो रहा है और ये जोर शोर से कह रहे हैं कि आई. आर. डी. के तहत हम विकास कर रहे हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं, 20 संकल्पों को पूरा कर रहे हैं। यह संकल्प है मुख्य मंत्री का।

सभापति महोदया, मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि शहरों के अन्दर जो भ्रष्टाचार है, कृपा करके, इसको गांवों में न ले जायं। गांवों की जनता ईमानदार है। इस भ्रष्टाचार की नींव गांवों में मत लगाओ जिससे देश की संस्कृति अभी भी जो बची है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी काफी मामला है।

श्री सभापति : शीघ्र समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : इन 20 सूत्रों का लास्ट सूत्र है, "कार्पोरेशन्स का सुधार करेंगे"। मैं पूछना चाहता हूं किस कार्पोरेशन में सुधार हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं, यह आपने दिए हैं हमने नहीं। क्या बिजली में सुधार हुआ? ज्यादा बिजली मिली? बिजली का और

(श्री नाथू सिंह)
स्रोत आपने ढूंढ़ा जिससे राजस्थान को बिजली मिल रही है ? रोडवेज में सुधार हुआ ? कल ही टायरों का घोटाला आपके सामने आया है । जब से माननीय जयकृष्ण जी यहां बैठे हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, जब से जयकृष्णजी मंत्री बने उसके बाद 9 करोड़ का इस राजस्थान रोडवेज के अन्दर घाटा हुआ । जब से शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री बने हैं उसके बाद यह सुधार हुआ है कार्पोरेशन्स में । कार्पोरेशन्स का केवल एक सुधार हुआ है, मुख्य मंत्रीजी, आपने सब माननीय सदस्यों को गाड़ियां दे रखी हैं । खैर, यह तो··

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सब को नहीं दी हैं ।

श्री नाथूसिंह : कुछ को । कुछ को गाड़ियां दे रखी हैं । गाड़ियों में घूमना, यही इसका सुधार है । जाओ और गाड़ियों में घूमो । माननीय भारद्वाजजी उधर बैठे हैं वे एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के चेयरमैन हैं, उनसे पूछना चाहता हूं जब से चेयरमैन बने क्या सुधार हुआ एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन में ? कोई सुधार नहीं हुआ । वे स्वयं मेरी बात से सहमत हैं कि कोई सुधार नहीं हुआ ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : कार तो अपने पास रख ली, जीप अपने यार को दे दी ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : माननीय जनार्दनसिंह गहलोत बैठे हुए हैं, वह भी चेयरमैन हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके कार्पोरेशन में क्या सुधार हुआ ? कोई सुधार नहीं हुआ । माननीय सदस्यों को गाड़ियां मिल गई, केवल यह सुधार हुआ । अगर इसको ही सुधार मानते हैं, मुख्य मंत्रीजी, तो कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : पाइंट ऑफ आर्डर । अभी माननीय सदस्य ने कहा कि गाड़ी इन्होंने अपने यार को दे दी । यह शब्द बड़ा अशोभनीय है इसको हटा दें ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह तो बहुत बढ़िया शब्द है ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आप कन्टीन्यू रखें । जल्दी समाप्त करें ।

श्री नाथूसिंह : महत्वपूर्ण अभिभाषण मुख्य मंत्री लाए हैं ।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें, शीघ्र समाप्त करें ।

श्री नाथूसिंह : एक पॉलिटिकल गिफ्ट दे दी गई । मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं । सभापति महोदया, इन्होंने 42 लाख टन फूड प्रोडक्शन का टार्गेट रखा था । छठी योजना में जो प्रपोज्ड किया है उसमें 113 लाख टन का प्रोडक्शन का टार्गेट रखा है लेकिन तीन साल पूरे हो चुके अब तक केवल 42 लाख टन का टार्गेट पूरा हुआ । इससे आप आइडिया लगा लीजिये कि इनका यह टार्गेट कैसे पूरा होगा । इसके अलावा, सभापति महोदया, स्वयं मुख्य मंत्री जी ने इस 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में यह स्वीकार किया है कि यह तो दूसरा नया 20 सूत्री कार्यक्रम छठी योजना का संकलन और सार मात्र है । यह इन्होंने कहा । इसका मतलब इस 20 सूत्री कार्यक्रम का और इन

(श्री नाथूसिंह)

20 संकल्पों का कोई महत्व ही नहीं है। इसका आप बिलकुल खोखला प्रचार कर रहे हैं।

सभापति महोदया, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, अकाल राहत कार्य चले। अकाल राहत कार्यों के अन्दर राजस्थान के 26 जिलों को प्रभावग्रस्त घोषित किया उनमें जितने लोग प्रभावित हुए हैं वह इसके पेज नं. 2 पर इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा कि 26 जिलों के 22 हजार 417 प्रभावग्रस्त घोषित ग्रामों में 1 करोड़ 69 लाख 57 हजार लोग प्रभावित हुए। यह इन्होंने कहा है। इन्होंने यह भी कहा कि इतने मजदूर अकाल राहत कार्य में लगा दिये। सभापति महोदय, इन्होंने कुल मिला कर अकाल राहत कार्यों में 94 हजार मजदूर लगाये हैं। इतने करोड़ रुपये बरबाद करके सिर्फ 94 हजार मजदूर ही काम पर लगाये। इतना ही नहीं, सभापति महोदया, इन्होंने उन 94 हजार मजदूरों में से भीलवाड़ा जिले में 19 हजार मजदूर लगा दिये हैं। तो, सभापति महोदया, यह है इनकी अकाल राहत कार्य की प्रगति। आप इनके अकाल राहत कार्यों की प्रगति का अन्दाजा इससे लगा सकते हैं।

सभापति महोदया, हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी के पास साधन सीमित हो सकते हैं पर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मुख्य मन्त्रीजी ने अपने स्वयं के जिले भीलवाड़ा में 94 हजार में से 19 हजार मजदूर लगाये हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से यह जानकारी चाहता हू कि, मुख्य मन्त्रीजी, आप केवल भीलवाड़ा के मुख्य मंत्री हैं या पूरे राजस्थान के हैं? मुख्य मन्त्री जी, आप मुख्य मंत्री पूरे राजस्थान के हैं न कि केवल भीलवाड़ा के। अगर आपकी सीमा सिर्फ भीलवाड़ा तक ही है तो फिर आपको राजस्थान का मुख्य मन्त्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। सभापति महोदया, इन मुख्य मंत्रीजी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये क्योंकि यह सिमटकर सिर्फ भीलवाड़ा के ही मुख्य मन्त्री रह गये हैं।

सभापति महोदया, इतना ही नहीं, इन्होंने राजस्थान सरकार के दूसरे मदों से धन निकाल कर अपने जिले भीलवाड़ा में उपयोग किया है। इन्होंने अभी भीलवाड़ा में घोषणा की है कि वह भीलवाड़ा में स्टेडियम बनाने जा रहे हैं जो कि 25 लाख रुपये का होगा। यह 25 लाख रुपये ये कहां से लायेंगे?

श्री देवेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कृषि): यह तो हम चन्दा कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेन्ट का एक भी पैसा काम में नहीं ले रहे हैं।

श्री नाथूसिंह: चन्दा तो आपने केवल साढ़े चार लाख का किया है। बाकी के रुपये कहां से लेंगे।

श्री देवेन्द्र सिंह: हमने साढ़े चार लाख रुपये चन्दे से वसूल किया है और बाकी रुपये भी हम चन्दे से ही लायेंगे। गवर्नमेन्ट से एक भी पैसा नहीं लेंगे।

श्री नाथूसिंह: वह तो देख लेंगे वहां पर आप बाकी रुपया कहां से लायेंगे। यह भी देख लेंगे कि आप क्या करते हैं।

सभापति महोदया, इतना ही नहीं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे

(श्री नाथूसिंह)

मुख्य मन्त्रीजी कैसे भीलवाड़ा के ही मुख्य मन्त्री हैं। अभी जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि इन्होंने वाटर वर्क्स के ऑफिस, जो अजमेर में था, का मुख्यालय भीलवाड़ा कर दिया इसके लिये कोर्ट में रिट की गयी। उस केस का फैसला हाई कोर्ट से 12-12-82 को हुआ। उसमें हाई कोर्ट के जज ने मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ गम्भीर स्ट्रक्चर्स पास किये हैं। सभापति महोदया, एक हाई कोर्ट में मुख्य मन्त्री के खिलाफ स्ट्रक्चर्स हाई कोर्ट के जज के द्वारा पास करना कितनी गम्भीर बात है। यह इस बात को साबित करता है कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी गलती पर हैं। इससे यह भी साबित होता है कि जो हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी हैं वह एक जिले के ही मुख्य मन्त्री होकर सीमित हो गये हैं।

इतना ही नहीं, सभापति महोदया, मुख्य मन्त्रीजी अपने घर और परिवार के लिये जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ निवेदन आपको करना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप एक मिनट में समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, अभी समाप्त कर रहा हूं। अभी-अभी, सभापति महोदया, अपने मुख्य मन्त्रीजी के बारे में जो कुछ कहा गया उसके लिये भी मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बाकी का मैटर अपने पास स्टोर रखिये आगे भी आपको काफी समय मिलेगा।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, अभी जो अभिभाषण यहां पर दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि आवासन मण्डल गरीब लोगों को मकान उपलब्ध करायेगा। तो आवासन मण्डल द्वारा मकान कौन से उपलब्ध कराये जायेंगे इसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगा। वह कैसे मकान उपलब्ध करा सकते हैं। यहां जयपुर में एक पिंकसिटी हाउसिंग सोसायटी है और हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी की बहिन श्रीमती माया माथुर उस सोसाइटी की सदस्या है। सभापति महोदया, इसकी जो जमीन है वह जमीन हाउसिंग बोर्ड के द्वारा एक्वायर की गयी है यह जमीन 600 बीघा है और सांगानेर और जयपुर के बीच में है। यह जमीन आपकी कान्स्टीट्यूएंसी में आती है, आपकी भी जानकारी में होगा, यह जमीन हाउसिंग बोर्ड ने एक्वायर करली थी और इसके लिये पिंकसिटी सोसायटी ने यह कहा है कि इसको हाउसिंग बोर्ड से छुड़वाया जाय। सभापति महोदया, इस पिंकसिटी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी के सैक्रेटरी हैं डी.सी. जैन। उन्होंने इसका कन्वर्शन कराने के लिये एक करोड़ रुपये का चैक हमारे मुख्य मन्त्रीजी को भेंट किया। यह एक करोड़ का चैक देकर वह इसका फायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने एक एप्लीकेशन मुख्य मन्त्रीजी को दी उसमें यह कहा गया कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो जमीन एक्वायर की गयी है वापस उसको उन्हें दिलाया जाय। मैं आपको यह भी बता दूं कि वह फाइल मुख्य मन्त्रीजी के पास है। वैसे तो इसके लिये हाई कोर्ट में केस कर दिया है, यह केस अभी सबजुडिस है, हाई कोर्ट में चल रहा है लेकिन मुझे ऐसी सम्भावना लगती है कि ज्यों ही यह सैशन समाप्त होगा मुख्य मन्त्रीजी उस फाइल

(श्री नाथूसिंह)

को भंग करके राज्य सरकार का, यह निर्णय छाप देते कि इस जमीन को ससम्मान पब्लिक सिटी सोसायटी को वापस कर दिया जाय।

इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री का जो निवास स्थान है उसके करीब एक गरीब मास्टर का मकान है उसको मुख्य मंत्रीजी ने छीन लिया। उस मास्टर ने वहां पर इसके लिये बावेला खड़ा कर दिया तो मुख्य मंत्रीजी ने उस मास्टर को यह कहा कि तुम बावेला मत करो और कोई दूसरी जमीन देख लो मैं तुम्हें दूसरी जमीन दिला दूंगा तुम चिन्ता मत करो। सभापति महोदया, जैसी मुझे सूचना है, मुख्य मंत्रीजी मुझे करेक्ट करेंगे, शायद वह मकान मुख्य मंत्रीजी ने किराये पर दे दिया है। इसके साथ ही यह भी मुझे जानकारी मिली है कि वहां पर एक अब स्वीमिंग पूल का निर्माण कराया जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, कि हमारे मुख्य मंत्रीजी के पास यह एक ही मकान नहीं है इनके स्वयं के कई मकान हैं। इनके भाई के कितने प्लाट हैं और इनके स्वयं के कितने प्लाट हैं उसके बारे में भी जब मुख्य मंत्रीजी अपना जवाब दें तो इसकी जानकारी मुझे दें।

सभापति महोदया, इतना ही नहीं, मुख्य मंत्रीजी के परिवार के लोगों के लिये अभी-अभी समाचार पत्रों में आया है और आपने भी उसको पढ़ा होगा, इसकी बहुत चर्चा हुई कि उनके लड़के ने एक वीडियो सैट, एक ही नहीं कई वीडियो सैट खरीद कर रखे हैं। सभापति महोदया, वह क्या करते हैं कि उन वीडियो सैट में स्मगल की हुई कैसेट चलाते हैं। उन कैसेट को चलाने का उनके पास कोई राइट नहीं है कि वह उन वीडियो सैट के माध्यम से लोगों को पिक्चर दिखायें। कोई भी पिक्चर दिखाने का राइट नहीं होते हुए भी वह अपने पास उन कैसेटों को रखते हैं और उनसे गांवों में पिक्चर दिखाते हैं। वह न केवल गांवों में जाकर बल्कि कभी दौसा में, कभी भरतपुर में, कभी जोधपुर में जाकर पिक्चर दिखाते हैं और उससे लाखों रुपया कमाते हैं। इस प्रकार मुख्य मंत्रीजी के पुत्र राजस्थान सरकार के लाखों रुपयों के सैल्स टैक्स की चोरी कर रहे हैं। सभापति महोदया, अभी जयपुर में जो सेन्ट्रल एक्साइज का छापा पड़ा था उसमें इस प्रकार की कैसेट पकड़ी गयी थीं। इसमें कौन-कौन लोग हैं इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। के. डी. इलैक्ट्रोनिक्स की दुकान एम. आई. रोड पर है इसमें एक श्री कश्यप, जो सिंचाई विभाग के चीफ इन्जीनियर हैं, का लड़का है, दूसरा एक सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर है मिस्टर दुग्गल जो कैनाल बोर्ड में हैं और तीसरे हैं श्री प्रदीप माथुर जो कि मुख्य मंत्रीजी के पुत्र हैं। यह के. डी. इलैक्ट्रोनिक्स की दुकान एम. आई. रोड पर है। जब राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के पुत्र के ऐसे कारनामे हैं तो फिर क्या होगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री नाथूसिंह : इतना ही नहीं, इनकी पत्नी उदयपुर के आदिवासी छात्रावास की

(68)

(श्री नाथूसिंह)

चेयरमैन है और इनका साला उस आदिवासी छात्रावास का सेक्रेटरी है। उन्होंने उस आदिवासी छात्रावास की जमीन को बेचकर खा डाला है, यह मुख्य मंत्री महोदय पर गम्भीर आरोप है। जब वे अपना जवाब दें तो इसका भी जवाब दें। इन मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान को लूटने का कार्यक्रम बना रखा है। इन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम नहीं यह एक सूत्री कार्यक्रम बना रखा है कि राजस्थान को लूटना है। सभापति महोदय···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें। आगे भी आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, अभी समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, अभी कुछ दिनों पहले जो कांग्रेस दल की बैठक हुई थी उसमें भी बहुत से कांग्रेसी सदस्यों ने इन पर आरोप लगाये थे कि इन्होंने यहां पर भ्रष्टाचार किया है वहां पर भ्रष्टाचार किया है, पर न तो उसमें इन आरोपों का जवाब मुख्य मंत्री जी दे सके और न ही अभी तक उनका जवाब दिया है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी का इन भ्रष्टाचार के कामों में हाथ है। इतना ही नहीं, सभापति महोदया, मैंने एक प्रश्न के माध्यम से भीलवाड़ा की बिजौलिया की खानों में अवैध खनन के संबंध में सदन में मामला उठाया था। यह हमारे मुख्य मंत्रीजी की कान्स्टीट्यूएन्सी में है। वहां पर अवैध खनन करने पर जनता पार्टी के वक्त में उस समय के मुख्य मंत्रीजी श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने 3 करोड़ 40 लाख रुपये का जुर्माना किया था। उसके बाद में जब पहाड़ियाजी की सरकार आयी तो उन्होंने भी उस जुर्माने को बरकरार रखा,

(1.27 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन जब श्री शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री बने तो इन्होंने उन ठेकेदारों से सांठ-गांठ की। उन ठेकेदारों से एप्लीकेशन मंगायी और सांठ गांठ करके एक सौदा तय किया, सौदा करके मुख्य मंत्रीजी ने उस फाइल को मंगा कर तीन करोड़ चालीस लाख रुपया, जो जुर्माना हो चुका था, माफ कर दिया, इस प्रकार राजस्थान की जनता को तीन करोड़ और चालीस लाख रुपये का चूना लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप हमारे मुख्य मंत्रीजी पर हैं। यह जो पैसा है वह जनता का पैसा है, जनता की मेहनत का पैसा है जो इन्होंने ले लिया है।

इतना ही नहीं, इन्होंने एक विमान खरीदने का भी कहा है। जैसा कि अभी अखबारों में आया है, शायद आपने भी पढ़ा होगा कि राज्य सरकार एक विमान खरीद रही है। पिछले सेशन में हालांकि मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि राज्य सरकार कोई विमान खरीदने का विचार नहीं रखती है परन्तु समाचार पत्रों में आया है, उसमें लिखा है कि Pilots and Apprentice Engineers Association of Rajasthan, Shri Ashok Choudhary, यह तो समाचार पत्रों में है··

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : क्या है ?

श्री सी.पी. जोशी : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अन्तर्गत यह दिया हुआ है कि अगर कोई माननीय सदस्य किसी भी सदस्य के खिलाफ में आरोप लगाता है तो उसके लिए उन्हें पहले अध्यक्ष महोदय को लिखकर देना होता है।

श्री नाथूसिंह : आपको नियमों का पता है ?

श्री सी.पी. जोशी : हां, मुझे नियमों का पता है और नियमों के तहत किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति में आप उस पर सदन में आरोप नहीं लगा सकते हैं। आरोप लगाने के लिए और आलोचना करने के लिये पहले आपको अध्यक्ष महोदय से आज्ञा लेना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हमारे नियमों में ऐसा प्रावधान है और इसके लिये पहले भी हमारे यहां पर अध्यक्षीय व्यवस्था कई बार हो चुकी है कि किसी भी माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में अथवा किसी माननीय सदस्य के खिलाफ में कोई आरोप लगाना चाहें तो उसके लिये पूर्व में अध्यक्ष को सूचना देना जरूरी है। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है और आपके दल के और भी सदस्यों को बोलना है। आपके दल के सदस्यों को जो समय दिया गया है वह बहुत कम है इसलिए अब आप अपना भाषण यथाशीघ्र समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह केवल इसलिए बता रहा था कि इस अभिभाषण में कहा है कि यह वर्ष विकास वर्ष रहा है। तो कहां कहां क्या क्या प्रशासनिक गड़बड़ियां और घोटाले हो रहे हैं मैंने केवल उसकी तरफ ध्यान दिलाना उचित समझा है क्योंकि अभिभाषण एक बहुत बड़ा दस्तावेज होता है।

अध्यक्ष महोदय, एक विमान 1।। करोड़ रुपये का खरीदा जा रहा है। खुले बाजार में वही विमान 90 लाख रुपये का मिलता है और उसका 1।। करोड़ रुपये में सौदा तय किया जा रहा है···

श्री अध्यक्ष : 50 लाख का किसी से टेण्डर दिलाओ ना।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। यही विमान उन्होंने खरीदा था, वह ठीक काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने राजस्थान सरकार को केवल 60 लाख में बेचने की पेशकश की। अगर राजस्थान सरकार बात करे तो 50 लाख रुपये में मिल जायेगा। मुख्य मंत्रीजी बात करें। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की धांधली चल रही है। जब इतनी सस्ती चीज मिल रही है तो अब इसमें कौन भागीदार है, कौन सौदा कर रहा है पता नहीं···

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : किस के इशारे पर हो रहा है मैं यह जानना चाहता था।

(70)

(श्री नाथूसिंह)

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा यहां बहुत की गयी है लेकिन स्वास्थ्य संबंधी किसकी चिन्ता की जाती है, किसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी के जो स्पेशल सैक्रेटरी हैं, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं बल्कि मैं तो व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं, उनके घर पर 8-8 घंटे में एक नर्स की ड्यूटी लगा रखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस कानून के तहत यह ड्यूटी लगा रखी है ? किस नियम के तहत 8-8 घंटे की घर पर ड्यूटी लगा रखी है आदर्श किशोरजी सक्सेना, जो स्पेशल सैक्रेटरी हैं, के घर पर ? अध्यक्ष महोदय, कानून का उल्लंघन करके 8-8 घंटे नर्स की ड्यूटी लगा रखी है और जब इसके ऊपर बावेला हुआ तो उन्होंने माना कि कानून के अन्तर्गत नहीं लगा सकते तो मुख्य मंत्रीजी ने आदेश दिये कि नहीं वहां पर रखो। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने उसमें रद्दोबदल जरूर किया। उन्होंने यह कहा कि वहां पर बुजुर्ग नर्स भेजो जवान नहीं। यह उन्होंने जरूर रद्दोबदल किया····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह से अनियमिततायें सरकार में होती हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग का एस. एम. एस. हॉस्पिटल जयपुर की नाक के नीचे है, वहां पर एक कुमार माथुर डाक्टर हैं। जब श्री जी. सी. शर्मा रिटायर हुए तो कानून के विरुद्ध एक ही दिन में उनको प्रमोशन दिया गया, एक ही दिन में रेजिडेन्ट मेडिकल आफिसर बनाया। वहीं पर टेलीफोन मिला, वहीं बंगला मिला। नियमों के अनुसार जो सर्जन होता है उसी को उस पोस्ट पर लगाया जाता है लेकिन उनको केवल इसलिए लगाया गया कि मुख्य मंत्रीजी की पत्नी के और उनके संबंध हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से सारे राजस्थान को और राजस्थान के विकास को···

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी, माननीय सदस्य। कृपया···

श्री नाथूसिंह : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं यह तो तथ्य हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इसका बावेला हुआ तो स्वास्थ्य मंत्रीजी स्वयं गये और उन्होंने कहा कि यह गलत है। टेलीफोन वापस लो, उनको पद से हटाओ बंगला वापस लो। और यह सब वापस लिया। यह तथ्य है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह तथ्य हैं जो हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो स्वास्थ्य की चिन्ता कर रहे हैं, किसके स्वास्थ्य की चिन्ता कर रहे हैं, किसके स्वास्थ्य का विकास कर रहे हैं यह इस बात का सबूत है। स्कूलों की इसमें बढ़ा चढ़ा कर व्यवस्था की है··

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य, समय काफी हो गया है।

श्री नाथूसिंह : बस एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

आज ही शिक्षा मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि दो सौ प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनकी छत अब गिरे या अब गिरे, ऐसी स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता

(श्री नाथूसिंह)

हूं कि 200 स्कूलों की छत गिरेगी तो कितने बच्चों की हत्या होगी, कितने बच्चे मरेंगे। सरकार ने इसके लिए क्या व्यवस्था की है? इसमें आपने बढ़ा चढ़ा कर आंकड़े दिये हैं लेकिन क्या कोई ठोस योजना उन स्कूलों के निर्माण के लिए बनायी है? नहीं बनायी है, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने आंकड़े तोड़ मरोड़ कर राजस्थान की जनता के ऊपर थोपे हैं, सदन पर थोपे हैं ताकि इनके मायाजाल में राज्यपाल महोदय स्वयं उलझें, फिर मन्त्रिमंडल उलझे। राज्यपाल महोदय उलझ गये और हमारे भी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि यह क्या है। इसमें कान्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ही राजस्थान के पहले मुख्य मंत्री हैं जिनके ऊपर आपकी पार्टी के ही विधायकों ने आरोप लगाये हैं, हम आरोप लगा रहे हैं और राजस्थान की जनता आरोप लगा रही है। इतना जलील किसी भी मुख्य मंत्री को आज तक नहीं किया गया जितना इन मुख्य मंत्रीजी को किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह मुख्य मंत्रीजी न दूसरे प्रान्तों से बिजली ला सके हैं, न जल ला सके हैं। पंजाब से समझौता किया 1981 का, जिसमें आज वह रोड़ा अटका रहा है जिसमें कह रहा है कि हम 1955 के समझौते को खोलेंगे। अगर 1981 का समझौता मुख्य मंत्रीजी नहीं करते तो रावी व्यास का जल राजस्थान को जरूर मिलता···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : आधा मिनट।

श्री अध्यक्ष : एक एक मिनट कह कर कई मिनट ले चुके हैं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : लास्ट आधा मिनट ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे सदन की यह आम राय है, चाहे इस पार्टी के सदस्य हों चाहे उस पार्टी के सदस्य हों, सब की राय है कि यह राजस्थान के मुख्य मंत्री अयोग्य हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने राजस्थान का विकास नहीं किया बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। पिछला वर्ष विकास वर्ष न होकर भ्रष्टाचार वर्ष रहा है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी सद्‌बुद्धि मुख्य मंत्री जी को दें। मैं निवेदन करता हूं कि इसी सेशन के दौरान और इसी समय तुरन्त दिल्ली से वापस आने के पश्चात् मुख्य मंत्रीजी अपने पद से त्याग-पत्र देकर इस राजस्थान की जनता के आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करेंगे ताकि राजस्थान की जनता आगे बढ़े। राजस्थान के हित में अपने पद से त्याग-पत्र देकर राजस्थान को मुक्ति दिलायें। इसी के साथ आपको धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : वह फिर किसमें योग्य हैं?

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

कोई माननीय सदस्य बोलने को तैयार नहीं है क्या?

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

72

(श्री अध्यक्ष)

श्री त्रिलोक सिंह ।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे कुछ बोलना है । राज्यपाल महोदय का अभिभाषण क्या है यह तो एक तमाशा है। यह तो दस्तूर है, अन्जाम एक ऐसा है कि जब भी सत्र शुरु होता है उसके पहले एक पोथा झूठ का रख दिया जाता है। यह झूठ का पोथा राजस्थान की अवाम और जिन्दगी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। आज राजस्थान की तस्वीर इस दस्तावेज में नहीं, राजस्थान की तस्वीर गांवों में है, राजस्थान की तस्वीर खेतों में है, राजस्थान की तस्वीर उन फैक्ट्रियों में है जो बन्द पड़ी हैं। राजस्थान की तस्वीर कोटा की सड़कों पर है जहां हजारों मजदूरों को बेदखल कर दिया गया और आज वह पुलिस के दमन का शिकार है। राजस्थान को कुल जो चर्चा इस अभिभाषण में की गयी है उससे कोई वास्ता नहीं है।

बड़ा इस दस्तावेज में जिक्र किया गया है कि हमने खेती का बहुत बड़ा विकास किया है, खेती के बारे में हमने लम्बी चौड़ी योजना बनाई। पर मैं पूछना चाहता हूं कि यह हुकूमत कब तक जिंदा रहेगी, राजस्थान का पिंडा कब छोड़ेगी ? यह 35 सालों से राजस्थान के किसानों की छाती पर बैठी हुई है और आये साल, 35 साल से अकाल को बुला रही है, अकाल को दावत दे रही है। यह अकाल राजस्थान सरकार की एक दुकान है। आये साल हो हुल्ला करने पर करोड़ों रुपया सेन्टर देता है, हमारी केन्द्र सरकार देती है उसको यह खा जाते हैं और वहां झूठे आंकड़े बनाकर भेज दिये जाते हैं। यह सरकार कहती है कि हम अकाल पीड़ितों को मदद करते हैं। एक छोटी सी नजीर के द्वारा आप को बता दूं, पिछले दिनों मेरे सीकर जिले में कोई अकाल से वास्ता रखने वाले मिनिस्टर गये थे। मैंने पूछा कि यह जनाब कौन हैं तो कहा कि यह अकाल सहायता मिनिस्टर हैं। मैंने पूछा कि क्यों आये हैं और कैसे तशरीफ लाये हैं तो कहा कि मैं अकाल का जायजा लेने आया हूं। हमारा इलाका बारानी इलाका है और एक फसली इलाका है। मैंने कहा, अकाल तो 10 महीने पहले पड़ा था, अकाल सावन में पड़ा था और जायजा लेने फागुन में आये हैं। इससे

(1.39 म.प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति पदासीन)

बड़ा तमाशा और इससे बड़ा मजाक 14 लाख किसानों के साथ और क्या हो सकता है। यह खाली मेरे जिले की बात नहीं, यह पूरे राजस्थान की बात है। आज भी राजस्थान के 27 जिलों में से 26 जिलों में अकाल है। फिर मैंने पूछा, आप क्या करेंगे, कितने लोगों को काम देगी सरकार तो कहने लगे, सीकर जिले में एक हजार आदमियों को काम दिया है। सीकर जिले में एक हजार गांव हैं और काम दिया है एक हजार आदमियों को, यानी सीकर जिले में एक गांव के पीछे एक आदमी को काम, यह तमाशा देख लीजिये। जहां अकाल पीड़ित लोग हैं जिनको खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं और राजस्थान की सरकार ने हमसे यह मखौल किया है। तो यह तस्वीर देख लीजिये यह राजस्थान सरकार क्या करना चाहती है।

(श्री त्रिलोकसिंह)

चलिये, अब खेती के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बड़े लम्बे चौड़े डाटाज दिये गये हैं। हमने यह किया, हमने वह किया। हम बिजली लाये, हमने खेती की उन्नति की। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया में कोई ऐसी भी नादान सरकार हो सकती है जिसको यह पता नहीं खेती का आधार क्या है? खेती का आधार पानी और बिजली है और हमारे ज्यादातर जिलों में बिजली का आधार पानी है। जब बिजली नहीं तो खेती सूखे टीबों में कैसे हो पायेगी? अरे, यह तो राजस्थान की सरकार किसान की दुश्मन है, एन्टी किसान है। जिस नादान सरकार को यह पता नहीं कि बीज सूखी मिट्टी में नहीं डाला जाता, पहले जमीन को भिगोया जाता है और जब जमीन भीग जायेगी तो हल चलाया जाता है फिर बीज उसमें डाला जाता है। मिनिस्टर महोदय को यह पता नहीं जब बिजली नहीं और पानी नहीं तो खेती कहां से होगी। हम किसान के बेटे जानते हैं इस नादान सरकार ने, इस भ्रष्ट सरकार ने हमारे साथ क्या किया है। 35 साल के अर्से में जो रजवाड़ों ने नहीं किया वह कांग्रेस की हुकूमत ने किया है। मखौल यह कि हर साल यह पोथा पेश कर दिया जाता है और बड़ा जश्न मनाया जाता है। बिजली खेतों पर मिलती नहीं, हमारी फसल तबाह हो गई। जबरदस्ती किसानों से टैक्स वसूल किया जाता है, बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। पुलिस जाती है किसान के खेत नीलाम कर दिये जाते हैं, जमीन नीलाम की जाती है, पिटाई तक की नौबत आती है। यह सरकार जो किसानों के जोर से बनती है, मैं पूछना चाहता हूं 35 साल के अर्से में 90 प्रतिशत जनता; गांवों की जनता की यह हालत है, इसने भला क्या किया है। अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, यह भला उसका करती है जो इसके घेरे में है। यह मिनिस्टरों का भला चाहते हैं, उनके रिश्तेदारों का भला चाहते हैं अवाम का नहीं, जनता का नहीं, किसान का नहीं। किसान की जिन्दगी से कोई ताल्लुक नहीं इनका। किसान बार बार आन्दोलित होते हैं, आन्दोलन करते हैं। अभी 27 तारीख को हर जिला हैडक्वार्टर पर 10-10, 20-20 हजार किसानों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, हमें बिजली दो, हमारे खेतों को पानी दो मगर इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। हम उम्मीद करते थे शायद इनके कानों पर जूं रेंगेगी, इनकी नजर होगी, इनकी अन्धी आंखों में कुछ रोशनी आयेगी, यह देखेंगे परन्तु इनकी हरकत में कोई फर्क नहीं हुआ। आज भी ऐसी भयंकर सर्दी में उस किसान की मां-बहिन, खेतों पर खड़ी रहती हैं। क्या आशा लेकर खड़ी रहती हैं? बिजली के बटन पर हाथ डालते हैं तो चन्द मिनट के बाद ही बिजली बन्द हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं यह जुल्म, यह तानाशाही कब तक चलेगी? अरे, दुनिया का नक्शा देखा नहीं। एक दिन वह रोटी देने वाला, दुनियां के हजारों भगवानों का बड़ा भगवान इनको बदल देगा फिर क्या होगा वही हालत होगी जो रूस में हुई, जो चीन में हुई। सबको घसीट कर सड़कों पर ले आयेंगे। जनता की आवाज लगेगी और तुम्हारे पापों के लिये मुतालबा किया जायेगा। ऐ पापियों, ऐ जुल्मियों, अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी औलाद से मुतालबा किया जायेगा और अगर औलाद मर गई

(74)

(श्री त्रिलोक सिंह)

तो श्मशान से मुतालबा किया जायेगा, हड्डियां निकाल कर मुतालबा किया जायेगा। किसानों के साथ जो जुल्म किया है इस सरकार ने वह इतिहास में हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, यह मेरे कांग्रेसी दोस्त, यह लायक दोस्त, जिनकी हालत काबिले रहम है, पीने को पानी नहीं मिलता, जानवर खतम हो गये, रोटी-रोजी की समस्या का हल नहीं है परन्तु यहां आकर कहते हैं कांग्रेस का राज अच्छा है। यह क्या तमाशा है, यह कब तक तमाशा चलेगा ? अरे, क्या हिन्दुस्तान में पानी नहीं है। हर साल बाढ़ आती है लाखों लोग पानी में डूब जाते हैं लेकिन राजस्थान की सर जमीन को पानी नहीं दिया जा सकता। लुहारू के टीलों में, भिवानी के टीलों में पानी आ सकता है परन्तु राजस्थान की समतल जमीन पर पानी नहीं है। सीकर, शेखावाटी चूरू, भरतपुर, अलवर, नागौर और जोधपुर के समतल मैदानों में, खेतों में पानी नहीं दे सकती यह सरकार। क्यों ? क्यों नहीं दे सकती ? इसकी वजह साफ है, यह सरकार किसानों की दुश्मन है। जितना भी सरकार का अमला रहा है, एन्टी किसान रहा है। आज तक या तो ऐसे आदमी आये हैं जो मन्दिरों में टनटनियां बजाते थे या ऐसे आये हैं जो जागीरदार थे, या ऐसे आदमी हैं जैसे अभी माथुर साहब बैठे हैं, उनको क्या पता खेती क्या होती है। अरे, हमारे यहां कहावत है किसान कहता है बेटा जब खेत पर जाओगे हल लेकर, अगर माथुर मिल जाये तो हल वापस ले आना। अरे, यहां चीफ मिनिस्टर बन कर बैठ गये उनको क्या पता खेती क्या होती है, पानी क्या होता है। राजस्थान में पानी नहीं आ सकता। लुहारू के टीबों में पानी आ सकता है, पंजाब में पानी आ सकता है, तो राजस्थान में पानी क्यों नहीं आ सकता ? इनको खेतों की फिक्र नहीं है। यह तो डाके डालते हैं, ठगी करते हैं। खेतों में डाके कहां, वहां तो खून पसीना निकालने के बाद, जमीन का पेट चीरने के बाद सूखी रोटी मिलती है। मैं गया था बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। मैंने देखा वहां की क्या हालत है। अभी एक कांग्रेसी दोस्त दबी जुबान से कुछ कह रहे थे कि वहां कुछ हुआ है। कितने ताज्जुब की बात है ? जब मैं बाड़मेर गया, सेन्ट्रल पार्क में एक चार साल का बच्चा रो रहा था। मैंने पूछा, यह क्या कहता है। यह कहता है मां पानी पिलाओ। पानी कहां ? पानी नहीं। अगले गांव में गया तो एक बच्चा रोने लगा। मैंने पूछा, अरे, भाई क्या बात है। यहां पानी नहीं मिलता है। फिर अगले गांव गया तो लोगों ने गाड़ी रोक कर पूछा, पानी कब आ जायेगा। मैंने कहा, हम सरकार की खाल खींचेंगे, कान खींचेंगे तो उन्होंने कहा, ठीक कह रहे हैं लेकिन तब तक क्या हम धूल पीयेंगे ? यही नहीं, अगले गांव में गया तो दस आदमियों ने हमको रिपोर्ट की कि हम पानी लेने पास के गांव गये थे पुलिस ने मार मार कर हमें भूत बना दिया। मैं इल्जाम लगाना चाहता हूं, कौन नादान है। मैंने पूछा, भाई बात क्या है। बोले, पानी लेने गये थे पुलिस ने पकड़ लिया और पूछा, एक गांव से दूसरे गांव कैसे गये। अरे, लानत है इस सरकार पर। नाजी हुकूमत में बन्दियों को पानी दिया जाता था, रोटी दी जाती थी लेकिन राजस्थान की हालत, पश्चिमी राजस्थान की हालत नाजी हुकूमत से बदतर है। यह हालत है राजस्थान की।

(श्री त्रिलोक सिंह)

और बात छोड़ दीजिये, स्कूल बेचकर खा गये। स्कूलों की बात कहते हैं कि इतने स्कूलों को उन्नत किया। हम जानते हैं एक दिन वह जमाना था कि जमींदार स्कूल रोकता था और आज ये स्कूलों को बेचकर खा गये। मैं खुल्ला इल्जाम लगाता हूं शिक्षा मंत्री के रिश्तेदार स्कूलों को बेचकर खा गये। और आगे क्या हाल है? गांवों में स्कूलों में मास्टर नहीं हैं। मेरे इलाके में मैं अभी जाकर आया हूं 6-6 मिडल स्कूलों में एक एक मास्टर है जब कि 250-300 लड़के हैं। उडेरा स्कूल में 300 लड़के हैं और एक मास्टर है। मेरे साथी घनश्याम तिवाड़ी ने यह सवाल रखा। अरे, तुमने स्कूल क्यों खोल रखे हैं जब मास्टर नहीं रख सकते। गांव वालों के सामने झूठ का पुलिन्दा रख दिया। शर्म से डूब जाना चाहिये। मेरे खुद के गांव में प्राइमरी स्कूल में एक मास्टर है। ये ढोंगी, ये झूठे, ये भ्रष्ट लोग हैं। खैर, हम नहर तो नहीं ला सके, कुएं को बिजली नहीं दे सके लेकिन स्वास्थ्य का क्या हुआ, तन्दुरुस्ती का क्या हुआ। अरे, 90 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। अब मैं कहूंगा, अगर ये कांग्रेसी गांवों में आयें तो उनको वहीं बान्ध दो।

अरे, 90 प्रतिशत लोगों को पुड़ियां नसीब नहीं होतीं। गांव में किसान रहते हैं और स्वास्थ्य मंत्रीजी कहते हैं डाक्टर गांवों में नहीं जाते हैं। मैं कहता हूं, क्या पाकिस्तान की नौकरी करते हैं जो गावों में नहीं जाते। अरे, वह हमारी रोटी कैसे खा लेता है। गांवों की पैदा की हुई रोटी खा सकता है तो फिर गांवों में क्यों नहीं जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहियेगा।

श्री त्रिलोक सिंह : गांव वालों का वह मक्खन भी खा लेगा पर डाक्टर गांवों में नहीं जाता। क्यों? और चलिये, अगर गांव का किसान बीमार हो जाय और जिला हैड क्वार्टर पर आ जाय तो कहते हैं बड़े डाक्टर के घर चलो 100 रु. पेमेंट करोगे तो दवा दे दी जायगी। वह कहता है दवा तो दे दो-दवा तो होती ही नहीं। वे कहते हैं बाजार से ले आओ। अगर डाक्टर सुई लगावे तो उसको फीस दो, इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी। ज्यादातर गांव का किसान बीमार होकर मर जाता है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। यहां ये कहते हैं सेवा के लिये नर्स लगी हुई हैं। और नर्स भी कौनसी, वह नाजुक बदन वाली, कम उम्र वाली। हद हो गई। अरे, मुगल शहजादों की कहानी सुनी थी-राजा मानसिंह का इतिहास नहीं पढ़ा था। राजा मानसिंह और मुगल शहजादों से भी आगे बढ़ गये। वे जनता की सेविकाएं हैं और जब कोई कुछ कहता है तो मजाक मे टालने की कोशिश करते हो। हद हो गई। इस तरह की बात, यह तमाशा कब तक चलता रहेगा। और ले लीजिये...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : आप फिक्र न करें, घड़ी की ओर...

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिन्धी (विधि एवं न्याय मंत्री) : आप तो आम अवाम का फैसला सुना दें।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि आप बहुत तसल्ली से सुनियेगा। अवाम के खिलाफ एक शब्द नहीं होगा, अवामी चोरों के खिलाफ होगा, अवाम के डकैतों के खिलाफ होगा, XXX कहते हैं, अभी अभी एक नया फार्मूला निकाला है। हमने पूछा भाई, क्या है। मेरे यहां कलेक्टर कहने लगा कि वे गांवों में जा रहे हैं, दिल्ली से देवीजी ने फरमान भेजा है "प्रशासन गांवों की ओर"। तो मैं कलेक्टर को बोला, भाई, मेरे जिले में मत जाना, यह तो मेहरबानी करना। अगरXXX गांव में चले जायेंगे तो गांव वालों की खैरियत नहीं है। एक पटवारी 10-20 रुपये ले लेता है और जायज नाजायज काम कर देता है। ये 25-50 लुटेरे, XXX डाकू गांवों में गये तो गांव वालों को लूट कर खा जायेंगे। मेरे यहां हरसा, रौड़ और भान्या में कांग्रेस की कमेटी बना कर भेज दीजिये, मैं यकीन करूंगा, आप सिन्धी साहब को भेज दीजिये। एक एक गांव से पांच पांच हजार रुपये लूटकर खा गये। क्यों? इसके बाद गांव वाला हाथ जोड़ कर बोला, अरे, तुम्हारा काला मुंह हो, तुम्हारा नीला मुंह हो, और कहने लगा यह प्रशासन गांवों में न आये। हद हो गई लूट की। मैंने पूछा कलेक्टर साहबान से, गांवों में जाओगे तो क्या गांवों के रास्ते ठीक करोगे, तो बोले, ना। गांवों के खाते बदलोगे? तो बोले ना, तो फिर क्या नाचोगे, भाई? अभी बोले कि भाई हमने नामान्तरकरण भी नहीं किये क्योंकि हमारी सरकार कहती है कि लड़कियों के नाम भी लिख दो। एक और झगड़ा खड़ा कर दो। मैंने पूछा प्रशासन से, तुम ईमानदारी से बताओ कितने नामान्तरकरण हुए? एक भी नहीं, और अखबारों में लिखा 50 हजार हो गये। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि यह फरेब कब तक चलेगा, यह धोखा कब तक चलेगा, कब तक राजस्थान की जनता को लूटा जायगा और कब राजस्थान की जनता का पिण्डा छोड़ोगे। देख लिया हमने, हम तंग आ गये।

अरे, एक बदनामी और आती है, कहने लगे गरीब को छप्पर देंगे। मैंने कहा, यह क्या बला है. भाई "गरीब को छप्पर"। कहने लगे, गांवों में जो हरीजन है, उसको हम लम्बा चौड़ा छप्पर बनाकर देंगे। तो मैं एक दिन कलेक्टर को पकड़ कर ले गया। मेरा गांव है पुड़ी और पुड़ी में जाकर बोला, कब्र खोद दी है इनकी। पहली बरसात में सब गिर गये, मामला साफ हो गया। कागजों में छप्पर है, कागजों में नहर है, कागजों में दवा है, कागजों में स्कूल हैं, सब कुछ कागजी काम है। यह हालत है इनकी और इस पर भी ढिंढोरा पीटा जाता है कि इतने इतने काम कर दिये। यह सब कुछ फरेब किया जाता है। जादूगर आता है और उनके साथ इधर-उधर चलने का नाटक करते हैं। यह मजाक किया है राजस्थान के लोगों के साथ। अरे, अब भी खबरदार हो जाओ। आपको पता है दुनिया ने ऐसे लोगों का क्या किया? उनकी कब्र खोद दी, मिटा दिया दुनियां से उनका नामोनिशान, तो तुम तो नाचीज हो। इतिहास कहता है फ्रान्स ने गुलोटिन तोड़ दिया था··

(व्यवधान)

XXXअभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें।

श्री त्रिलोक सिंह : हिन्दुस्तान का व्यक्ति माफ नहीं करेगा। हिन्दुस्तान के लोगों का गुस्सा गले तक आ गया है। परदेश की जनता ने देखा है, जब तक आप शासन में रहोगे, यहां महामारी रहेगी, यहां अकाल रहेगा। यह हालत है मेरे प्रदेश की, मेरे राजस्थान की। कल मैं दिल्ली था, मुझे बुलाया था इस हुकूमत ने। मुझसे कहा कि आप को दिल्ली जाना है। मैंने पूछा, काहे के लिए? कहने लगे, वह पानी का झगड़ा है रावी व्यास का। तो मैंने कहा, लड़ाई तो पंजाब की है हमारा, राजस्थान का क्या झगड़ा है। पंजाब का किसान कहता है गेहूं पैदा हम करते हैं, राइस पैदा हम करते हैं, नरमा पैदा हम करते हैं और दिल्ली का बनिया भाव तय करता है, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। हम क्यों लड़ेंगे। वह एक कहावत है न कि जिन्ना तेरा बुरा हो कौम से कौम लड़ाई। पर यहां तो भाई से भाई लड़ा दिया इन्होंने। वह तो कौम से कौम लड़ाई जिन्ना ने और कांग्रेस हुकूमत ने भाई से भाई लड़ा दिया। पंजाब का किसान अपना हक मांगता है। राजस्थान की सरकार हमारे पानी को बेच आयी पंजाब में। कैसे? अरे, एक समझौता हुआ था 1955 में। हमें थोड़ा पानी दिया गया था, फिर भी हमें तसल्ली थी कुछ और मिलेगा कुछ और कोशिश करेंगे। पर हुआ क्या? फिर सन् 1981 में राजस्थान का चीफ मिनिस्टर गया और हमारे पानी को पंजाब को बेच आया। हमने यहां हल्ला मचाया, प्रदेश में हल्ला हुआ, यह क्या हुआ? कल मैंने जाते ही पूछा, जनाब, और बहस बाद में करना, वह बात बताओ 81 में हमने क्या पाप किया। अरे, 81 में हमारी जिन्दगी को बेच दिया और अब कहते हो हम हिमायत करें तुम्हारी। हम तुम्हारी कब्र खोदेंगे, हम तुम्हारी पार्टी की सरकार की कब्र खोदेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो रहा है।

श्री त्रिलोक सिंह : कैसे हुआ? कहां हुआ? अभी 10 मिनट और हैं। बिलकुल 10 मिनट और हैं। 25 मिनट दिये हैं 15 मिनट बोला हूं।

श्री सभापति : 5 मिनट और बोल लीजिए।

श्री त्रिलोक सिंह : नहीं, बिलकुल नहीं। घड़ी देख कर बोला हूं।

चलिये, और तमाशा देखिये। अरे खेती, पानी, स्कूल, विकास, तरक्की सब बेचकर खा गये। और ढोंग सुनिये। इन्होंने कहा, हमने एक मण्डी कमेटी बनायी है। अरे, हमने पिछले साल भी पूछा था, यह क्या तमाशा है, भाई। कहा, हमने एक मण्डी कमेटी बनायी है। क्यों, दुनियां में आज तक क्या था? यह अजीब नजारा किसी ने नहीं देखा। लुहार अपनी चीज बनाता है, खुद बेचता है, बनिया अपनी चीज खुद बेचता है। अरे, यह 90 प्रतिशत बड़े-बड़े सात फीटे जवान दुनिया को रोटी देते हैं और वक्त मुसीबत में मुल्क के लिए खून बहाते हैं। कल मर गया राजस्थान का वह त्रिलोक राम जिसका नाम लेना नहीं चाहते यहां। वह असम में मर गया। आपके पाप के लिए गया था। असम में कतल हो रहे हैं, उसकी औरत का सिन्दूर मिट गया, उसके बच्चों की

(श्री त्रिलोक सिंह)

ज़िन्दगी मिट गयी, उसका घर तबाह हो गया। उस किसान को पहले बनिया लूटता था, किसान मक्खन ले के, घी ले के जाता, घी की हांडी बाजार में लेकर जाता तो बनिया हाथ में रगड़ कर नाक के लगाता पागल गधे की तरह, लगाकर कहता घी अच्छा नहीं है किसान गेहूं ले जाता है और सीकर का फर्स्ट क्लास बाजरा, शानदार बाजरा . .

(व्यवधान)

सरदार जी बैठिये। और शानदार बाजरा . .

(व्यवधान)

अरे, जब किसान बाजरा ले जाता है तो बनिया मनमाने ढंग से लूट लेता है, किसान दूर खड़ा हो जाता है जैसे सब घर वाले मर गये हों। उसके माल की नीलामी होती है। यह भी हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। हम तो मांग कर रहे थे किसान की पैदावार की उचित कीमत दो। किसान का बच्चा भी उसी तरह शान से स्कूल जाय जैसे आदमखोर का बच्चा जाता है, डण्डीमार का बच्चा जाता है, डाक्टर का बच्चा जाता है, इंजीनियर का बच्चा जाता है। अब एक और जादू का तमाशा बना दिया, यह मण्डी कमेटी। ये कहते हैं; चौधरी, चाल मन्डी में। चौधरी बोला कि मन्डी में रोऊंगा क्या? क्या करोगे? तेरे बोरे को झड़कायेंगे। उसके दो क्विंटल बाजरे में से 15 किलो झड़काई में चला गया, फिर मण्डी का टैक्स, बनिये का टैक्स और बोली कोई और लगा दे। तो यह एक ऐसा मसला है कि तमाम दुनिया की जालिम हुकूमत की कब्र खोद देगा, जब वह बाहर आयेगा। जब 90 प्रतिशत लोगों का, हल वालों का डण्डा आयेगा और वह हथियार लेकर आयेगा तो तुम्हारी सरकार को पकड़ कर जौहरी बाजार में ले जायेगा और फिर रगड़ेगा। कैसे? जैसे बन्दर सांप को रगड़ता है, थूकता जाता है और रगड़ता जाता है। ये दिन और मण्डी पण्डी की बात छोड़ दो। किसान के माल की ठीक कीमत तय करो, नहीं तो न किसान टैक्स देगा, न बिजली का टैक्स देगा, न लुटेरों को गांवों में घुसने देगा। तुम नये नये नाम निकाल कर लाते हो। यह प्रशासन गांवों की ओर जा रहा है। जब इतने ही से नहीं धपे और क्या करोगे? अब कहते हैं, अदालतों को भी गांवों में ले जायेंगे। हमने कहा, हम तो अगले लुटेरों से ही तंग आ रहे हैं, इनको तो मेहरबानी करो और यहीं रखो। यह हालत है हमारी तो। यह कब तक बर्दाश्त किया जायेगा, यह हमारी समझ में नहीं आता। ऐसी बातों के जिक्र से यह पोथा भरा हुआ है कि हमने यह किया, हमने वह किया, हम किसानों का यह कर रहे हैं। देख लीजिए, अभी नीचे राजस्थान का 10–20 हजार किसान अपना कुआ छोड़कर, अपना घर छोड़कर किसान का झण्डा लेकर आया है और कहता है हुकूमत अब भी सुन ले, खुले कानों से सुन ले, हमारे साथ न्याय किया जाय वरना अगर न्याय नहीं हुआ तो हम इस हुकूमत को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बहुत बर्दाश्त किया है। जातियों के नाम से आप ने वोट लिये, बिरादरी के नाम से आपने वोट लिये और किसानों को आपने लूटा। यह खुली लूट है किसानों की। आप यह सोचते हो

(श्री त्रिलोक सिंह)

कि यह चन्द किसानों के बेटे बैठ कर, ग्राम किसानों को तसल्ली देना चाहते हैं। वह जमाना गया, गुजर चुका। हम जानते हैं यह बेटे कैसे हैं, कितनी कमजोरी है। अपनी कमजोरी से तुम ठगों के साथ आ गये। आज भी मैं कहना चाहता हूं, किसानों के बेटो, इस सभा के माध्यम से मैं अपील करूंगा, ऐ किसानों के बेटो, पवित्र कमाई खाने वालो, इन ढोंगियों को छोड़ो, इन लुटेरों से अलग होओ, किसानों की हिमायत करो, बाहर आपको किसान बुला रहा है। अरे, सदन के नीचे राजस्थान का किसान, सीकर का किसान, चूरू का किसान, नागौर का किसान जयपुर का किसान और चौमूं का किसान, आया है। यह आवाज देता है, आओ, उनकी हिमायत करो। अगर उनकी हिमायत नहीं करोगे तो खैरियत नहीं है। यह हुकूमत आपको बचा नहीं सकेगी। यह जन आन्दोलन है, जन आन्दोलन एक जलजला है, एक तूफान है और जो भी उसके सामने आयेगा वह मिट जायेगा।

श्री तेजपाल यादव : आप इधर हाथ कर रहे हैं। ढोंगी कौन है ?

श्री त्रिलोक सिंह : इन बातों को छोड़ दीजिये। हम यह नहीं कहते हैं कि ढोंगी कौन हैं। ढोंगी दिखता है वह है। यह ढोंगी राज है। ढोंगी कांग्रेस की हुकूमत है। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है, तेजपालजी, यह हमारे बेटों को ले गई। यह सरकार हमारे बेटों को खा गई।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है।

श्री त्रिलोक सिंह : यह सबसे बड़े ताज्जुब की बातें है कि ये किसान को मरे लुटता देखते हैं, किसान का कुआ बन्द होते देखते हैं। किसान को बेटी आवाज देती है, सुनते हैं, काका ओठी आयेगी, काका ओठी आयेगी। यह सब सुनते हो आप लोग. उसके बावजूद भी बेशर्मी की हद हो गई। यह रास्ता छोड़ करके खून को पहिचानो, भाई को पहिचानो। मैं यह नहीं कहता कि आप लोग क्या करिये। आप लोग किसान की हिमायत करिये अगर किसान के बेटे हो, अगर मजदूर के बेटे हो, और पवित्र कमाई खाते हो। आप लोग मामूली ताकत में हो। दुनियां में बड़ी से बड़ी ताकत है, हजारों लाखों आदम लोगों से बड़ी ताकत है। दुनियां भर के निठल्ले, इन नापाक, इन आदमखोरों को रोटी देते हो जो कोई ताकत नहीं देती है। अगर आप वहीं बैठे रहे तो यह जमाना बदलेगा, हालात बदलेंगे और हुकूमत बदलेगी। किसान हुकूमत की कब्र खोद देगा। मिटा देंगे जो कोई भी हुकूमत किसान की रफ्तार के सामने आएगी, उसके आड़े आएगी, उसको लूटने की कोशिश करेगी, उस हुकूमत को दुनियां से अलविदा कर देंगे। उनकी बहुत बड़ी ताकत है। आप देखिये, क्या हालात हैं। जयपुर सूती मिल बन्द है। मजदूर यहां बाजार में रोते घूम रहे हैं दस महीनों से। चार हजार मजदूर बेकार घूम रहे हैं। यह तमाशा देख रहे हैं यहां। ये आपके मंत्री बैठे हैं। यह आपका राज बैठा है, यह आपकी पुलिस फौज बैठी है। क्यों ? यह फौज पुलिस किस की है ? अरे, यह सब सरमायेदारों की ताबेदार है। इसलिए मैं नहीं कहता कि मुझे कोई बड़ी ताकत दिखती है। मगर मैं इसलिए कहता हूं

(श्री त्रिलोक सिंह)
कि किसान के बेटों का यह राज...

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : यह राज टाटा बिड़ला का है, यह राज जागीरदारों का है।

श्री सभापति : संक्षेप में कहिये, माननीय सदस्य। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं पांच मिनट बोलूंगा। पांच मिनट में सब खतम कर दूंगा।

यह हुकूमत टाटा बिड़ला की है। यह हुकूमत सरमायेदारों की है। यह किसानों की हुकूमत नहीं है। अगर किसान की हुकूमत होती तो हमारा यह हाल नहीं होता। लुहारू से दाखिल होइये, पाकिस्तान चले जाइये। अरे, एक दिन पाकिस्तान की सरजमीं में खड़े होकर मैंने मेरे प्रदेश को देखा। मेरी सरजमीं को देखा है। मैंने मेरे मुल्क के लोगों का नक्शा देखा। मैंने बाड़मेर, जैसलमेर में मेरे भाइयों की जिन्दगी को देखा है। मेरी मां-बहिनों को देखा है। सुनना चाहते हो तो सुनो। एक कुएं के पास एक औरत बैठी है रस्सी लेकर और दिन भर पानी निकालती रहती है। पानी निकालती रहती है। दिन भर में गन्दे पानी का एक कट्टा भर पाता है। वहां बच्चों को छोड़ कर घर आती है। हालात देखिये, आपकी सरकार कहती है कि हमने 23 हजार गांवों को पानी दिया। कभी कहती है, बीस हजार गांवों को पानी दिया। जो नहर खोदी है वह भी मैं देख कर आया हूं। मेरा जिला सीकर है जिसमें सबसे अधिक खारे पानी का बैल्ट है, सबसे बड़ा बैल्ट आठ सौ माइल का है। किसी एक गांव में मीठा पानी नहीं है। किसी एक गांव में एक बूंद पानी नहीं। अरे, डूब मरो पानी में। एक ड्रम पानी के लिए आधा दिन खराब करते हैं। यह मामला किसी पार्टी का नहीं, यह मामला कांग्रेस का नहीं, यह अवाम का मामला है। यह किसान की जिन्दगी का मामला है, यह किसान की जिन्दगी और मौत का सवाल है इज्जत का मामला है। आप, तेजपालजी, देखिये, यहां चौमू का किसान जब घी लेकर आता है तब बाजार में उसकी क्या दुर्गति होती है। ये डण्डीमार ठोकरों से ठुकराते हैं। कुत्ते से भी बुरा बर्ताव करते है। क्या ऐसा ही राज चाहते थे? क्या इसलिए हमने कुर्बानियां दी थीं? क्या हमारा भाई भगतसिंह और हमारे बेटे ऊधमसिंह ने इसीलिए जनरल डायर को गोली मारी थी? हमने स्कूल छोड़े, जिन्दगी को बर्बाद किया, जवानी को बर्बाद किया, सर में लोहे की कीलें ठोक दी गई थीं राष्ट्रीय आन्दोलन में। ये तो सब चेहरे ऐसे हैं जो अब आए हैं। अरे, उस जमाने का एक चेहरा दिखता नहीं। एक कांग्रेसी नहीं। वे तो अलविदा हो गए। लोगों की तमन्ना थी, लोग चाहते थे कि हम जिन्दा रहें न रहें, मुल्क हमारा आबाद रहे। हमारे आजाद मुल्क की क्या यही तस्वीर थी। अगर हमें पता होता कि 35 साल की आजादी के बाद मेरे हिन्दुस्तान की, मेरे राजस्थान की यह हालत होगी, मेरे सीकर की, मेरी तहसील के 115 गांव और दो कस्बों, मैं चेलेंज देता हूं, के किसी गांव में

(श्री त्रिलोक सिंह)
पानी का नाम नहीं है। स्कूल का नाम नहीं है। दवाखाना तो दूर की बात है, मैं पूछना चाहता हूं इस हुकूमत से···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त कर दें।

श्री त्रिलोक सिंह : वह सिंघी साहब कहां गए ? क्या हम राजस्थान में रहते हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप संक्षेप में कहिये। आपने काफी समय ले लिया है।

श्री त्रिलोक सिंह : हम भी बात कहने से तंग आ गए हैं। हम भी बातें नहीं कहना चाहते हैं। हमने एक प्रयास किया कि यह गूंगी बहरी सरकार, यह निकम्मी, नालायक सरकार अब भी चेत जाय। अब भी सही रास्ते पर आ जाय, नहीं तो हमें और कुछ करना पड़ेगा। फिर हम बातें नहीं करेंगे। हम बातें नहीं करेंगे। बात में ज्यादा यकीन नहीं। हमारा बातों में यकीन नहीं है। हमने दुनियां का नक्शा तब्दील किया है। बर्लिन से लेकर कम्बोडिया तक लाल झन्डा फहराया है। सरमायेदारों, जागीरदारों, लुटेरों बागियों को भूत बना दिया है। खेतों में भेज दिया कि जो काम करेगा वह खाएगा। जो काम नहीं करेगा उसे उड़ा दिया जाएगा। इस हिन्दुस्तान में भी वही दिन आने वाला है, जो काम करेगा वही रोटी खाएगा। बाड़मेर में प्रशासन की मीटिंग ले रहा था। मैंने कहा था कि यह कांग्रेस की नालायक हुकूमत है। अगर मेरी पार्टी की हुकूमत होती तो फिर ये देश के दुश्मन ब्यूरोक्रेट हैं, सब को लाइन में खड़ा करके गोली मार देता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, समाप्त कर दें। टाइम हो गया।

श्री त्रिलोक सिंह : क्या वजह है कि हमारे राजस्थान में हम तो देखते रहें और पंजाब में आम लगे, माल्टा लगे ? यह आपके हुकूमत के पापों का नतीजा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी कर रहे हैं।

श्री सभापति : आपने काफी समय ले लिया है।

श्री त्रिलोकसिंह : मैं तकरीर बन्द करूं उससे पहले आपको कह दूं कि यह फरेब का पोथा है जिसका मैं सख्त से सख्त विरोध करता हूं। हम नहीं सुनना चाहते इस तरह का कोई दस्तावेज जो अवाम का दुश्मन हो, किसान का दुश्मन हो, जो मजदूर का दुश्मन हो, जिसमें मजदूर किसान के लिए कुछ नहीं किया जाता हो...

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : ठीक है, मैं बन्द कर रहा हूं। मैं किसान का बेटा हूं। मुझे किसानों ने इसलिए वोट दिया कि मैं किसी को सलाम नहीं करूंगा।

82

(श्री त्रिलोक सिंह)

में किसानों की आवाज बुलन्द करने आया हूं। मैं इस हुकूमत को सलाम नहीं करने आया हूं। इस तरह की निकम्मी, चोर हुकूमत को मैं सलाम करूंगा ? कभी नहीं करूंगा। मैं किसान का बेटा हूं। मैं यह कहता हूं कि यह जो निकम्मा दस्तावेज पेश किया है इसका मैं सख्त विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह जी।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मेरा नाम ही नहीं दिया आज। बोलूं मैं ?

श्री सभापति : नाम दिया हुआ है।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण पढ़वाया गया माननीय माथुर साहब की सरकार द्वारा वह अवैधानिक तो है ही अनैतिक भी है, अवधानिक इस शक्ल में है कि खुले तौर पर कांग्रेस (आई) विधायक दल के 81 सदस्यों ने प्रेस नोट के जरिए और बाकायदा दल में उनके खिलाफ प्रस्ताव रख कर यह कहा है कि हमें आप में विश्वास नहीं है, आप राजस्थान का विकास नहीं कर पा रहे हैं।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं कहा है।

श्री यदुनाथ सिंह : इस प्रकार से···

(व्यवधान)

आप 68 में होंगे। आप उन 68 में हो सकते हैं। इस प्रकार आपकी माथुर सरकार के प्रति अन्दर से बहुत असंतोष है। 81 के अलावा अगर हिसाब लगायें तो यह 180 का सदन है, सिर्फ 68 आदमियों का समर्थन मुख्य मंत्री को प्राप्त है, इसलिये यह अल्पमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार ने जो यहां अभिभाषण दिया है वह गैर कानूनी है।

श्री ईश्वर लाल सैनी : कैसे केलकुलेशन लगाया आपने ?

श्री यदुनाथ सिंह : हम भी आपके खिलाफ हैं, हमको आप जोड़ते तो 68 बैठते।

श्री ईश्वर लाल सैनी : बताने में क्या है। बता दीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : 81 घटा दीजिए आपके विधायक दल में से।

श्री ईश्वर लाल सैनी : क्यों, वह तो हमारी अन्दरूनी बात है। इससे आपको क्या लेना देना ? आप राजी हो रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : आपकी भी गिनती उनमें है।

एक माननीय सदस्य : सैनी साहब, 81 में आप हो ?

(व्यवधान)

श्री ईश्वर लाल सैनी। वह तो हमारी पार्टी की अन्दरूनी बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करें।

श्री ईश्वर लाल सैनी : आपको यह गद्दी नहीं मिलनी है, यदि यह हो भी जाता है।

एक माननीय सदस्य : आप तो यही चाहते हो।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूं आपको ही सम्बोधित कर रहा हूं।

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा उसकी स्क्रिप्ट उर्दू में थी, उसकी स्क्रिप्ट हिन्दी में नहीं थी। उर्दू में वह पढ़ रहे थे इसलिये हमको उसकी ही प्रति मिलनी चाहिये, वह प्रति दूसरी थी और यह प्रति दूसरी है, इसलिये यह असंवैधानिक है; फिर भी यदि आप इस पर चर्चा करना चाहें तो, माननीय सभापति महोदय, गत वर्ष में हमारी क्या उपलब्धियां रहीं, और आगे साल में हम क्या करना चाहते हैं उसका एक दर्पण राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है, सरकार की क्या नीति रहने वाली है, उसका एक दर्पण होता है। सभापति महोदय, आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को अगर पढ़े तो आपको पता चलेगा इसमें आंकड़ों का सिर्फ भ्रमजाल है। इसमें जो आंकड़े हैं वह दूसरे उन आंकड़ों के विपरीत हैं जिनसे सिद्ध होगा, सभापति महोदय, आने वाला साल हमारा भारी टैक्सों का साल होगा, सारे हमारे विकास को रोकने का साल होगा। विकास की धुरी को उल्टा चलाने वाला साल होगा।

सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण जिस बखान से अभिभाषण शुरू किया गया है वह 20 सूत्री कार्यक्रम इन्दिरा स्तुति से किया गया है। राज्य की जनता की भलाई के नाम से स्तुतिकरण नहीं किया गया है बल्कि कुर्सी बचाने को इन्दिरा भक्ति के गान से यह शुरू किया गया है। चाहे और कुछ नहीं हो इनको चिन्ता है कि उनका नाम लिया है या नहीं लिया है। सभापति महोदय, इसमें जो आंकड़े दर्शाये गये हैं उन आंकड़ों में कुछ सत्यता नजर नहीं आती है। मैं प्रमाण के तौर पर आपको यह कहना चाहूंगा, यह तो कहते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम से राज्य में हमने संकल्प लिया है कि हम राज्य का विकास करेंगे। इनके दल की जो प्रधान मंत्री हैं, उनका और कोई सूत्र नहीं है, उनका तो सिर्फ एक सूत्र है, चाहे 20 सूत्र दे दें, चाहें 25 सूत्र दे दें कभी कुछ दे दें, उनका एक ही सूत्र है किसी प्रकार मैं अपने परिवार के राज को लगातार चलाती रहूं। यह उनका सूत्र है. इस प्रकार सूत्र की ढपली पीटने के काम में सारी सरकारों को लगा रखा है, उसके कारण आज राजस्थान की यह हालत है जो बहुत ही भयंकर है।

राज्य की जो पूरी आय है सालाना, सभापति महोदय, उसमें से खेती का हिस्सा 51 प्रतिशत है। जो हमारी सकल आय राज्य की है, उसमें 51 प्रतिशत खेती की सकल हिस्सेदारी है। करीब-करीब हमारे राज्य में 40 हजार लाख रुपये की आमदनी होती है। अब इनका कृषि उत्पादन इस साल गिर रहा है। जहां 42 लाख टन होना चाहिये था वहां 21 लाख कुछ हजार टन पैदा हुआ है। 33 प्रतिशत एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेक्लाइन हुआ। 33 प्रतिशत तो खरीफ में ही है, रबी का हिसाब अलग है। 33 प्रतिशत जो हिस्सा गिरा खेती का, उसको आप राज्य की आय में से अगर घटायेंगे तो, सभापति महोदय, इस 51 प्रतिशत का 50 प्रतिशत भी आप रखें तो 20 हजार लाख करोड़ रुपये का 33 प्रतिशत 6600 लाख रुपया होता है, यानि 6600 लाख रुपये की हमारे राज्य की आय में इस वर्ष सीधी

(८४)

(श्री यदुनाथ सिंह)

सीधी कमी हो गई। इतनी भारी जब कमी हो गई तो रबी की फसल की स्थिति और भी बुरी है। बिजली मिल नहीं रही, किसान की खेती के नैक्स्ट डे जरूरी पानी, वह पानी मिल नहीं रहा, किसान की हालत खराब है। सन् 80 के बाद इस सरकार को नहीं, मैं तो कांग्रेस की नीतियों को किसान विरोधी भी कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, सन् 80 के चुनावों में जो नारे देकर इन्दिरा गांधी वोट लेकर आई थीं, सन् 80 के चुनावों में इन्दिरा गांधी ने कोई बहुत बड़े वायदे नहीं किए थे, मामूली वायदे किए थे, छोटे छोटे वायदे किये थे, एक बार उन्होंने बड़ा वायदा जरूर किया था सन् 72 के चुनावों में, हम गरीबी मिटायेंगे। गरीबी मिटाना बहुत बड़ा वायदा है। गरीबी हजारों हजारों साल से है, इस देश में गरीबी मिटाना एक बहुत बड़ा वायदा था, लेकिन 80 के चुनावों में जब वह सरकार में आयी तो उन्होंने वायदे किये, अक्षम हैं जनता पार्टी और लोकदल के लोग सरकार चलाने में, मुझे आप चुनेंगे तो मैं आपको स्थिर सरकार दूंगी। दूसरा उन्होंने वायदा किया था, मिट्टी के तेल के दाम, चीनी के दाम और अन्य प्रकार की चीजों के दाम बढ़ गये हैं जनता पार्टी और लोकदल की सरकार के चलते, अगर मुझे आप सरकार बनाने का मौका देंगे तो हम दाम घटाने के काम करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा था कि मां, बहिन, बेटी की इज्जत, आम आदमी, किसान की जिन्दगी खतरे में है, लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई है, हम उसको सुधारने का काम करेंगे अगर हम को आप सरकार बनाने का मौका देंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इन्हीं वायदों पर इन्दिरा गांधी की सरकार केन्द्र और राज्यों में पांच साल के लिए चुनी हुई है। यह करार किया था, इन्दिरा गांधी ने पांच साल के लिए इतने छोटे-छोटे वायदे थे लेकिन हर मौके पर आप देखेंगे, सभापति महोदय, हर स्तर पर वह बुरी तरह विफल रही हैं। स्थिर सरकारों का वायदा किया पर किसी मुख्य मंत्री को पता नहीं है वह कितने सैकन्ड रहने वाला है, किसी को एक सैकण्ड बाद का पता नहीं है इसलिए वह अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुये हैं। एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुये हैं। पूरे प्रदेशों में यह हालत हो रही है। तो जो स्थिर सरकार देने का नारा था वह झूठा साबित हुआ। दूसरा उन्होंने कहा था, मिट्टी के तेल के दाम, प्याज के दाम अन्य चीजों के दाम बढ़ गये हैं, इन सरकारों के चलते, इनको कम करने का काम करेंगे। सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार आने के बाद जितने भी कृषि के इनपुट्स हैं, खाद को ले लीजिये, बिजली को ले लीजिये, सिंचाई को ले लीजिए, इस प्रकार के जितने भी इनपुट्स हैं उनके दाम बढ़ाये गये, उनकी कीमतें बढ़ाई गईं। अभी पिछले दिनों, प्रजातन्त्र का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया। बजट रखना, यह सब खाली औपचारिकता बन कर रह गया है। सभापति महोदय, बजट के ठीक पहले और बजट के ठीक बाद आय बढ़ानी है, टैक्स बढ़ाने हैं, किसी चीज की दर बढ़ानी है तो वह सब इसमें होना चाहिये, लेकिन नहीं, पार्लियामेंट और असेम्बली में हमको फेस नहीं करना पड़े, इसलिये उसको पहले बढ़ा देते हैं। अभी केरोसिन डीजल के भाव

(श्री यदुनाथ सिंह)

बढ़ाये वह केरोसिन डीजल के भाव भी इस प्रकार बढ़ाये। इन्दिरा सरकार के आने के बाद से आज तक तीन बार इनके भाव बढ़ चुके हैं। आज किसानों की बिजली के ही नहीं डीजल के भाव भी आप बढ़ा रहे हैं। फिर किस प्रकार आप एग्रीकल्चर डवलपमेंट की कल्पना करते हैं।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय से आपने पढ़वा लिया, हमारे राज्य में 17 जिले करीब-करीब अकाल से प्रभावित हैं, कुछ ड्राट से, कुछ उससे, 17 जिले तो लगातार ही प्रभावित रहते हैं, क्योंकि वहां पर पानी हम नहीं ला पा रहे हैं। रावी-व्यास के पानी का झगड़ा चल रहा है। रावी-व्यास का पानी हम नहीं ला पा रहे हैं। मध्य प्रदेश चम्बल कैचमेंट पर अपने बांध बना रहा है। गंगा और यमुना का जो नेचरल इनन्डेशन है, उस पर हमारा नेचरल राइट है, नेचरल अधिकार है किन्तु उसके लिये यह सरकार क्लेम करने का काम नहीं कर रही है।

सभापति महोदय, राज्य में ही नहीं, देश में अधिकांश पूंजी खेती से पैदा होती है। सबसे बड़ा कन्ज्यूमर किसान है, उत्पादक भी सबसे बड़ा वही है, जब तक उसके खेत को पानी नहीं मिलेगा तब तक कोई विकास होने वाला नहीं है। आप उसको पानी दीजिये। गंगा यमुना का पानी लाने के लिये सारा राजस्थान आपके साथ है। गंगा यमुना के पानी की यहां पर बात नहीं होती, गंगा यमुना के पानी से पूरा राजस्थान सरसब्ज हो सकता है। पंजाब और हरियाणा, जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, से भी ज्यादा अच्छी हमारी जमीन है। इस जमीन को सरसब्ज जमीन में बदल सकते हैं अगर इसको पानी दें।

सभापति महोदय, 'प्रशासन गांवों की ओर' यह सब ढोंग के नारे हैं। 'प्रशासन गांवों की ओर' कह कर क्या किया? नामान्तरण किये जा रहे हैं। यह काम पंचायतों का है, सभापति महोदय। मैं तो इल्जाम लगाना चाहता हूं सरकार पर। उसने पंचायतों के अधिकार पर एन्क्रोचमेंट किया। अगर पंचायत तीन महीने में नहीं बदल सके तो पटवारी और तहसीलदार बदलेंगे। यह तो उनके अधिकारों पर एन्क्रोचमेंट है। जो आपने स्वयं अपनी गलती से पेंडिंग रखे उसके लिये आप तमाशा और हल्ला करके सरकार का भारी टी.ए. डी. ए. बरबाद करना चाहते हैं?

हम कृषि प्रधान देश हैं। राजस्थान में करीब 33 प्रतिशत भूमि इस देश की है। क्षेत्रफल में दूसरे नम्बर का राज्य राजस्थान है। लेकिन हमारा जितना भी इरिगेशन पोटेंशियल है, सरफेस वाटर या अन्डर ग्राउण्ड वाटर देश का सिर्फ एक एक प्रतिशत पानी जमीन को देने में सक्षम हैं। हम बहुत विचित्र स्थिति में रह रहे हैं। फिर भी ऐसा व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, हमारा पानी पंजाब और हरियाणा काम में ले ले, पानी बहता हुआ समुद्र में चला जाय, पाकिस्तान में चला जाय, लेकिन राजस्थान में नहीं आना चाहिये। जैसे यह कोई दूसरा देश हो। सतही और भूमिगत एक प्रतिशत पानी के अलावा हम गंग कैनाल पूरी कर लेते हैं,

(86)

(श्री यदुनाथ सिंह)

चम्बल का फालतू पानी एटाबाद में मिलता है वापस यमुना में उसको भी हम युटिलाइज करने की केपेसिटी बना लेते हैं, फिर भी जो कल्टीवेवल लैण्ड 26 लाख मिलियन हैक्टेयर के करीब है उसमें से सिर्फ 6 लाख मिलियन हैक्टेयर सिंचित कर पायेंगे। इसलिए हमें गंगा-यमुना का पानी लाना पड़ेगा। नेचरल अधिकार भी है हमारा। इसके लिये कई बार योजना भी बनीं। पिछले महीने, मेरे ख्याल से जनवरी में ही गंगा के पानी के बारे में केन्द्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस पर कंसीडरेशन किया जा रहा है। तो राजस्थान को इसमें अच्छी तरह से क्लेम करना चाहिये।

सभापति महोदय, जहां तक औद्योगिक उत्पादन गिरने का सवाल है, एग्रीकल्चर ग्रोथ 33 प्र.श. माइनस चला गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी माइनस चला गया। अब जनसंख्या वृद्धि 2.6 प्र. श. हो रही है लेकिन जो उत्पादन होना चाहिये और केपीटल जनरेट होनी चाहिये, माइनस में जा रही है। इसका मतलब है, सभापति महोदय, बुरी तरह से प्रति व्यक्ति आय इस साल गिरेगी और हमारे पास पैसे नहीं होंगे विकास के लिये। महंगाई भत्ता बढ़ाने की फिर मांग होगी। महंगाई भत्ते में फिर से पैसा जायेगा। अविकास व्यय बढ़ता जायेगा और विकास व्यय घटता जावेगा। इस प्रकार फिर राजस्थान इस साल बहुत बुरी स्थिति में आने वाला है। फिर टैक्स लगेगा। इसलिये, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा पूरे राज्य को, पूरे सदन को कि छठे प्लान के तीन साल हो गये तीसरा साल निकल गया, दो साल बचे हैं। हम इरिगेशन टार्गेट का 20–25 प्र. श. भी अर्जित नहीं कर पाये तो किस प्रकार से ये टार्गेट अर्जित करेंगे। हमारा राजस्थान हरा-भरा बने इसके लिये हमें पूरी ताकत और मुस्तैदी से केन्द्रीय सरकार के सामने मांग रखनी चाहिये और दिल्ली में पूरी पोलिटिकल लाबी तैयार करके अपने इन हकों को मांगना चाहिये।

सभापति महोदय, राजस्थान कैनाल आज के दिन हमारी परियोजनाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय से कहलवाया गया है कि इसको 7 वें प्लान के बजाय सन् 84 में ही पूरी कर देंगे। अच्छी बात है। बधाई देना चाहूंगा अगर कर पायें तो लेकिन अब तक तीन साल के आपके अचीवमेन्ट्स को देखने से तो गति बहुत धीमी प्रतीत हो रही है। फिर दो साल में कैसे पूरी करेंगे? कहां से आयेगी पूंजी? किस प्रकार से बाकी का 60 प्र.श. काम आप कर सकेंगे? नमूने के तौर पर मैं बताना चाहूंगा जैसे शाखाओं का निर्माण 3600 कि. मी. होना था उसमें से अब तक 190 कि. मी. पूरी कर पाये हैं। बाकी 3400 कि. मी. दो साल में पूरी कर लेंगे? यह कैसा भ्रमित करने वाला अभिभाषण दे दिया गया है। यही अजूबा बाते हैं जो इसमें छपी हुई हैं। जो डी. पी. आर. से सूचना प्रकाशित की गई वही की वही, बिना शब्द बदले वह के वह पैराग्राफ इसमें दे दिये गये हैं। पता नहीं कहां बैठ कर तैयार करवाया है।

सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि किसान को खेती के लिये बिजली मिले, सिंचाई की व्यवस्था हो और यहां की

(श्री यदुनाथ सिंह)

जो सूखी भूमि हैं उसको पानी मिले। साथ ही यहां पर जितने मिनरल रिसोर्सेज हैं जितने भी पूंजी निर्माण के साधन हैं उनके विकास के बारे में सोचें।

टूरिज्म पूंजी निर्माण का बहुत बड़ा साधन हो सकता है अगर इसे इण्डस्ट्री के आधार पर अपनाया जाय। भारत में आने वाले सभी पर्यटक राजस्थान में आते हैं। राजस्थान हिस्ट्री, आर्कियोलोजी और वाइल्ड लाइफ सभी में रिच है। जैसलमेर का डेजर्ट फेयर देखने के लिये हर एक टूरिस्ट पागल होता है। तो इन रिसोर्सेज को मोबीलाइज करना है। मैं तो यही कहूंगा, कुछ करिये। मत करिये, अगर आप खेती के लिये पानी दे दें, उससे आपकी आय में 6 गुना वृद्धि हो जावेगी। पूंजी होगी तो विकास होगा। नहीं तो कहां से होगा। इसलिये जो अभिभाषण दिया गया है यह इसका संकेत है कि आने वाला साल बहुत संकटपूर्ण है। हमको बहुत सोच समझ कर चलना है। जो नान-डवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उस पर रोक लगाने के लिये कहें। इसका कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। वरना जो कागजों में आंकड़े दिये जाते हैं वे दिये जाते रहेंगे।

इतना ही कहते हुए अन्त में बिना किसी दलगत राजनीति के आपसे निवेदन करूंगा कि भयंकर आर्थिक संकट का साल आने वाला है, इसके लिये आप अपनी सरकार पर दबाव दें और ऐसा बजट लायें जो विकास को बढ़ाने वाला हो। इतना ही कहते हुए जो इस प्रकार की झूठी लफ्फाजी का सरकार ने राज्यपाल से अभिभाषण दिलवाया है मैं उसका कड़ा विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री हेमाराम जी।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल

(अनुपस्थित)

अन्य कोई सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : इस तरफ से तो हम तैयार हैं।

सभापति महोदय, अभिभाषण सम्माननीय राज्यपाल महोदय ने प्रस्तुत किया है। अभिभाषण राज्यपाल महोदय का होता है, उसे अजेण्डा का एक विषय मान कर उस पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार किया जाता है। इस अभिभाषण में 11 विधेयकों का भी उल्लेख भी है। मैं कभी कभी सोचता था कि जो 24 मार्च तक विधान सभा का सत्र चलेगा उसमें हम किस पर बोलेंगे, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आयेंगे, सभी माननीय सदस्यों को अपने अपने इलाके की बातें आपके समक्ष कहनी होंगी। किन्तु संपूर्ण प्रदेश के बारे में भविष्य में क्या होने वाला है, राजस्थान सरकार किस तरह से तरक्की कर सकती है, किस प्रकार उसका उत्थान हो सकता है, इस सम्बन्ध में क्या बोलेंगे। सभापति महोदय, पेयजल की व्यवस्था के लिये गांवों की बात कर रहे थे; माननीय सदस्य; किन्तु बड़े बड़े नगरों में जो पानी की रीजनल योजनाएं हैं चाहे जोधपुर में हो, चाहे जैसलमेर में हो, चाहे अजमेर या बाड़मेर में हों वे रीजनल योजनाएं तो

(श्री भगवान दास शास्त्री)

खटाई में पड़ी हैं। 35 साल की आजादी के बाद भी पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई है। कारखानों की बदतर हालत है। बिजली की ज्यादा बुरी हालत है, बड़े बड़े उद्योग बन्द हो गये हैं। आप कहां से कमाओगे ?

आपकी यह जो गवर्नमेन्ट है यह गवर्नमेन्ट आंकड़ों से चलती है, किन्तु दिक्कत यह है कि देश आंकड़ों से नहीं चल सकता है। सभापति महोदय, यह निवेदन है कि इनके यहां पर बिजली में कटौती तो अधिकारियों के कहने से ही हो जाती है। मैं तो यह कह सकता हूं कि जैसे पहाड़िया जी के राज में राजस्थान 10 साल पिछड़ गया है, उसी प्रकार माथुर सरकार के राज में राजस्थान 20 साल पिछड़ जायेगा। इस कारण आपकी दो पीढ़िया पछतायेंगी, हम तो पछता ही रहे हैं लेकिन जो आपके पोते होंगे वे भी पछतायेंगे और आश्चर्य करेंगे आज भी इस माथुर सरकार के राज पर।

आपकी नीति क्या है ? आपके कार्यक्रम क्या हैं ? कहते हैं, पेयजल गांवों में दिया। किस को पेयजल दिया ? 36-36 और 48-48 घंटों में पानी बड़े बड़े नगरों में अजमेर आदि में मिलता नहीं है। जोधपुर में पानी की बुरी हालत है, वह हम साइट पर देख कर आये हैं। आप पीने के पानी की व्यवस्था कर नहीं सकते हैं। बिजली की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अगर आज अंग्रेजों की सरकार होती, चाहे कोई गवर्नमेंट होती, अमेरिका की सरकार होती, रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक सरकार होती तो इस्तीफा देकर चली जाती, यह उनका साहस है। यह कोई उनकी प्रशंसा नहीं है यह तो उनका साहस है, उनकी शक्ति हैं। उनमें स्वाभिमान है। वह है प्रजातंत्र। आप कहते हैं कि हमारा शासन प्रजातंत्र का शासन है, हम समाजवाद की बात करते हैं पर आप जो भी कहते हो उससे आपका एक ही प्रजातंत्र में विश्वास लगता है, एक ही श्रीमती गांधी के परिवार का शासन हो। इन्दिरा गांधी नहीं हों तो बेटा हो, बेटा नहीं तो पोता राहुल हो या संजय का पुत्र वरुण हो, वह राज करे। पर प्रजातंत्र में ऐसा नहीं हो सकता है प्रजातंत्र में शासन किसी परिवार के लिये वरदान नहीं हो सकता, प्रजातंत्र का एक परिवार पर वरदहस्त नहीं हो सकता। जो दल कार्य करे, जो दल आगे आये, जनता जिसको चुने वह राज करने में समर्थता का परिचय दे।

आज ऐसी बुरी हालत आसाम की है कि एक एक वोट के लिये 10-10 जवानों की जाने गयी हैं। यह कोई मखौल है क्या ? कोई प्रजातंत्र है क्या ? मैं कहता हूं कि यह चुनाव भारत सरकार के ऊपर कलंक है, शोक प्रस्ताव बड़े बड़े लोगों के लिये पास कर रहे हैं किन्तु जो जवानों की जाने जा रही हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है, अमेरिका, ब्रिटेन और विदेशों में आपके लिए एक घृणा की स्थिति पैदा हो रही है। आप बात तो समाजवाद की करते हैं और उधर समाजवाद की होली जल रही है।

इधर मार्च में दिल्ली में सम्मेलन हो रहा है, गुट निरपेक्षता की बात करते हैं बड़े बड़े अच्छे फिलोसफरों के अंग्रेजी में टेलीविजन पर भाषण करवाते हैं कि हमारा देश प्रजातांत्रिक है दूसरी ओर प्रजातन्त्र का जो पहला

(श्री भगवान दास शास्त्री)

सूत्र है उसका भी आप अनुसरण नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, अनुपालना नहीं करते हैं।

मेरा आरोप है इस राजस्थान प्रदेश की सत्ताधारी सरकार पर, इस कांग्रेस दल पर कि आप अधिकारियों को तब दोष देते हैं जब आप विफल हो जाते हैं। आप एक प्रकार से अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को डिवाइड करके चलते हैं। जब आप सफल होते हैं तो आप कहते हैं कि हमारी पार्टी ने सफलता प्राप्त की है। आपने बड़े दुर्भाग्य का वातावरण बना रखा है।

इसके साथ-साथ बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को दवाई देने का जिक्र भी राज्यपाल के अभिभाषण में आया है। आपके चिकित्सा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि सारी दवाइयां तो आपके कम्पाउन्डर्स की मिलीभगत से केमिस्टों के यहां पर बेची जाती हैं और गरीबों, जिसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, को कहा जाता है कि वह दवाई लेकर आये। आज गरीब की हालत यह है कि वह अस्पताल जाने से डरता है, कहता है कि भर्ती नहीं होगा क्योंकि जाते ही वे खून मांगते हैं। मैंने आंखों से देखा है कि एक की मां मरने वाली थी, डाक्टर को ब्लड बैंक में खून की भरपाई करनी थी इसलिये उस युवक का जबरदस्ती दो बोतल खून निकाल कर उसको बेहोश कर दिया गया। मैं कहता हूं कि इससे शर्म आनी चाहिये, सत्ताधारियों को शासन चलाने वालों को, मंत्रियों को।

एक दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कम से कम केन्द्र से जुबानी या लिखित में या किसी भी तरह से दण्ड देने की बात हो या नहीं हो आप अपने आन्तरिक विरोध अपने तक ही सीमित रखिये। इसके साथ ही मैं यह कहूंगा कि चाटन और भाषण कम करें। अगर चाटन और भाषण होता है तो उससे धन का नुकसान होता है, जनता का नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है, आपका तो टी.ए.डी.ए. बनता है।

माननीय राज्यपाल महोदय जी ने पोषाहार के बारे में लिखा है कि बच्चों के लिये और गर्भवती महिलाओं के लिये 20 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। उनको तो कुछ नहीं मिला है; वह तो सारा आप ही खा गये हैं। आप कहते हैं कि राजा और महाराजा शोषण करते थे, लेकिन आज भी गरीब और गरीब के बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। यह सब आप तक ही सीमित है, यह नेताओं की जेब में जाता है। जब मुख्य मंत्री का या मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जब वे सर्किट हाउस में आते हैं, हम आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं, अपने इलाके की समस्याओं की चर्चा करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं तो आप अपने चमचों से घिरे रहते हैं। सम्मानीय सभापति महोदय, मुझे लास्ट समय की बात याद है जब माननीय मुख्य मंत्री जी अजमेर के सर्किट हाउस में आये तो हमारी माननीय सदस्या सूरज देवी मल्होत्रा के क्षेत्र के कुछ सरपंच थे उन्होंने कुछ बात उनके सामने रखनी चाही। ये अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र के मतदाता थे किन्तु आपकी कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा? कहा, आप कांग्रेस में भर्ती कब हुए हैं? आप कांग्रेसी हो और बी.जे.पी. की

(श्री भगवान दास शास्त्री)

बात करते हैं। मैं कहता हूं कि यह आपके मुख्य मंत्री जी के मुख से भी रिपीट हुआ है कि आप कब से कांग्रेस में आ गये हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे सीमित दायरे में रहने वाला व्यक्ति मुख्य मंत्री और केवल भीलवाड़ा तक सीमित रहने वाला व्यक्ति मुख्य मंत्री है तो मैं तो यही संज्ञा दे सकता हूं कि वह भीलवाड़ा नगर परिषद का चेयरमैन हो सकता है राजस्थान का मुख्य मंत्री नहीं हो सकता है। अजमेर से पी.एच.ई.डी. के अधीक्षण अभियंता का रेंज हैड क्वार्टर उठ कर भीलवाड़ा चला गया। मुख्य मंत्री चाहे अजमेर को, जैसलमेर को, उदयपुर को बरबाद कर दें लेकिन समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन आएगा और उनको भी पतन की ओर ले जायेगा। भीलवाड़ा का मैं कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, उसके खिलाफ नहीं हूं वहां से भी हमारे माननीय सदस्य चुने हुए हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी थोड़ा सा दायरे के बाहर निकल कर देखें। पहले भी मुख्य मंत्री हुए हैं, सुखाड़िया जी हुए हैं और जयनारायण व्यास हुए हैं, जो मेरे काफी नजदीकी थे लेकिन वे लोग कभी इतने सीमित दायरे में नहीं रहे। आप तो सबको भीलवाड़ा ले जाना चाहते हैं। हमको भीलवाड़ा ले चले और जब 10 लाख की जनसंख्या हो जाये तो जयपुर से राजधानी हटाकर भीलवाड़ा में ही राजधानी कर दें। गुजरात की राजधानी गांधीनगर की तरह से राजस्थान की भीलवाड़ा कर दें और उसको चंडीगढ़ की तरह बना दें। मुख्य मंत्री जी चमचों के घेरे से बाहर आयें और सीमित दायरे से बाहर आयें।

सभापति महोदय, यह जो गृह मंत्री जी हैं ये मेरे जिले से एक मात्र मंत्री हैं। यह सौभाग्य की बात है कि गृह मंत्री का पद उनको मिला है लेकिन यह उनको बरबाद करके रख देगा। यह उनको बरबाद करने के लिए ही दिया गया है। मैंने चन्दनमल जी से भी कहा था कि वित्त मंत्री जो आपको बनाया गया है, वित्त मंत्रालय दिया गया है यह आपको धूल में मिला देगा। अब यह गृह मंत्रालय आपको पानी में ही नहीं पाताल में पहुंचा देगा। आप थोड़ा तो सोचते, इस विभाग से तो बड़े बड़े नेता घबराते हैं। आज हालत यह है कि आपके पुलिस विभाग में कोई समस्या लेकर थाने में जायेगा तो थानेदार एस. पी. की नहीं सुनता है, बात करने पर कहता है कि मंत्री महोदय की पत्नी मेरी धर्म बहिन है। यह मुझे कहना नहीं चाहिये लेकिन हाउस के अन्दर जो वस्तु स्थिति है वह कहनी ही होगी। मंत्री जी की पत्नी सब्जी तक नहीं खरीद सकती है। मंत्री के यहां पर सब्जी तक खरीद कर वह थानेदार पहुंचाता है तो क्या होगा।

सभापति महोदय, इन आंकड़ों के जाल में फंसकर इस पर विचार करें। आप भी इस सदन के सम्माननीय सदस्य हैं। अभी सभापति के पद पर विराजमान हैं। इसलिये मैं आंकड़ों के जाल में न फंसकर छठी पंचवर्षीय योजना पर आता हूं। इस छठी पंचवर्षीय योजना में जो-जो मद हैं उन पर क्या खर्च होगा, 400 करोड़ का तो ओवर ड्राफ्ट है राज्य पर भार है पर वास्तविकता यह है उपरोक्त धनराशि ज्यादा है। योजना आयोग ने साफ कह दिया, तुम्हारी योजना के जो आंकड़े थे वह 400 करोड़ में चले गये, जो आपका ओवर ड्राफ्ट था। हमें, जनता को और सदन को गुमराह करने के

(श्री भगवान दास शास्त्री)

लिए कहते हैं परिवर्तित हो गया लोन में। आने वाले वर्ष में कोई ऐसी योजना नहीं जिसमें पैसा हो जिससे राजस्थान की कोई भविष्य की भावी योजना पूरी हो। आप शिक्षा की बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा था पंचायत मंत्री को, आप तो प्राथमिक शालायें सम्भालने में असमर्थ हो, अच्छी लड़कियां, कुवारियां और सौभाग्यवती स्त्रियां नौकर हैं, उच्च परिवार की हैं गांव की धौंस देकर आप उनसे बलात्कार करते हैं, अगर माध्यमिक विद्यालय आपके हाथ में आ गये तो आप उनको अपवित्र करोगे, बलात्कार करोगे इसलिए मेहरबानी करके आप माध्यमिक विद्यालय को अलग रखिए। आज की मातायें, भारत की नारी हैं, माताओं के साथ बलात्कार हो, उनका अपहरण हो तो क्या आप इतिहास जानते हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आप जानते होंगे, 10 सिर थोड़े ही थे रावण के वह 14 विद्याओं में परिपूर्ण था, 10 आदमियों से ज्यादा उसकी शक्ति थी, शिवजी उनके गुरू थे, जो रोज वेदों का पाठ करने आते थे, सभापति महोदय, हिमालय हाथ पर रखकर वह ताण्डव नृत्य करते थे किन्तु परनारी का अपहरण करने के कारण दस सिर वाले के सिर कट गये, एक लाख परिवारों की स्वर्णिम लंका समाप्त होकर मिट्टी में मिल गयी। माननीय सभापति महोदय, यह आज रावण का साम्राज्य है, राम राज नहीं हैं। जिस राज में इन्दिरा जी का 20 सूत्री कार्यक्रम है, यह रावण राज हैं। इस रावण राज में हम किस विषय पर, कौनसी बात पर विचार करें कौनसा अजेण्डा, कौनसे भावी प्रोग्राम है, कौनसी योजनायें आगे ना रहे जा रहे हैं राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए, उन्नति करने के लिए। हमारे पास तो कोई बिजनेस ही नहीं है। मैं कहता हूं, 24 मार्च तक आप करोड़ों रुपया क्यों खर्च करते हो, यह 11 विधेयक एक ही दिन में पास करा लो, एप्रोप्रिएशन बिल को खतम करके समाप्त कर दो तो करोड़ों रुपए बच जायेंगे।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें।

श्री भगवान दास शास्त्री : सभापति महोदय, जो लड़कियों का कालेज है, जिसको 2 साल हो गये, जिसको पोली-टैक्निक कालेज कहते हैं, जयपुर में लड़कियों की संख्या अधिक है। आपने भी आंकड़े देखे होंगे 82 के केन्द्र को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान में विद्या के बिन्दू पर्सेन्टेज, अजमेर फर्स्ट नम्बर पर है, 45 प्रतिशत से भी ऊपर है, वहां आपने लड़कियों के लिए कालेज न खोलकर जयपुर में खोला है। वह मामूली कमरों में बैठी हैं। प्रिंसिपल साहब के कार्य कलापों का आपको पता होगा। मैंने देखा कुछ नहीं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो घिसा पिटा लास्ट ईयर प्रोग्राम था वही है। जो पोलीटैक्निक कालेज कोटा में है मैं उससे भी नाराज नहीं हूं। चंदन मल जी, वर्तमान में जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, घोषणा कर चुके हैं, मैं उनके पक्ष में हूं कि हाड़ौती क्षेत्र को भी कुछ मिलना चाहिये। किन्तु जनवरी, 1983 में आपके एजूकेशन मिनिस्टर के साथ साथ उच्च अधिकारी, और अपने व्यास जी, और कन्सर्न्ड मिनिस्टर सर्किट हाउस अजमेर में आये थे। राजकीय महाविद्यालय में लैक्चरर लैक्चर के लिए क्लास में घुस नहीं सकती हैं। क्लास में विद्यार्थी उनको गालियां देते हैं, साड़ी

(92)

(श्री भगवान दास शास्त्री)

खींचते हैं। बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ मजाक होता है, जो हॉस्टल में रहती हैं उनको पीटा जाता है। अगर लड़कियां शरीफ हैं तो अपनी इज्जत बचाती हैं तो उनके मां बाप को बुलाकर उनको पीटा जाता है। मैंने मंत्री जी को कहा, शिक्षा की पवित्रता को मद्दे नजर रखते हुये अबलाओं, बालिकाओं के सतीत्व की रक्षा करें। भारत की नारी पवित्र नारी कहलाती है विश्व में, महाविद्यालय लड़कियों के लिए अलग अजमेर में किसी भी हालत में खुलना चाहिये। नहीं तो हमारी माताओं, बहिनों की इज्जत खतरे से खाली नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री भगवान दास शास्त्री : माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं प्रिंसिपल साहब से कोई शिकायत करते हैं तो कहते हैं मेरी भी पगड़ी उतरेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आपका कोई भी प्रिंसिपल अयोग्य हो तो हटा दीजिये। सशक्त अधिकारी रहना चाहिये जो इस एडमिनिस्ट्रेशन को सम्भाल सके। आखिर लड़कियां शिक्षा लेने जाती हैं कोई अपना सतीत्व देने नहीं जाती हैं। आज नारी की रक्षा अगर यह गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो मैं कहता हूं कि व्यवस्था न करने वालों को डूब मरना चाहिये। नारी प्रधान मंत्री बैठी हैं। इतना कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। अभिभाषण जो राज्यपाल महोदय ने दिया है, बिलकुल निर्मूल है, बिल्कुल कागज है, इसका कोई भविष्य नहीं है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रदर्शनकारी कृषकों के प्रतिनिधि मण्डल से संबंधित मंत्री द्वारा विचार - विमर्श

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : सभापति महोदय, आज राजस्थान विधान सभा के सामने राजस्थान के 30 हजार किसान अपना मांग-पत्र प्रस्तुत करने के लिये प्रस्तुत हैं। वह अपना मांग-पत्र मुख्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत करना चाहते हैं। मेरी इस सदन को यह प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री महोदय अगर मौजूद नहीं हैं तो प्रभारी मंत्री विधान सभा के बाहर जाकर किसानों का मांग-पत्र लें। आज किसानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। पिछले सत्र के अन्दर राजस्थान किसान यूनियन ने एक 21 सूची मांग-पत्र राजस्थान सरकार को दिया था परन्तु बड़े दुःख और अफसोस की बात है कि सितम्बर और फरवरी तक उनकी मांगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। राजस्थान का किसान मजबूर होकर दुबारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुआ है। राजस्थान सरकार ने जैसा पहले शिथिलता का रवैया पेश किया है उसी प्रकार से अगर 33 सूत्री मांगों के सम्बन्ध में किया तो आज राजस्थान···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने सूचना दे दी है।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !

(व्यवधान)

(श्री सभापति)
बैठ जायें, माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है। बैठ जाइये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): सभापति महोदय, यह सदन इस राज्य के 80 प्रतिशत किसानों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उनकी बात कहने के लिए समय मिलना चाहिए..

(व्यवधान)

इस समय सदन का नेता कौन है?

(व्यवधान)

श्री सभापति : अनुशासन रखिये, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : खेतसिंह जी वहां जायं और उनसे मिलें···

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, किसान रीढ़ की हड्डी है....

(3.00 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

किसान की समस्या सरकार की समस्या है आप उसमें क्यों शामिल हो रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : किसान की समस्या आपकी समस्या नहीं है। आपकी तो कुर्सी की समस्या है···

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : आप उनको सुन तो लीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार उनसे मिलने जायेगी या नहीं···

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : हम तो यह जानना चाहते हैं कि सरकार उनको सुनने जायेगी या नहीं?

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के सामने 50 हजार किसान राजस्थान के कोने-कोने से आये हैं। क्या यह अंधी और बहरी सरकार उनको सुनने जायेगी या नहीं?

श्री यदुनाथ सिंह : मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं तो क्या यहां बैठे हुये मंत्रियों में से कोई मंत्री जाकर उनको सुनेगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मंत्रीजी की बात सुन लीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। शांतिपूर्वक बैठकर एक-एक विषय पर बात की जायेगी। आप तसल्ली रखिये। यह किसान यूनियन लोकदल से सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : किसी भी दल से सम्बन्धित हो···

(९५)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : किसान लोक दल से सम्बन्धित हैं तो आप फिर किसानों की बात क्यों करते हो। हमें मालूम है कि आप किसानों के समर्थक नहीं हैं पिछले 33 सालों से।

श्री यदुनाथसिंह : आप किसानों के हिमायती हैं, तो बात करिये उनसे जाकर··

श्री त्रिलोकसिंह : हम चाहते हैं कि श्री खेतसिंह जी और गोविन्दसिंहजी उनसे जाकर मिलें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, लोकदल के नेता, श्री लच्छूरामजी से यह निवेदन है कि वह अपने 5 माननीय सदस्यों को ऊपर बुला लें। आप और हम बैठकर बात कर लेंगे। मैं समझता हूं कि इतनी देर में मुख्य मंत्री जी भी पहुंच जायेंगे और जो आपकी समस्या हैं उन पर बात कर लेंगे··

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आप किसानों के बीच में क्यों नहीं जाना चाहते?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। श्री लच्छूराम।

श्री लच्छूराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इस यूनियन को लोकदल की इकाई समझा है, यह बात सही नहीं है। राजस्थान किसान यूनियन एक फ्रन्ट है राजस्थान के किसानों का इनकी मांगों के लिये। कोई पोलिटिकल यूनियन नहीं है। राजस्थान की किसान यूनियन पॉलिटिकल नहीं है बल्कि राजस्थान के किसान, चाहे किसी विचारधारा के हों या किसी मजहब को मानने वाले हों, जो हल पर हाथ रखता है, जो जमीन से ताल्लुक रखता है··

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : ये गोपालसिंह जी खण्डेला कौन हैं जिनके नेतृत्व में ये आये हैं··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आपस में बात नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : ये गोपाल सिंह जी खण्डेला वही हैं जिन्होंने 1980 में लोकदल से सीकर जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा था और हारे थे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायं।

श्री लच्छूराम जी कुछ कहना चाहते हैं। आप संतुष्ट हों इसलिए यह व्यवस्था कर दी है। मेरे खयाल से यह पर्याप्त होगी, उससे अधिक यहां कुछ हो भी नहीं सकता।

श्री लच्छूराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि किसानों की गंभीर कोई समस्या है, उनके इन्ट्रेस्ट की बात है तो डा. हरिसिंह जी, जो किसान यूनियन के संस्थापक रहे हैं, यहां बैठे हुए हैं। उनसे बात कर लीजिये··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर।

श्री यदुनाथसिंह : उनका भी स्वागत करते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। माननीय सदस्य; ऑर्डर प्लीज। श्री लच्छूराम जी कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

यह चर्चा का विषय नहीं है, माननीय सदस्य।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से यह निवेदन करना चाहता हूं, मेरे ऊपर यह चार्ज लगाया है कि मैं कुर्सी के लिये

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : आपने दल बदल किया है।

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुर्सियां छोड़ी हैं; मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, मंत्री पद छोड़ा है। मैं कुर्सी का लालची नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, किसान यूनियन का सवाल है...

श्री रघुवीरसिंह कौशल : ज्यों ज्यों आप कुर्सी के पीछे-पीछे भागे हैं, कुर्सी आपके आगे-आगे भागी है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य, बैठ जायं।

डा. हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, किसानों को समस्याओं के प्रति पूरी सहानुभूति है। किसान यूनियन का मैं संस्थापक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। This is a specific charge on me. किसान यूनियन प्योरली लोकदल से ताल्लुक रखती है। दूसरी पार्टी के लोग राजनैतिक दृष्टि से कह रहे होंगे। किसान यूनियन को मैंने चलाया है, लोकदल के साथ चलाया है। यह साफ कहना चाहता हूं किसानों की समस्या के बारे में, अध्यक्ष महोदय, आप भी सहमत होंगे कि किसानों की समस्यायें दूर होनी चाहिये। लेकिन किसानों की समस्याओं को लेकर के राजनैतिक दृष्टि से किसानों को एक्सप्लाइट किया जाय इसके लिये मेरी सहमति लोकदल से नहीं है...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : वह कोई राजनैतिक मांग लेकर नहीं आये हैं, किसानों की समस्या के सम्बन्ध में आये हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। इसको चर्चा का विषय नहीं बनायें।

(व्यवधान)

यह विचारणीय प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

डा. हरिसिंह : मुझे कहने दीजिये, यहां निहत्थे किसानों को मरवाना चाहते हैं।

श्री यदुनाथसिंह : 'ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर', सर।

सुश्री पुष्पा जैन (ग्रामेर) : अब ग्राप बैठ जाइये मेहरबानी करके।

(व्यवधान)

डा. हरिसिंह : ग्रापने कहा था हम पत्थर भर कर लाये थे और पत्थर फेंके थे। ग्राज ग्राप पैरवी कर रहे हैं किसानों की।

सुश्री पुष्पा जैन : वह भी ग्रापका राजनैतिक हथकण्डा था। बैठ जाइये ग्रब ग्राप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : किसान पूछता है हमारे संस्थापक कहां चले गये ? कुर्सी के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं···

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : जिसमें सुनने का माद्दा नहीं उसे कुछ कहने का भी अधिकार नहीं है।

डा. हरिसिंह : उस वक्त प्रदर्शन कहां गये थे जब बिजली की रेट बढ़ी थी।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : किसान ग्रापसे सड़कों पर निपटना चाहता है। हमने विरोध किया था। हम तैयार हैं। वह ग्रापसे सड़कों पर निपटना चाहता है।

एक माननीय सदस्य : ग्रापने क्या किया ! ग्राप तो दलबदलू हो कुर्सी के पीछे।

डा. हरिसिंह : मैं ग्रपना खून बहा दूंगा लेकिन मैं किसानों को गुमराह नहीं करूंगा··

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : उनकी समस्या निवारण के लिए तो ग्राप संस्थापक नहीं हो। ग्राप उनके सामने जाग्रो। उनकी समस्या निपटाने के लिए ग्रापको ग्राश्वासन देना चाहिये।

डा. हरिसिंह : सरकार समस्या निवारण के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है। ग्राप समस्या का समाधान नहीं करना चाहते।

श्री मेघराज तावड़ : बात करने से ही समस्या हल नहीं होती।

(व्यवधान)

डा. हरिसिंह : गुमराह मत करिये, किसानों को योगदान दीजिये किसानों की समस्या को सुलझाने के ग्रन्दर। ग्राप गुमराह कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : ग्रगर ग्रापमें हिम्मत हो तो बाहर जाकर उनसे बात करिये।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : किसान ग्रौर कुछ नहीं मांग रहे, वह पानी मांग रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है।

श्री ग्रध्यक्ष : ऐसा है कि सदन के सामने राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद चल रहा है। बीच में एक विवाद खड़ा हो गया ग्रौर उसमें काफी समय भी लग गया। स्वास्थ्य मंत्रीजी ने यह सुझाव दिया कि किसानों के कुछ

(श्री अध्यक्ष)

प्रतिनिधियों से मिलकर राज्य सरकार के प्रतिनिधि बात करेंगे। मैं समझता हूं कि जो समस्या आपके सामने अभी उपस्थित हुई है उस समस्या का यह काफी ठीक हल है। अब इस चर्चा को, इस विवाद को यहीं समाप्त कर दिया जाय और अब मुख्य विषय पर आ जायं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, यदि पाइन्ट आफ आर्डर कोई हो।

श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं किसान हूं, बूढ़ा आदमी हूं। एक सैकन्ड···

श्री अध्यक्ष : श्री दीपचन्द !

श्री दीपचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की जनता ने नाराजगी प्रगट कर कांग्रेस को ना पक्ष में बिठा दिया था पालियामेन्ट के अन्दर, राजस्थान के अन्दर और दूसरे प्रान्तों के अन्दर। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के हितैषी और किसानों की लम्बी चौड़ी बात करने वालों से एक बात दावे के साथ कहता हूं कि देश के अन्दर चौधरी चरण सिंहजी किसानों के सबसे···

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री दीपचन्द : ठहरो जी, ठहरो।

श्री अध्यक्ष : वह दो मिनट में कह देंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हमको भी मौका मिलेगा ? ठीक है।

श्री दीपचन्द : देश की जनता ने कांग्रेस से नाराज होकर कांग्रेस को ना पक्ष में बिठा दिया। अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। किसान नेता चौधरी चरण सिंहजी की वजह से कांग्रेस के खिलाफ वोट देकर देश में जनता पार्टी की हुकूमत बनाई थी। सभी माननीय सदस्यों को याद पड़ता होगा, चौधरी चरणसिंहजी ने स्टेटमेन्ट दिया था कि मुझे चपरासी की तरह ठोकरें देकर इन लोगों ने पदच्युत कर दिया। चौधरी चरणसिंह को दर-दर का भिखारी बनाया, किसने बनाया ? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। देश के अन्दर उनका अपमान किया, उनको ठोकरें मारकर बाहर निकाला। आज किसानों की हिमायत करते हो। किसानों के नेता चौधरी चरणसिंह को धक्का देने वाले उनके हितैषी बन रहे हैं। उनको राजनीति से बाहर करने वाली यह जनता पार्टी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक दल के माननीय नेता महोदय ने कहा, 50 हजार किसान आज विधान सभा के बाहर आये हैं वे अपनी मांगें लेकर आये हैं, बिजली की समस्या से पीड़ित होकर आये हैं, पानी की समस्या से पीड़ित होकर आये हैं। खेतों में रात को लगातार पानी लगा रहे हैं कड़ाके की सर्दी में···

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

(व्यवधान)

धावस रखिये।

श्री त्रिलोकसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर!

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : राजस्थान के किसान जिस समस्या को लेकर पीड़ित हैं और जिस समस्या को लेकर यहां आये हैं, राज बदलने के लिए उस समस्या की दुहाई दी गई थी। हम संस्थापक नहीं हैं, हम ठेकेदार नहीं हैं, आज इस बात की दुहाई दी जा रही है। पार्टी बदल कर, कुर्सी बदल कर आज इस बात की दुहाई देने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो किसान आये हैं वह पीड़ित हैं, दो ढाई साल से पीड़ित हैं।

(व्यवधान)

बैठिये ! सुनिए ! बैठ कर सुनिये ! दर्द क्यों हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विनम्र अपील है।

(व्यवधान)

मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि किसानों के सामने समस्या है। वे पानी व बिजली की कठिनाई से पीड़ित हैं इसलिए विधान सभा के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आये हैं। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रीजी ने कुछ बात कही, वह बात समझ में आती है। किन्तु बीच में खड़े हो गये। जैसे ठेकेदार हैं। संस्थापक हो गये। खुदा हो गये? यह मानकर चलने वाले और उसकी दुहाई देकर चलने वाले देख लें, ढाई साल में जो हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। हमारी जनता पार्टी की फूट के कारण से आप यहां बैठे हैं तो मौका आयेगा कि किसानों की स्थिति के कारण एक बार वहां से यहां भी आना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम !

श्री मालाराम (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, जो भी हो इस विधान सभा के मायने कम से कम भी सौ में से 60 किसान हैं।

अनेक माननीय सदस्य : 80।

श्री मालाराम : सौ में से 60 तो प्योर किसान हैं, बीस तो ऐसे हैं जो काम चलाऊ किसान हैं। उन्होंने आज तक किसानों का कितना दर्द मिटाया ? बिजली नहीं मिल रही है। पानी कुएं में नहीं है, बरसात की कमी है। किसान अपनी समस्या को लेकर आया है और सरकार को ज्ञापन देने के लिए आया है। किसानों को बहका कर उनके वोटों की वजह से सरकार यहां बैठी है। तो सरकार को, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत यह कहना चाहूंगा कि उनकी जो समस्या है उस पर सरकार को कम से कम जरूर सोचना और उसको समझना चाहिए। उनकी समस्या को हल नहीं किया तो यह मत सोचो कि दो वर्ष के मायने वोट पड़ेगा, दो वर्ष 6 महीना में पड़ेगा। यह जनता वही है जिसकी वजह से सरकार में बैठे हैं। गांवों में रहने

(श्री मालाराम)

वाले जो हैं, वह गांवों के मायने जाएंगे तो जनता मुश्किल कर देगी गांवों में। किसी की मौत भी हो जाये तो उसको जल्दी से जलाकर किसान अपनी खेती सम्भालता है। किसान को खेती अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारी है। मेरा तो यही कहना है।

डॉ. हरिसिंह : यह सही किसान की आवाज है। सही किसान का वक्तव्य है।

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : XXX शब्द कार्यवाही निकाल दिया जाये।

श्री त्रिलोकसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर !

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर ! आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन : इन्होंने तो अपनी बात कह दी, अब दूसरों की बात सुनने का भी इनमें माद्दा होना चाहिए। कहने का अधिकार है तो सुनने का भी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सामने 50,000 काश्तकार अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं...

डॉ. हरिसिंह : पुष्पा जी ने कहा है कि निहत्थे आये हैं। पहले तो किसान पत्थर लेकर आये थे और उन्होंने पुलिस पर बरसाये थे। आज वह अमृत लेकर आये हैं और आप पर अमृत बरसा रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर आप हल्की बातों से मन्त्री बनते हों तो...

डा. हरिसिंह : या तो आपको अन्तर्ज्ञान हो गया या आपकी काया पलट गई।

सुश्री पुष्पा जैन : काया तो आपकी पलटी है, मेरी तो वही है।

डा. हरिसिंह : तो फिर आप सही रूप का बखान करिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपने पांच बार काया बदली है। रिकार्ड कायम किया है आपने इस सदन में।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रही थी, हजारों काश्तकार आये हैं। मुख्य मंत्री आ जायें तब आपको कोई फायदा होगा। दूसरा न तो आपको कोई मंत्री बना सकता है, न आप बन सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता...

श्री अध्यक्ष : खेतसिंह जी काफी मदद कर सकते हैं।

श्री महाराम चौधरी : खेतसिंह जी पर से किसानों का विश्वास उठ गया है।

XXX अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(100)

सुश्री पुष्पा जैन : अपनी ज्वलंत समस्याओं को लेकर काश्तकार प्रदर्शन करने आये हैं। आज सर्वविदित है कि किसानों को विद्युत उपलब्ध नहीं हो रही है, उसका क्या कारण है में इस पर···

डॉ. हरिसिंह : यहां से बोल रही हैं या वहां से···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : किसी महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आती। जिस परिवार में रहते हैं, आप पले कैसे उस परिवार में।

श्री त्रिलोकसिंह : हमें कुछ कहने दीजिए। यह नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त बैठें, माननीय सदस्य। श्री त्रिलोकसिंह।

श्री त्रिलोकसिंह : मैं इतनी ही बात कह रहा था कि बाहर किसान आये हैं। सरकार से मांग करते हैं कि सरकार उनसे मिले बाइज्जत जाकर उनसे मिले। उनकी मांग को मानने से इन्कार करके उनका अपमान नहीं किया जाय। इसके साथ ही यह कांग्रेस का जो हमारा लायक दोस्त है, डाक्टर साहब, हम इनसे भी दुबारा अपील करते हैं कि वह किसी भी खयालात के हों किसानों से मिलें।

डॉ. हरिसिंह : मैं आपके साथ चलूंगा। इस तरह डरने वाला नहीं हूं।

श्री त्रिलोकसिंह : आप बीच में न बोलें। हम आपसे अपील करते हैं कि किसानों का जो जुलूस आया है सरकार उनसे जाकर मिले। मिलने में कोताही न करें। यह उनका खुला अपमान होगा। आपके मिलने या न मिलने से उनके आन्दोलन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपसे और सरकार से मांग करूंगा कि सरकार उनसे मिले। अगर मिलना है तो हां कहें, और अगर नहीं मिलना है तो ना कह दें।

श्री खेतसिंह राठौड : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है हम मिलना चाहते हैं। बाहर पांच हजार आदमियों से बाइज्जत क्या मिलेंगे। आप उनके पांच नुमाइन्दों को लायें, हम उनसे बाइज्जत बात करेंगे, उनको बाइज्जत बिठायेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे।

श्री त्रिलोकसिंह : यह तानाशाही है। यह सरकार उनसे मिलना नहीं चाहती।

श्री महाराम चौधरी : हमको कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी नहीं दिख रहा है जिसकी आत्मा किसान की हो। अगर किसी की है तो वह माई का लाल किसानों से मिलने के लिए सरकार को बाध्य करे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन : आज किसानों को बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है बावजूद इसके डेढ़ गुनी फ्लेट रेट कर दी गई। उनको कितनी परेशानी हो रही है, इस सदन में बैठकर हम उस पर विचार

(सुश्री पुष्पा जैन)

करते तो अच्छा होता। मुझे कहना नहीं था, मगर डाक्टर साहब ने बारम्बार जनता शासन की ओर इंगित किया है इसलिये मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि उस समय किसानों का प्रदर्शन हुआ था, आप लोगों ने पूरे हथकण्डे अपनाकर उनका एक्सप्लायटेशन किया था किन्तु हम लोग ही थे जिन्होंने उस समय के मुख्य मंत्री को मजबूर कर दिया था और मिनिमम चार्जेज कायम हुए थे। यह उसी समय की देन है। किसानों को बिजली उपलब्ध करवाई गई। हालात बदल गये सरकार आपके हाथ में आ गई, हमारे डाक्टर साहब इधर से आपके पास चले गये। लेकिन, डाक्टर साहब, मैं कहना चाहती हूं, आपको दावत देती हूं, आप किसानों के हामी होने की बात करते हैं, मैं भी बाहर चलती हूं उनके बीच में, आप भी चलिये, चल कर देखते हैं कि कौन किसके साथ है।

डा. हरिसिंह : आप चलिये, सदन से बाहर मैं भी चलता हूँ।

सुश्री पुष्पा जैन : किसान अपनी समस्याओं को लेकर आये हैं। उनको महज राजनीति से सम्बन्धित बताकर आप उनका एक्सप्लायटेशन कर रहे हैं, उन पर धब्बा लगा रहे हैं। उन किसानों में से कुछ राजनैतिक दल से संबंधित हो सकते हैं, कुछ कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से, लोकदल आदि से सम्बन्धित हो सकते हैं किन्तु कुछ ऐसे भी हैं जिनका किसी राजनैतिक दल से संबंध नहीं है...

डा. हरिसिंह : आप बड़ी माहिर हैं मूर्ख बनाने में किसानों को।

सुश्री पुष्पा जैन : काश्तकारों के बीच में जाने के लिए आपको किसी तरह की हुज्जत नहीं होनी चाहिए। आप स्वयं चलिये। आप जो बात सदन में कह रहे हैं, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहती हूं कि आप काश्तकारों के बीच में चलकर कहिये कि आप उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। उन लोगों ने आप को चुनकर भेजा है। यह बेहतर होता कि आप जाते। प्रजातंत्र का भी तकाजा है कि 50,000 किसान आये हैं तो आप उनसे मिलने से मना न करें।

डा. हरिसिंह : किसान इतने भोले हैं

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : आपकी बातों में कोई दम नहीं है। पता नहीं आप मंत्री बनेंगे या नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छू राम।

सुश्री पुष्पा जैन : आप यहीं आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बेहतर होगा कि आप किसानों के पास चलें। आपकी जिम्मेदारी हम लेते हैं।

(व्यवधान)

आज आप इधर हैं, कल हमारे साथ थे। कल कोई दूसरी सरकार आयेगी आप उधर चले जायेंगे।

श्री लच्छू राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले डाक्टर हरिसिंह ने बताया, मैं राजस्थान किसान यूनियन का संस्थापक हूं। मैं आपके मार्फत

(श्री लच्छूराम)
इस सदन को बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान किसान यूनियन आज की यूनियन नहीं है, इसके स्वरूप को बदलते रहे हैं। सन् 1950 में···

श्री अध्यक्ष : मास्टर साहब के जाने बाद शुरू हुई।

श्री लच्छूराम : राजस्थान किसान यूनियन के संचालक थे उसके बाद यूनियन वैसी की वैसी चली आ रही है। जब जब समस्यायें ज्यादा विकृत हो जाती हैं तब ज्यादा आंदोलन होता है और सरकार की तरफ से अगर उनका समाधान होता है तो शांति हो जाती है। यह संगठन प्योरली किसान का है बिना किसी जाति भेद के। इस मांग पत्र में से आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ कर सुनाऊं?

श्री अध्यक्ष : इसमें काफी समय लगेगा। सदन की ओर से प्रभारी मंत्री सुन लेंगे।

श्री लच्छूराम : सदन में केवल दो लाइनें संक्षेप में सुना देता हूं "यह सारी स्थिति इसलिए है कि किसान बेजुबान है, बेखबर है तथा जाति, सम्प्रदाय, दलबंदी में बिखरा हुआ है। राजस्थान किसान यूनियन यह महसूस करती है, गांव गांव में ग्राम किसान यूनियन बनाकर किसान जाति, सम्प्रदाय दलबंदी छोड़कर संगठित होकर अपने हित और हकों के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, मांगों की पूर्ति के लिए, शांतिमय संघर्ष करने के लिए तैयार रहें और राजस्थान गवर्नमेंट को अपनी डिमांड पेश करें।"

मेरा कहने का मतलब है कि यह यूनियन दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, सरकार स्टेज पर जाकर किसानों के बीच में जितना कुछ कर सकती है अपनी क्षमता के अनुसार उनको आश्वासन दे। आज राजस्थान के किसान 50 हजार की संख्या में है पहले सत्र के अन्दर उनकी संख्या करीब 20 हजार थी। अगले सैशन में हो सकता है कि कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़े। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय और प्रभारी मंत्री से निवेदन करूंगा कि स्टेज पर जाकर वह उनको आश्वासन दें। हमारा यह कन्टेंशन, वर्शन···

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री लच्छू राम : प्रतिनिधियों को यहां न बुलाया जाय, और स्टेज पर जाकर हां या ना कहें, जैसा त्रिलोक सिंह जी ने कहा, अगर ना हो तो ना कह दें, हां है तो हां कह दें। जिस देश में 80 प्रतिशत किसान हों, उनकी समस्याओं के ऊपर कोई भी सरकार सही तरह से विचार नहीं कर सकती है तो इस प्रकार के सदन में हम बैठना नहीं चाहते। मैं बहिष्कार करता हूं।

(बहिर्गमन)
(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड : अध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात है। किसान पढ़ा लिखा नहीं है वह चाहता है कि सरकार के नुमाइन्दे जो कोई भी हों वह स्टेज पर जाकर उनकी समस्याओं को सुनें। सरकार जानती है कि उसकी समस्या क्या है। लेकिन मैं जानता हूं सरकार उनसे मिलना नहीं चाहती, मिलने से कतराती है। यह सरकार किसान विरोधी है। सरकार किसानों से नहीं मिलना चाहती। सरकार की हठधर्मी को, किसान

(श्री मेघराज तावड़)

विरोधी नीति को मैं बरदाश्त नहीं करना चाहता। मैं इनकी हठधर्मी, किसान विरोधी नीति के खिलाफ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(बहिर्गमन)

डा. हरिसिंह : अब किसानों के दोस्त सदन का बहिष्कार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब भाषण नहीं होंगे, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज !

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री अध्यक्ष : प्रकरण समाप्त हो गया, माननीय सदस्या। जो माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलना चाहते हैं उनको मैं निमंत्रण दे रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक बात कहने जा रही हूं। जब से सत्र शुरू हुआ मैं बोली नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: आप राज्यपाल के अभिभाषण पर ये सभी बातें फर्मा सकती हैं।

श्रीमती उजला अरोडा : यह जनतांत्रिक सरकार है जिसे जनता ने चुन कर भेजा है। अगर इससे कुछ अपेक्षा की जाती है तो क्या बुराई है ? जनता तकलीफ में है...

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं होगा। ये बातें कही जा चुकी हैं।

आर्डर प्लीज !

श्रीमती उजला अरोडा : इस तरह के लोग उधर बैठे हैं, जो इतने गंभीर मामलों में हल्की फुलकी बातें करते हैं। मैं समझती हूं सदन का वातावरण बहुत गरिमामय होना चाहिये था, गंभीर होना चाहिये था। सरकार को समझना चाहिये कि इतने लोग आए हैं, तो कोई गहन समस्या होगी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या। कृपया बैठ जाइये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार को आप बाध्य कीजिये। इनके नुमाइन्दे बिजली के बारे में क्या कहना चाहते...

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस समय खेतों में बिजली जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम ! आर्डर प्लीज ! मैंने माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर आज बिजली नहीं मिली,

(व्यवधान)

एक मिनट में बात समाप्त करती हूं...

श्री खेतसिंह राठौड : जब आपकी सरकार थी तो भैरोंसिंह जी नीचे जाकर मिलते थे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : निश्चित रूप से मिले भी थे।

श्री खेतसिंह राठौड : 50 हजार तो क्या लाख आदमी होते थे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी तरह से नहीं थे। भैरोंसिह जी का नाम लेकर आप बोल नहीं सकते। वह लोगों के बीच के आदमी थे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्रीमती उजला अरोड़ा : अपने आपको आप पता नहीं क्या समझते हैं। मान्यवर, एक घण्टा भी बिजली नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : किसान कहने आया है, उसको सुनने में क्या तकलीफ है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए, माननीय सदस्या !

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब वोट मांगने जाते हैं तो हाथ जोडते हैं, हजूर, हमें वोट दो, हम आपका भला करेंगे। क्या करेंगे ? मतलब उनसे मिलगे भी नहीं ? उनका काम भी नहीं करेंगे, सुनेंगे भी नहीं। इस तरह धोखा देना चाहते हो। शर्म आनी चाहिये। किसान परेशान हो रहा है और आप यहां मस्ती मार रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! बैठ जाइए। श्री हेमा राम चौधरी !

(व्यवधान)

और चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा, आर्डर प्लीज !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट का कोई समय नहीं है। आर्डर प्लीज !

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनको अवसर देना चाहिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : राज्यपाल महोदय ने...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस विषय पर सदन उद्वेलित है। यह बात सच है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही है। यह जो मांग पत्र उनका आया है उसमें बिजली और पानी की समस्यायें हैं माननीय सदस्यों ने उनकी समस्यायें बताई हैं। सरकार किसानों की समस्याओं के विषय में कम से कम यहां अपना वक्तव्य दे दें और उस पर चर्चा हो जाए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! नियमों में व्यवस्था है, माननीय सदस्य, नियमों के अन्दर प्रावधान है, अलग-अलग माध्यम दिये हुए हैं उनके अनुसार इन प्रश्नों को उठायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : व्यक्तिगत सवाल नहीं है, यह ठीक है, यह समस्यायें सारे प्रदेश से सम्बन्ध रखने वाली हैं, सब सदस्यों से सम्बन्ध रखने वाली हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! इस पर बहस नहीं होगी। श्री हेमाराम !

(व्यवधान)

आप प्रस्ताव लायें। उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हेमाराम चौधरी : (गुढ़ामालानी) अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण जो दिया उसके लिए मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो सरकार की वित्तीय स्थिति है और सरकार के पास आर्थिक साधन हैं उनको देखते हुए सरकार ने आम जनता को हर तरह से राहत पहुंचाने में

(3.38 म. प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगातार पिछले 5 साल से अकाल के कारण राज्य सरकार को प्रति वर्ष अरबों रुपये अकाल राहत कार्यों पर खर्च करने पड़े हैं जिससे सरकार की आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ा है। उसके बावजूद सरकार ने अकाल पीड़ित जनता को अपनी तरफ से पूरी मदद करने में कोशिश की। हर जिले में जहां-जहां भी अकाल पड़ा वहां अकाल राहत कार्य खोल कर अकाल पीड़ित जनता को रोजगार उपलब्ध कराया।

जब लगातार अकाल हमारे यहां पर पड़े तो हमारी सरकार के पास जो भी आय, आमदनी के स्रोत होते हैं वह आमदनी बन्द हो जाती है। अकाल की वजह से आय नहीं हुई उसके उपरान्त हमारी सरकार ने अकाल पीड़ितों की मदद करने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। हमें केन्द्र सरकार से मदद मिली भी और हमने अकाल पीड़ित लोगों की मदद की।

पांचवें साल लगातार अकाल पड़ने के बावजूद सरकार ने अपने विकास के कामों की गति में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होने दी, विकास के कामों को उसी गति से आगे बढ़ाने की कोशिश की और पूरी कोशिश करके उनको आगे बढ़ाया।

शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लम्बे समय तक हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोले जाने के बाद इस बार राजस्थान सरकार ने हायर सैकण्डरी स्कूल खोले और जो हायर सैकण्डरी स्कूल की कमी थी उसको पूरा करने की कोशिश की। कुल मिलाकर 212 उच्च माध्यमिक स्कूल खोले, यह एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। इसके अलावा 232 प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में क्रमोन्नत किया। 228 नये विषय स्कूलों में खोले। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में पूरी प्रगति करने का प्रयास किया और प्रगति की।

इसके अलावा हमारे यहां लगातार अकाल पड़ने और लगातार वर्षा न होने से बांधों में पानी की कमी हो जाने के कारण हमारी सरकार ने पड़ौसी राज्यों से बातचीत करके बिजली की कमी को पूरा करने की कोशिश की। यहां पर वर्षा नहीं होने से बिजली की विशेष कमी होने के उपरान्त राज्य सरकार ने किसानों को बिजली देकर राहत पहुंचाई।

इसके अलावा, सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं पीने के पानी की राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या है। पीने के पानी की समस्या की ओर हमारी सरकार ने विशेष तौर से ध्यान दिया है। सभापति

(श्री हेमाराम चौधरी)

महोदय, राजस्थान में बाड़मेर में तो पीने के पानी की विशेष समस्या है। वहां पर सैंकड़ों किलोमीटर तक पीने का पानी नहीं था। राज्य सरकार ने वहां पाइप लाइन लगाकर पीने के पानी की व्यवस्था की। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम केन्द्र सरकार को भेजी। उस योजना की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार ने दे भी दी है। जिससे हमारे यहां पर पीने के पानी की समस्या हल होने की बहुत भारी सम्भावना हो गयी है।

इसके अलावा सरकार ने लगातार अकाल पड़ने के उपरान्त अतिरिक्त धन खर्च करके विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाया। उनकी गति किसी तरह मन्द नहीं होने दी और विकास के कामों को बराबर चालू रखा। प्रति वर्ष अरबों रुपये अकाल के ऊपर हमारी सरकार को खर्च करने पड़ते हैं। लगातार पांच साल से अकाल में खर्चा हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): आंकड़ों के मायाजाल में न पड़ो।

श्री हेमाराम चौधरी: आंकड़े मेरे पास उपलब्ध थोड़े ही हैं?

इस तरह सरकार ने केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करके लोगों की मदद की। सभापति महोदय, जब लगातार अकाल पड़े और प्रकृति साथ नहीं दे तो किसानों को कितनी तकलीफ होती है, कितना नुकसान किसानों का होता है। जो नुकसान किसानों को हुआ उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता था लेकिन अकाल पीड़ित लोगों को जो भी सहायता दी जा सकती थी वह सहायता हमारी सरकार ने दी। सरकार के पास जो भी आर्थिक साधन उपलब्ध थे उनके अनुसार सरकार ने सहायता देने की पूरी कोशिश की। पीने के पानी की कमी थी अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार ने वहां टैन्करों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की और पिवाई के द्वारा लोगों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था की।

सभापति महोदय, पंचायतों को राज्य सरकार ने अकाल ग्रस्त क्षेत्र में चारे के लिये बिना ब्याज रकम दी। प्रति पंचायत पांच हजार रुपये ऋण के रूप में दिये गये। सरकार ने अकाल के मामले में बहुत ही सही तरीके से मदद की जिसकी वजह से लगातार चार साल तक अकाल के ऊपर अकाल पड़ने के बावजूद अकाल की समस्या को पार किया। यदि किसी तरह की मदद नहीं की जाती तो हालत बहुत ही गम्भीर हो जाती। पहले भी, सभापति महोदय, कई बार अकाल पड़े, बाड़मेर में तो विशेष तौर से अकाल हर साल पड़ता रहता है। हमारे यहां जब 1956 में एक बार काल पड़ा था पुराने लोग यह कहते हैं कि उस समय लोगों ने खेजड़ी के छोड़े खाये और अपना जीवन यापन किया। इस बार इतने साल से लगातार अकाल पड़ने के बावजूद भी ऐसी स्थिति वहां नहीं हुई। सरकार ने अपने साधनों से लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की, इन्तजाम किया।

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा (सुमेरपुर) : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : चेयरमैन के समेत 20 सदस्य हैं इसलिये कार्यवाही चालू रह सकती है।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पंचायत समिति के हैड क्वार्टर को विद्युत् से जोड़ा। जो पंचायत समिति मुख्यावास विद्युत् से नहीं जुड़े हुए थे उनको विद्युत् से जोड़ा, यह एक कीर्तिमान स्थापित किया।

एक माननीय सदस्य : किसको ?

श्री हेमाराम चौधरी : पंचायत समिति मुख्यावास जो बिजली से नहीं जुड़े हुए थे उनको बिजली से जोड़ दिया गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह तो हमने ही निर्णय ले लिया था।

श्री हेमाराम चौधरी : आपके समय में हमारे यहां पर बिजली नहीं आई थी। हमारे यहां पर अब 132 के. वी. लाइन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। जिस गति से काम हो रहा है उसके अनुसार उम्मीद है, मार्च तक वहां पर बिजली पहुंच जावेगी जैसा कि सरकार ने भी आश्वासन दिया है। तो, सभापति महोदय, सरकार के सीमित साधनों को देखते हुए हमारी सरकार ने बहुत प्रगति की है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के मामले में भी मेरा निवेदन है, राज्य सरकार ने एड पोस्ट खोले। कई जगह पर प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किया है।

एक माननीय सदस्य : कहां किया है ?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो कंवरिया साहब ने खोले थे सब सेन्टर।

श्री हेमाराम चौधरी : हालांकि हमारे यहां पर तो सब सेन्टर नहीं खोले गये थे पर जो भी राज्य सरकार ने खोले हैं उनके लिये सरकार की प्रशंसा जरूर करना चाहूंगा।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक) : बांध रखा है। बोला ही नहीं जाता है।

श्री हेमाराम चौधरी : इसके अलावा, सभापति महोदय, सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के जीवन यापन के लिये प्रत्येक पंचायत समिति में 600 लोगों को रोजगार दिलाने के लिये व्यवस्था की है। यह भी एक विशेष उपलब्धि है। इससे गरीबी की रेखा से नीचे के लोग जीवन यापन के लिये धन्धा खोल कर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। जनता पार्टी ने तो उनकी सरकार के समय सिर्फ एक गांव में पांच आदमियों का ही चयन किया था पर हमारी सरकार ने प्रति पंचायत समिति 600 लोगों को रोजगार दिलाने के लिये साधन उपलब्ध कराये हैं। इससे ही आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारा दिल आपसे कितना बड़ा है।

इसके अलावा हमारे यहां पर ट्राइसम योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देने के लिये व्यवस्था की है

(श्री हेमाराम चौधरी)

ताकि रोजगार के साधन लोगों को उपलब्ध हो सकें। इसके लिये राज्य सरकार ने कार्यक्रम चलाये हैं जिसके तहत बहुत सारे बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। उसमें प्रशिक्षण पाकर वह अपने रोजगार में लग सकेंगे।

इसके अलावा हमारी सरकार ने गांवों में कुछ कार्यक्रम चलाये हैं उनके अन्तर्गत किसानों को···

श्री महावीरप्रसाद जैन : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर···

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : कोरम पूरा नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : यह आपके कहते ही आ गये।

श्री हेमाराम चौधरी : "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान चलाया गया उसके अनुसार राज्य सरकार के अधिकारी सम्बन्धित विभागों के लोगों को साथ लेकर गांवों में गये और उन्होंने गांवों की जो समस्या थीं उन समस्याओं को निपटाया। इससे बहुत सारे लोगों की समस्या तहसील और जिला स्तर पर हल हो सकी। इसके अलावा प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर जाकर नामान्तरण के मामले निपटाये। पटवारी और राजस्व विभाग के अधिकारी गये और किसानों के जो मामले पहले नहीं निपटाये जा सके वह निपटाये गये। इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। गांवों की तरफ हमारी सरकार ने पहली बार ध्यान दिया। इस अभियान के दौरान कुछ ऐसे मामले, जिनका हल वहां पर नहीं हो सका, सरकार के ध्यान में आये हैं। जो मामले वहां पर हल नहीं हुए वह भविष्य में जब भी राजस्व अभियान चले उस समय मौके पर ही हल हो जायें, इसके लिए आगे नियमों में संशोधन के लिए भी सरकार कार्यवाही करेगी।

इस तरह से सरकार ने लगातार पांच साल तक अकाल पड़ने के बावजूद पिछले एक साल में उल्लेखनीय प्रगति की है जिसका उल्लेख राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया। इसलिए राज्यपाल महोदय ने जो इस सदन में अभिभाषण दिया इसके लिए उनको धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने सदन में आकर जो अभिभाषण दिया, उस पर कुम्हेर से आये वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिसका समर्थन किया है मैं उस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्थान की प्रगति को दर्शाया है। निसन्देह राज्य सरकार ने सराहनीय कार्य किये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान की स्थिति इस प्रकार की है कि कभी बाढ़ आती है और कभी सूखा पड़ता है। पिछले वर्ष पूरे 26 जिले अकालग्रस्त थे। इस साल भी पूरा राजस्थान केवल

(श्री मोहनलाल मोदी)

एक जिले को छोड़कर अकाल के अन्दर आया हुआ है।

(व्यवधान)

ढाई साल के लिए आप यहां आये, यह तो उसका परिणाम है। सारे के सारे राजस्थान को 50 साल पीछे ले गए। अब आप यह समझिये कि आप कभी आगे आने की आशा न करें। राजस्थान की जनता इतनी होशियार है कि आपको इस कुर्सी के नजदीक भी नहीं आने देगी। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जनता ने आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपके दिल्ली के चुनावों में इस बात को साबित कर दिया कि आपकी पार्टी को वह बिलकुल नजदीक नहीं आने देगी। स्पष्ट रूप से यह उसने साबित कर दिया है। आप बहुत आशावान थे दिल्ली के चुनावों के प्रति...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो वैसा ही है कि एशियाड के खेल में पहलवान पिट जाये और मोहल्ले में जीत जाये। उसका ढोल पीटते हो। एशियाड में तो पिट गए पहलवानजी और मोहल्ले में जीत गये, उसके आप गीत गा रहे हो। नगर पालिका में जीत गए उसके गीत गा रहे हो। छोटा सा चुनाव था।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं स्वयं भी दिल्ली गया था। मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप कितने आशावान थे...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी को गली मोहल्लों में नहीं घुसने दिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति जी, माननीय भंवरलाल जी फर्मा रहे थे कि यह छोटा सा चुनाव था तो फिर आपके अध्यक्ष, श्री अटल बिहारी जी बाजपेयी ने इस छोटे से चुनाव के लिये इस्तीफा क्यों दे दिया था ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह उनकी नैतिकता और बड़प्पन है। आपकी तरह से नहीं हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशु पालन) : आप भी तो इस्तीफा दो फिर कहीं पर।

श्री हेमाराम चौधरी : नाटक रचा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम कम से कम नाटक नहीं सीख सकते और कुछ नहीं सीख सकते तो नाटक कम्पनी सब आपके ही जिम्मे है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब आपको पता चलेगा। चिन्ता मत करो।

एक माननीय सदस्य : अरे नौटंकी।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं स्वयं भी दिल्ली गया था। मैंने देखा कि जनता कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करती है। उसके कार्य-कलापों में विश्वास रखती है। उनको आशा है कि सिर्फ हिन्दुस्तान में एक पार्टी ही है जो हिन्दुस्तान को आगे ले जा सकती है। बी. जे. पी. के जो साथी मिले उन्होंने बड़े जोरशोर से कहा...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ईमानदारी से कहना।

श्री मोहनलाल मोदी : अब यह पूरी तरह से साबित है कि जनता का कांग्रेस की नीतियों में विश्वास है।

इसी तरह से राजस्थान के बारे में मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। अभी चुनावों की बात इन्होंने छेड़ दी है इसलिये इस सिलसिले में पहले निवेदन कर देना चाहता हूं कि पंचायतों के चुनाव हुए राजस्थान में। पंचायत के चुनावों ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान का किसान, राजस्थान का गरीब वर्ग आज इस कांग्रेस के प्रति कितना आशावान है और कितना इस संस्था को चाहता है। उसने चुनावों के अन्दर बहुमत ही नहीं बल्कि 80 प्रतिशत प्रधान जिताये और जिला प्रमुखों में से 26 जिला प्रमुख कांग्रेस (आई) के बने। इससे यह साबित होता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप उसी हवा में कांग्रेस में चले गए।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरा और कांग्रेस का हिसाब आप जानते हैं। बी.जे.पी. वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कांग्रेस का सदस्य कैसा हूं। सीकर जिले में बी.जे.पी. की जड़ें नहीं जमने देने वाला हूं मैं। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिससे आपको बहुत बड़ी तकलीफ है। आप शायद इस बात को भूल रहे हैं कि 1978 के अन्दर श्रीमती इंदिरा गांधी को नीम के थाने में ले जाने वाला व्यक्ति मैं हूं। तब आपकी सरकार थी और आपने मुझे बहुत बड़ा भय दिखाया था और कहा था कि इंदिरा गांधी के प्रोग्राम को कैंसिल कर दो। इसके बाद आपकी सरकार ने मेरे साथ जो कारनामे किये वह आप भूल गए। आपने झूठे मुकदमे बनाये। मेरे परिवार के ऊपर झूठे मुकदमे बनाये लेकिन मैंने बिलकुल परवाह नहीं की...

श्री भंवरलाल शर्मा : इंदिरा गांधी को कौन से थाने में ले गए।

श्री मोहनलाल मोदी : नीम का थाना सीकर जिले की एक कान्स्टीट्यूएन्सी है जिसको शायद आप भूल गए। श्री सूर्य नारायण चौधरी जी को बहुत जल्दी भूल गए आप।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार की नीतियों का तब पता लगता है जबकि चुनाव होते हैं कि आम जनता उसको पसन्द करती है या नहीं करती है। नगरपालिकाओं के चुनाव हुए तो नगरपालिकाओं में बी.जे.पी. के 20 या 22 चेयरमैन आये 143 में से और 100 से ऊपर कांग्रेस (आई) के आये हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब चुनाव होते हैं तो यह स्पष्ट तौर से मालूम होता है कि आम जनता नीतियों से सहमत है या नहीं है। किस को चाहती है जनता।

आज कुछ भाई किसानों के जुलूस के बारे में यहां जिक्र कर रहे थे। किसानों की जो समस्यायें हैं उनको हल करने की सरकार पूरी कोशिश करती है। आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी बिजली राज्य सरकार के पास उपलब्ध है वह सारी बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज बन्द करके किसानों को देना तय किया है। आज हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे विद्युत मंत्री जी पूरी कोशिश में

(श्री मोहनलाल मोदी)

लगे हैं, दूसरे राज्यों से और दिल्ली से बात करके जितनी उनको बिजली सप्लाई अधिक मिल सके उसको लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी सरकार ने पूरी तरह से किसानों को और गरीबों को ऊंचा उठाने का संकल्प लिया है।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आज अकाल की स्थिति राजस्थान में छायी हुई है। आप देखिये कि कोई भी सरकार हो जितने उसके पास साधन होते हैं उसी के हिसाब से देखा जायेगा कि वह सरकार कितना काम करती है।

आज भी इस पूरे राजस्थान में 26 जिले अकालग्रस्त हैं। उन 26 जिलों में 22,417 अभावग्रस्त गांवों में 1 करोड़ 69 लाख 57 हजार व्यक्ति, 2 करोड़ 59 लाख 16 हजार पशुधन प्रभावित है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिये राज्य सरकार ने अब तक 3126 राहत कार्य चालू किये हैं।

एक माननीय सदस्य : मजदूर बतायें।

श्री मोहनलाल मोदी : उनकी स्थिति भी बताता हूं। 2 लाख 15 हजार 172 मजदूर राजस्थान में काम कर रहे हैं।

श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़) : एक गांव में चार।

श्री मोहनलाल मोदी : यह स्थिति आप समझ लीजिये। आप वास्तविक बात को देख नहीं पाते। यह हिसाब आप लगा लीजिये क्योंकि यह स्थिति आंकड़ों पर आधारित है।

आज की क्या स्थिति है राजस्थान की। एक तरफ सरकारी कर्मचारियों की स्ट्राइक का मामला आता है, इनको पैसा ज्यादा दीजिये। दूसरी बात आती है, विकास का कार्य मत कीजिये। आखिर विकास के कार्य करने हैं तो टैक्स भी लगेगा। पैसा आखिर आयेगा कहां से। आपकी बुराई करने की आदत पड़ गई है। किसी तरह से अच्छे काम को भी अच्छा नहीं कह सकते। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अकाल राहत कार्यों में आज जो है··

श्री नंदलाल मीणा : आदत तो हमारी बनी हुई है।

श्री मोहनलाल मोदी : आपकी जो आदत है उसको सुधारिये। जो आपकी खराब आदत है उसको सुधारिये।

आज लेबर रिलीफ वर्क में 1 लाख 61 हजार 272 व्यक्ति कार्यरत हैं। पिछले सप्ताह 94,233 व्यक्ति कार्यरत थे। इस सप्ताह 67,039 आदमी काम पर और आये हैं। इसी तरह से डिपार्टमेंटल वर्क्स के अन्दर 26,903 व्यक्ति पिछले सप्ताह काम पर थे और इस सप्ताह 3,752 व्यक्तियों की बढ़ोतरी हुई है। माही प्रोजेक्ट में चार सौ आदमियों की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह 2,15,172 व्यक्ति काम पर हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : कुछ काम आप भी तो करेंगे। फैक्ट्रियों के आंकड़े आप बता दीजिये। कोई दिक्कत नहीं है उसमें।

श्री नंदलाल मीणा : बोलो।

श्री मोहनलाल मोदी : बोल रहा हूं।

तो यह आज जो राहत कार्य चल रहे हैं उनके बारे में मैंने निवेदन किया है। राज्य सरकार ने जो काम स्वीकृत किये हैं उनके सम्बन्ध में भी थोड़ा सा मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। 3126 काम जो स्वीकृत कर रखे हैं उसके लिये 2748.78 लाख रुपये की धन-राशि उन्होंने स्वीकृत की है और टोटल 102 करोड़ 38 लाख की इसमें अनुमानित लागत है। राज्य सरकार ने पंचायत समितियों के द्वारा 784 कुएं गहरे कराने के लिये 48 लाख रुपये की राशि मन्जूर की है और श्री गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर जिलों में 90 स्थानों पर पिवाई के पानी की व्यवस्था की स्वीकृति की है। 17 जिलों में पशुपोषण केन्द्रों की स्थापना की गई है जिनमें 1 लाख 80 हजार पशुओं के लिये प्रतिदिन प्रत्येक पशु 1.50 रुपया अनुदान दिया जायेगा, यह राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। हरा चारा उगाने के लिये राज्य सरकार ने आधे हैक्टेयर पर 265 रुपये की दर से अनुदान देने की घोषणा की है। तो अकाल से निपटने के लिये राज्य सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है और पूरी तरह से राज्य सरकार सजग है। यही कारण है कि राज्य सरकार की नीतियां सफल रही हैं। उन नीतियों की सफलता को चुनाव ने पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया है।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने 'प्रशासन गांवों की ओर' का जिक्र किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज किसानों के लिये गरीबों के लिये, 'प्रशासन गांवों की ओर' अभियान एक बहुत बड़ा लाभ का अभियान है। जो काम अदालत में जाकर लोगों का नहीं होता है उसका उस गांव में, उस किसान के, उस काश्तकार के उस गरीब मजदूर के घर पर जाकर निर्णय किया जाता है, उसका फैसला किया जाता है। इससे ज्यादा सहूलियत किसान और गरीब व्यक्तियों को आप क्या दे सकते हैं। अब उसके थोड़े में आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज राजस्थान में 93,509 व्यक्तियों को खातेदारी के अधिकार दिये गये। 3 लाख 90 हजार 854 व्यक्तियों के नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये। यह जो 1-1/2 महीने का 'प्रशासन गांवों की ओर' अभियान है उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, 7,770 व्यक्तियों को 106.744 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया जिसमें अनुसूचित जनजाति के 17,401 व्यक्ति थे जिनको 29,775 एकड़ जमीन आवंटित की गई है और अनुसूचित जाति के 10,793 लोगों को 19,903 एकड़ जमीन आवंटित की गई है...

एक माननीय सदस्य : कब्जे कितनों को दिये ?

श्री मोहनलाल मोदी : तुरन्त कब्जे दिये गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : इनका वहां का भाषण मंगा कर पढ़ लीजिये। 'प्रशासन गांवों की ओर' बकवास है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। इन्होंने सुरेन्द्र व्यास, मंत्री के सामने कहा था। बिलकुल सफेद झूठ बात कह रहे हैं यहां पर। वहां का भाषण मंगा कर पढ़िये।

श्री मोहनलाल मोदी : गलत बात कहने का, घनश्याम जी, आपको पूरा ठेका दे रखा है। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य को पूरा ठेका दे रखा है।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : एक समय में जनता अदालतें लगीं थीं उसका तुलनात्मक विवरण दे रहे हैं आप।

श्री मोहनलाल मोदी : उस समय मैंने जो मुद्दे उठाये थे, एक बात कही थी कि प्रशासन गांवों की ओर जा रहा है जो आपने व्यवस्था की है उसमें सबसे बड़ी कमी है कि जो एक गैर मुमकिन जमीन है उसकी किस्म चेन्ज करने का अधिकार नहीं दिया गया है, वह देना चाहिये। अगर आप वह दे देते हैं तो वह एक सच्ची सेवा होगी गांव के लोगों की। मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार ने वह आदेश परिचारित कर दिया है। गैर मुमकिन जमीन की किस्म तब्दील करने के अधिकार राज्य सरकार के पास थे वह प्रशासन गांवों की ओर में जो तहसीलदार, एस. डी. ओ., जो भी जाते हैं, को दे दिये गये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभियान खतम होने के बाद।

श्री मोहनलाल मोदी : अब वह किसी भी वक्त दे दिये। अभियान चल रहा है, बीच में दे दिये। जो केसेज राज्य सरकार को रैफर किये थे उन पर वे स्वयं आदेश पारित कर कर देंगे।

श्री महावीरप्रसाद जैन : किस्म तब्दील हो गई क्या ?

श्री मोहनलाल मोदी : बिलकुल होगी, क्यों नहीं होगी ?

(व्यवधान)

अब आप अपनी करवाना चाहते हैं तो दूसरी बात है। आपका भी परिवर्तन करा देंगे। आपको जनता परिवर्तित कर देगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।

(व्यवधान)

1 लाख 62 हजार 668 अतिक्रमण के मामले निपटाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह किताब में लिखा है।

श्री मोहनलाल मोदी : आप सुन लीजिये। आप सुनना नहीं चाहते हैं तो आपकी इच्छा। घनश्याम जी को सबसे बड़ी तकलीफ तो सीकर जिले में मेरे से ही है। इनकी दाल वहां सीकर जिले में नहीं गल सकती...

एक माननीय सदस्य : वहां भाटे गल रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : दाल गलाने के लिये इन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की। इन्होंने लोकदल से सांठ-गांठ करके उप जिला प्रमुख बनने की कोशिश की लेकिन वह भी पार नहीं पड़ी।

(श्री मोहनलाल मोदी)

1145 व्यक्तियों को कब्जे दिलाये गये, 10621 मामलों में सरकारी कार्य हेतु अवाप्त की गई भूमि के बारे में 1 लाख 54 हजार 736 लोन की राशि स्वीकृत की गई 6743 मामलों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किया गया। 7022 गांवों को आबादी हेतु भूमि उपलब्ध कराई गई। 33085 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई। 23595 को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई। 4522 विकलांगों को सहायता दी गई। 4968 विधवाओं को मदद दी गई। 56842 अभाव अभियोग मौके पर निपटाये गये। इस तरह कुल 59457 अभियोग प्राप्त हुए। 39649 नये आवन्टियों को सहकारिता का सदस्य बनाया गया। 3451 मामलों में देवस्थान की भूमि के अवैध हस्तान्तरण को पकड़ा गया जिसका कि क्षेत्रफल 20207 एकड़ है। 80487 आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये गये। 3044 सीमा सम्बन्धी विवाद निपटाये गये। 3154 मार्गों के अधिकार के मामले निपटाये गये। इस तरह से राजस्व अभियान में प्रशासन जो गांवों की ओर था, उससे आम आदमी को लाभ पहुंचा है। इस कार्य के लिये मुख्य मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं। राजस्थान सरकार का यह सराहनीय कार्य है।

(व्यवधान)

आप देख रहे हैं इसलिये हंसी आ जाती है।

एक माननीय सदस्य : मन में कुछ और है।

श्री मोहनलाल मोदी : राज्य सरकार का सराहनीय कार्य है। एक गरीब आदमी अदालत तक पहुंच नहीं पाता है। उसको अदालत तक पहुंचने में काफी खर्चा करना पड़ता है। आज घर में बैठ कर, गांवों में बैठ कर, पंचायत में बैठ कर निर्णय करना और इस तरह लोगों की मदद करना मैं समझता हूं, बहुत अच्छा कार्य है और बहुत लाभप्रद है। आम आदमी को सन्तोष मिला है।

इसी तरह राज्य में 20 संकल्प कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। उसका एक ही लक्ष्य है कि गरीबों को ऊंचा उठाना, गरीबों की आर्थिक स्थिति ठीक करना। जैसे किसी के पास छप्पर नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिये अनुदान देना। सबसे बड़ा कार्य जो है इसके अन्दर वह गरीब से गरीब आदमी को ऊपर उठाने का है और उनकी तकलीफों को दूर करने का है। राज्य सरकार ने बड़ी हिम्मत के साथ चुनाव कराये, मैं समझता हूं, पहला संकल्प 20 सूत्री कार्यक्रम का था वह पूरा किया। पूरे के पूरे चुनाव 16 साल से नहीं हो पा रहे थे, ढाई साल जनता पार्टी शासन कर गई। उन्होंने बड़े जोर-शोर से कहा था कि हम चुनाव करवायेंगे लेकिन ग्राम स्तर तक ही चुनाव करा पाई। न प्रधानों के चुनाव करवाये, न प्रमुखों के चुनाव करवाये, न नगरपालिकाओं के चुनाव करवाये। लेकिन राज्य सरकार की···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोआपरेटिव बैंक ?

श्री मोहनलाल मोदी : हां, कोआपरेटिव बैंक के चुनाव भी होंगे और निश्चित रूप

(श्री मोहनलाल मोदी)

से होंगे । हम इस बात की कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी कोआपरेटिव बैंकों के भी चुनाव करवाये जायं लेकिन आप लोगों की वजह से बाधायें आ जाती हैं । राज्य सरकार के लिये आप बाधा बन जाते हैं । अदालतों का स्टे आ जाता है तो फिर क्या करें...

(व्यवधान)

कई बातें ऐसी होती हैं । ये हमारे घरेलू मामले हैं । आपको इनसे क्या लेना देना है । आप देखिये पार्टी के चुनाव होंगे जो आप आशा करके बैठे हैं, उसमें बहुत निराशा मिलेगी ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : वह डिक्टेटर तरीका जानती है ।

श्री मोहनलाल मोदी : पार्टी के चुनाव भी निश्चित रूप से होंगे और आपको बिजली की तरह झटका लगेगा कि क्या हो गया । देखते जाइये ।

यह तो मैं राज्य सरकार की नीति बता रहा हूं । पंचायतों के चुनाव करवाये, पंचायत समितियों के चुनाव करवाये, जिला परिषदों के चुनाव करवाये, नगरपालिकाओं के चुनाव करवाये, सहकारी समितियों के चुनाव करवाये, उसमें जगह जगह रोड़े आये, बावजूद इसके चुनाव करवाये । यह राज्य सरकार की उपलब्धि है ।

मैं समझता हूं, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण में जिक्र किया है–राजस्थान के चहुंमुखी विकास का, राज्य सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है । मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान में पेयजल की स्थिति बहुत खराब है । उसके लिए राज्य सरकार बहुत चिन्तित है । राज्य सरकार गांवों में अधिक से अधिक पेयजल की व्यवस्था करना चाहती है । उसके लिए राज्य सरकार की योजना है, राजस्थान में पेयजल की समस्या से ग्रस्त कुल गांव हैं वह 24037 हैं, उनमें से राज्य सरकार ने 1981 के अन्त तक 6894, 1981-82 में 3890 गांवों में पेयजल की व्यवस्था की, 1982–83 का लक्ष्य 3400 गांवों का रखा जिसके अन्दर से दिसम्बर तक 2300 गांवों की समस्या पेयजल की हल हुई है ।

आज मेरे बहुत से भाई हैण्ड पम्प की योजना के बारे में कहते हैं । बाहरी इलाके में, मेरे इलाके में हैण्ड पम्प बहुत सही हैं। गांवों में जिस तरह से आपको वाटर वर्क्स से पानी सप्लाई मिलती है उसकी तुलना में हैण्ड पम्प से तुरन्त वाटर सप्लाई मिलती है । ऐसा आराम है । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था, इसके सुधार की क्या योजना है । राज्य सरकार ने नीति बता दी । पंचायत समितियों को, ग्राम पंचायतों को हैण्ड पम्प सम्भला दिये गये हैं । हैण्ड पम्प के लिए 150/- रु. प्रति ग्राम पंचायत को दिया जायगा । ये सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार की हैं । सारे राजस्थान के लिए जल्दी से जल्दी विकास का मानस उसने बना रखा है । पूरी तरह इस बात की कोशिश में है कि राजस्थान का अधिक से अधिक विकास हो, लोगों को आराम मिले ।

कुछ और व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा निवेदन करूंगा । आज राजस्थान में दूसरे प्रान्तों के मुकाबले लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति अच्छी है । दूसरे नजदीक

(श्री मोहनलाल मोदी)

के जो प्रांत हैं उनमें आप चले जाइये और राजस्थान की स्थिति को देखिये। जो आम आदमी महसूस करता है वह यहां बैठा हुआ आदमी महसूस नहीं करेगा लेकिन जो आदमी बाहर जाता है, दिल्ली गया हुआ है उसको महसूस होगा कि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति अच्छी है। यहां की पुलिस चुस्त है होशियारी से काम करती है और पूरी तरह राज्य की व्यवस्था में सक्षम है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जैसे नीम के थाने में थानेदार लड़ रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : थानेदार नहीं रखेंगे तो चोरों को कैसे पकड़ेंगे। आप जिनकी मदद करते हो, जिनका चोरी का माल बिकवाते हो उन्हें कौन पकड़ेगा। थानेदार ही तो चोरों को पकड़ते हैं, चोरी कराने वालों को पकड़ते हैं, चोरी का माल बिकवाने में जो मदद करते हैं, उनको पकड़ते हैं। उनको पकड़ने के लिए थानेदार नहीं जायगा तो क्या आप और मैं पकड़ूंगा। थाने खाली थोड़े ही रहेंगे। एक तरफ आप इन्तजाम भी करवाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ यह चाहते हो कि थाने खाली पड़े रहें, यह कैसे हो सकता है ? दूसरे प्रान्तों के मुकाबले राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति अच्छी है, सुधरी है, पिछले वर्ष के मुकाबले अपराध कम हुये हैं।

इन सारी बातों को देखते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन में आकर दिया है और उस पर कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय भगवान दास जी शास्त्री।

एक माननीय सदस्य : वह बोल लिये।

श्री सभापति : श्री हंसराज शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में 17 तारीख को राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़े गये अभिभाषण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। जब राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण सदस्यों की मेज पर आया और हमने इसको पढ़ा तब हमने केवल इसमें 4 बातें पायीं, या तो 'प्रशासन गांवों की ओर' या 'बीस सूत्री कार्यक्रम' या 'घूमर नृत्य, या एशियाड' इन चारों के अलावा कहीं कोई विकास की बात कही हो, आने वाले समय में राजस्थान की कोई नयी योजनाएं दी हों, किसानों के हित के लिए कोई नयी योजना बनाकर दी हो, इस प्रकार का इसमें कोई तथ्य नजर नहीं आया। मैं आपके माध्यम से इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर जो तथ्य दिये गये हैं वह मात्र ऐसे हैं जिस प्रकार से पांच पैसे के गुब्बारे में फूंक भरकर किसी बच्चे के हाथ में दे दो तो उसे उस समय अच्छा लगता है किन्तु वह उससे खेलता है तो तुरन्त फूट जाता है, उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। इसी प्रकार एक गुब्बारे के रूप में जो अभिभाषण मिला है, वह बिलकुल असत्य है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री हंसराज शर्मा)

जब प्रशासन गांवों की ओर जा रहा था, मैं भी गांवों में गया था। मैंने देखा है, राज्य सरकार द्वारा जो आदेश दिये गये थे, अधिकारियों को जिन नियमों के अन्तर्गत गांवों में जाकर कार्य करना था, उस प्रकार वह नहीं किया गया।

मैं आपके माध्यम से इस समय यह भी कहना चाहूंगा कि जिन काश्तकारों की जमीन बांधों में, तालाबों में रोड में और नहरों में आ गयी है, राज्य सरकार द्वारा एक्वायर नहीं की गयी है उन जमीनों के ऊपर अधिकारी जायेंगे और उसी समय जो काश्तकार लगान दे रहे हैं, उससे उसको छुटकारा दिला देंगे, या उसका मुआवजा देंगे और इस प्रकार से सारी जमीनों का फैसला करेंगे। लेकिन देखने को ऐसा मिला है कि इस प्रकार की कार्यवाही राजस्थान में नहीं की गयी। यह एक दुर्भाग्य का विषय है।

दूसरी ओर जहां हम इस बात को कहते हैं कि हमने इतने लाख नामांकन तस्दीक किये, इतने भूमिहीनों को हमने जमीन दी। सभापति महोदय, यह बात भी देखने को मिली है कि जिन गांवों में गये हैं, फार्म भरे हैं, कागज तैयार किये हैं वह लाखों की संख्या में किये होंगे लेकिन यह नहीं बताया गया कि इतने फार्म भरने के बाद हमने इतने लोगों को लोन दे दिया, इतने लोगों को जमीन दे दी और हम इतने और गरीब लोगों को सहायता दे रहे हैं। मुझे यहां तक भी देखने को मिला है, पुराने टाइम में जमीन अलाट की गयी थी उनके नाम जमाबन्दी में लिखवा दी गयी है और उनको पास बुक मिल गयी है लेकिन आज की तारीख में उन काश्तकारों को जमीनों का कब्जा नहीं मिला। काश्तकार, जिसके नाम पर जो लगान है सरकार का वह निकल रहा है। जो कमाण्ड एरिया की जमीन थी, उसका 150 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राज्य सरकार को पैसा लेना था किन्तु जब कब्जा दिलाने का प्रश्न आया उस समय राज्य सरकार ने 375 रुपये प्रति एकड़ कर दिया। आज काश्तकार से वह वसूल किया जा रहा है। यह देखा गया है कि राजस्व अभियान में जब हम गये तो अधिकारियों के सामने सैंकड़ों काश्तकार ऐसी एप्लीकेशन्स लेकर आये कि मान्यवर जो सरकार ने अलाटमेंट किया है, इसको वापस ले लो, हमारा जो लगान बंधा हुआ है, माफ कर दो, हमारे पास पट्टे हैं, जमीन नहीं है। यहां तक भी देखने को मिला है एक जगह एक काश्तकार ने एप्लीकेशन दी, उसके बाद देखते-देखते 74-75 काश्तकारों ने इस बात के लिए इस्तीफा दिया कि जो हमको जमीन मिली थीं उनका आज तक कब्जा नहीं मिला है, दूसरे का कब्जा है। गांवों में प्रशासन आया हुआ है तो आप मौके पर पधारें और उनको बेदखल करें तब तो जमीनें हमारे पास छोड़ें अन्यथा हमारा इस्तीफा ले लो। प्रशासन के लोगों ने इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि पटवारियों को यह आदेश कर दिया कि आप मौके पर जाकर इनको कब्जा दें। माननीय सभापति महोदय, यदि आप इजाजत देंगे तो इस प्रकार का मेरे पास रिकार्ड भी है जो एप्लीकेशन दी है वह भी हैं, उनमें लगान बाकी निकला हुआ है। सभापति महोदय, ऐसे काश्तकारों के लिए एस. डी. ओ. ने लिखा है कि तुरन्त पटवारी मौके

(११८)

(श्री हंसराज शर्मा)

पर जाये और इनको कब्जा दिलाये। काश्तकार 10 साल से लगान दे रहा है, लेकिन आज तक उसको कब्जा नहीं मिला। तो जो राजस्व अभियान के आप लोगों ने आंकड़े दिये हैं, वह बिलकुल गलत है, फर्जी हैं और तथ्यहीन हैं। आज जमीन अलाटमेंट की बात करते हो, जब गांवों में हम गये, और वहां के पटवारियों से पूछा कि आपके यहां डिक्लेरेशन दिया गया है या नहीं। दुर्भाग्य है इस बात का कि जिन गांवों में सिवाय चक जमीन का अलाटमेंट करने के लिए राज्य सरकार ने आदेश दिये थे उन गांवों के पटवारियों ने डिक्लेरेशन ही नहीं दिया था। जब डिक्लेरेशन नहीं दिया था तो अलाटमेंट किस बात का होगा। वहां इस प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। इस प्रकार से पंचायत को केवल नामांकन तस्दीक करने का अधिकार था, उसी के आधार पर वह नामांकन को तस्दीक करते रहे।

इसी के साथ-साथ यह भी देखने को मिला है कि जो काश्तकार बिलकुल गरीब हैं, जिनको सिवाय चक के अलावा सीलिंग की जमीनें दी गई थीं, उन सीलिंग की जमीनों के केस आज भी कोर्ट में चल रहे हैं। हजारों काश्तकार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। डेढ़ महीने से कोर्ट्स गांवों में चली गयीं लेकिन जो राजस्थान में हजारों ऐसे केस चल रहे थे उनका जो प्रशासन गांवों में गया है उसने किसी प्रकार का फैसला नहीं किया।

सभापति महोदय, यहां तक भी देखने को मिला है कि गांवों में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हरिजन हैं शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, उनकी जमीन पर सवर्ण लोगों ने, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों ने अनधिकृत कब्जा किया हुआ है। गांवों में हजारों की तादाद में ऐसे लोगों का जमीन पर अनधिकृत कब्जा है। हमने कहा, आप एप्लीकेशन दीजिए, हम प्रशासन को निवेदन करेंगे, प्रशासन के माध्यम से आपकी मदद करायेंगे, तो एक ही बात सामने आयी, साहब, बरसों हो गये निवेदन करते, आपका प्रशासन और आप यहां से चले जायेंगे और कल यह हमारे हाथ पर तोड़ेंगे। अगर आप गारन्टी ले लो कि जमीन आप को दिला देंगे, लगान आपका माफ करा देंगे, हमारे ऊपर जितना कर्जा है, वह आप माफ करा देंगे तो हम आपके सामने कुछ निवेदन करेंगे। मैंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से इस बात के लिये निवेदन किया। उन्होंने एक ही बात कही कि हमको इस समय इस प्रकार के झंझट से दूर रहना है। हम यह काम नहीं करने आये हैं। इस समय तो प्रशासन गांवों की ओर आया है। गांवों की ओर क्या है, एक तहसीलदार की बटालियन, एक पंचायत समिति की बटालियन, एक एस. डी. ओ. की बटालियन, सारे के सारे लोग जाते। काश्तकार सवेरे से बैठा रहता। दो या तीन बजे राज्य कर्मचारी पहुंचते और 2–3 घंटे में जितना काम करना था उतना करने के बाद वह तुरन्त वापस चले जाते थे। इस प्रकार से राजस्व अभियान मात्र एक ढकोसला था। इससे किसी काश्तकार को कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने डेढ़ महीने के अन्दर करोड़ों रुपये टी.ए.डी.ए. पर खर्च किये हैं, हजारों रुपया पैट्रोल पर खर्च किया है राजस्व अभियान तथ्यहीन रहा है, सरकार ने इसके नाम से एक तरह से गुब्बारा

(श्री हंसराज शर्मा)
बताकर इसका हौवा खड़ा कर रखा है। यदि आप गांवों में पधारे होंगे, सभापति महोदय, तो आपने भी स्वयं इस बात का निर्णय किया होगा कि वास्तव में इस प्रकार के जो गांवों में निर्णय होने चाहिए, वह आज की तारीख में नहीं हो पाये।

इसी प्रकार से भूमि जिन लोगों की बांधों में डूब गयी, उनके मुआवजे के संबंध में भी काफी निवेदन किया गया कि आप इन लोगों की जमीन एक्वायर कीजिए, इन लोगों को मुआवजा दीजिये। किन्तु इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया।

सभापति महोदय, इस सरकार के दो प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं, चाहे आपका प्रशासन गांवों की ओर या बीस सूत्री कार्यक्रम हो, बीस सूत्री कार्यक्रम का भी एक बहुत बड़ा हौवा खड़ा रखा है। राजस्थान के कोने-कोने में मोटी-मोटी किताबें, जैसे पण्डित को भागवत दे देते हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम की सब को दे रखी है उसके आधार पर लम्बे चौड़े प्रोग्राम बनाये जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीस सूत्री कार्यक्रम में जिन गांवों का सलेक्शन किया था विद्युतीकरण के लिये, मैं सवाई माधोपुर के लिए कहना चाहूंगा, वहां 66 गांवों का सलेक्शन किया था किन्तु आज की तारीख में केवल 25 गांव हैं।

परिवार नियोजन की यह लोग बात करते हैं। छोटे परिवार के लिए परिवार नियोजन के इनके आंकड़े थे, मेरे कोई निजी आंकड़े नहीं हैं। वहां की पंचायत समिति और बीस सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में आंकड़े दिये थे, यदि आप चाहेंगे तो मैं वह भी प्रस्तुत करूंगा। केवल 40 प्रतिशत की पूर्ति हुई है और 2 महीने रह गये हैं। कर्मचारियों पर दबाव डाला जा रहा है। सरकारी गाड़ियां लायी जा रही हैं और जबरदस्ती यह कहा जा रहा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह सारी बात बतानी है इसलिये आंकड़े पूरे करो। आंकड़े पूरे करने हैं इसलिये कागजों में आंकड़े पूरे करके सरकार को धोखा दिया जा रहा है। यह बिलकुल गलत है।

माननीय सभापति महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र है भंगी कष्ट मुक्ति। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, वह बतायें कि राजस्थान में भंगी कष्ट मुक्ति के अन्तर्गत किस-किस पंचायत में इन्होंने क्या-क्या काम किया ? जो भंगी कष्ट मुक्ति के अन्तर्गत आते हैं उनको क्या-क्या दिया ? यह केवल मात्र भंगी कष्ट मुक्ति का दिखावा था। ट्वण्टी पाइन्ट प्रोग्राम में भंगी कष्ट मुक्ति था तो भंगी कष्ट मुक्ति के लिए काम होना चाहिये था; उसके बजाय इन्होंने मंत्रीजी का एक प्रकार से उद्धार किया है।

इसी के साथ-साथ ट्वण्टी पोइन्ट प्रोग्राम के अलावा जो गांवों में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों को मकान दिये गये हैं, जमीन के पट्टे दिये गये हैं, मैं पंचायत क्षेत्रों में गया हूं, मैंने लोगों से पूछा है, पंचायतों के काम की जांच की है कि आपने इस साल में गांव में कितने लोगों को पट्टा दिया।

(श्री हंसराज शर्मा)

कितनी जमीन अलाट हुई, इसमें से कितनी आबादी में आई, कितनी भूमिहीनों को दी। तो उन्होंने एक ही बात कही, विधायक जी, हमारे यहां तो इस जमीन पर दादा लोगों का कब्जा था, वे हमसे हट नहीं सके और हमने आबादी में से निकाल ली। जिनका बरसों से कब्जा चल रहा था उनके ही नाम पट्टे दे दिये। वह कहीं पर भी जाय, चाहे गरीबों के पास रहे, चाहे उनके पास रहे, हमारे बस का रोग नहीं है। सभापति महोदय, अगर यह बात कहते हैं कि हमने इतने भूमिहीनों, जिनके पास रहवास के मकान नहीं हैं, को इतने लाख पट्टे दिये हैं तो यह बिल्कुल तथ्यहीन है, गलत है, सरासर जनता के साथ धोखा है। इस प्रकार से गलत काम किया जा रहा है।

सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में काश्तकार असल में भयंकर परेशानी में गुजर रहा है। हम यह सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र के अन्दर कुछ अकाल राहत कार्य चलने चाहिये। माननीय सदस्य ने बड़े जोर शोर से कहा है कि अकाल राहत कार्य चल रहे हैं। हमको तो मालूम नहीं कहां चल रहा है। या तो माननीय सदस्य के यहां चल रहे हैं या किसी प्रभावशाली मंत्री के यहां चल रहे हैं।

इसी के साथ मेरे क्षेत्र में गांवों में जो जनता सरकार ने काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत काम कराये थे, जो काम उस समय पूरे हो गये थे वह जब आप पधारेंगे तो मन्दिरों की तरह चमकते हुए मिलेंगे। आपकी सरकार आई और उस काम को बन्द कर दिया। उसके बाद में राज्य सरकार ने तय किया कि एक गांव में एक कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आज की तारीख में सारे गांवों में काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार का जो उस काम में पैसा लगा था उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। इस प्रकार से गांवों का विकास होने वाला था किन्तु मौजूदा सरकार ने गलत तरीके से और राजनीतिक भेदभाव के आधार पर उन सारे कामों को बन्द कर दिया है। बहुत से गांवों में जनता पार्टी ने जिन कामों में पैसा लगाया था उससे दूर हट करके अपने ऐशो आराम के साधनों में और कार्यक्रमों में पैसा लगा रहे हैं।

सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में हास्पिटल है। मैं नहीं कह सकता कि नियमानुसार क्या कार्यवाही होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये। हमारे यहां टी. बी. हास्पिटल घनी आबादी में है। दो सौ पेज की फाइल हो गई थी लेकिन आज तक हमारी मौजूदा सरकार है या माननीय मन्त्रीजी हैं, कुम्भकरण की गहरी निद्रा में सो रहे हैं और हजारों की तादाद में लोगों के टी. बी. हो रही है, उससे उनको मुक्ति नहीं दिला रहे हैं।

साथ ही साथ मैं उनसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां एक बहुत बड़ा हास्पिटल है। उस हास्पिटल के अन्दर जब कोई डिलिवरी वाली महिलायें आती हैं

(श्री हंसराज शर्मा)

तो नर्सें नहीं हैं। कम्पाउण्डरों के द्वारा उनकी डिलिवरी कराई जाती है। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय ने भी लिखा है और सम्बन्धित विभाग को भी लिखा है। माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम इस प्रकार के जो गलत काम हैं जिसमें महिलाओं को संकोच होता है उससे आप मुक्ति दिलायें।

साथ ही साथ कई वर्षों पुरानी एक्स-रे मशीन भेज रखी है। महीने में एक दो दिन चालू रहती है। कभी बन्द रहती है और कभी चालू रहती है। तो इस प्रकार से आपकी देखरेख के आधार पर या अव्यवस्था के आधार पर जो गलत काम हो रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सुधार करने का काम करें। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय जो आए दिन जाते रहते हैं वे इस ओर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, सवाई माधोपुर के अन्दर टाइगर प्रोजेक्ट है उसमें बहुत टाइगर हैं। 108 किलोमीटर एरिया के अन्दर काश्तकारों की हजारों एकड़ जमीन है। वहां के जानवर फसल को खा जाते हैं। सारी फसलों को नष्ट कर जाते हैं लेकिन काश्तकार गोली नहीं चला सकता। हमारे मंत्रीजी के चहेते लोग और वे स्वयं भी वहां जाते हैं, आराम करते हैं और सारे आनन्द वहां के लेते हैं। उनके चहेते लोगों से वहां शिकार करायी जाती है जिस पर व्यर्थ का पैसा लगा हुआ है···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करिये।

श्री हंसराज शर्मा : इस प्रकार से गलत काम हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करें।

वहां पर भूमिहीन लोगों को जो भूमि देने के आदेश दिए गए हैं उनकी भी क्रियान्विति नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

साथ ही साथ मैं आयुर्वेद मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले में चूरन दिया है या सारे राजस्थान में, यह समझ में नहीं आता। अब तक परम्परा के अनुसार औषधालय में गांव के मरीजों को एक गोली मिलती थी, छोटी सी गोली मिलती थी···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी का बहुत ही कम समय रहा है।

श्री हंसराज शर्मा : मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र की जो समस्या है, कह कर खतम कर रहा हूं।

हमारे क्षेत्र में जो औषधालय है, गांव में है, बैकवर्ड इलाका है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वन विभाग का सारा इलाका है वहां जो मरीजों को दवाई देते हैं, संजीवनी की गोली देते थे लेकिन इस साल दुर्भाग्य है कि उनको चूरण पकड़ा देते हैं। हमने कहा कि भाई चूरण क्यों दे रहे हो, संजीवनी की गोली दो तो कहने लगे कि गाय का मूत नहीं मिला राजस्थान सरकार को, इसलिए संजीवनी नही बना सकी और केवल चूरण पकड़ा दिया। मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह आपने जो चूरण पकड़ा दिया गाय के मूत के खातिर, उसमें सुधार करें और लोगों के लिए गोली का प्रावधान करायें।

(श्री हंसराज शर्मा)

मैं इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से भी थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा है वहां विकास के कार्य हो रहे हैं···

श्री सभापति : यह बातें तो आप डिमांड पर बोलिये जब डिमाण्ड आए। सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी है।

श्री हंसराज शर्मा : मेरा आरोप है इसमें। बनास पुलिया पर जो ब्रिज बन रहा है उसको सरकार को चार लाख में तैयार करना था वह चार लाख में नहीं कर सके क्योंकि कांट्रेक्टर की कण्डीशन थी, उसे जान बूझकर पैंडिंग कर रखा है क्योंकि कांट्रेक्टर को फायदा मिलेगा। जब कान्ट्रेक्टर को फायदा मिलेगा तो सरकार को नुकसान होगा। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की गन्ध का इस मामले में आभास आता है। इसलिए मेरा चार्ज है कि इस काम को जल्दी तैयार नहीं करवाया जा रहा है तो कहीं न कहीं मंत्रीजी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

माननीय सिचाई मंत्रीजी चले गये हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पांचना प्रोजेक्ट के मामले में मैंने विधान सभा में कुछ उनसे निवेदन किया था उनको शायद याद भी होगा। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मैं जांच करूंगा। लेकिन आज दिन तक जो 14 लाख और 80 हजार का जो मेंटीनेंस और डीजल और आयल का खर्चा आया है उसमें राज्य सरकार को चार लाख का फायदा हुआ है···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस प्रकार से 10 लाख 80 हजार का घोटाला हुआ है····

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : इसकी जांच भी नहीं की गई। इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि राज्य सरकार गम्भीर निद्रा में सो रही है और यह नींद में डूबती जा रही है।

इन सारे हालातों को देखते हुए मेरा निवेदन है देश के अन्दर और हमारे प्रान्त के अन्दर जब तक यह सरकार रहेगी, जब तक इसका पतन नहीं होगा, जब तक इसका अन्त नहीं होगा तब तक लोग इसी प्रकार से दुख पाते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आपकी ढकोसलेबाजी को ठीक करें और लोगों को गुमराह न करें। इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया है मैं उसका घोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री देवीलाल जी।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रदर्शनकारी कृषकों के प्रतिनिधिमंडल से संबंधित मंत्री द्वारा विचार-विमर्श

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर। सभापति महोदय, किसानों की मांगों को लेकर जो जुलूस बाहर आया था उसको लेकर आसन की ओर से अभी-अभी रूलिंग हुई थी। आसन की ओर से एक व्यवस्था दी गई थी····

श्री सभापति : कोई व्यवस्था नही दी गई थी।

श्री यदुनाथ सिंह : यह व्यवस्था हुई थी, सभापति महोदय, सरकार का प्रतिनिधि

(श्री यदुनाथ सिंह)
जाकर उन लोगों के प्रतिनिधियों से बात करेगा। यह व्यवस्था आसन की ओर से हुई थी।

श्री सभापति : नहीं, आसन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हुई थी।

श्री यदुनाथ सिंह : आसन की ओर से व्यवस्था हुई थी, सभापति महोदय, आसन ने सरकार की ओर से जाने का तय किया था ...

श्री सभापति : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर, कैसे नहीं है। किसान मर रहा है, सभापति महोदय, आप कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है। बिजली के लिए तरस रहा है, वह मांग लेकर आया है, उससे बात करने वाला सरकार में प्रतिनिधि नहीं है। माननीय खेतसिंहजी ने कहा था कि सरकार बात करेगी उनके प्रतिनिधियों से। उनको बुला कर जन प्रतिनिधियों को जलील किया गया है। जो प्रभारी मंत्रीजी बैठे हुए हैं उन्होंने कह दिया कि हम इस बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं, बात करने को तैयार नहीं है। मैं सक्षम नहीं हूं बात करने को। सक्षम नहीं हैं तो क्यों बैठे हैं ? आज इस सदन में, इस सरकार में, राजस्थान में कोई सक्षम है या नहीं है किसी प्रतिनिधि से बात करने के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आसन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। मैंने यह जरूर सदन को निवेदन किया था, आपकी यह मांग थी तब मैंने यह कहा था कि यदि आपके पांच प्रतिनिधि ऊपर आ जावें तो ...

श्री यदुनाथ सिंह : ऊपर आए, साहब।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो उनसे मिलने के लिए सरकार तैयार है। मैंने आपसे यह भी निवेदन किया था कि उनको बाइज्जत रिसीव किया जाएगा और उनसे बात की जाएगी। लेकिन आप मेरी बात को न मानते हुए सदन से वाकआउट करके बड़ी नाराजगी दिखाते हुए चले गए तो बात वहीं खतम हो गई थी।

श्री यदुनाथ सिंह : बात कैसे खतम हो गई, सभापति महोदया, बात कैसे खतम हो गई ? आपने आश्वासन दिया तो प्रतिनिधियों को लेकर आए। ये आ गई प्रभारी मंत्री महोदया। इन्होंने यह कहा था वहां प्रतिनिधियों से कि मैं कुछ भी करने में अक्षम हूं। मैं कोई बात नहीं कर सकती। श्रीमती कमलाजी गई थीं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार की ओर से कोई बात करने के लिए सक्षम नहीं हूं फिर इनको बात करने के लिए भेजने की जरूरत क्या थी ? यह तो आपके सैक्रेटेरिएट की जिम्मेदारी थी। किसको भेजना था, किसको नहीं, यह सरकार की जिम्मेदारी थी। सदन के नेता आप ही थे उस समय।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्री महोदया मिल कर आ गई हैं तो फिर वह क्या चाहते हैं ?

(124)

श्री यदुनाथ सिंह : उन्होंने यह कहा, मैं इन मांगों पर कोई विचार आपके सामने नहीं रख सकती हूं· · ·

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : मैंने कहा, इसमें बहुत सारे विभागों के मामले सम्मिलित हैं इसलिए सब के बारे में मैं कोई भी आश्वासन देने में समर्थ नहीं हूं। तो इसमें गलत क्या कहा है।

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं, आपने कहा था बात करें इन सब के बारे में। जब माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने यह कहा, सब से वार्ता की जायगी, चर्चा की जायगी· · ·

श्री परसराम मदेरणा : गदबई से आने वाले सदस्य से मैं नम्र निवेदन करूंगा, आप विराज जाइये या तो आप बिराज जायं या मैं बैठ जाऊं। इस सदन की परम्परा रही है हाउस में एक ही व्यक्ति बोले, एक ही व्यक्ति खड़ा रहे।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं, जब कभी भी किसानों की मांग को लेकर यहां पर शिष्टमण्डल आया है, पिछले साल भी शिष्टमण्डल आया था, मैं उनसे मिला था, मैं मिला तो उन्होंने कई विभागों की समस्याओं का एक लम्बा चौड़ा चार्टर आफ डिमाण्ड दिया था। कोई भी मन्त्री इस स्थिति में नहीं हो सकता है, मंत्री ही नहीं मुख्य मन्त्री भी इस स्थिति में नहीं हो सकते हैं कि जो पूरी की पूरी डिमाण्ड रखते हैं उस सम्बन्ध में सन्तोषजनक जवाब दे या आश्वासन दे कि उस पर क्या कार्यवाही की जायगी जब तक कि प्रभारी मन्त्री से बात न कर ली जाय, बात करने के बाद सरकार स्वयं उस पर बैठकर निर्णय नहीं ले ले। इसलिये यह सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से माननीय मंत्री महोदया गईं, उनसे मिल आईं, उनका जो ज्ञापन था उन्होंने देख लिया, ज्ञापन ले आयी हैं। अब जिन-जिन विभागों से उस ज्ञापन का संबंध है उस सम्बन्ध में जो भी उचित कार्यवाही होगी वह कार्यवाही की जायेगी। आश्वासन देने की बात जहां तक है कोई भी मंत्री अकेला इस स्थिति में नहीं हो सकता क्योंकि कई मामले नीति से सम्बन्ध रखते हैं, कई मामले अर्थ से सम्बन्ध रखते हैं। सब प्रश्नों, जिन पर आप सन्तोषजनक उत्तर मांगते हैं, के ऊपर आश्वासन देने की कभी भी स्थिति में नहीं हो सकता है।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा आश्वासन का कहना ही नहीं है। सभापति महोदय, आश्वासन देने या नहीं देने का कहना नहीं था; मेरा कहना तो यह है कि जो मांग थी, मंत्रिमंडल की कलेक्टिव रेसपान्सिबिलिटी है, आप इससे बच नहीं सकेंगी। उनके बारे में तो उन प्रतिनिधियों से आपने चर्चा ही नहीं की। चर्चा तो करनी चाहिये थी मांग के बारे में।

श्रीमती कमला : आप गलत बोल रहे हैं। चर्चा ही करके आई हूं। आपने कहा, इन मांगों के बारे में आप क्या कहती हैं। मैंने कहा, यह विभिन्न विभागों से संबंधित मांगे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह ज्ञापन आपका दे दूंगी, विभिन्न विभागों के मंत्री साहबान से चर्चा करूंगी, मेरे विभाग के भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर मुझे अधिकारियों से चर्चा करनी पड़ेगी। इसलिये इस मौके पर कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं। इन सब बातों पर चर्चा की जाकर जो संभव होगा वह करेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री देवीलाल ।

(व्यवधान)

क्या चीज है, पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : प्रतिनिधि मण्डल ने यह कहा कि इन मांगों पर विचार करके हमें बताइये, क्या फैसला करती हैं। यह बात ठीक है, यह मांग पत्र लम्बा चौड़ा है, कई विभागों से संबंधित हैं, किन्तु किसान प्रतिनिधि यह चाहते थे कि आप कितने दिनों में संबंधित विभागों, मंत्री से जानकारी करके उत्तर देंगी। आप कोई फिक्स समय नहीं बता सकीं। प्रतिनिधि मंडल यह चाहता था कि हमें 5–7–10 दिन का समय दे दें, इतने दिनों के अन्दर विभागों से जानकारी करके किन किन मांगों पर कितना क्या कर सकती हैं। इस संबंध में हमें जानकारी दी जाये, यह कहा था। हम यह चाहते हैं, आप निश्चित समय दीजिये। निश्चित समय चाहते हैं। 10–15 दिन में इन मांगों के संबंध में · · ·

श्रीमती कमला : मैंने स्पष्ट कर दिया था कि यह ज्ञापन माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं पेश कर दूंगी, वह विभिन्न विभागों और मंत्री साहबान से चर्चा करके जो संभव है, सम्भव नहीं है उससे आपको अवगत करा सकेंगे। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा मिलना नहीं हुआ। अभी वह ज्ञापन पेश करूंगी। वह आपको अवगत करायेंगे कि कब तक क्या बात होगी।

श्री यदुनाथ सिंह : पहले भी ज्ञापन लेकर आये थे, कोई सरकार ने उत्तर दिया। उत्तर दिया नहीं सरकार ने। किसी का आज तक जवाब नहीं दिया।

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : माननीय सभापति जी, हमारे राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दियो वीको म्हारी तरफ से म्हारी पार्टी की तरफ से हृदय से स्वागत करूं हूं। म्हारी सरकार की तरफ सूं ई साल और लगातार चार साल सूं अकाल राहत कार्य चल रिहा हैं। म्हारी सरकार सगला काम में विजयी रही है। हजारां की संख्या में मजदूरों की अधिक ऊं अधिक मजदूरी लगायी है। म्हारी सरकार सम्पूर्ण गांवां में काम चलायो है। मूं म्हारी तरफ सूं म्हारी सरकार की सराहना करूं हूं। माननीय सभापति महोदय, पानी के बारे में, म्हारा भाई साहब कह रिया था, कोई योजना कोनी। हजारां गांवां के मायने हैण्ड पम्प लगाया हैं, नल कूप लगाया हैं। वाटर वर्क्स लगाया हैं। पूरे काल के मायने पानी की "समस्या व्ही वीने दूर करबा की पूरी योजना करी है।

दूसरो यह कि गांव गांव के मायने दुकानां खोल खोल कर धान की व्यवस्था करायी है, चाहे पंचायत समिति के मार्फत हो चाहे दूसरी दुकानां खुला कर, मजदूरों की पूरी पूरी मदद करी हैं म्हारी सरकार।

दूसरी बात या है, भाई साहब कहवे हैं, गांवों की ओर प्रशासन अभियान में कोई काम ना करायो। ना करायो है, जठे का अधिकारी ना करायो हो। वठे काम ना हुयो। जिण क्षेत्र का अधिकारी, वठे का प्रधान, सरपंच, पटवारी जी, तहसीलदार

(श्री देवीलाल)

एस.डी.ग्रो. साहब ग्रोर पंचायत समिति पूरो स्टाफ गांवों में जार पूरा काम काश्तकार को लगातार करायो है। भाई बंटवारा की बात ग्रापने करी। भाई बंटवारा के बारे में जो लोग गया ग्रोर वकील करनो पड़े हैं, चार सौ पांच सौ रुपया देने पड़े है ग्रोर वा ग्रादमी चार साल तक पांच साल तक ग्रदालतां के मायने चक्कर काटता रहवे है, फेर भी कोई वांको फैसलो नहीं होवे है वह फैसला गांव में, गांव के मायने उठे को उठे हुयो। वांका खाता खोल, ऊठे का ऊठे भाई बंटवारा करायो है। सारा का सारा बंटवारा का काम ऊठे हुग्रो है। नामान्तरण का काम, सारा का सारा ऊठे हुयो है। जो भी काश्तकार की समस्या ही।...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बातें नहीं करें ग्रापस में।

श्री देवीलाल : कोई भी नम्बर पलटवा की ही, जमीन पहले पटवारी जी 1223 में मांड दियो है ग्रोर कब्जो है 1224 में तो वांका कब्जा का फैसला भी ऊठे का ऊठे हुया है। कोई भी नाजायज कब्जो करियो है, हजारों ग्रादमियां का वह भी फैसलां ऊठे हुग्रा। काश्तकार की पेशियां पड़े है, नाजायज की वांके शायक बलक [पशु] बांधवा ग्राला भी ना होता, हैरबा ग्राला भी न होता बाड़े में बलक [पशु] बांध बार-बार पेशिया में जानो पड़तो, कोई चार साल से पड़ री है, कोई पांच साल से पड़ री है, वां काश्तकारां की समस्या कोई भी हल ना होती, ऊठे जाता ग्रोर एस.डी.ग्रो. साब वांकी पेशी भी कर देतां, दिन भर बैठ्या रहर पाछा ग्राता, पांच पांच साल सूं, छह छह साल सूं कोई वां काश्तकार ऊंठे ग्रदालता के सामने दिन भर बैठ्या रहर पांछा ग्रावे है जांकी समस्या गाव गांव में जार जार ऊठे मेटी। म्हारी पंचायत समिति के मार्फत दस हजार फारम छपाया, वां किसानां ने फ्री फारम दिया, चाहे ग्रलाटमेंट को हो, चाहे नामान्तरण को हो, चाहे बंटवारा को हो, जितरा भी फारम दस बीस हजार म्हारी पंचायत समिति छपाया, वाने फ्री दिया। उमें से सरपंचां ने दे दिया, पटवारी ने दे दिया। काश्तकार ने कोई कागज ल्यावा को काम न होवे। सारी योजना म्हारे क्षेत्र का ग्रधिकारी ग्रोर परधान ग्रोर ऊठे का ही ग्रधिकारी रात के इकग्यारा बजे तक ई कड़कती सर्द के मायने बैठर पूरी करी। लगातार 45 दिन को तो ग्रभियान हो ग्रोर म्हारी तहसील में तो 48 दिन तक गांव गांव में जा जार ई समस्या ने मेटी। मेरे तो या ग्रनुभव है। पूरे राज में लाखों ग्रादमियों को काम, काश्तकारां का काम सुलट गिया है। बड़ी से बड़ी समस्या काश्तकारां री, जमीन री है, हजारां रुपया वकील खा जावे है, फैसलो नहीं होवे है। यह समस्यां वांकी घर बैठ्या मेटी है। ग्राप कहो तो कहो पर वांको दिल जाने है, वांकी ग्रात्मा जाने है। हजारों लाखों ग्रादमियां को प्रशासन को काम हो, सबका काम हुग्रा है। म्हारा मुख्य मंत्री जी जो प्रशासन चलावे है, काश्तकारां की समस्या ग्रधिक सूं ग्रधिक मेटी है। इं वास्ते म्हारे राज की सराहना करनी चाहिये ग्रापने, लाखां ग्रादमियां की समस्या मेटी है।

दूसरी बात है, ग्राप कहवो हो कि 20 सूत्री कार्यक्रम में कोई भी काम नी हो रियो

(श्री देवीलाल)

है । 20 सूत्री कार्यक्रम एक गरीबां री सेवा है । आ सेवा है, इं 20 सूत्री कार्यक्रम रो साल भर बाद उद्धार देखियो । आ तो गरीबां री सेवा है, सेवा के रूप में 20 सूत्री कार्यक्रम है । 20 सूत्री कार्यक्रम में गरीबां की सेवा रो काम है चाहे पानी को, चाहे रहवां के मकाना की, चाहे शिक्षा की हो, जितरी भी सेवा है, 20 सूत्री कार्यक्रम के मायने शामिल है । 20 सूत्री कार्यक्रम के मायने वृक्षारोपण की बात है । मैं आपने विनम्र शब्दां में निवेदन करदयूं, वृक्षारोपण वृक्षा की माया है । वृक्षा की के है, माया है । वृक्षां की ही माया है, बरसात में, अकाल में, कतरी ही सर्दी हो, गरमी हो वृक्ष आकाश और पाताल सूं शक्ति खींचर पृथ्वी पर शक्तिशाली वण्या रहवे है । वृक्षां के पत्तां सूं हजारां तरह की बीमारियां अर विष दूर होवे है । वृक्षां का फल-फूल अनेक बीमारियां ने दूर करे हैं । वृक्षां की जितनी महिमा करें, थोड़ी है । महापुरुषों ने कह्यो है–

तरवर, सरवर, संतजन और चौथा बरसे मेह
परमारथ रे कारणै चारों धारी देह ॥

तो या वृक्षां की माया है । इसलिये आपने म्हारो यह निवेदन है कि म्हारी सरकार काश्तकारां के वास्ते ज्यादा सूं ज्यादा काम कर री है । आपने मूं कतरी बार निवेदन कियो है कि आपरी सरकार भी ढाई साल तक रही है पर काश्तकारां रो कोई भलो नहीं कर सकी । खाली हाथ पर हाथ धरे बैठी रही । किसानां रो गन्नों निकाल निकाल जला दियो । आज म्हारा काश्तकारां रो कोई भी काम हो वीके लिये चाहे म्हारी सरकार हो, चाहे मुख्य मंत्री हों, प्रधान हों या सरपंच हो, काम के लिये हमेशा तैयार रहवे हैं । वींका तन-मन कांग्रेस पार्टी कां है । इंदिरा गांधी काश्तकारां की प्राण है । वह म्हारी पार्टी की शोभा है । इतनो ही कह कर मूं धन्यवाद देऊं हूं ।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद जैन ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण पढ़वाया गया उसको हमने पढ़ा । राजस्थान के विकास को कौनसी दिशा मिलेगी, किस प्रकार से इस प्रदेश के विकास को राज्यपाल महोदय मोड़ देना चाहते हैं इसको पढ़ने से सब लोग यह जानेंगे कि यह एक फर्जी, मायाजाल के रूप में पेश किया गया दस्तावेज है । इसमें कहीं भी यह नहीं दर्शाया गया है कि पिछले साल में क्या किया गया और न आगे के वक्त में क्या करेंगे इसकी कोई निश्चित रूपरेखा लिखी गई है ।

एक माननीय सदस्य : चश्मा लगा कर देखो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका चश्मा आपको ही मुबारक हो । मुझे उस चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है ।

इसमें प्रत्येक पैराग्राफ में लिखा है, यह लक्ष्य है, प्रयास किया जा रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं । कितना आगे बढ़ेंगे इस प्रकार की बात इसमें नहीं के बराबर की गई है । मैं आपके 20 सूत्री कार्यक्रम और 20 संकल्प की थोड़ी सी चर्चा कर देना चाहता हूं । 20 संकल्प लिए थे और भूमिका बनाई थी मुख्य मंत्रीजी ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखते हुए

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कि इस प्रकार प्रशासन को सुदृढ़ और चुस्त बनायेंगे और हमारी निगाह इस पर रहेगी। अब लोग स्कूल नहीं मांगेंगे बल्कि स्कूलों में सुधार मांगेंगे। अब शिक्षा की नहीं, बढ़िया शिक्षा की आवश्यकता होगी। इन कार्यक्रमों के संपुट के अलावा हमारा विकास तंत्र पुराना और समय-सिद्ध है। प्रशासन की कमियों को दूर करने के उपाय किये जायेंगे। हमारी बुद्धि इस पर लगेगी कि क्रियान्वित होते कार्यक्रम पर नजर रहे और इसके लिये बजट भी दे दिया गया है। इसके लिये मंत्रियों को हरेक जिले का प्रभारी मंत्री बना दिया गया है। जिलाधीश को जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। विभागाध्यक्ष उन पर नजर रखेंगे और उनकी पर्सनल रेस्पांसिबिलिटी होगी, यह भी तय कर दिया गया है। लेकिन मैं आज पूछता हूं कि इस 20 संकल्प की चर्चा इसमें क्यों नहीं की गई ? क्योंकि इसकी कोई उपलब्धि नहीं है। केवल यह दस्तावेज बना कर हम राजस्थान की जनता को बेवकूफ और मूर्ख बना रहे हैं। हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और न किसी प्रकार का विकास किया गया है।

20 सूत्री संकल्प के अन्तर्गत प्रशासन गांवों की ओर की चर्चा की गई। मैं भी साथ गया हूं। वहां पर 27–28 सूत्र थे उनमें मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि थोड़ा बहुत काम राजस्व विभाग का हुआ, कुछ जमीनों का नियमन हुआ, कुछ नामान्तरण भरे। इस प्रकार का काम तो सरपंच और पटवारी लेवल पर भी हो सकता था। यह काम थोड़े रूप में हुए हैं। लेकिन ज्यादातर काम किस प्रकार के हुए ? आज वहां पर गरीबों को अलाटमेंट नहीं हुआ। जो नियमों में अलाटमेंट के प्रावधान हैं, किसी गरीब, अनुसूचित जाति और जन-जाति को जमीन न देकर इस प्रकार के लोगों के नाम अलाट हुई जो काश्त से कोई मतलब नहीं रखते हैं। जो शहर से उठ कर वहां गये और किसी एम.एल.ए., सरपंच तहसीलदार, एस.डी.ओ. या किसी प्रभावशाली आदमी के मिलने वाले है, 75 प्रतिशत अलाटमेंट ऐसे लोगों को हुआ। अलाटमेंट या तो राज्य कर्मचारियों की पत्नियों के नाम पर हुआ या राजनेताओं के नाम पर हुआ। किसानों को नहीं हुआ। रास्तों को अलाट कर आये। किसानों को कोर्ट के दरवाजों पर हमने खड़ा कर दिया। हजारों किसान आज जयपुर में घूम रहे हैं। कोई किसी एम.एल.ए., कोई किसी मंत्री के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है।

जो राजस्व के मामले हैं उनमें बार-बार सर्क्यूलर निकाले गये कि जिनका 1970 से कब्जा है उनका नियमन कर दिया जाय। यह परिपत्र फरवरी में जब प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा था उस समय निकाला गया। जो सामूहिक खेती की जमीने हैं उनके बंटवारे के बारे में परिपत्र भेजा गया लेकिन उसका कहीं क्रियान्वयन नहीं हुआ। सैटलमेंट वालों ने गड़बड़ी की, सिवाय चक की जमीन गोचर में और इसकी खेती उसको दे दी। एक मामला भी दुरुस्त कर इन्द्राज नहीं किया गया। एस. डी. ओ., तहसीलदार कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं तो फिर प्रशासन गांवों की ओर काहे के लिये आया है ? लोग सुबह से शाम तक इंतजार में बैठे रहते थे।

इसी प्रकार बाकी के कार्यक्रमों में क्या हुआ ? ग्राम सभाएं हुईं, निर्णय लिये गये

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कि यहां तालाब, सड़क, नाला, औषधालय के प्रावधान किये जायेंगे । क्या हुआ उनका ? पिछड़े को पहले योजना में चयनित करके कितने लोगों को लाभान्वित किया ? कुछ थोड़े बहुत अंगुलियों पर गिनने योग्य बतलाने के लिये तैयार किये जा रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं आखिरी एक महीने को छोड़ कर बाकी के 11 महीनों में कितने लोगों को लाभान्वित किया गया ? और केवल एक महीने में कितने लाभान्वित किये गये ? इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है । जो सब्सिडी की रकम थी, अनुदान था वह बैंक के अधिकारी, कर्मचारी ऊपर ही ऊपर साफ कर गये कि यह अनुदान तो हमारा है । पर्चेजिंग कैम्प आखिर में लगा कर भी बहुत बड़ा घोटाला किया गया । इस प्रकार के 2–3 कार्यक्रम मुख्य रूप से वहां पर हुए हैं बाकी केवल ग्राम सभाएं की गईं । उनमें प्रस्ताव पास कर लिये गये और वहां जाकर ग्राम सभाओं में . . .

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल मंगलवार, दिनांक 22 फरवरी के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4.59 बजे मंगलवार दिनांक 22 फरवरी, 1983 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 32 की सूची)

नियोजन कार्यालय अलवर से प्राप्त कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु सामान्य वर्ग के आशार्थियों के नामों की सूची दिनांक 21-7-81

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	जन्म तारीख	शैक्षणिक योग्यता	उपस्थिति/अनुपस्थिति
1	2	3	4	5
1.	कुमारी शशि जैन पुत्री श्री रिखभ कुमार जैन, महावीर मार्ग, अलवर	21-4-56	एम.काम. टाइपिस्ट	अनुपस्थित
2.	कुमारी विमला रानी जुनेजा पुत्री श्री जेठानन्द जुनेजा, तिवाड़ी का कुआ, मुंशी बाजार, अलवर।	3-7-59	हायर सैकण्डरी ,,	उपस्थित
3.	कुमारी अमीता रानी अरोड़ा पुत्री श्री मुकुन्द लाल अरोड़ा हाउस नं. 163, सिद्धीपुरा सब्जी मंडी के पास, अलवर।	11-2-57	हायर सेकेण्डरी ,,	,,
4.	कुमारी सुमन लता सोनी पुत्री श्री महेन्द्र कुमार बनारसी दास कापड़े का मकान, बीच का मोहल्ला, दरवाजे के अन्दर, अलवर।	21-8-61	सैकण्डरी हिन्दी व अग्रेजी टंकण का ज्ञान	,,
5.	कुमारी कुसम लता सोनी पुत्री महेन्द्र कुमार बनारसी दास कापड़े का मकान, बीच का मोहल्ला, दरवाजे के अन्दर, अलवर।	13-5-63	सैकेण्डरी टाइपिस्ट	,,
6.	कुमारी पुष्पा माथुर पुत्री श्री जुगल किशोर माथुर, प्लाट नं. 31 लडिया बाग, अलवर।	10-10-59	सेकेण्डरी टाइपिस्ट	,,
7.	श्री मदनसिंह पुत्र देवी सिंह, खोरा मोहल्ला, आर्य कन्या, अलवर।	20-9-46	बी.ए. टाइपिस्ट	,,
8.	श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री लाल राम तोली का कुआ, चक्की वाली गली, अलवर।	5-4-62	हायर सैकेन्डरी	अनुपस्थित
9.	श्री सुन्दर कुमार शर्मा पुत्र श्री गंगा-राम नया बास, लोडी का बास, अलवर।	14-2-57	एम. काम. ,,	उपस्थित

(131)

1	2	3	4	5
10.	श्री राम चरण शर्मा पुत्र श्री गिरराज शर्मा, नंगला माधोपुर, पोस्ट ऑफिस सोखरी तह. लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर।	13-3-57	सैकण्डरी टाइपिस्ट	उपस्थित
11.	श्री दिनेश कुमार सोनी पुत्र श्री मुन्शी लाल सोनी, होप सर्कस, आसत वाली गली, अलवर।	3-5-59	टी. डी. सी. प्रथम	,,
12.	श्री घनश्याम दास गुप्ता पुत्र श्री माता-दीन गुप्ता, सब्जी मण्डी, ग्राम पोस्ट तिजारा अलवर।	13-7-54	हायर सकण्डरी	,,
13.	श्री घनी राम पुत्र सूरज प्रसाद शर्मा विलेज एवम पोस्ट रामगढ़ (अलवर)।	2-3-56	हायर सैकण्डरी	,,
14.	श्री कुलदीप सिंह शर्मा पुत्र सांवरी लाल शर्मा श्री घनश्याम सिंह का मकान, बड़ी हवेली बिसारथी का कुआ, लडिया मोहल्ला, अलवर।	1-11-55	हायर सैकेण्डरी	,,
15.	श्री सुरेश चन्द जांगड़ा पुत्र श्री रामजी लाल जांगड़ा द्वारा फूल चन्द प्रताप बास, अलवर।	9-7-59	हायर सैकेण्डरी टाइप	,,
16.	श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मुंशी लाल गुप्ता टीचर मोहल्ला, तिजारा (अलवर)।	14-9-62	हायर सैकेण्डरी	,,
17.	श्री शिवलाल सैन पुत्र श्री कन्हैयालाल सैन मोहल्ला छैला पाड़ी, सागर ऊपर, अलवर।	5-7-58	सैकेण्डरी	,,
18.	श्री सतीश कुमार सैनी पुत्र श्री श्यामलाल सैनी दिल्ली दरवाजे के बाहर, बालूवाला कुआ, अलवर।	3-9-61	सैकेण्डरी	,,

1	2	3	4	5
19.	श्री सुरेश चन्द पुत्र ख्याली राम गुप्ता तोली का कुआ, कोठारी की हवेली, अलवर ।	9-2-59	हायर सैकेण्डरी	उपस्थित
20.	श्री गंगा बक्स यादव, पुत्र श्री कन्हैया लाल यादव नया बास काला कुआ, अलवर ।	23-7-61	सैकेण्डरी	,,
21.	श्री महेश चन्द पुत्र किशन लाल शर्मा कोठी दशहरा, बीच का मोहल्ला, अलवर ।	23-8-55	हायर सैकेण्डरी	,,
22.	श्री कमल बिहारी पुत्र श्री बाल किशन वर्मा बजाजा बाजार, आर्य समाज मंदिर के पीछे, अलवर ।	23-7-58	,,	,,
23.	श्री राम बाबू शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा दिल्ली दरवाजे के बहार, गंगा मंदिर के आगे, अलवर ।	6-3-81	सैकेण्डरी	अनुपस्थित
24.	श्री अनिल कुमार बंगा पुत्र श्री शांति स्वरूप बंगा मं. नं. 187, मोहल्ला खैदना, अलवर ।	15-6-60	हायर सैकेण्डरी	उपस्थित
25.	श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री राम सहाय जैन द्वारा महावीर प्रसाद जैन, जैन औषधालय के सामने, हलवाई पाड़ा, अलवर ।	20-11-59	हायर सैकेण्डरी	,,
26.	श्री रामावतार गुप्ता पुत्र श्री गिरधारी लाल गुप्ता, न्यायालय के पास, गूजरपाड़ी, अलवर ।	13-3-60	हायर सैकेण्डरी	,,
27.	श्री राज कुमार वर्मा पुत्र जीयालाल वर्मा बिहारी लाल जिया लाल ठठेरा, मालन की गली, अलवर ।	5-4-57	बी. ए.	,,

1	2	3	4	5
28.	श्री जगन्नाथ प्रसाद पुत्र श्री करम चन्द ग्राम पोस्ट रामगढ़ (अलवर)	15–4–58	हा. सैकेण्डरी	उपस्थित
29.	श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल गोपाल टाकीज के सामने वाली गली, अलवर	15–7–60	सैकेण्डरी	"
30.	श्री बृज मोहन सोनी पुत्र श्री पन्ना लाल सोनी मोहल्ला भीखम सैयद, अलवर	20–6–60	हा. सैकेण्डरी	"
31.	श्री राम किशन गुप्ता पुत्र श्री राम शरण शर्मा ग्राम पोस्ट जोनेयबा कलन, तहसील बहरोड़, अलवर	7–6–56	हा. सैकेण्डरी	अनु.
32.	श्री हरिमोहन पुत्र श्री कुंशी राम सैनी गैस वैल, मेहताब सिंह के नोहरे के पीछे, अलवर	22–3–61	हा. सै.	उपस्थित
33.	श्री केदारनाथ गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, भोली का मोहल्ला, शिवपुरा, खेडलगंज, अलवर	24–9–61	हा. सै.	"
34.	श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन, द्वारा महावीर प्रसाद, हलवाई पाडा, अलवर।	4–6–61	"	"
35.	श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री घासीराम शर्मा ग्राम पोस्ट अकबरपुरा, तह अलवर, जिला अलवर	28–4–62	"	"
36.	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री राधेश्याम नाकेदार मेहताबसिंह का नोहरा, नयी बस्ती, अलवर	6–6–60	"	"
37.	श्री पन्नालाल गुप्ता पुत्र श्री रामदयाल ग्राम पोस्ट मूतेरी वाया तहसील बानसूर (अलवर)	10–9–62	सैकेण्डरी	"
38.	श्री भगवानदास पुत्र श्री लालाराम सैनी फूटी खेल दिल्ली दरवाजे के बाहर, अलवर	17–6–65	"	"
39.	श्री कमल प्रकाश सैनी पुत्र श्री नारायण-लाल सैनी काली मोरी हीरा वास, अलवर	13–7–59	"	अनु.
40.	श्री रमेशचन्द्र सोनी पुत्र श्री रामप्रसाद सोनी, बजाजा बाजार, अलवर	5–7–58	प्रथम वर्ष	उपस्थित

(134)

1	2	3	4	5
41.	विरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री हरीशचन्द्र शर्मा नवाब पुरा, मकान नं. 76/10, अलवर	6–8–58	बी.काम.	उपस्थित
42.	श्री सुभाषचन्द्र शर्मा पुत्र श्री किशोरीलाल शर्मा ग्राम पोस्ट तेला, तहसील राजगढ़ (अलवर)	1–7–58	हा. सै.	,,
43.	श्री अशोक कुमार सेठी पुत्र श्री हजारीलाल ग्राम बस्सी, वाया अजरका (अलवर)	1–1–60	बी.ए.	अनुपस्थित
44.	श्री कैलाश खण्डेलवाल पुत्र श्री सम्पतराम खण्डेलवाल टेप कालेज, बजाजा बाजार, अलवर	25–12–58	हा.सै.	उपस्थित
45.	श्री महेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री रेवडमल शर्मा, कोटडिया भवन, नया बस स्टेण्ड सोडावाला	6–6–60	सैकण्डरी	,,
46.	श्री नरेश कुमार पुत्र स्व. नवल किशोर भार्गव द्वारा भारत टिम्बर मर्चेन्ट, मनी का बाजार, अलवर	21–2–56	हा.सै.	अनुपस्थित
47.	श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन द्वारा बाबूलाल पदमचन्द जैन गोपीनाथ शर्मा का मकान हकीमजी की गली, अलवर	23–7–58	बी.काम.	,,
48.	श्री सीता राम शर्मा पुत्र श्री बिरदु राम शर्मा ग्राम डूंगा का बास, पोस्ट कोलेडा, तहसील लानगाजी	7-7-60	प्रथम वर्ष टी.डी.सी.	,,
49.	श्री अभिनन्दन कुमार जैन पुत्र श्री रोशन लाल डा. गंगाबक्स जी का मकान, तोली का कुआ राणा रंग भैरू की गली, अलवर	25-5-59	हा.सै.	उपस्थित
50.	श्री कान्त शर्मा पुत्र श्री गिरीराज किशन शर्मा प्लाट नं. 246 आर्य नगर, अलवर	18-12-59	हा.सै.	,,
51.	श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री ठाकुर दास ग्राम पो. मिरजापुर रेल्वे स्टेशन, हुरसोली तह. किशनगढ़, जिला अलवर	28-11-58	प्रथम वर्ष टी.डी.सी.	,,
52.	श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रभाती लाल शर्मा स्कीम नं. 1 प्लाट नम्बर 181, अलवर	1-1-55	मैट्रिक	,,
53.	श्री दिनेश चन्द भार्गव पुत्र श्री मिठ्ठन लाल भार्गव, स्कीम नं. 2 वाटर वर्कस, अलवर	3-11-57	हा.सै.	,,

135.

1	2	3	4	5
54.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री नानगराम शर्मा, नाथू लाल मोदी का मकान, तेली का कुआ, अलवर	21-10-58	हा. सै.	उपस्थित
55.	श्री सतवन्त सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह ग्राम डाडर, पो. बुरजा, जिला अलवर	12-5-60	"	"
56.	श्री देवेन्द्र कुमार भाटिया पुत्र श्री चान्दभान भाटिया मकान नं. 39, मोह. भैरू थाना, अलवर	10-7-61	"	"
57.	श्री महेश कुमार अरोड़ा पुत्र श्री प्रभुदयाल, मोह. धाकपुरी हाउस, ओल्ड जनाना अस्पताल के पीछे, अलवर	10-11-61	"	"
58.	श्री खेम बाबू शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल शर्मा नाला शीश गरान, अलवर	1-7-55	हा. सै.	"
59.	श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री किशोरी लाल ग्राम पो. गोरधनपुरा, वाया तेला तह. राजगढ़, अलवर	28-7-57	सैकण्डरी	अनुपस्थित
60.	श्री गिरराज प्रसाद पुत्र श्री प्रभुदयाल गुप्ता ग्रा. पोस्ट इस्माइलपुरा, जिला अलवर	1-1-61	हा. सै.	"
61.	श्री मोती लाल सैन पुत्र श्री कंवल सिंह सैन, ग्राम पो. कवरपुरा, जिला अलवर	3-6-60	"	उपस्थित
62.	श्री गुरु कृपाल सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह वी. देवखरा, जिला अलवर	5-11-57	बी.ए.	अनुपस्थित
63.	श्री राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री बुद्धा राम सैनी मोह. दिवान बाडी, ग्रा.पो. तिजारा, अलवर	2-2-61	हा. सै.	उपस्थित
64.	श्री बाबू लाल शर्मा पुत्र श्री लढी प्रसाद शर्मा नया बास, जय पठान के पास, अलवर	2-1-61	हा. सै.	"
65.	श्री खान चन्द पुत्र श्री मोहन लाल, रंग भैरू की गली मकान नं. 1/351 काला भवन के पास	12-8-54	बी.काम.	"

1	2	8	4	5
66.	श्री हंस राज गौड़ पुत्र श्री मोती लाल गौड़, अखीपुरा अलवर	10-8-59	बी. ए.	उपस्थित
67.	श्री सुबे सिंह पुत्र श्री राजा राम, ग्राम पोस्ट सैनपुरी, पोस्ट घटाला जिला अलवर	20-4-55	बी. ए. (प्रथम वर्ष)	अनुपस्थित
68.	श्री अमर नाथ अग्रवाल पुत्र श्री रामस्वरूप, चमेलीबाग धारी हाउस, अलवर	5-7-58	बी.ए.	उपस्थित
69.	श्री माता दीन पुत्र श्री हरि किशन शर्मा शर्मा सदन, राजाजी का बाग, अलवर	5-5-61	बी.काम.	,,
70.	श्री निरंजन लाल वर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल, महावीर मार्ग धोबी पाडा, अलवर	30-6-58	हा. सै.	,,
71.	श्री योगेश चन्द शर्मा पुत्र श्री बृज मोहन शर्मा द्वारा विजय टाइप कालेज, अलवर	12-11-62	सैकण्डरी	अनुपस्थित
72.	श्री शम्भू दयाल शर्मा पुत्र श्री राम कृपाल शर्मा नयी सड़क गुजर परी, अलवर	9-3-60	हा. सै.	उपस्थित
73.	श्री बृज किशोर मित्तल पुत्र श्री रमेश चन्द मित्तल दर्जी पाडा, जैन होस्पिटल के पास, अलवर	2-1-63	,, ,,	,,
74.	श्री मोती लाल सोनी पुत्र श्री नारायण लाल, बजाजा बाजार, त्रिपोलीया के पास, अलवर	20-5-59	प्रथम वर्ष टी. डी. सी.	,,
75.	श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री जय दयाल, मै जनता ट्रांसपोर्ट कं. रामगंज, अलवर	13-7-59	बी. ए.	,,

1	2	3	4	5
76.	श्री सुमन्त माथुर पुत्र श्री आर. के. माथुर द्वारा आर. सी. सैनी. सेठ का किला, अलवर।	13–3–56	बी. एस सी.	उपस्थित
77.	श्री श्रवण कुमार वसु पुत्र श्री प्रभु दयाल वसु, नेहरू मार्ग खैरथल, अलवर।	15–8–53	हा. सै.	,,
78.	श्री गजेश कुमार सैन पुत्र श्री रामजी लाल सैन मोहीनी का प्याऊ, अलवर।	31–12–62	हा. सै.	,,
79.	श्री मुरारी लाल शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा महावीर मार्ग, धोबी पाडा, अलवर।	10–1–63	हा. सै.	,,

नियोजन कार्यालय, अलवर के यहां से प्राप्त कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों की सूची 21.8.81

क्रम सं.	नाम अभ्यर्थी एवं पता	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
1.	श्री मोतीलाल मन्डल पुत्र श्री हीरा-लाल मण्डल द्वारा श्री कजोड़मल मीना, आर. एस. ए. टेलीफोन एक्स-चेंज, अलवर।	2–3–62	सैकण्डरी (टाइप ज्ञान) उपस्थित
2.	श्री श्रीराम मीणा पुत्र श्री रामसहाय मीणा, मोहल्ला लाल डिग्गी, अलवर।	1–2–57	बी. कॉम (टाइप ज्ञान) उपस्थित
	समाज कल्याण विभाग से प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची		
3.	श्री नारायण सिंह मीणा पुत्र श्री दलसिंह मीणा, कारोली पोस्ट अस्तावन, भरतपुर।	18–12–51	हा. सै. उपस्थित

1	2	3	4
4.	श्री रामचरण मीणा पुत्र श्री कन्हैया लाल मीणा, भैंस का चबूतरा, अलवर।		हा. सै. उपस्थित

नियोजन कार्यालय, अलवर के यहां से प्राप्त कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की सूची

दिनांक 21-7-81

क. सं.	नाम अभ्यर्थी एवं पता	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
1.	श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री शिवलाल हरिजन प्लाट नम्बर 32, बैंक कालोनी, अलवर।	6-6-61	हायर सैकण्डरी (टाइप ज्ञान) अनुपस्थित
2.	श्री सियो रतन पुत्र श्री रूप मल हरिजन ग्राम व पोस्ट हरसोली, जिला अलवर।	8-3-56	सैकण्डरी ,, उपस्थित
3.	श्री देवी सहाय पुत्र श्री उदाराम कोहली, सर्राफ बाजार, मोती गली, कोलीपाडा, दुर्ग भवन, अलवर	20-9-58	हा. सै. ,, उपस्थित
4.	श्री नानकचन्द हरिजन पुत्र श्री थावरिया हरिजन, ग्राम व पोस्ट हरसोली, तहसील किशनगढ़ बास, अलवर।	12-3-59	सैकण्डरी ,, अनुपस्थित
5.	श्री सरसिंह धांक पुत्र श्री मनोहरलाल धांक ग्राम बिझंपुर पोस्ट प्रतापपुर, तहसील बहरोड़, अलवर।	7-7-62	सैकण्डरी ,, उपस्थित
6.	श्री गणपत राम कोली पुत्र श्री जयदयाल कोली, मोहल्ला कोलीवाला ग्राम व पोस्ट तिजारा, अलवर।	3-7-54	सैकण्डरी ,, उपस्थित
7.	श्री गोकुलचन्द पुत्र श्री प्रहलादसिंह ग्राम पोस्ट बहरोड़, अलवर।	2-9-57	हा. सै. अनुपस्थित

नियोजन कार्यालय, अलवर के यहां से प्राप्त कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची 13-8-81

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी व पता	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	उपस्थित/अनुपस्थित
1	2	3	4	5
1.	कु. उषा तनवार पुत्री श्री भगवानसिंह तनवार, तनवार कालोनी, लाल डिग्गी, अलवर।	1-1-55	एम.ए.	उपस्थित
2.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री धनीराम जैन 205, आर्यनगर, स्कीम –1, अलवर।	3-3-59	टी.डी.सी. प्रथम वर्ष	,,
3.	श्री विनोद कुमार ग्रोवर पुत्र श्री उदयभान ग्रोवर, मुहल्ला शिकारी पाडा, मुंशी बाजार के पास, अलवर।	12-5-61	हायर सैकण्डरी	,,
4.	श्री जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र श्री राम लाल सैनी, पुराने बिजली घर के पीछे, मुहल्ला लाखहण्डा वालों का, अलवर।	14-6-56	हायर सैकण्डरी	,,
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री नानग-राम शर्मा, नाथूराम मोदी का मकान, टोली का कुंआ, अलवर।	21-10-58	हायर सैकण्डरी	,,
6.	श्री अनिल कुमार वधावा पुत्र श्री जीवनदास 99, गंज की गली, अलवर।	26-8-63	हायर सैकण्डरी	,,
7.	श्री गुलशन राय धल पुत्र श्री सोमनाथ धल, गोयल पुस्तक भण्डार, मालाखेड़ा बाजार, राजगढ़, अलवर।	4-4-59	बी.काम	,,
8.	श्री सतीश कुमार पटनावाला पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा श्री जी.सी. जैन, सहायक निदेशक, उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, अलवर।	15-7-60	हायर सैकण्डरी	,,
9.	श्री जीतराम यादव पुत्र श्री घासीराम यादव, ग्राम नाहरखोरा पो. खानपुर, अलवर।	9-2-57	बी.एस-सी. बी.एड.,	,,

1	2	3	4	5
10.	श्री शशि कान्त गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, ग्राम व पोस्ट भनोत, तहसील मण्डावर, अलवर।	6-10-58	बी.ए.	उपस्थित
11.	श्री रामेश्वर दयाल शर्मा पुत्र श्री लीलाधर शर्मा द्वारा जी सी. जैन, सहायक निदेशक, उपप्रादेशिक रोजगार कार्यालय, अलवर।	2-10-53	बी.ए.	अनुपस्थित
12.	श्री जगदीश प्रसाद यादव पुत्र श्री घीसाराम, प्लाट नम्बर 182, आदर्श कालोनी, अलवर।	9-1-57	बी.ए.	उपस्थित
13.	श्री शिवचन्द शर्मा पुत्र श्री रघुवर दयाल शर्मा ग्राम व पोस्ट मालाखेड़ा, जिला अलवर।	5-11-58	बी.ए.	"
14.	श्री मदन मोहन शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा, ग्राम गुजूली पोस्ट खानपुर अहीर, अलवर।	5-1-55	बी.ए.	"
15.	श्री सरदार खान मेव पुत्र श्री भेवसिंह ग्राम जाटिनमा, पोस्ट रासीसस का नागला, तहसील अलवर, जिला अलवर।	6-5-55	बी.एस-सी.	"
16.	श्री अमर सिंह धाहिया पुत्र श्री दुली चन्द धाहिया, ग्राम व पोस्ट हरसोली, जिला अलवर।	5-3-55	बी.एस-सी.	"
17.	श्री प्यारा लाल यादव पुत्र श्री भगवाना दास, ग्राम शरणावास, पोस्ट पालपुर, तह. किशनगढ़, अलवर।	18-8-58	बी.ए.	"
18.	श्री कजोड़ी लाल शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल शर्मा, ग्राम होडीला, तह. राजगढ़, जिला अलवर।	16-5-58	बी.ए.	अनुपस्थित

1	2	3	4	5
19	श्री मोहन लाल वर्मा पुत्र श्री मांगी लाल शर्मा, ग्राम पहाड़ी, तहसील बहरोड, जिला अलवर।	12-5-54	एम.ए.	उपस्थित
20.	श्री बाबूलाल यादव पुत्र श्री गोपालसिंह यादव, ग्राम व पोस्ट बहरोड, जिला अलवर।	13-8-53	बी.ए.	अनुपस्थित
21.	श्री निहाल चन्द व्यास पुत्र श्री घासी राम व्यास, अलवर दरवाजे के पास ग्राम व पोस्ट मालाखेडा, अलवर।	18-10-53	बी.ए.	उपस्थित
22.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री राम लाल शर्मा, ग्राम व पोस्ट राजपुर (बादा), तहसील राजगढ़, जिला अलवर।	3-12-53	एम.ए.	,,
23.	श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री उमा दत्त शर्मा, हजारी का मोहल्ला, देवी जी का मन्दिर के समीप, अलवर।	5-6-59	बी.एससी.	,,
24.	श्री मदनमोहन शर्मा पुत्र श्री भवान शर्मा, ग्राम व पोस्ट चित्तोडारावल, तहसील फागी, जिला जयपुर।	1-7-58	बी.काम.	अनुपस्थित
25.	श्री अनुप कुमार शर्मा पुत्र श्री प्यारे लाल शर्मा, दिल्ली दरवाजे बाहर, खान के पास, अलवर।	28-12-56	सैकण्डरी	उपस्थित
26.	श्री महेन्द्र सिंह नरूका पुत्र श्री छाजू सिंह नरूका, ग्राम व पोस्ट प्रिथिपुरा जिला अलवर।	1-1-58	बी.एससी.	,,
27.	श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता पुत्र श्री प्यारे लाल गुप्ता, राम मार्केट, बजाजा बाजार, अलवर।	20-8-58	बी.काम	,,

जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण विभाग, अलवर के यहां से प्राप्त अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की सूची 13-8-81

क्र.सं.	नाम मय पता	योग्यता	जाति	जन्म तिथि	उपस्थिति का निशान
1.	श्री गोरी शंकर पुत्र श्री पांचू राम, मु. पो. रामपुर चोहान, तहसील बानसूर (अलवर)।	बी.ए.	खटीक	12-6-53	उपस्थित
2.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र मगन लाल, मु. पो. हरसाना तह. लक्ष्मणगढ़, (अलवर)।	एम.ए.	मीणा	28-8-57	अनुपस्थित
3.	श्री गंगा राम पुत्र श्री हरचन्द, ग्राम कीलपुरखेडा, वाया रैणी तहसील राजगढ़, अलवर।	बी.ए.	चमार	4-5-58	उपस्थित
4.	श्री पूरण मल पुत्र श्री राम पाल सराय मोहल्ला, राजगढ़, अलवर।	बी.ए.	बैरवा	31-12-59	अनुपस्थित
5.	श्री सुबा राम पुत्र श्री मांगी लाल, मु. पो. लक्ष्मणगढ़, अलवर।	बी.ए.	खटीक	8-7-54	उपस्थित
6.	श्री बाबू लाल पुत्र श्री सुल्तान सिंह, ग्राम पो. पदमाडी खुर्द, अलवर।	बी.ए.	चमार	10-4-56	उपस्थित

चयनित उम्मीदवारों का नाम, पिता का नाम एवं निवास स्थान आदि का विवरण

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	निवास स्थान वर्ग	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति हेतु आवंटित मंडी समिति	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री गौरीशंकर	श्री पांचुराम	बानसूर अलवर अनु. जाति	12-6-55	बी.ए.	अलवर	
2.	श्री अमरसिंह	श्री दुलीचन्द्र	हरसौली अलवर सामान्य	5-2-55	बी.एस सी.	खैरथल	
3.	श्री जीतराम	श्री घीसाराम	नाहरखेड़ा अलवर सामान्य	9-2-57	,, ,,	खेरली	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	श्री राममीणा	श्री राम सहाय मीणा	लाल डिग्गी, अलवर 'अनु.जन जाति'	1-2-57	बी.काम	अलवर	
5.	श्री सुमतमाथुर	श्री आर. के. माथुर	अलवर सामान्य	13-3-56	बी.एससी.	अलवर	
6.	श्री निहालचन्द्र	श्री ग्यारसीराम	मालाखेड़ा अलवर सामान्य	10-10-53	बी. ए.	राजगढ	
7.	श्री गंगाराम	श्री हरचन्द्र	कोलपुरखेडा अलवर 'अनु. जाति'	4-5-58	बी. ए.	खेरली	
8.	श्री मदनमोहन	श्री मूलचन्द्र	ग्राम गुज्जूकी 'अलवर सा.'	5-1-55	बी. ए.	खैरथल	
9.	श्री रमेशचन्द्र	श्री रामप्रताप सोनी	'अलवर सा.'	5-1-58	हा. सैकण्डी	अलवर	
10.	श्री निरंजनलाल	श्री गिरधारी लाल	अलवर ,,	30-6-58	,,	,,	
11.	श्री मोतीलाल	श्री कमलसिंह	अकबरपुर ,, अलवर	3-6-60	,,	खैरथल	
12.	श्री रामचरण मीणा	श्री कन्हैयालाल	अलवर 'अनु.जन.जाति'	,,	,,	अलवर	
13.	श्री श्रवणकुमार	श्री प्रभूदयाल	खैरथल, अलवर "सामान्य"	15-8-53	,,	खेरली	
14.	श्री देवीसहाय	श्री उदाराम	अलवर "अनु. जाति"	2-9-58	,,	खैरथल	
15.	श्री अभिनन्दन कुमार	श्री रोशनलाल,	अलवर "सामान्य"	25-7-59	,,	खेरली	

(५५)

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 34 का ब्यौरा

परिशिष्ट "अ"

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में किये गये वर्ष वाइज आवंटन राशि का ब्यौरा

(लाख रुपये)

वर्ष	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	संस्थागत वित्त	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	योग
1974-78	5532.00	739.90	125.40	826.35	7223.65
1978-79	3015.68	337.00	219.80	13.55	3586.03
1979-80	3335.80	327.00	165.78	254.83	4083.41
1980-81	3382.40	286.49	203.40	275.39	4147.68
1981-82	4554.03	364.00	209.27	313.29	5440.59

परिशिष्ट 'ब'

जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना राजस्थान वित्तीय आवंटन एवं व्यय

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	सैक्टर	आवंटन 1974-78					व्यय 1974-78				
		राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	संस्थागत योजना	योग	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	संस्थागत योजना	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	कृषि एवं अन्य सेवाएं										
1.	भूमि सुधार	2.50	10.54	—	—	13.04	1.42	9.04	—	—	10.46
2.	कृषि उत्पादन	32.06	28.32	16.46	—	76.84	17.09	29.17	16.46	—	62.72
8.	लघु सिंचाई										
	अ-लघु सिंचाई	149.21	364.33	—	—	513.54	141.83	351.11	—	—	492.94
	ब-भू-जल विभाग	0.83	32.11	—	—	32.94	0.83	27.91	—	—	28.74
	स-ए.आर.सी. स्कीम	8.13	—	—	—	8.13	6.50	—	—	—	6.50
4.	भू-संरक्षण	7.18	8.74	—	—	15.92	7.18	7.33	—	—	14.51
5.	दुग्ध विकास कार्यक्रम	—	24.20	—	—	24.20	—	24.20	—	—	24.20
6.	पशुपालन	22.14	24.15	—	2.00	48.29	16.15	29.03	—	2.00	47.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	मत्स्य पालन	6.51	16.00	–	–	22.51	5.19	20.30	–	–	25.49
8.	वन (वानीकि)	36.16	5.12	–	–	41.28	26.58	4.66	–	–	31.24
9.	सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम	238.41	–	484.92	–	723.33	238.41	–	484.92	–	723.33
10.	कमाण्ड एरिया विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	503.13	513.51	501.38	2.00	1520.02	461.18	502.75	501.38	2.00	1467.31
I	सहकारिता :	18.13	129.55	49.31	1.40	261.39	73.96	129.98	49.31	1.40	254.65
II	जल एवं विद्युत विकास										
1.	सिंचाई	3006.16	–	–	–	3006.16	3092.15	–	–	–	3092.15
2.	विद्युत	858.84	–	102.00	120.00	1080.84	846.16	–	102.00	120.00	1068.12
	योग	3865.00	–	102.00	120.00	4087.00	3938.27	–	102.00	120.00	4160.27
	उद्योग एवं खनन										
1.	उद्योग	21.40	26.95	11.87	2.00	62.22	15.11	26.95	11.87	2.00	55.93
2.	खनिज	1.15	–	–	–	1.15	0.96	–	–	–	0.96
	योग	22.55	26.95	11.87	2.00	63.37	16.07	26.95	11.87	2.00	56.89

परिवहन एवं संचार										
1. सड़कें	503.71	—	—	—	503.71	488.70	—	—	—	488.70
2. पर्यटन	3.79	—	—	—	3.79	3.79	—	—	—	3.79
योग	507.50	[illegible]	—	—	507.50	492.49	—	—	—	492.49
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं										
1. शिक्षा										
अ-प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा	200.60	27.16	—	—	227.76	182.95	27.16	—	—	210.11
ब-महाविद्यालय शिक्षा	7.77	—	—	—	7.77	5.30	—	—	—	5.30
2. आधुनिक औषधियां	75.90	—	154.61	—	230.51	59.37	—	154.61	—	213.98
3. आर्युविज्ञान	15.00	—	—	—	15.00	9.51	—	—	—	9.51
4. ग्रामीण जल प्रदाय योजना	152.50	—	6.50	—	159.00	158.51	—	6.50	—	165.01
5. गृह निर्माण	22.49	—	—	—	22.49	25.60	—	—	—	25.60
6. सूचना एवं प्रकाशन	0.80	2.90	—	—	3.70	0.97	2.87	—	—	3.79
7. श्रम एवं कल्याण										
अ-नियोजन	0.36	1.00	—	—	1.36	0.25	0.75	—	—	1.00
ब-तकनीकी शिक्षा	6.07	10.41	—	—	16.48	6.98	13.41	—	—	20.39
8. समाज कल्याण	35.98	—	—	—	35.98	24.37	—	—	—	72.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	पोषाहार	34.38	–	–	–	34.38	24.73	–	–	–	24.73
	योग	551.85	41.47	161.11	–	754.43	498.53	44.14	161.11	–	703.79
	आर्थिक सेवाएं										
1.	आर्थिक एवं सांख्यिकी	0.84	–	0.68	–	1.52	0.31	–	0.68	–	0.99
2.	मूल्यांकन	–	–	–	–	–	0.54	–	–	–	0.54
	योग	0.84	–	0.68	–	1.52	0.85	–	0.68	–	1.53
	सामान्य सेवायें										
1.	प्रशासन	–	28.42	–	–	28.42	–	35.88	–	–	35.88
2.	कोर बजट	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	–	28.42	–	–	28.42	–	35.88	–	–	35.88
	महायोग	5532.00	739.90	826.35	125.40	7223.65	5481.36	739.70	826.35	125.40	7172.81

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

TRIBAL SUB-PLAN AREA FINANCIAL OUTLAY AND EXPENDITURE—1978—79

(Rs. in lacs)

S.No.	Sector	Financial Outlay 1978—79 S. P.	S. C. A.	I. F.	C. S. S.	Total	Expenditure 1978—79 S. P.	S.C.A.	I. F.	C.S.S.	Total
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	AGRI. AND ALLIED PROGRAMME										
1.	Agri. Production	39.78	48.70	13.14	—	101.62	18.20	23.66	—	13.37	55.23
(a)	Land Reforms	4.50	25.50	—	—	30.00	1.88	10.21	—	—	12.09
(b)	Crop Husbandry	35.28	23.20	13.14	—	71.62	16.32	13.45	—	13.37	43.14
2.	Minor Irrigation	58.97	105.00	—	—	163.97	33.95	101.84	7.27	—	143.06
(a)	Ground Water Deptt.	—	5.00	—	—	5.00	—	9.00	7.27	—	16.27
(b)	Minor Irrigation	42.97	100.00	—	—	142.97	33.95	92.84	—	—	126.79
(c)	A.R.D. C. Scheme	16.00	—	—	—	16.00	5.21	—	—	—	5.21
3.	Soil Conservation	1.73	7.00	—	—	8.73	—	3.66	—	23.40	27.06
(a)	Agriculture Deptt.	—	7.00	—	—	7.00	—	3.66	—	—	3.66
(b)	Forest Deptt.	1.73	—	—	—	1.73	—	—	—	23.40	23.40
4.	Animal Husbandry	7.85	20.00	—	1.30	29.15	8.60	16.28	2.10	—	26.98
5.	Dairy Development	—	5.00	—	—	5.00	—	27.55	—	—	27.55
6.	Fisheries	3.61	12.00	—	—	115.61	7.37	6.14	—	—	13.51
7.	Forestry	10.03	4.00	20.00	—	34.03	9.95	3.66	—	16.58	30.19
	D.P.A.P	40.83	—	81.66	—	122.49	41.61	—	49.69	83.26	174.56
8.	Command Area Development	20.00	3.00	—	—	23.00	17.05	—	—	—	17.05

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. I.R.D.	—	—	—	—	—	2.50	—	7.88	12.50	22.88
11. Antyodaya	—	—	—	—	—	16.88	—	16.88	—	33.76
12. Central S.F.D.A.	—	—	—	—	—	—	—	34.15	34.15	68.30
II. COOPERATION	49.42	—	12.43	—	61.85	8.19	—	—	14.33	22.52
III. WATER & POWER DEVELOPMENT										
(a) Irrigation	1608.00	—	—	—	1608.00	1191.79	—	—	—	1191.79
(b) Power Development	737.00	—	—	—	737.00	724.00	—	—	—	724.00
IV. INDUSTRIES & MINERALS										
(A) Industries	9.35	16.00	1.45	8.00	34.80	7.50	8.62	7.74	4.00	27.86
(B) Minerals	0.65	—	—	—	0.65	120.56	—	—	—	120.56
V. TRANSPORT AND COMMUNICATION										
(a) Roads	220.00	—	—	—	220.00	208.59	—	—	—	208.59
(b) Tourism	4.00	—	—	—	4.00	4.25	—	—	—	4.25
VI. SOCIAL AND COMMUNITY SERVICES										
1. Education										
(a) Ele. & Secondary Education	79.83	49.00	—	—	128.53	83.50	44.18	—	—	127.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(b)	College Education	1.68	—	—	—	1.68	1.68	—	—	—	1.68
(ii)	Modern Medicines	39.24	6.00	90.71	—	135.95	32.25	4.71	—	82.63	119.66
(iii)	Ayurved	9.61	2.00	—	—	11.61	6.26	1.23	—	—	7.49
(iv)	Rural Water Supply	30.00	6.00	—	—	36.00	30.00	5.68	—	17.95	53.63
(v)	Information and Publicity	0.41	1.00	—	—	1.41	0.41	0.46	1.00	—	1.46
(vi)	Housing	6.25	—	—	4.25	10.50	6.25	12.12	—	—	18.37
(vii)	Labour and Labour Welfare.										
(a)	Employment	0.12	1.00	—	—	1.12	0.09	0.88	—	—	0.97
(b)	Craftsman Training	3.02	5.00	—	—	8.02	3.13	6.10	—	—	9.23
(viii)	Welfare of S.C./S.T. and other Backward Classes.	10.15	—	—	—	10.15	8.74	—	—	1.50	10.24
(ix)	Social Welfare	0.30	—	—	—	0.30	0.25	—	—	—	0.25
(x)	Nutrition	23.00	—	—	—	23.00	3.92	—	—	6.43	10.35
VII.	ECONOMIC SERVICES										
(a)	Economics and Statistics	0.52	—	0.41	—	0.93	0.27	—	—	—	8.27
(b)	Evaluation	0.33	—	—	—	0.33	0.31	—	—	—	0.31
VIII.	GENERAL SERVICES										
(a)	Administration	—	31.30	—	—	31.30	—	23.12	—	—	23.12
(b)	Core Budget	—	15.00	—	—	15.00	—	23.24	—	—	23.24
	GRAND TOTAL	3015.68	337.00	219.80	13.55	3586.03	2609.8	301.65	125.71	292.15	3328.59

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
राजस्थान–उदयपुर
(जनजाति-उपयोजना क्षेत्र)

वित्तीय आवंटन एवं व्यय – वर्ष 1979–80

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	सेक्टर	वित्तीय आवंटन 1979–80					व्यय वर्ष 1979-80				
		राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	संस्था-गत वित्त	योग	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	संस्था-गत वित्त	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(अ)	कृषि एवं अन्य सेवायें	324.74	187.73	195.69	96.78	804.94	368.18	162.31	159.88	96.33	786.70
1.	भूमि सुधार	4.50	25.50	..	..	30.00	3.70	21.03	..	..	24.73
2.	कृषि उत्पादन	51.21	7.59	18.41	..	77.21	60.52	4.10	..	..	64.62
3.	लघु सिंचाई	69.25	55.74	..	9.78	34.77	60.40	49.06	..	9.78	119.24
अ.	भू-जल विभाग	19.25	5.74	..	9.78	134.77	18.20	5.20	..	9.78	33.18
ब.	लघु सिंचाई	50.00	50.00	..	..	100.00	42.20	43.86	..	..	86.06
4.	भू-संरक्षक	..	6.00	..	..	6.00	16.89	7.00	16.89	..	40.78
अ.	कृषि विभाग	..	6.00	..	..	6.00	..	7.00	..	..	7.00

वं. वन विभाग	—	—	—	—	—	16.89		16.89		33.78
5. पशु पालन	12.13	14.40	—	3.00	29.53	8.67	6.29	—	—	14.96
अ. पशुपालन विभाग	9.06	12.00	–	3.00	24.06	6.52	6.05	–	–	12.57
ब. भेड़ व ऊन विभाग	3.07	2.40	–	–	5.47	2.15	0.24	–	–	2.39
6. दुग्ध विकास	35.00	24.00	–	–	59.00	35.00	24.00	–	–	59.00
7. मत्स्य पालन	3.21	4.50	–	–	7.71	–	4.50	–	–	4.50
8. वन (वन विभाग)	12.51	50.00	–	–	62.51	19.96	46.33	–	–	66.29
9. विशेष योजना	99.13	–	175.28	84.00	358.41	131.14	–	129.74	46.12	307.00
अ. सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	78.63	–	157.28	14.00	249.91	115.77	–	115.77	18.45	249.99
ब. एकीकृत ग्रामीण विकास योजना	17.00	–	18.00	70.00	105.00	13.97	–	13.97	27.67	55.61
स. समग्र ग्राम विकास	3.50	–	–	–	3.50	1.40	–	–	–	1.40
10. सिंचित क्षेत्र विकास	2.00	–	2.00	–	4.00	2.00	–	2.00	–	4.00
11. सामुदायिक विकास एवं पंचायत	0.80	–	–	–	0.80	0.72	–	–	–	0.72
12. अन्त्योदय	35.00	–	–	–	35.00	17.93	–	–	17.93	35.86
13. केन्द्रीय लघु कृषक विकास अभिकरण	–	–	–	–	–	11.25	–	11.25	22.50	45.00
आ. सहकारिता	44.42	2.00	18.86	–	65.28	5.12	22.68	3.69	–	31.49
इ. जल एवं विद्युत् विकास	2240.00	1.00	–	–	2241.00	2147.46	–	–	–	2147.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. सिंचाई	1340.00	–	–	–	1340.00	1200.80	–	–	–	1200.80
	2. विद्युत् विकास	900.00	1.00	–	–	901.00	940.66	–	–	–	940.66
ई.	उद्योग एवं खनन	250.50	18.00	9.47	69.00	346.97	85.37	9.00	2.31	9.00	105.68
	1. उद्योग	70.50	18.00	9.47	69.00	166.97	63.78	9.00	2.31	9.00	84.09
अ.	वृहत् एवं मध्यम उद्योग	4.00	–	–	–	4.00	–	–	–	–	–
ब.	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	19.00	13.00	9.47	9.00	50.47	16.28	4.00	2.31	9.00	31.59
स.	आर.आई.एम.डी.सी.	47.50	5.00	–	60.00	112.50	47.50	5.00	–	–	52.50
	2. खनन	180.00	–	–	–	180.00	21.59	–	–	–	21.59
अ.	निदेशालय खाने एवं भू-विज्ञान	30.00	–	–	–	30.00	21.59	–	–	–	21.59
ब.	आर.एस.एम.एम.	150.00	–	–	–	150.00	–	–	–	–	–
उ.	परिवहन एवं संचार	190.00	–	–	–	190.00	156.60	–	–	–	156.60
	1. सड़कें	160.00	–	–	–	160.00	122.65	–	–	–	122.65
	2. राज. राज्य पथ परिवहन निगम	20.00	–	–	–	20.00	24.19	–	–	–	24.19
	3. पर्यटन	10.00	–	–	–	10.00	9.76	–	–	–	9.76

ऊ. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	280.79	82.41	30.81	–	394.01	264.16	73.85	44.45	9.14	391.60
1. शिक्षा	76.48	53.50	–	–	129.98	53.41	49.90	–	–	103.31
अ. प्रारम्भिक शिक्षा	55.21	53.50	–	–	106.71	44.24	49.90	–	–	94.14
ब. माध्यमिक शिक्षा	10.46	–	–	–	10.46	5.55	–	–	–	5.55
स. प्रौढ़ शिक्षा	7.00	–	–	–	7.00	–	–	–	–	–
द. संस्कृत शिक्षा	0.18	–	–	–	0.18	0.18	–	–	–	0.18
य. महाविद्यालय शिक्षा	3.63	–	–	–	3.63	3.44	–	–	–	3.44
2. आधुनिक औषधियां	20.89	11.00	30.81	–	62.70	42.15	8.04	34.82	–	85.01
अ. अन्य	1.16	–	30.81	–	31.97	35.23	1.32	34.82	–	71.37
ब. न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	19.73	11.00	–	–	30.73	6.92	6.72	–	–	13.64
3. आयुर्वेदिक	4.27	5.36	–	–	9.63	3.28	2.89	–	–	6.17
4. जल प्रदाय योजना	136.00	–	–	–	136.00	117.13	–	–	–	117.13
अ. ग्रामीण जल प्रदाय योजना	130.00	–	–	–	130.00	106.00	–	–	–	106.00
ब. शहरी जल प्रदाय	6.00	–	–	–	6.00	6.00	–	–	–	6.00
स. कुओं की योजना	–	–	–	–	–	5.13	–	–	–	5.13

188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	सूचना एवं प्रसारण	2.65	–	–	–	2.65	2.30	–	–	–	2.30
6.	गृह निर्माण	21.20	–	–	–	21.20	18.12	–	–	9.14	27.26
7.	श्रम एवं श्रम कल्याण	5.00	9.55	–	–	14.55	10.89	10.41	4.17	–	25.47
	अ. नियोजन	0.20	–	–	–	0.20	0.18	0.86	–	–	1.04
	ब. क्राफ्ट प्रशिक्षण	4.80	9.55	–	–	14.35	6.50	9.55	–	–	16.05
	स. बंधक श्रमिक	–	–	–	–	–	4.17	–	4.17	–	8.34
	द. औद्योगिक सम्बन्ध	–	–	–	–	–	0.04	–	–	–	0.04
8.	अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जातियों का कल्याण	7.10	3.00	–	–	10.10	10.68	2.61	1.50	–	14.79
9.	समाज कल्याण	0.30	–	–	–	0.30	0.30	–	–	–	0.30
10.	पोषाहार	6.90	–	–	–	6.90	5.90	–	3.96	–	9.86
ए.	आर्थिक सेवायें	1.35	–	–	–	1.35	1.29	–	0.22	–	1.51
	1. आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवायें	0.95	–	–	–	0.95	1.17	–	0.22	–	1.39
	2. मूल्यांकन	0.40	–	–	–	0.40	0.12	–	–	–	0.12

ऐ: सामान्य सेवायें	4.00	35.86	–	–	39.86	1.00	23.49	–	–	24.49
1. जिला भवन	4.00	–	–	–	4.00	1.00	–	–	–	1.00
2. प्रशासन	–	20.00	–	–	20.00	–	17.05	–	–	17.05
3. कोर बजट	–	12.26	–	–	12.26	–	6.44	–	–	6.44
4. अनुसंधान व प्रशिक्षण	–	3.60	–	–	3.60	–	–	–	–	–
महायोग	3335.80	327.00	254.83	165.78	4083.41	3029.18	291.33	210.55	114.47	3645.53

TRIBAL SUB—PLAN AREA RAJASTHAN

FINANCIAL PROGRESS—1980—81

(Rs. in lacs)

Sector/Sub-Sector	Revised Allocation 1980-81					Expenditure 1980-81				
	S.P.	S.C.A.	I.F.	C.S.S.	TOTAL	S.P.	S.C.A.	I.F.	C.S.S.	TOTAL
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. AGRICULTURE & ALLIED SERVICES	466.37	129.98	183.27	195.47	975.09	421.68	125.26	184.63	222.49	954.06
1. Land Reforms	4.50	35.00	—	—	39.50	4.35	31.48	—	—	35.83
2. Crop Husbandry	78.00	6.74	—	—	84.74	67.97	7.27	—	—	75.24
3. Minor Irrigation	80.00	25.15	11.17	—	116.32	55.91	23.29	11.17	—	90.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(a) Irrigation Deptt.	80.00	20.00	—	—	100.00	55.91	20.14	—	—	76.05
	(b) Ground Water Deptt.	—	5.15	11.17	—	16.32	—	3.15	11.17	—	14.32
4.	Soil Conservation	14.12	6.57	—	13.77	34.46	13.80	7.24	--	13.80	34.84
	(a) Agriculture Deptt.	0.35	6.57	—	—	6.92	—	7.24	—	—	7.24
	(b) Forest Deptt.	13.77	—	—	13.77	27.54	13.80	—	—	13.80	27.60
5.	Animal Husbandry Deptt.	15.38	6.96	2.40	—	24.74	11.67	6.44	—	—	18.11
	(a) Animal Husbandry Deptt.	13.21	5.43	—	—	18.64	9.60	4.87	—	—	14.47
	(b) Sheep & Wool Deptt.	2.17	1.63	2.40	—	6.10	2.07	1.57	—	—	3.64
6.	Dairy Development	38.00	0.01	—	-	38.01	38.00	0.01	—	—	38.01
7.	Fisheries	3.21	1.73	—	—	4.94	3.21	1.73	—	—	4.94
8.	Forestry	24.30	47.82	—	—	72.12	26.19	47.80	—	—	73.99
9.	Ware Housing	—	—	6.00	—	6.00	—	—	—	—	—
10.	Marketing	—	—	68.46	—	68.46	—	—	—	—	—
11.	Special Schemes	196.81	—	72.74	170.45	440.00	198.12	—	112.26	197.44	507.82
	(a) D.P.A.P.	151.05	—	16.84	151.05	318.94	143.58	—	8.06	143.54	295.18
	(b) I.R.D. including TRYSEM	19.40	—	35.20	19.40	74.00	53.90	—	104.20	53.90	212.00
	(c) Samagra Gram Vikas	3.90	—	—	—	3.90	0.64	—	—	—	0.64
	(d) Rural Growth Centre	4.25	—	—	—	4.25	—	—	—	—	—
	(e) Antyodaya	18.21	—	20.70	—	38.91	—	—	20.70	—	20.70
12.	Central S.F.D.A.	11.25	—	22.50	11.25	45.00	1.85	—	22.50	11.25	35.60
13.	C.D. & Panchayat	0.80	—	—	—	0.80	0.61	—	—	—	0.61

II. COOPERATION	38.00	15.69	—	22.85	76.54	15.87	22.22	—	20.75	58.84
III. WATER & POWER DEVELOPMENT	2030.00	—	—	—	2030.00	2206.15	—	—	—	2206.15
(a) Irrigation	1360.00	—	—	—	1360.00	1225.07	—	—	—	1225.07
(b) Power Development	670.00	—	—	—	670.00	981.08	—	—	—	981.08
IV. INDUSTRY & MINERALS	212.33	11.10	20.13	6.95	250.51	186.28	11.10	20.56	5.96	223.90
1. Industries	85.85	11.10	14.00	6.95	117.90	82.85	11.10	14.43	5.96	113.84
(a) Rico	50.00	5.00	—	—	55.00	45.00	5.00	—	—	50.00
(b) Village & Small Ind.	29.85	—	—	6.95	36.80	30.95	—	—	5.96	36.91
(c) Handloom Board	—	0.50	—	—	0.50	—	0.50	0.43	—	0.93
(d) RAJSICO	—	5.60	—	—	5.60	—	5.60	—	—	5.60
(e) Khadi & Village Ind.	6.00	—	14.00	—	20.00	6.40	—	14.00	—	20.40
2. Mineral Development	126.48	—	6.13	—	132.61	103.93	—	6.13	—	110.06
(a) Mines & Geology Deptt.	33.98	—	—	—	33.98	11.43	—	—	—	11.43
(b) R.S.M.D.C.	7.50	—	6.13	—	13.63	7.50	—	6.13	—	13.63
(c) R.S.M.M.	85.00	—	—	—	85.00	85.00	—	—	—	85.00
V. TRANSPORT & COMMUNICATION	201.00	—	—	—	201.00	232.52	—	—	—	232.52
(a) Roads & Bridges	120.00	—	—	—	120.00	150.00	—	—	—	150.00
(b) R.S.R.T.C.	60.00	—	—	—	60.00	61.52	—	—	—	61.52
(c) Tourism	21.00	—	—	—	21.00	21.00	—	—	—	21.00

159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI. SOCIAL & COMMUNITY SERVICES		424.30	77.46	—	49.89	551.65	390.49	68.27	—	49.76	508.52
1. EDUCATION		104.82	41.53	—	0.33	146.68	97.89	36.72	—	0.30	134.91
(a) Elementary Education		63.60	41.03	—	—	104.63	59.73	36.22	—	—	95.95
(b) Secondary Education		27.34	—	—	—	27.34	26.71	—	—	—	26.71
(c) Adult Education		7.18	—	—	—	7.18	6.18	—	—	—	6.18
(d) Sanskrit Education		0.27	—	—	—	0.27	0.27	—	—	—	0.27
(e) College Education		4.54	—	—	0.15	4.69	3.96	—	—	0.12	4.08
(f) Physical Education, Sports and Youth Welfare		1.43	0.50	—	0.18	2.11	0.93	0.50	—	0.18	1.61
(g) Archeology & Museums		0.30	—	—	—	0.30	0.11	—	—	—	0.11
(h) Arts & Culture		0.16	—	—	—	0.16	0.11	—	—	—	0.11
2. MODERN MEDICINES		85.13	12.63	—	37.22	134.98	82.88	11.38	—	37.22	131.48
(a) M.N.P.		34.14	—	—	4.14	38.28	34.14	9.70	—	4.14	47.98
(b) Other than M.N.P.		50.99	12.63	—	33.08	96.70	48.74	1.68	—	33.08	83.50
3. AYURVED		6.53	5.65	—	—	12.18	4.53	5.45	—	—	9.98
4. E.S.I.		0.24	—	—	—	0.24	0.24	..	—	—	0.24

5. Sawarage & Water Supply	149.50	—	—	—	149.50	149.50	2.00	—	—	151.50
(a) Urban Water Supply	17.00	—	—	—	17.00	17.00	—	—	—	17.00
(b) Rural Water Supply	130.00	—	—	—	130.00	130.00	2.00	—	—	132.00
(c) Wells Programme	2.50	—	—	—	2.50	2.50	—	—	—	2.50
6. Housing	34.72	—	—	—	34.72	27.90	—	—	—	27.90
7. Information & Publicity	3.00	—	—	—	3.00	2.48	—	—	—	2.48
8. Labour & Labour Welfare	15.51	7.75	—	6.88	30.14	6.44	5.62	—	3.44	15.50
(a) Craftsmen Training	8.00	6.71	—	—	14.71	2.44	4.56	—	—	7.00
(b) Employment	0.45	1.04	—	—	1.49	0.42	1.06	—	—	1.48
(c) Bonded Labour	6.88	—	—	6.68	13.76	3.44	—	—	3.44	6.88
(d) Industrial Relation	0.18	—	—	—	0.18	0.14	—	—	—	0.14
9. Welfare of Backward Classes S. T. & S. C.	15.10	9.80	—	1.50	26.40	12.35	7.00	—	3.50	22.85
10. Social Welfare	2.65	0.10	—	—	2.75	0.98	0.10	—	—	1.08
11. NUTRITION	7.10	—	—	3.96	11.06	5.30	—	—	5.30	10.60
(a) Applied Nutrition Programme	3.50	—	—	—	3.50	3.30	—	—	—	3.30
(b) I.C.D.S. Garhi	3.60	—	—	3.96	7.56	2.00	—	—	5.30	7.30
VII. ECONOMIC SERVICES	1.65	—	—	0.23	1.88	1.72	—	—	0.23	1.95
(a) Economic & Statistics	1.28	—	—	0.23	1.51	1.39	—	—	0.23	1.62
(b) Evaluation	0.37	—	—	—	0.37	0.33	—	—	—	0.33
VIII. GENERAL SERVICES	8.75	52.26	—	—	61.01	6.02	48.85	—	—	54.87
(a) State & District Level Building (Jail Building)	7.00	—	—	—	7.00	6.01	—	—	—	6.01

(162)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(b) Police Building	1.75	—	—	—	1.75	0.01	—	—	—	0.01
	(c) Core Budget	—	32.27	—	—	32.27	—	32.27	—	—	32.27
	(d) T.A.D. Administration	—	19.99	—	—	19.99	—	16.58	—	—	16.58
	GRAND TOTAL	3382.40	286.49	203.40	275.39	4147.68	3460.73	275.70	206.19	299.19	4240.81

TRIBAL SUB-PLAN RAJASTHAN FINANCIAL PROGRESS 1981-82

Sector/Sub-Sector	Allocation 1981-82 (Original)					Revised	Expenditure during 1981-82				
	S. P.	S.C.A.	I.F.	C.S.S.	TOTAL	Allocation 1981-82	S.P.	S.C.A.	I.F.	C.S.S.	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. AGRI. & ALLIED SERVICES :	433.54	142.30	162.15	219.34	957.33	912.23	328.21	124.31	82.97	165.33	700.82
1. Land Reforms	4.50	38.75	—	—	43.26	45.05	4.28	34.78	—	—	39.06
(i) Updating of land records	4.50	36.75	—	—	41.25	43.05	4.28	34.52	—	—	38.80
(ii) Land Alienation	—	1.00	—	—	1.00	1.00	—	0.26	—	—	0.26
(iii) Legal aid to poor	—	1.00	—	—	1.00	1.00	—	—	—	—	—
2. Crop Husbandry	72.57	8.70	—	—	81.27	81.93	61.27	4.58	—	—	65.85

3. Ware Housing	—	—	7.00	—	7.00	7.00	—	—	—	—	—
4. Marketing	—	—	4.50	—	4.50	4.50	—	—	—	—	—
5. Minor Irrigation	50.00	23.80	12.00	—	85,80	108.02	75.45	19.33	—	—	94.78
(A) Minor Irrigation Deptt.	50.00	15.00	—	—	65.00	87.22	75.45	14.09	—	—	89.54
(a) Morwania	4.00	—	—	—	4.00	1.39	1.43	—	—	—	1.43
(b) Chhapria	3.00	—	—	—	3.00	4.51	3.94	—	—	—	3.94
(c) Bork habar	3.00	—	—	—	3.00	4.29	4.60	—	—	—	4.60
(d) Lalahada	0.50	—	—	—	0.50	0.45	0.46	—	—	—	0.46
(e) Bhatia	0.50	—	—	—	0.50	0.38	0.38	—	—	—	0,38
(f) Varath	1.50	—	—	—	1.50	3.18	3.78	—	—	—	3.78
(g) Chatra Khunt	2.50	—	—	—	2.50	12.70	12.29	—	—	—	12.29
(h) Devpura lift	1.00	—	—	—	1.00	1.00	0.60	—	—	—	0.60
(i) Mewara	4.00	—	—	—	4.00	—	—	—	—	—	—
(j) Bhanwria-Ka-Naka	3.00	—	—	—	3.00	2.70	2.70	—	—	—	2.70
(k) Khokharia-Ka-Naka	4.00	—	—	—	4.00	2.00	2.00	—	—	—	2.00
(l) Rupni	2.00	—	—	—	2.00	1.80	1.80	—	—	—	1.80
(m) Bhaga	2.00	—	—	—	2.00	14.75	14.75	—	—	—	14.75
(n) Hirnia	2.50	—	—	—	2.50	1.00	1.00	—	—	—	1.00
(o) Kundal	0.50	—	—	—	0.50	0.75	0.75	—	—	—	0.75
(p) Kui Sagna	5.00	—	—	—	5.00	8.51	12.12	—	—	—	12.12
(q) Talaiya	5.00	—	—	—	5.00	8.29	8.29	—	—	—	8.29
(r) Boria	6.00	—	—	—	6.00	5.42	5.48	—	—	—	6.48
(s) Kesar Sagar	—	9.00	—	—	9.00	9·00	—	9.00	—	—	9.09
(t) Bhainsa Singh	—	6.00	—	—	6.00	6.00	—	5.09	—	—	5.09
(B) Ground Water Deptt.	—	8.80	12.00	—	20.80	20.80	—	5.24	—	—	5.24
(6) Soil Conservation	17.95	6.62	—	17.10	41.67	37.73	—	4.15	—	26.43	30.58
(a) Agriculture Deptt.		0.85	6.62	—	—	7.47	7.44	—	4.15	—	4.15

S. No,	Sector/Sub-Sector	S.P.	S.C.A.	I.F.	C.S.S.	TOTAL		S.P.	S.C.A.	I.F.	C.S.S.	TOTAL
(b)	Forest. Deptt.	17.10	—	—	17.10	34.20	30.29	—	—	—	26.43	26.43
(7)	Animal Husbandry	13.46	10.47	3.65	—	27.58	28.08	11.95	9.65	5.48	—	27.08
(a)	Animal Husbandry Deptt.	11.11	8.67	1.25	—	21.03	20.06	9 56	7.45	—	—	17.01
b)	Sheep and Wool	2.35	1.80	2.40	—	6.55	8.02	2.39	2.20	5.48	—	10.07
(8)	Dairy Development	15.00	0.05	—	—	15.05	15.05	15.00	—	—	—	15.07
(9)	Fisheries	4.00	2.50	—	—	6.50	5.00	1.24	2.50	—	—	3.74
(10)	Forestry	31.06	51.41	—	—	82.47	86.68	28.34	49.32	—	8.80	86.46
(11)	C.D.& Panchayat	0.65	—	—	—	0.65	0.65	0.57	—	—	—	0.57
(12)	D. P. A. P.	144.75	--	—	144.74	289.49	220.44	91.36	—	—	91.36	182.72
(a)	Agriculture	39.55	—	—	39.52	70.07	68.32	26.38	—	—	26.38	52.76
(b)	Ground Water	9.84	—	—	9.83	19.67	20.07	2.83	—	—	2.83	5.66
(c)	Irrigation	43.63	—	—	43.62	87.25	54.49	26.80	—	—	26.80	53.60
(d)	Forestry	42.60	—	—	42.60	85.20	63.74	29.40	—	—	29.40	58.80
(e)	Sheep & Pasture	0.10	—	—	0.10	0.20	—	—	—	—	—	—
(f)	Co-operation	0.63	—	—	0.66	1.29	1.29	0.42	—	—	0.43	0.85
(g)	Power	2.85	—	—	2.85	5.70	—	0.35	—	—	0.35	0.70
(h)	Land Record	1.00	—	—	1 01	2.01	2.37	1.00	—	—	1.01	2.01
(i)	Sericulture	0.50	—	—	0.50	1.00	0.70	—	—	—	—	—
(j)	Agency & Execution	4.05	—	—	4.05	8.10	9.46	4.16	—	—	4.16	8.32
13.	Integrated Rural Dev. including **TRYSEM**	57.50	---	115.00	57.50	230.00	230.00	38.75	—	77.49	38.74	154.98
14.	Samagra Gram Vikas	2.10	—	—	—	2.10	2.10	—	—	—	—	—
85.	Rural Growth Centres	5.00	—	—	—	5.00	5.00	—	—	—	—	—
16.	Antyodaye	15.00	—	20.00	—	35.00	35.00	—	—	—	—	—

II. CO-OPERATION	35.00	28.01	—	44.44	107.45	107.45	5.42	28.01	—	36.97	70.40
III. WATER & POWER DEV.	3352.00	—	—	—	3352.00	3492.00	2528.48	—	—	—	252880
1. Irrigation	1440.00	—	—	—	1440.00	1580.00	1486.75	—	—	—	1486.75
(a) Mahi unit I and II	600.00	—	—	—	600.00	600.00	600.00	—	—	—	600.00
(b) Jakham	437.00	—	—	—	437.00	437.00	455.21	—	—	—	455.21
(c) Som-Kamla-Amba	200.00	—	—	—	200.00	200.00	160.50	—	—	—	160.50
(d) Som-Kagdar	175.00	—	—	—	175.00	175.00	112.00	—	—	—	112.00
(e) Modernisation Jaisamand	23.00	—	—	—	23.00	23.00	23.00	—	—	—	23.00
(f) Survay & Investigation	5.00	—	—	—	5.00	5.00	1.04	—	—	—	1.04
(g) Wagan diversion	—	—	—	—	—	140.00	135.00	—	—	—	135.00
2. POWER	1912.00	—	—	—	1912.00	1912.00	1041.73	—	—	—	1041.73
(a) Mahi Unit I & II	1700.00	—	—	—	1700.00	1700.00	914.00	—	—	—	914.00
(b) Mount Abu Hydel Project	32.00	—	—	—	32.00	32.00	—	—	—	—	—
(c) Transmission-EHT	50.00	—	—	—	50.00	50.00	24.66	—	—	—	24.66
(d) Sub-Transmission	10.00	—	—	—	10.00	10.00	35.36	—	—	—	35.36
(e) Rural Electrification	120.00	—	—	—	120.00	120.00	67.71	—	—	—	67.71
IV. INDUSTRY & MINERALS	195.42	14.86	35.43	7.85	253.56	234.95	212.21	8.76	40.02	3.45	264.44
1. INDUSTRIES	79.00	14.86	20.43	7.85	122.14	104.68	97.86	8.76	25.82	3.45	135.89
(a) Village and Small Ind.	20.80	—	—	7.85	28.65	23.64	18.44	—	—	3.45	21.89
(b) Khadi and Village Ind.	4.75	—	20.00	—	24.75	21.75	1.75	—	25.82	—	26.57

(166)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(c) Handloom Board	—	1.00	0.43	—	1.43	1.43	—	0.81	—	—	0.81
(d) RAJSICO	—	12.81	—	—	12.81	12.81	—	7.95	—	—	7.95
(e) RIICO	53.45	0.05	—	—	53.50	45.05	77.67	—	—	—	77.67
(f) Differential rate of interest (R.F C.)	—	1.00	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—
2. MINERAL DEVELOPMENT	116.42	—	15.00	—	131.42	130.27	114.35	—	14.20	—	128.55
(a) Mines & Geology Department	31.42	—	—	—	31.42	30.27	29.35	—	—	—	29.35
(b) Rajasthan State Mineral Development Corporation	5.00	—	15.00	—	20.00	20.00	5.00	—	14.20	—	19.20
(c) R. S. M. M.	80.00	—	—	—	80.00	80.00	80.00	—	—	—	80.00
V. TRANSPORT & COMMUNICATION	130.00	—		—	130.00	150.00	175.08	—	—	—	175.08
1. Roads & Bridges	100.00	—	—	—	100.00	120.00	119.80	—	—	—	119.80
(a) Roads	64.93	—	—	—	64.93	84.93	91.44	—	—	—	91.44
(b) Bridge	35.07	—		—	35.07	35.07	28.36	—	—	—	28.36
2. Rajasthan State Roadways Transport Corporation	20.00	—	—	—	20.00	20.00	45.98	—	—	—	45.98
3. Tourism	10.00	—	—	—	10.00	10.00	10.00	—	—	—	10.00

VI. SOCIAL & COMMUNITY SERVICES	391.36	134.88	11.69	41.42	579.35	651.03	431.46	86.58	10.37	32.68	561.03
1. EDUCATION	125.59	70.04	—	0.30	195.93	247.81	165.65	60.59	—	0.15	226.39
(a) Elementery Education	71.73	69.54	—	—	141.27	171.80	96.95	60.09	—	—	157.04
(b) Secondary Education	40.37	—	—	—	40.37	61.82	54.01	—	—	—	54.01
(c) Adult Education	8.46	—	—	—	8.46	8.46	8.46	—	—	—	8.46
(d) Sanskrit Education	0.33	—	—	—	0.33	0.33	0.33	—	—	—	0.33
(e) College Education	3.11	—	—	0.15	3.26	3.26	5.31	—	—	0.15	5.46
(f) Physical Education	1.40	0.50	—	0.15	2.05	2.05	0.50	0.50	—	--	1.00
(i) Scouts & Guides	0.30	0.50	—	—	0.80	0.80	0.30	0.50	—	—	0.80
(ii) Rajasthan Sports Council	1.00	—	—	0.15	1.15	1.15	0.10	—	—	—	0.10
(iii) Youth Services	0.10	—	—	—	0.10	0.10	0.10	—	—	—	0.10
(g) Archology & Museums	0.19	—	—	—	0.19	0.09	0.09	—	—	—	0.09
2. MODERN MEDICINE	79.95	35.65	—	36.02	151.62	151.62	59.49	7.68	—	29.43	96.60
3. AYURVED	7.75	9.00	—	—	16.84	16.84	5.50	6.00	—	—	11.50
(i) Directorate of Ayurved	7.75	2.95	—	—	10.70	10.70	5.50	2.42	—	—	7.92
(ii) Ayurvedic College, Udaipur	—	6.14	—	—	6.14	6.14	—	3.58	—	—	3.58
4. B.S.I.	0.25	—	—	—	0.25	0.25	0.89	—	—	—	0.89

(168)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. SEWERAGE AND WATER											
SUPPLY	102.50	—	—	—	102.50	132.50	134.58	—	—	—	134.58
(a) P. H. E. D.	100.00	—	—	—	100.00	130.00	132.08	—	—	—	132.08
(b) Wells Programme (CDPD)	2.50	—	—	—	2.50	2.50	2.50	—	—	—	2.50
6. HOUSING	39.19	—	11.69	—	50.88	50.88	38.27	—	10.37	—	48.64
(a) Rental Housing	3.00	—	—	—	3.00	3.00	3.00	—	—	—	3.00
(b) L.I.G.H.	14.17	—	—	—	14.17	14.17	14.17	—	—	—	14.17
(c) M. I. G. H.	5.45	—	—	—	5.45	5.45	5.45	—	—	—	5.45
(d) Rajasthan Housing Board	5.01	—	11.69	—	16.70	16.70	5.01	—	10.37	—	15.38
(e) House sites for landless rural labour	7.50	—	—	—	7.50	7.50	7.50	—	—	—	7.50
(f) House building advance to Govt. employees	2.50	—	—	—	2.50	2.50	2.50	—	—	—	2.50
(g) Police Housing	1.56	—	—	—	1.56	1.56	0.64	—	—	—	0.64
7. Information & Publicity	2.54	—	—	—	2.54	2.42	2.21	—	—	—	2.21
8. Labour & Labour Welfare	5.67	10.60	—	—	16.27	16.44	5.05	10.70	—	—	15.75
(a) Craftsman Training	5.00	9.50	—	—	14.50	14.50	4.37	9.56	—	—	13.93
(b) Employment	0.40	1.10	—	—	1.50	1.75	0.54	1.14	—	—	1.68
(c) Industrial Relations	0.19	—	—	—	0.19	0.19	0.14	—	—	—	0.14

9. SOCIAL SECURITY & WELFARE	27.92	9.50	—	5.10	42.52	32.27	19.82	1.61	—	3.10	24.53
(a) Welfare of backward Classes	20.00	9.35	—	1.50	30.85	22.79	15.35	1.61	—	2.0	
(b) Social Welfare	3.00	0.15	—	—	3.15	1.56	0.15	—	—	—	
(c) Nutrition	4.92	—	—	3.60	8.52	7.92	4.32	—	—	1.1	
(i) Applied Nutrition	1.32	—	—	—	1.32	1.32	1.32	—	—	—	
(ii) I. C. D. S.	3.60	—	—	3.60	7.20	6.60	3.00	—	—	1.10	
VII. ECONOMIC	1.68	—	—	0.24	1.92	1.96	1.68	—	—	0.29	
SERVICES											
1. Economic & Statistics.	1.30	—	—	0.24	1.54	1.54	1.25	—	—	0.29	
2. Evaluation	0.38	—	—	—	0.38	0.42	0.43	—	—	—	
VIII. GENERAL SERVICES	15.03	43.95	—	—	58.98	55.20	6.51	67.04	—	—	73.55
(i) Jail Building	14.03	—	—	—	14.03	9.20	4.46	—	—	—	4.46
(ii) Police Building	1.00	—	—	—	1.00	2.05	2.05	—	—	—	2.05
(iii) TAD, Administration	—	21.95	—	—	21.95	21.95	—	20.17	—	—	20.17
(iv) Additional Scholarship to ST Trainees	—	2.00	—	—	2.00	2.00	—	—	—	—	—
(v) Core Budget	—	20.00	—	—	20.00	20.00	—	46.87	—	—	46.87
GRAND TOTAL	4554.03	364.00	209.27	313.29	5440.59	5604.82	3689.75	314.70	133.36	238.72	4376.53 80.44% 78.08%

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 35 का विवरण

परिशिष्ट "क"

पंचायती राज के नवजीवन के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 23-1-82 व 26-4-82 को लिये गये निर्णयों की अनुपालना में पूर्ण की गई कार्यवाही का विवरण

(1) विभिन्न विभागों द्वारा निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों को पंचायत समितियों को क्रियान्विति के लिए हस्तांतरित करने सम्बन्धी आदेश जारी किये जा चुके हैं :—

विभाग का नाम	योजना/कार्यक्रम का नाम
1	2
1. विशिष्ट योजना संगठन	1. एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम।
	2. स्वनियोजन हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण (ट्राइसम योजना।
	3. समग्र ग्राम विकास योजना।
	4. ग्रामीण विकास केन्द्र परियोजनाएं।
	5. कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा पुनर्वित्त प्राप्त लघु सिंचाई, कृषि एवं सम्बद्ध परियोजनाएं जो कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र से सम्बन्धित है।
	6. गोबर गैस कार्यक्रम।
2. कृषि विभाग	1. कृषि आदानों पर राजकीय अनुदान।
3. पशुपालन विभाग	1. ग्रामीण पशु औषधालय।
	2. चारा विकास योजना।
4. शिक्षा विभाग	1. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम।
5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1. हैल्थ गाइड योजना।
	2. स्थानीय दाइयों के साथ समन्वय तथा प्रशिक्षण.
6. वन विभाग	1. मिश्रित वृक्षारोपण योजना।
	2. पौध उगाने की योजना।
	3. पौध शाला योजना।

1	2
	4. कृषि वानिकी योजना । 5. वृक्षों की अवैध कटाई व वन्य जीवों की क्षति की सूचना व रोकथाम ।
7 सार्वजनिक निर्माण विभाग	1. 2.00 लाख रुपये तक की लागत के सभी नागरिक निर्माण कार्य/अग्रलिखित कार्यों के निर्माण पंचायत समितियों के सुपुर्द होंगे :-- (क) नई प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के भवन व कमरे । (ख) पटवार भवन । (ग) पंचायत भवन । (घ) उप केन्द्र (ङ) पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली छोटी सड़कें व पुलिया ।
8. उद्योग विभाग	1. औद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण एवं कार्यकारी योजना का निर्माण । 2. लघुत्तर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास । 3. ग्रामीण विपणन । 4. ग्रामीण दस्तकारों को 2000/- रुपये तक के ऋण की स्वीकृति । 5. खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल के माध्यम से उनको स्वीकृत अनुदान प्रणाली के आधार पर 5000/- रुपये तक ऋण एवं सहायता की स्वीकृति । 6. लघु औद्योगिक इकाइयों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति इकाई 1000/- रुपये तक का विद्युत् अनुदान ।
9. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	(क) कृषि :-- (i) फसल उगाना । (ii) प्रदर्शन । (iii) खाद व बीज का वितरण ।

1	2
	(ख) शिक्षा :—
	(i) प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण।
	(ii) पुस्तकों एवं यूनिफार्म का वितरण (प्राथमिक शालाओं में)
	(ग) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग :—
	(i) हैण्ड पम्प्स और ग्रामीण पम्प एवं टैंक योजना का संधारण।
	(घ) सार्वजनिक निर्माण विभाग :—
	(i) आश्रम स्कूल एवं छात्रावासों का निर्माण (2.00 लाख रुपये तक)
	(ङ) खादी एवं घरेलू उद्योग और उनके लिये प्रोत्साहन राशि।
	(च) छोटे सिंचाई तालाबों का संधारण।
	(छ) एकीकृत ग्राम विकास।
	(ज) पशुपालन विभाग :—
	(i) चारा विकास योजना
	(ii) भेड़ पालकों को प्रशिक्षण
	(iii) भेड़ विकास के लिये भेड़ों का वितरण।
	(झ) समाज कल्याण :— विकलांग कल्याण कार्यक्रम तथा वृद्धावस्था व विधवा पेंशन।
10. समाज कल्याण विभाग	(1) पंचायत समिति द्वारा नियन्त्रित शालाओं में विकलांग छात्रों में छात्रवृत्ति का वितरण।
	(2) ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे छात्रावासों का प्रबन्ध एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों की देखभाल।
	(3) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान स्थानीय आवास गृह एवं संस्था की देखभाल।
	(4) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आश्रम स्कूल और निराश्रित बालगृह।
	(5) विधवा व वृद्धावस्था पेंशन।

(2) विभिन्न विभागों द्वारा निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों को ग्राम पंचायतों को क्रियान्वयन के लिये हस्तांतरित करने सम्बन्धी आदेश जारी किये जा चुके हैं:–

विभाग का नाम	योजना/कार्यक्रम का नाम
1. कृषि विभाग	(1) ग्रामीण हाट व्यवस्था।
2. वन विभाग	(1) ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों की अवैध कटाई व वन्य जीवों को क्षति की सूचना व रोकथाम। (2) आरक्षित वन स्थापित करने हेतु क्षेत्र के चयन तथा आरक्षित वन क्षेत्रों में पौध रोपित किए जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से परामर्श।
3. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक	(1) हैंड पम्पों का संधारण। (2) परम्परागत पेयजल साधनों का संधारण एवं परिचालन।

(3) निम्न विभागों द्वारा हस्तांतरित योजनाओं से सम्बन्धित स्टाफ एवं बजट का स्थानान्तरण किया जा चुका है:—

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्टाफ की स्थिति	बजट की स्थिति
1	2	3	4
1.	विशिष्ट योजना संगठन	कोई स्टाफ स्थानान्तरित नहीं किया जाना है	विशिष्ट योजना संगठन ने प्रति पंचायत समिति एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए एक लाख रुपये तथा ट्राइसम योजना के लिए 20 हजार रुपये रिवोल्विंग फण्ड के रूप में पंचायत समितियों को देने के आदेश जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को दे दिये हैं। इसके अलावा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में होने वाले पी. ओ. एल. के व्यय के लिए प्रति पंचायत समिति 5000 रुपये देने के आदेश भी अभिकरणों को दे दिये है। करीब

(174)

1	2	3	4
			सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा उपरोक्त राशियां पंचायत समितियों को हस्तांतरित करने की कार्यवाही समय समय पर की जानी है ।
2.	कृषि विभाग	कोई स्टाफ हस्तांतरित नहीं किया जाना है ।	कोई राशि हस्तांतरित नहीं की जानी है ।
3.	पशुपालन विभाग	स्टाफ का हस्तांतरण किया जा चुका है ।	आवश्यक धनराशि का पंचायत समितियों के निजी खातों में हस्तांतरण किया जा चुका है ।
4.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	कोई स्टाफ हस्तांतरित नहीं किया जाना है ।	बजट का हस्तान्तरण बकाया है ।
5.	वन विभाग	कोई स्टाफ हस्तांतरित नहीं किया जाना है ।	कोई बजट हस्तांतरित नहीं किया जाना है ।
6.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	कोई स्टाफ हस्तांतरित नहीं किया जाना है ।	सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अभी तक यह नहीं बताया है कि किस पंचायत समिति को किस किस कार्य की कितनी राशि स्वयं के बजट से तथा कितनी राशि डिपोजिट वर्क्स को हस्तांतरित की जानी है ।
7.	उद्योग विभाग	स्टाफ का हस्तांतरण किया जा चुका है ।	बजट का हस्तांतरण किया जा चुका है ।
8.	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	कोई स्टाफ हस्तांतरित नहीं किया जाना है।	आवश्यक बजट का हस्तान्तरण किया जा चुका है।
9.	समाज कल्याण विभाग	सम्बन्धित स्टाफ पंचायत समितियों को हस्तांतरित किया जा चुका है	समाज कल्याण विभाग द्वारा 34 लाख रुपये के विभिन्न पंचायत समितियों को हस्तांतरण की कार्यवाही पूरी हो चुकी है तथा पी. डी. खातों में राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

(4) विभिन्न विभागों द्वारा निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों का जिला परिषदों द्वारा प्रभावी समन्वय एवं पर्यवेक्षण किये जाने के लिए आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं :–

	विभाग का नाम	योजना/कार्यक्रम का नाम
1.	शिक्षा विभाग	(1) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय एवं पर्यवेक्षण। (2) स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी भेजे गये प्रस्तावों का परीक्षण।
2.	कृषि विभाग	कृषि विस्तार कार्यक्रमों की क्रियान्विति में समन्वय तथा उसकी समीक्षा।

(5) विभिन्न विभागों द्वारा निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों की पंचायत समितियों द्वारा प्रभावी समीक्षा किये जाने के लिए आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं :–

	विभाग का नाम 1	योजना/कार्यक्रम का नाम 2
1.	कृषि विभाग	1. कृषि विस्तार कार्यक्रम।
2.	कृषि (सहकारिता) विभाग	1. सहकारी ऋण वितरण एवं विपणन। 2. सहकारी गोदामों का निर्माण एवं प्रबन्ध।
3.	ऊर्जा विभाग	1. ग्रामीण विद्युतीकरण।
4.	राजस्व (वन)	1. पंचायत समिति क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा लिये जा रहे कार्यक्रम।
5.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	1. पंचायत समिति क्षेत्रों में बनाई जाने वाली सड़कें एवं भवन अथवा पहले से बनी हुई सड़कें एवं भवन।
6.	कृषि (भू-जल) विभाग	1. भू-जल विभाग द्वारा कुओं को गहरा करवाये जाने अथवा नलकूप लगाये जाने का कार्यक्रम। 2. भू-जल विभाग द्वारा बोरिंग, अनुसंधान एवं अन्य विभागीय नल कूपों का संचालन। 3. ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल स्रोतों का अर्ध विस्तृत एवं विस्तृत सर्वेक्षण।
7.	कृषि (डेयरी विकास) विभाग	1. डेयरी विकास विभाग द्वारा नये दुग्ध मार्गों का खोलना तथा सहकारी समितियों की सदस्यता में वृद्धि तथा समग्र ग्रामीण विकास के अन्तर्गत कमजोर वर्ग के लोगों को दुधारू पशु के लिये ऋण देने के साथ समन्वय।

1	2
	2. दुग्ध सहकारी समिति के माध्यम से ग्रामीण विकास केन्द्रों का निर्माण।
8. उद्योग विभाग	1. ग्रामीण क्षेत्र में हाथकर्घा/हस्तशिल्प कार्यक्रम का आयोजन एवं क्रियान्वयन।
9. समाज कल्याण विभाग	1. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी महिलाओं एवं बच्चों के पोषाहार का कार्यक्रम।
10. शिक्षा विभाग	1. पंचायत समिति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम।
11. खाद एवं नागरिक रसद विभाग	1. अनिवार्य वस्तु अधिनियम/अनिवार्य वस्तुओं के राशन और मूल्य वृद्धि नियंत्रण पर निगाह।
12. जन सम्पर्क विभाग	1. ग्रामीण सूचना प्रसारण एवं जन सम्पर्क।

(6) सम्बन्धित विभागों द्वारा निम्न निर्णयों का क्रियान्वयन किया जा चुका है:—

क्र. सं. 1	निर्णय का विवरण 2	की गई कार्यवाही का विवरण 3
1.	सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग का नाम बदलकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग कर दिया जावे।	मंत्रि मंडल सचिवालय द्वारा आवश्यक आदेश दिनांक 22-6-82 को जारी किये जा चुके हैं।
2.	प्रधानों/प्रमुखों का मासिक भत्ता क्रमश: 400/– रु. व 600/– रु. कर दिया जावे।	आवश्यक आदेश दिनांक 27-2-82 को जारी किये जा चुके हैं।
3.	प्रत्येक जिला परिषद् को फर्नीचर हेतु 20,000/- रुपये आवंटित किये जावें।	समस्त जिला परिषदों को उनकी मांग एवं आवश्यकता के अनुसार धनराशि का आवंटन किया जा चुका है। कुल 3,67,000/- रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। कुछ जिला परिषदों की अतिरिक्त मांगें अभी विचाराधीन है।
4.	जिला परिषदों के लिये 20.91 लाख रुपये की लागत से 27 कारें	जिला परिषदों के लिये 27 एम्बेसेडर कारों की खरीद की जा चुकी है। 26 जिला परिषदों

1	2	3
	खरीदी जावे एवं 23 वाहन चालकों के पद सृजन किये जावें। इसके अतिरिक्त जिला परिषदों को पी. ओ. एल. के लिये 3.24 लाख रुपये का आवंटन किया जावे।	को कारें उपलब्ध करवादी गई है। जिला परिषद्, धौलपुर का गठन हो जाने पर उन्हें भी कार दे दी जावेगी। 23 वाहन चालकों के पद सृजित किये जा चुके हैं तथा इनके लिये आवश्यक धनराशि जिला परिषदों को उपलब्ध करवा दी गई है। पी. ओ. एल. के लिये 2.34 लाख रुपये की धनराशि का आवंटन जिला परिषदों को किया जा चुका है।
5.	जिन जिला परिषदों के भवन अन्य कार्यालयों हेतु अथवा अन्य किसी उपयोग में आ रहे हैं, उन्हें तत्काल खाली करवाया जाकर वापस जिला परिषदों को सौंपने के लिये सम्बन्धित जिलाधीशों को निर्देशित किया जावे।	जिन जिला परिषदों के भवन अन्य कार्यालयों हेतु अथवा अन्य किसी उपयोग में लिये जा रहे हैं, उन्हें तत्काल खाली करवाया जाकर वापस जिला परिषदों को सौंपने के लिये सम्बन्धित जिलाधीशों को निर्देशित किया जा चुका है।
6.	50 एकड़ से कम सिंचाई की क्षमता वाले अथवा सिंचाई करने वाले तालाबों तथा एनीकट्स की मरम्मत का कार्य सहायता एवं एन. आर. ई.पी. कार्यों के अन्तर्गत किया जावे।	सहायता विभाग द्वारा दिनांक 22-4-82 को यह आदेश जारी किये जा चुके हैं कि ऐसे समस्त सिंचाई कार्यों को जिनसे सिंचाई के साधनों का विकास, विस्तार व सुधार संभव हो सके, पेयजल स्रोतों सम्बन्धी कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने के पश्चात्, सहायता कार्यों के लिये प्राथमिकता के आधार पर लिया जावे। विशिष्ट योजना संगठन द्वारा दिनांक 31-1-83 को यह आदेश जारी किये जा चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 50 एकड़ से कम सिंचाई की क्षमता वाले अथवा सिंचाई करने वाले तालाबों, नाड़ी व एनीकट्स की मरम्मत के कार्यों को व्यापक रूप से व प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत करोया जावे।

1	2	3
7.	प्रत्येक पंचायत समिति में वर्ष 82-83 में कोर स्टाफ के अन्तर्गत निम्न पदों का सृजन किया जावे:— (1) 118 पंचायत समितियों में कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के आर.ए.एस. विकास अधिकारी (2) 118 पंचायत समितियों में विशेष चयन पद्धति द्वारा चयनित विकास अधिकारी (3) पशुपालन प्रसार अधिकारी 60 पद (4) कृषि प्रसार अधिकारी का एक एक पद सभी पंचायत समितियों में (उन पंचायत समितियों को छोड़कर जहां कृषि संभावनाएं नगण्य हैं) (5) प्रसार अधिकारी पंचायत 59 पद (6) कनिष्ठ अभियन्ता 124 पद (7) लेखाकार– 118 पद (8) सहकारी प्रसार अधिकारी-236 पद (9) प्रगति प्रसार अधिकारी–236 पद (10) वाहन चालक–1 पद (11) ग्राम सेवकों के पद–जैसलमेर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक ग्राम सेवक कम सचिव, 4000 से अधिक आबादी वाली प्रत्येक पंचा-	वर्ष 82-83 में कृषि प्रसार अधिकारियों के 60 पदों का सृजन किया जा चुका है शेष 61 पंचायत समितियों में इन पदों का सृजन अगले वर्ष कराया जायगा क्योंकि कृषि विभाग के अनुसार ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं है जहां कृषि संभावनाएं नगण्य हों। शेष पदों का सृजन आदेशानुसार किया जा चुका है। नव सृजित पदों में से निम्न प्रकार से पदों की पूर्ति की जा चुकी है :—

क्र. सं.	नाम पद	नव सृजित पदों की संख्या	पूर्ति किये गये पदों की संख्या
1.	पशुपालन प्रसार अधिकारी	60	60
2.	कृषि प्रसार अधि.	60	60
3.	प्र. अ. पंचायत	59	–
4.	कनिष्ठ अभियन्ता	124	116
5.	लेखाकार	118	60
6.	सहकारी प्रसार अधिकारी	36	110
7.	प्रगति प्र. अ.	236	217
8.	ग्राम सेवक	919	919

1	2	3
	यत के लिये एक ग्राम सेवक कम सचिव तथा शेष ग्राम पंचायतों में प्रत्येक दो ग्राम पंचायतों के लिये एक ग्राम सेवक कम सचिव के पद । (23-1-83 (ङ) (26-4-82---2 व 3)	
8.	5482 अध्यापकों की कमी को दो वर्षों में क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जावे ।	वर्ष 82-83 में शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत समिति प्राथमिक शालाओं के लिये अध्यापकों के 2000 पदों का सृजन किया जा चुका है।

परिशिष्ट—ख

पंचायती राज के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में मन्त्रि मण्डल की आज्ञा संख्या 10/82, दिनांक 23-1-82 एवं आज्ञा सं. 87/82, दिनांक 26-4-82 की क्रियान्विति में बकाया कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	उस विभाग का नाम जिस द्वारा क्रियान्विति की जानी बकाया है	मन्त्रि मण्डल की आज्ञा का विवरण	बकाया कार्यवाही का विवरण	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	विशिष्ठ योजना संगठन	1:—जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डी.आर.डी.ए.) का प्रशासनिक नियन्त्रण तो जिला परिषद् को हस्तान्तरित नहीं किया जावे, परन्तु अभिकरणों की गतिविधियों व जिला परिषदों के बीच समुचित समन्वय स्थापित किया जावे। (26-4-82) (1) (अ) (ध)	जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की गतिविधियों व जिला परिषदों के बीच समुचित समन्वय का स्थापित किया जाना।	जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की गतिविधियों एवं जिला परिषदों के बीच समुचित समन्वय स्थापित करने सम्बन्धी निर्देश विकास आयुक्त महोदय द्वारा सचिव विशिष्ठ योजना संगठन से परामर्श करने के पश्चात् जारी किया जाना तय किया जा चुका है। परामर्श किया जाकर प्रारूप बनाया जा चुका है। सक्षम स्तर पर अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात् आवश्यक निर्देश जारी किये जावेंगे।
		2:—पंचायत प्रसार अधिकारियों के सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि इस पद का नया नामकरण इस तरह से किया जावे व इसके दायित्व इस तरह रखे जावें कि उसके	पंचायत प्रसार अधिकारियों के पदों के लिये भारत सरकार से वांछित अनुदान का प्राप्त किया जाना।	पंचायत प्रसार अधिकारी के पद का नया नामकरण कर भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को 29-10-82 को भेज दिया गया है।

	आधार पर भारत सरकार से इन पदों के लिये वांछित अनुदान मिल सके। (26-4-82), (3) (ग)		
2.—कृषि विभाग	1:—कृषि विस्तार योजना संबंधी प्रस्तावों के बारे में निर्णय लिया गया कि सितम्बर, 1982 तक तो वर्तमान व्यवस्था ही जारी रहे, मगर साथ ही इस योजना की क्रियान्विति में जिला परिषद के साथ भी समन्वय किया जावे। सितम्बर, 82 के पश्चात् इस योजना को पंचायती राज को हस्तान्तरित करने हेतु विस्तृत रूप रेखा बनाकर प्रस्तुत की जावे। (26-4-82), (आ) (क)	सितम्बर, 82 के पश्चात् कृषि विस्तार योजना का पंचायती राज को हस्तान्तरण करने हेतु विस्तृत रूपरेखा का बनाया जाना एवं प्रस्तावों का मंत्रि मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।	कृषि विस्तार योजना को पंचायती राज को हस्तान्तरित किये जाने हेतु कृषि विभाग द्वारा मंत्रि मण्डल ज्ञापन तैयार किया जा रहा है।
	2:—पौध संरक्षण इकाइयां योजना सम्पादन हेतु पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दी जावें। (23-1-82), (क) (2)	"पौध संरक्षण इकाइयां" योजना का पंचायत समितियों को हस्तान्तरण।	कृषि विभाग ने पौध संरक्षण इकाइयों योजना पंचायत समितियों को हस्तान्तरितकरने के संबंध में एक नोट बनाया था जिस पर विकास आयुक्त ने अपनी टिप्पणी दे दी थी। उसे देखते हुए कृषि विभाग ने मंत्रि मण्डल ज्ञापन बनाया है जो निर्णय हेतु मंत्री मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
	3:—ग्रामीण विपणन (हाट) योजना ग्राम पंचायतों को हस्ता-	ग्रामीण हाट की व्यवस्था, सुपुर्दगी की प्रक्रिया, ग्रामीण हाट चलाने,	ग्रामीण विपणन (हाट) योजना को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण करने संबंधी आदेश कृषि विभाग

181

1	2	3	4	5
		न्तरित कर दी जावे। (26-4-82) (आ) (ख)	कर आदि की व्यवस्था, कर्मचारी, पर्यवेक्षण पंचायत समिति से तालमेल एवं पंचायतों या पंचायत समिति द्वारा निर्माण किया जावे तो उसकी प्रक्रिया का निर्धारण	द्वारा जारी किये जा चुके हैं। दिनांक 27-7-82 को कृषि उत्पादन सचिव के कक्ष में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ग्रामीण हाट व्यवस्था, सुपुर्दगी की प्रक्रिया, ग्रामीण हाट चलाने, कर आदि की व्यवस्था, कर्मचारी, पर्यवेक्षण, पंचायत समिति से तालमेल एवं पंचायतों या पंचायत समिति द्वारा निर्माण किया जावे तो उसकी प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में एक नोट श्री के. एस. चोरसिया, उपनिदेशक, कृषि (मोनिटरिंग) बनायेंगे तथा उपविकास आयुक्त (प्रशा. 3) से परामर्श करेंगे जिसे विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग देख कर सचिव, कृषि उत्पादन को भिजवायेंगे। उपरोक्त विषयों पर निर्देशों को अन्तिम रूप देने के बाद पंचायत समितियों/पंचायतों को निर्देश प्रसारित किये जायेंगे। उपरोक्तानुसार परामर्श किया जा चुका है। परन्तु उपरोक्त नोट अभी तक कृषि विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है।
		4:—कृषि आदानों पर राजकीय अनुदान योजना को पंचायत समितियों को सम्पादन हेतु हस्तान्तरित कर दिया जावे। (26-4-82) (आ) (ग)	कृषि आदानों पर राजकीय अनुदान दिये जाने के संबंध में हिदायतों का. प्रसारण	दिनांक 27-7-82 को कृषि उत्पादन सचिव के कक्ष में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कृषि आदानों पर राजकीय अनुदान के संबंध में हिदायतें कृषि विभाग द्वारा शीघ्र ही जारी की जायेंगी। कृषि विभाग द्वारा वांछित हिदायतें अभी तक जारी नहीं की गई हैं।

3:–पशुपालन विभाग	1:––जिला स्तरीय पशुपालन योजनाओं को जिला परिषदों द्वारा सम्पादित किये जाने के संबंध में परीक्षण किया जाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें। (23-1-82) (क) (3)	जिला स्तरीय पशुपालन योजनाओं का जिला परिषदों द्वारा सम्पादित किये जाने के संबंध में परीक्षण किया जाकर प्रस्तावों का मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।	अभी तक पशुपालन विभाग द्वारा आवश्यक प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
4:–शिक्षा विभाग	1:––अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को सम्पादन हेतु पंचायत समितियों को मय स्टाफ एवं बजट के हस्तान्तरित कर दिया जावे। (26-4-82) (1) (इ) (ख)	अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी स्टाफ एवं बजट का पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किया जाना।	इस योजना को पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किये जाने संबंधी आदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं। केन्द्रों का अनुदेशकों के साथ पंचायत समितियों को हस्तान्तरण आरम्भ किया जा चुका है। पर्यवेक्षकों एवं बजट का पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किया जाना अभी बकाया है।
	2:––प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में आवश्यक समन्वय एवं पर्यवेक्षण जिला परिषदों द्वारा किया जावे तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ शिक्षा संबंधी भेजे गये प्रस्तावों का परीक्षण जिला परिषदों के माध्यम से किया जावे। (26-4-82) (1) (इ) (ग) (23-1-82) (क) (5)	प्रौढ़ शिक्षा संबंध में जिला परिषदों द्वारा समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये शिक्षा विभाग द्वारा मार्गदर्शन निर्देशों का जारी किया जाना तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रस्तावों की स्वीकृति आदि की प्रक्रिया के लिये शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावों का भिजवाया जाना।	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के जिला परिषदों द्वारा समन्वय एवं पर्यवेक्षण किये जाने तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में भेजे गये प्रस्तावों का जिला परिषदों द्वारा परीक्षण किये जाने के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं परन्तु दिनांक 24-7-82 को विकास आयुक्त के कक्ष में हुई एक बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में जिला परिषदों द्वारा समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये शिक्षा विभाग द्वारा, मार्ग दर्शक निर्देश अभी तक जारी नहीं किये गये हैं। तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रस्तावों की स्वीकृति आदि की प्रक्रिया के लिये

(183)

(184)

1	2	3	4	5
				शिक्षा विभाग द्वारा विकास आयुक्त को नोट नहीं भिजवाया गया है।
		3:—जिला परिषदों को उच्च प्राथमिक शिक्षा को हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव का अधिक विस्तार से परीक्षण किया जाकर एक विस्तृत ब्ल्यू प्रिन्ट 3 महीने में प्रस्तुत किया जावे। (23-1-82) (क) (5)	जिला परिषदों को उच्च प्राथमिक (मिडिल शिक्षा) को हस्तान्तरण करने के प्रस्ताव का अधिक विस्तार से परीक्षण किया जाकर एक विस्तृत ब्ल्यू प्रिन्ट का प्रस्तुत किया जाना।	शिक्षा विभाग को लिखा जा चुका है परन्तु शिक्षा विभाग से इस संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
		4:—शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को जिला परिषदों को हस्तान्तरण करने के मामले का परीक्षण किया जाकर मंत्रि मण्डल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। (26-4-82) (1) (इ) (क)	शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को जिला परिषदों को हस्तान्तरण करने के मामले का परीक्षण किया जाकर मंत्रि मण्डल के समक्ष प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाना।	शिक्षा विभाग को लिखा जा चुका है परन्तु अभी तक शिक्षा विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
		5:—ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा व उसके गुणात्मक स्तर की देख-रेख हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में एक पृथक् इकाई बनाई जावे। (26-4-82) (1) (इ) (क)	निर्णयानुसार पृथक् इकाई का गठन।	शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। अभी तक निर्णयानुसार पृथक् इकाई का गठन नहीं किया गया है।

	6:—ग्रामीण शालाओं (पंचायत समिति शालाओं सहित) हेतु अलग बजट हैड सृजित किया जावे। (26-4-82) (1) (इ) (क)	निर्णयानुसार अलग बजट हैड का सृजन।	शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। अभी तक निर्णयानुसार अलग बजट हैड का सृजन नहीं किया गया है।
5:—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1:—हैल्थ गाइड योजना एवं स्थानीय दाइयों के साथ समन्वय तथा प्रशिक्षण योजना मय स्टाफ व बजट के सम्पादन हेतु पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दी जावे। (23-1-82) (क) (6)	हैल्थ गाइडों के भत्ते की राशि एवं दाइयों को जन्म के रजिस्ट्रेशन एवं कार्यवाही के लिये देय भत्ते की राशि का पंचायत समितियों को हस्तान्तरण।	दोनों योजनाओं को पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किये जाने संबंधी आदेश चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं। हैल्थ गाइडों के भत्ते की राशि, जो कि भारत सरकार से त्रैमासिक प्राप्त होती है, का त्रैमासिक हस्तान्तरण पंचायत समितियों को किया जाना है जो अभी तक नहीं किया गया है। दाइयों को जन्म के रजिस्ट्रेशन एवं कार्यवाही के लिये देय भत्ते की राशि पंचायत समितियों को हस्तान्तरित होनी है जो अभी नहीं हुई है।
	2:—"प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहायक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण औषधालय एवं एड पोस्ट्स परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण" योजनाओं के क्षेत्र में प्रेरित करने, प्रेरणा धनराशि वितरण करने व स्थानीय पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों को पंचायत समितियों को सौंपे जाने संबंधी प्रक्रिया के बारे में आवश्यक	निर्देशानुसार प्रस्तावों को तैयार करना एवं मंत्रि मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग को लिखा जा चुका है। अभी तक प्रस्तावों के मंत्रि मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3	4	5
		प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें । (23-1-82) (क) (6)		
6:—	वन विभाग	जिला एवं अन्य सड़कों के वृक्षारोपण कार्यक्रम को पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया जावे और तदनुसार योजना आगे बनाई जावे। (26-4-82)(ई)(क)(3)	मंत्रि मण्डल के निर्णयानुसार योजना का बनाया जाना एवं उसका पंचायतों को हस्तान्तरण ।	अभी तक योजना बनायी जाकर बजट व स्टाफ के साथ ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित नहीं की गयी है ।
7:—	सार्वजनिक निर्माण विभाग	जिन 124 पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद स्वीकृत नहीं है उनमें एक एक कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति की जावे । (26-4-82) (2) (ड़)	8 पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति ।	मंत्रिमण्डल की आज्ञा के अनुसार वर्ष 82-83 में 124 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों का सृजन किया जा चुका है । इनमें से 116 पदों की पूर्ति की जा चुकी है । शेष 8 पदों की पूर्ति के लिये प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग से आने शेष हैं ।
8:—	उद्योग विभाग	जो भी योजनाएं पंचायत समितियों को हस्तान्तरित की जानी हैं उन योजनाओं से सम्बन्धित पंचायत समिति स्तर के स्टाफ को भी पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिया जावे । (23-1-82) (ज)	3—खादी पर्यवेक्षकों एवं 12 उद्योग प्रसार अधिकारियों का पंचायत समितियों को हस्तान्तरण ।	उद्योग विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति को एक खादी पर्यवेक्षक एवं एक उद्योग प्रसार अधिकारी उपलब्ध करवाया जाना है । उद्योग विभाग द्वारा 233 खादी पर्यवेक्षकों व 224 उद्योग प्रसार अधिकारियों का हस्तान्तरण किया जा चुका है । 3 खादी पर्यवेक्षकों व 12 उद्योग प्रसार अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाना बकाया है ।

9. जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	1. हैण्ड पम्पों का संधारण तथा (2) परम्परागत पेयजल साधनों का संधारण एवं परिचालन योजनाएं, क्रियान्विति के लिये मय स्टाफ व बजट के हस्तान्तरित कर दी जावें। (23-1-82)(क)(10)	हैण्ड पम्पों एवं परम्परागत पेय जल साधनों का संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण, फिटरों के पदों का हस्तान्तरण तथा चालू हैण्ड पम्पों के रख रखाव के लिये 150/- रु. प्रति हैण्ड पम्प प्रति-वर्ष के हिसाब से राशि का ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण।	चालू हैण्ड पम्पों को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करने का कार्य चालू है। खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत की जा रही है। खराब हैण्ड पम्प मरम्मत के पश्चात ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये जावेंगे। एक सौ पचास रुपया प्रति हैण्ड पम्प प्रति वर्ष के हिसाब से धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायतों को किया जा रहा है। फिटरों के पदों के सृजन व उनके हस्तान्तरण का मामला विचाराधीन है।
	2. "ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाएं" की समीक्षा पंचायत समितियों द्वारा की जावेगी। (23-1-82)(ख)	पंचायत समितियों द्वारा समीक्षा के लिये आदेशों का प्रसारण।	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को लिखा जा चुका है परन्तु उस विभाग द्वारा इन योजनाओं की पंचायत समितियों द्वारा समीक्षा किये जाने के संबंध में आवश्यक आदेश जारी नहीं किये गये हैं।
	3. (1) साधारण पी. एण्ड टी. जलदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण, तथा	आज्ञानुसार परीक्षण किया जाकर प्रस्तावों का प्रस्तुत किया जाना।	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को लिखा जा चुका है। निर्णयानुसार परीक्षण कर मंत्रि-मण्डल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के संबंध में उस विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
	(2) गहन ट्यूब वेल योजनाओं का संचालन (जहां विद्युत उपलब्ध हो योजनाओं को जिला परिषदों को सौंपने अथवा इन योजनाओं के संबंध में जिला परिषद् द्वारा जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के जिला स्तरीय मैकेनि-		

187

(188)

1	2	3	4	5
		कल व मेन्टीनेन्स विंग के समन्वय व पर्यवेक्षण की भूमिका संबंधी मसलों का परीक्षण किया जाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। (23-1-82) (क) (10)		
10.	समाज कल्याण विभाग	1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा बनाई जा रही ग्रामीण परियोजनाएं (भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर) पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दी जावें। (26-4-82) (1) (उ) (ग)	आदेशानुसार योजना का पंचायत समितियों को हस्तान्तरण।	भारत सरकार की स्वीकृति मंगाने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा लिखा जा चुका है परन्तु अभी तक वांछित स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है।
11.	सहकारिता विभाग	सभी 236 पंचायत समितियों में एक-एक सहकारिता प्रसार अधिकारी की नियुक्ति की जावे। (26-4-82) (2) (ग)	126 सहकारिता प्रसार अधिकारियों के पदों की पूर्ति	मंत्रिमंडल की आज्ञानुसार 236 सहकारिता प्रसार अधिकारियों के पदों का सृजन किया जा चुका है। इनमें से 110 पदों की पूर्ति की जा चुकी है। शेष 126 पदों की पूर्ति के लिये प्रस्ताव सहकारी विभाग से मांगे जा चुके हैं जो आने शेष है।
12.	कार्मिक विभाग	राज्य की 236 पंचायत समितियों में से 118 पंचायत समितियों में राजस्थान प्रशासनिक	118 कनिष्ठ वेतन शृंखला के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की विकास अधि-	अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है। फिलहाल 25 अधिकारियों का पद स्थापन किया जा रहा है।

		सेवा के साधारण वेतन शृंखला के अधिकारियों को विकास अधिकारियों के पदों पर लगाया जावे। इन अधिकारियों को 100/रु. प्रतिमाह विशेष वेतन भी देय होगा (23-1-82) (ङ) (26-4-82) (2) (क)	कारियों के पदों पर नियुक्ति।	
13.	वित्त विभाग	प्रत्येक पंचायत समिति में कार्य भार को दृष्टिगत रखते हुये या तो लेखाकार का पद सृजित किया जावे या कनिष्ठ लेखाकार का (26-4-82) (3) (घ)	58 लेखाकारों के पदों की पूर्ति।	मंत्रिमण्डल की आज्ञानुसार 118 पंचायत समितियों में लेखाकारों के पदों का सृजन किया जा चुका है। इनमें से 60 पदों की पूर्ति की जा चुकी है। शेष 58 पदों की पूर्ति बकाया है।
14.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	1. वृक्षों की अवैध कटाई व वन्य जीवों को हानि संबंधी सूचना वन विभाग को देना पंचायत समितियों का कर्तव्य होगा। (26-4-82) (1) (ई) (ग)	मंत्रिमण्डल के निर्णयानुसार पंचायत समिति की जिम्मेवारी निश्चित करने के लिये नियमों में संशोधन।	ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों की अवैध कटाई तथा वन जीवों को हानि संबंधी सूचना वन विभाग को देने के लिये ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों की जिम्मेवारी निश्चित करने संबंधी आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती-राज विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं। नियमों में संशोधन की प्रक्रिया जारी है।
		2. दो लाख रुपये तक की लागत के सभी नागरिक निर्माण कार्य पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिये जावें। निम्न	पंचायत समितियों को हस्तान्तरित निर्माण कार्यों के संबंध में पंचायत समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण।	इस संबंध में निर्देशों का प्रारूप बनाया जा रहा है।

(१९०)

1	2	3	4	5
		निर्माण कार्य भी पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिये जावें :— (क) नई प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के भवन व कमरे। (ख) पटवार भवन। (ग) पंचायत भवन। (घ) उप केन्द्र। (ङ) पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें व पुलिया। (23-1-82)(क)(8)		
		3. सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग के सुदृढीकरण की आवश्यकता को सिद्धान्ततः स्वीकार किया गया। तदनुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें। (26-4-82)(8)	आज्ञानुसार प्रस्तावों का निर्माण एवं उनका मंत्रि मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाये जा चुके हैं। आगे की कार्यवाही शेष है।
		4. प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढीकरण करने एवं नये केन्द्रों के स्थापन से सम्बन्धित प्रस्तावों को सिद्धान्ततः स्वीकृत किया गया। तदनुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें। (26-4-82)(9)	आज्ञानुसार प्रस्तावों का निर्माण व उनका मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।	इस विभाग द्वारा इस कार्य के लिये एक समिति का गठन किया गया था जिसके प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाये गये हैं। यह प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्थायी समिति के निर्णय के पश्चात् मंत्रि मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

5. 118 पंचायत समितियों में विशेष चयन पद्धति से व्यक्तियों का चयन कर विकास अधिकारी के पद पर लगाया जावे (23-1-82) (ङ)	विशेष चयन पद्धति द्वारा 118 अधिकारियों का चयन कर विकास अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति का किया जाना ।	इस हेतु नियम जारी किये जा चुके हैं । इन पदों की पूर्ति के लिये नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जा रही है ।
6. प्रत्येक पंचायत समिति में एक प्रगति प्रसार अधिकारी की नियुक्ति की जावे । (26-4-82) (2) (ज)	प्रगति प्रसार अधिकारी के 19 पदों की पूर्ति ।	236 प्रगति प्रसार अधिकारियों के पदों का सृजन किया जा चुका है । इनमें से 217 पदों की पूर्ति की जा चुकी है । शेष पदों की पूर्ति ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा शीघ्र की जा रही है ।
7. ग्रामसेवकों संबंधी प्रस्तावों के बारे में निर्णय लिया गया कि विकास आयुक्त द्वारा इस विषय में पृथक से प्रस्तुत नोट के अनुसार कार्यवाही की जावे । (26-4-82) (2) (च)	ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत के रिक्त पदों की पूर्ति ।	मंत्रिमण्डल के निर्णयानुसार ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के नये पदों का सृजन किया जा चुका है । पूर्व में सृजित पदों को शामिल करते हुए कुल 3943 पदों का सृजन किया गया है । इन पदों की स्थायी पूर्ति हेतु ग्रुप सचिवों के समायोजन तथा कृषि विभाग से वापस प्राप्त 950 ग्राम सेवकों के समायोजन के आदेश जारी किये जा चुके हैं । समायोजन की प्रक्रिया जारी है ।
8. जिन 118 पंचायत समितियों में पंचायत प्रसार अधिकारियों के पद नहीं है उनमें इन पदों को दो चरणों में भरा जावे । (26-4-82) (3) (ग)	वर्ष 1982-83 में सृजित 59 पंचायत प्रसार अधिकारियों के पदों की पूर्ति ।	वर्ष 1982-83 में पंचायत प्रसार अधिकारियों के 59 पदों का सृजन किया जा चुका है । पंचायत समितियों में पूर्व में स्वीकृत पंचायत प्रसार अधिकारियों के 118 पदों की अवधि विशिष्ट योजना संगठन द्वारा नहीं बढ़ाई गई है । इस

1	2	3	4	5
				कारण वर्ष 82-83 में सृजित 59 पदों के विरुद्ध कोई नियुक्तियां नहीं की गई हैं ।
		9. वर्ष 1982-83 में 45 लाख रुपये की लागत से 50 पंचायत समितियों के लिये डीजल जीपें खरीदी जावें एवं 100 पंचायत समितियों को 25 लाख रुपये के खर्चे पर जीपें किराये पर लेने की अनुमति प्रदान की जावे । (26-4-82) (4)	डीजल जीपों की खरीद एवं पंचायत समितियों को जीपें किराये पर लेने की अनुमति का दिया जाना	50 नई जीपें खरीदने के लिये 45 लाख रु. की धनराशि पूरक मांगों में स्वीकृत की जा चुकी है । 100 पंचायत समितियों के लिये 9 माह की अवधि के लिये जीपें किराये पर लेने के लिये वित्त विभाग द्वारा 22.50 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करवा दी गई है । किराये के लिये उपलब्ध धनराशि का प्रयोग नयी जीपों की खरीद में करने का मामला विचाराधीन है । 50 जीपों का सप्लाई आदेश दिया जा चुका है । 25 जीपें विभाग में प्राप्त हो चुकी हैं । शेष जीपें शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है ।
		10. प्रत्येक पंचायत समिति को एक लाख रुपये के हिसाब से, कुल 236 लाख रुपये फ्री फण्ड (मैचिंग ग्रान्ट) हेतु उपलब्ध करवाये जावे । (26-4-82) (6)	आदेशानुसार पंचायत समितियों को राशि का उपलब्ध करवाया जाना	236 लाख रुपये की राशि वित्त विभाग द्वारा पूरक मांगों में उपलब्ध करवाई जा चुकी है । इस राशि का उपयोग एन. आर. ई. पी. योजना के लिये करने के लिये इस राशि का हस्तान्तरण विशिष्ट योजना संगठन को किया जा चुका है । विशिष्ट योजना संगठन द्वारा इस राशि का आवंटन पंचायत

		समितियों को करने की कार्यवाही की जा रही है ।
11. प्रत्येक पंचायत में एक उन्नत नस्ल की सांड उपलब्ध कराने के लक्ष्य की दिशा में वर्ष 82-83 में 10 लाख रुपये का अनुदान पंचायत समितियों को उपलब्ध करवाया जावे । पंचायत समितियों द्वारा खरीदे गये ऐसे सांडों पर क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा 3000/- रुपये प्रति सांड, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा । (26-4-82) (7)	आदेशानुसार पंचायत समितियों को धनराशि का उपलब्ध करवाया जाना ।	10 लाख रुपये की राशि पूरक मांगों में स्वीकृत की जा चुकी है । पंचायत समितियों से प्रस्ताव मांगे गये जो प्राप्त हो रहे हैं । पंचायत समितियों से प्राप्त मांगों के अनुसार धनराशि का आवंटन पंचायत समितियों को करने की कार्यवाही की जा रही है ।

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 36 की सूची
राजस्थान में वन्य जीव अपराधों का विवरण
(जनवरी 82 से जनवरी 83 तक)

क्र.सं.	कार्यालय तथा स्थान का नाम जहां केसेज पकड़े गये	कुल अपराध	कम्पाउंड	मुआवजा राशि	विभाग में विचाराधीन	कोर्ट चालान	कोर्ट में फैसले	कोर्ट में पैण्डिंग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जयपुर उड़नदस्ता (जि. जयपुर)	29	8	2087.00	8	13	1	12	
2.	अजमेर ,, ,, अजमेर	36	33	11162.60	2	1	—	1	
3.	उदयपुर ,, ,, उदयपुर	24	20	1895.00	4	—	—	—	
4.	बीकानेर ,, ,, बीकानेर	22	9	2220.00	7	6	—	6	
5.	बहरोड़ ,, ,, अलवर	5	4	502.00	—	1	—	1	
6.	जोधपुर ,, ,, जोधपुर	10	—	—	3	7	—	7	
7.	कोटा ,, ,, कोटा	5	1	33.00	4	—	—	—	
8.	क्षेत्र निदेशक सरिस्का सेन्क्चुरी जिला अलवर	36	9	2503.00	7	20	1	19	
9.	क्षेत्र निदेशक सवाई माधोपुर	10	3	1450.00	3	4	—	4	
10.	डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर जि. जैसलमेर	6	—	—	—	6	—	6	

11.	उप मुख्य वन्य जीव प्रति, भरतपुर	6	3	1601.00	–	3	–	3
12.	दरा गेम सेन्क्चुरी (जिला कोटा)	7	2	900.00	4	1	–	1
13.	मंडल वन अधिकारी, बांसवाड़ा	1	1	400.00	–	–	–	–
14.	मंडल वन अधिकारी, झालावाड़	1	–	–	1	–	–	–
15.	उप वन संरक्षक, चूरू	1	–	–	–	1	–	1
16.	मंडल वन अधिकारी, बारां	2	–	–	1	1	–	1
17.	मंडल वन अधिकारी, बूंदी	4	–	–	2	2	–	2
18.	मंडल वन अधिकारी, टोंक	1	–	–	1	–	–	–
19.	क्षेत्रीय वन अधिकारी, सीतामाता	5	2	1000.00	–	3	–	3
20.	उप वन संरक्षक, सीकर	2	–	–	2	–	–	–
21.	वन्य जीव अभ्यारण्य, कुम्भलगढ़	4	1	201.00	1	2	–	2
22.	मंडल वन अधिकारी, जयपुर	8	2	1600.00	2	4	–	4
23.	उप वन संरक्षक, पाली	1	–		–	1	–	1
		226	98	27554.60	52	76	2	74

परिशिष्ट–5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

अजमेर नगर में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण

37. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में स्थित पटेल स्टेडियम के पश्चिमी भाग में खाली पड़ी जमीन पर इन्डोर स्टेडियम के निर्माण की नींव सन 1975 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने रखी थी ?

(2) यदि हां, तो इस स्टेडियम के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकार की गई थी ? नींव रखने के बाद से अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है, कितना व्यय हो चुका है और अब यह निर्माण कब तक पूरा करवा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसी पटेल स्टेडियम में बास्केट बॉल कोर्ट एवं जिमनास्टिक हाल का भी निर्माण प्रारम्भ किया जा चुका था ?

(4) यदि हां, तो ये दोनों निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किये गये, उनकी अब क्या प्रगति है तथा उन पर अब तक कितना-कितना खर्च किया जा चुका है और अब कब तक पूरा करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) इन्डोर स्टेडियम का शिलान्यास 25 जून, 1974 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा किया गया।

(2) जिलाधीश, अजमेर, जो कि जिला क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष हैं, से प्राप्त सूचना के अनुसार इसके निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को रु. 6.85 लाख दिये जा चुके हैं और इसका उपयोग दिनांक 10-7-83 तक होने की सम्भावना है। जनवरी, 1983 तक इस कार्य पर रु. 2,09,090.00 व्यय किये जा चुके हैं।

(3) जी, हां।

(4) बास्केटबाल कोर्ट का निर्माण कार्य दिनांक 10-1-82 एवं जिम्नास्टिक हाल का निर्माण कार्य दिनांक 5-4-1982 को प्रारम्भ किया गया। दोनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बास्केटबाल कोर्ट के निर्माण पर रु. 1705.00 एवं जिम्नास्टिक हाल के निर्माण पर रु. 1,01,567.00 का व्यय हो चुका है। इन निर्माण कार्यों की इसी वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

औषध निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

38. श्री बद्रीदयाल जोशी (दीगोद) श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) आयुर्वेद विभाग का सन् 1981-82 में औषधियों के निर्माण हेतु कितना बजट स्वीकृत किया गया था ?

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(2) क्या वर्ष में स्वीकृत राशि का उपयोग कर लिया गया ? यदि नहीं, तो कितनी राशि लेप्स हुई और क्यों ?

(3) सन् 1982–83 में आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण हेतु कितना बजट स्वीकृत है, और उसमें से 31 दिसम्बर, 1982 तक कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की जा चुकी है ? क्या विभाग आलोच्य वर्ष में शेष राशि का उपयोग कर लेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981–82 में औषध निर्माण हेतु कच्ची औषधियों के क्रय हेतु 46.71 लाख रुपये का संशोधित बजट स्वीकृत किया गया था।

(2) जी नहीं। 30.50 लाख रुपये की राशि लेप्स हुई जिसके निम्न कारण हैं:–

1. कर्मचारियों की प्रांत व्यापी आम हड़ताल।

2. स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में कच्ची औषधियां क्रय करने का मांग-पत्र ही कम धनराशि का प्राप्त हुआ।

3. कतिपय व्यापारियों द्वारा अनुबन्ध के समय निजी शर्तें लगाने एवं उन पर निर्णय होने में विलम्ब होना अथवा उनकी शर्तों का स्वीकार न होना।

4. व्यापारियों द्वारा आदेशित माल सप्लाई न करना।

5. निविदा स्वीकार होने पर व्यापारियों द्वारा अनुबन्ध न करना।

6. निविदा नियम क्लिष्ट होने व क्रय प्रणाली जटिल होना।

(3) कच्ची औषधियों के क्रय हेतु वर्ष 1982–83 में 52.23 लाख रुपये का बजट प्रावधान स्वीकृत है। दिनांक 31-12-82 तक इसके विरुद्ध 9.02 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। आलोच्य वर्ष में शेष राशि का उपयोग पूर्णरूपेण नहीं किया जा सकेगा। विभाग मार्च, 83 तक धनराशि ज्यादा से ज्यादा औषधियों के क्रय हेतु खर्च करने में प्रयत्नशील है।

अन्ता जलोत्थान सिंचाई योजना

40. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) कोटा जिले की अन्ता I लिफ्ट स्कीम के निर्माण हेतु कितनी कृषि भूमि काम में ली गई और यह भूमि कितने किसानों की थी ?

(2) अन्ता I जलोत्थान सिंचाई योजना का निर्माण कब हुआ था ?

(3) क्या किसानों को उनकी कृषि भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) इस स्कीम के निर्माण में लगभग 285 काश्तकारों की 303 बीघा 10 बिस्वा भूमि काम में आई है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) इस योजना का निर्माण कार्य वर्ष 78-79 में प्रारम्भ किया गया, तथा लगभग पूर्ण हो चुका है।

(3) जी नहीं। भूमि अवाप्ति अधिकारी चम्बल परियोजना, कोटा द्वारा राज. भूमि अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण देरी हुई है।

कृत्रिम अंग केन्द्रों की स्थापना

41. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) श्री कैलाश मेघवाल (अजेमर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है की राज्य सरकार ने सवाई मानसिंह हास्पिटल, जयपुर की भांति अजेमर, जोधपुर, उदयपुर तथा बीकानेर में भी विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग केन्द्रों की स्थापना करने का निश्चय किया था ?

(2) यदि हां, तो क्या इन स्थानों पर ये केन्द्र प्रारम्भ कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो अब कब तक प्रारम्भ कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

1981 से इन केन्द्रों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

फसल बीमा योजना

42. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को फसल बीमा योजना से सम्बन्धित प्रस्ताव भारतीय बीमा निगम से प्राप्त हो गए हैं ? यदि हां, तो फसल बीमा चालू नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर फसल बीमा अविलम्ब चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, लेकिन नवीन प्रस्तावों में केवल बीमा राशि की सीमा को बढ़ाये जाने के अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं आया है। अतः फसल बीमा योजना लागू नहीं की गयी है।

(2) अभी प्रश्न विचाराधीन है।

विशाल गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी का गोदाम

43. श्री जगनसिंह (बयाना) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि आदर्श नगर, जयपुर स्थित विशाल गुड्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की गई थी ? यदि नहीं, तो उक्त निर्माण के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी नहीं। विशाल गुड्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को आदर्श नगर स्थित गोदाम के निर्माण हेतु कोई भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। आवासीय उपयोग हेतु भूखण्ड मानचित्र अनुमोदित कर जारी किया गया है। विशाल गुड्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा किये गए अनधिकृत निर्माण को हटाये जाने के प्रति नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

वन विभाग की भूमि पर कब्जों का नियमितिकरण

44. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या वन विभाग द्वारा अवाप्त की गई भूमि को जिस पर पैतृक रूप से किसान काबिज हैं अथवा काश्त कर रहे हैं, उन्हीं किसानों को नियमित करने का कोई प्रावधान है ?

(2) क्या जो किसान वन विभाग की भूमि को पैतृक समय से जोतते आ रहे हैं किन्तु जिनका पता सन् 1971 के बाद चला हैं, उन्हें वह भूमि नियमित रूप से देने का नियमों में कोई प्रावधान है, अथवा नियम प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) वन भूमि पर कब्जे के ऐसे मामले जिनका कब्जा 1-1-71 से पूर्व का सिद्ध हो, के नियमन की कार्यवाही करने हेतु आदेश प्रचलित है ?

(2) वर्ष 1971 के पश्चात् दर्ज ऐसे प्रकरण जिनमें वन भूमि पर कब्जा 1-1-71 से पूर्व का होना प्रमाणित हो के नियमन की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

कालवान पंचायत के सरपच के विरुद्ध जांच

45. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सिकराय पंचायत समिति की कालवान पंचायत के सरपंच के पूर्व कार्यकाल की शिकायतों की जांच विभाग के पास चल रही है ? यदि हां, तो कब कब से तथा किस किस अधिकारी द्वारा जांच की गई व क्या परिणाम रहे ?

(2) क्या यह सही है कि गत सत्र में यह आश्वासन दिया था कि कालवान सरपंच के विरुद्ध तीन माह के अन्दर जांच पूर्ण कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो इस आश्वासन के तहत जांच कब प्रारम्भ हुई तथा कब पूर्ण हुई ? जांच अधिकारी कौन थे तथा जांच परिणाम क्या रहे ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 20-5-80 से विभाग के पास जांच विचाराधीन है। प्राथमिक जांच जिलाधीश, जयपुर द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यरत पंचायत प्रसार अधिकारी से कराई गई। जिसमें प्राइमा फेसी भूतपूर्व सरपंच दोषी पाये गये एवं विस्तृत जांच उपजिलाधीश, दौसा द्वारा करवाई जा रही है जो पूर्ण नहीं हुई है।

(पंचायत राज्य मंत्री)

(2) जी हां। इस आश्वासन के तहत दिनांक 22-9-82 से उपजिलाधीश, दौसा द्वारा प्रारम्भ की गई जो अभी पूर्ण नहीं हुई है।

खालासी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना झुन्झुनू

46. श्री लच्छूराम (मण्डावा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनूं में खालासी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना स्वीकृत है?

(2) क्या इस योजना को तकनीकी स्वीकृति दी जा चुकी है? अगर हां, तो कब दी गई?

(3) उक्त योजना पर कितना कार्य हो चुका है और शेष कितना प्रगति पर है?

(4) उक्त योजना के अन्तर्गत कितने गांवो में पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। योजना की तकनीकी स्वीकृति मई, 82 में दी जा चुकी है।

(3) योजना पर कुए में बोरिंग व फिटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। बिजली का कनेक्शन प्राप्त कर लिया गया है। आर.सी.सी. स्वच्छ जलाशय एवं स्वीच रूम बना दिये गये हैं। "ई" टाइप क्वार्टर का कार्य प्रगति पर है। करीब 3000 मीटर पाइप लाइन डाली जा चुकी है। खालासी का बास (स्रोत स्थल) वाजिदसर व लुहारु ग्राम में भूतल जलाशयों का कार्य करवाना शेष है। खालासी के बास-से मण्डावा-बिसाऊ सड़क तक लाइन का कार्य बाकी है। खालासी मूल ग्राम में टी.एस. एस. योजना का कार्य करवाना शेष है।

(4) वाजिदसर एवं लुहारु ग्राम के लिए करीब 3000 मीटर पाइप लाइन डाली जा चुकी है।

कोर्निया ग्राफ्टिंग

47. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोर्निया बैंकों की स्थापना कब-कब कहां-कहां की गई?

(2) राज्य में कहां-कहां व कितने-कितने लोगों ने नेत्रदान की सूचना राज्य सरकार को दी और कब-कब व किस-किस स्तर के अधिकारियों को ऐसी सूचना राज्य में प्राप्त हुई?

(3) कितने-कितने नेत्र किन-किन नेत्र बैंकों में प्राप्त किये गये व कब-कब?

(4) कितने-कितने कोर्निया ग्राफ्टिंग राज्य में कब-कब किये गये उनमें से कितने सफल हुए तथा उनके लिये नेत्र कहां-कहां से प्राप्त किये गये?

उत्तर

(1) कोर्निया बैंकों की स्थापना जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर में क्रमशः वर्ष 1964, वर्ष 1966, मार्च, 1982 एवं 1974 में की गई (बीकानेर की सूचना उपलब्ध नहीं है)

(2) इस संबंध में वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र प्रथम में उपलब्ध है।

(3) वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र दो में उपलब्ध है।

(4) वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र तीन में उपलब्ध है।

विवरण-पत्र-प्रथम

मेडिकल कालेज	नेत्र दानों की संख्या	अधिकारी जिसे नेत्र दानों की सूचना प्राप्त हुई	विशेष विवरण
जयपुर	113	–	आई बैंक के पास सूचना उपलब्ध है।
जोधपुर	81	–	–
अजमेर	–	–	कुछ वृद्ध जनों ने नेत्र दान की सूचना दी जो रोग ग्रस्त थे अतः स्वीकार योग्य नहीं थे।
उदयपुर	100	डा. एस. पी. माथुर विभागाध्यक्ष नेत्र विभाग को दो निमन्त्रण पत्र अजमेर से श्री सेठी एवं जोधपुर से श्री भंडारी से प्राप्त हुये जिसमें मरणोपरान्त निवास से आंखें प्राप्त करने हेतु वर्णित था	–

विवरण-पत्र द्वितीय

क्र.सं.	स्थान	नेत्रों की संख्या	वर्ष जब प्राप्त हुए	नेत्र जिनसे प्राप्त किये गये	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर	42	1982	4 एस.एम.एस. होस्पिटल के माध्यम से	इनमें से कुछ अच्छी अवस्था में नहीं थे।

1	2	3	4	5	6
				4-आई बैंक बम्बई 34-आई बैंक गुजरात 42	
2.	जोधपुर	132	—	इस सम्बन्ध में नेत्र प्राप्ति तालिका प्रस्तुत है।	—
3.	अजमेर	4	1982	माहटा चेरिटी ट्रस्ट के द्वारा बम्बई से प्राप्त हुये	यह आपरेशन के योग्य नहीं थे।
4.	उदयपुर	—	1969	—	कुछ आई वाल्स मंगवाये गये परन्तु उनका नतीजा ठीक न होने से बन्द कर दिया गया।

विभिन्न स्रोतों से नेत्र प्राप्ति का विवरण पत्र —मेडिकल कालेज, जोधपुर

प्राप्ति स्रोतों का नाम	नेत्र संख्या दिनांक सहित	योग
1	2	3
एंच.एन.होस्पिटल, बम्बई	2/30-5-81, 2/6-6-81, 2/23-6-81, 2/30-6-81, 4/7-7-81, 4/11-7-81, 2/16-7-81, 2/1-8-81, 12/1-8-81, 2/6-8-81, 2/15-8-81, 2/21-8-81, 2/27-8-81, 2/29-8-81, 2/8-9-81, 2/12-9-81, 2/22-9-81, 2/24-9-81, 2/29-9-81, 2/2-10-81, 2/10-10-81, 2/20-11-81, 2/3-12-81, 2/5-12-81	62

1	2	3
आई बैंक जे. जे. हास्पिटल, बम्बई	2/24-9-81, 2/5-11-81, 2/15-12-81 2/10-12-81	=8
आई बैंक रेड क्रास ढोलका	2/21-7-81; 2/1-8-81, 2/3-8-81, 2/22-8-81, 2/29-8-81, 4/1-9-81, 2/3-10-81; 2/11-10-81, 2/8-12-81, 2/10-12-81	=22
रेड क्रास आई बैंक अहमदाबाद, भावनगर	4/19-7-81, 2/10-10-81,	=6
एम. एण्ड जे. इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद	2/12-8-81	=2
एम. जी. हास्पिटल, जोधपुर	2/31-8-81, 2/1-9-81, 2/22-9-81, 2/26-9-81; 2/28-9-81, 1/5-10-81, 2/5-10-81, 2/5-10-81, 2/11-11-81 2/11-11-81, 1/13-11-81, 2/16-11-81, 2/20-11-81, 2/22-11-81, 2/22-11-81, 2/1-12-81, 2/11-12-81	=32
		= 132

विवरण-पत्र-तृतीय

क्र. सं.	स्थान का नाम	कोर्निया ग्राफ्टिंग की संख्या	वर्ष	सफल कोर्निया ग्राफ्टिंग की संख्या	नेत्र को प्राप्त करने का साधन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर	32	1-1-82 से	29	दानदाताओं से	1964 से हर वर्ष औसतन 40 केराटोप्लास्टिक्स किये गये हैं

1 2	3	4	5	6	7
2. जोधपुर	228	–	68	–	शेष आपरेशन वेस्कूलराइजेशन एवं प्रेस डोर्न मेटिरियल के अभाव में असफल रहे।
3. अजमेर	4	21-3-82 (1) 25-6-82 (1) 17-8-82 (2)	3	–	–
4. उदयपुर	86	1968	–		यूनिट न होने के कारण सफल आपरेशन की सूचना उपलब्ध नहीं है।
	14	1969			
	8	1970			
	7	1971			
	51	1972			
	19	1973			
	12	1974			
	2	1975			
	9	1976			
	2	1977			
	7	1978			
	3	1979			
	6	1980			
	9	1981			
	34	1982			
	6	1983			

राजस्थान-मध्य प्रदेश राज्यों के मध्य जल एवं विद्युत् का बटवारा

48. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (311) श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य पानी और बिजली के उचित बंटवारे पर निगाह रखने हेतु किसी समिति का गठन हो चुका है ? यदि हां, तो उसमें राजस्थान के तथा मध्य प्रदेश के कौन-कौन सदस्य हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य को अपने हिस्से का पूरा पानी और बिजली मिले इसके लिए समिति ने अब तक कोई प्रयास किये हैं ?

(श्री वालचन्द्र आर्यवीर) :-
यदि हां, तो क्या ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(i) पानी के उचित बंटवारे पर निगाह रखने हेतु मध्य प्रदेश राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सि. एवं वि.) नियंत्रक मण्डल ने स्टेन्डिग कमेटी नं0 2 का गठन किया है, जिसके सदस्यों की सूची तालिका (क) पर संलग्न है।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, राजस्थान व मध्य प्रदेश में विद्युत के बंटवारे हेतु कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(2) राज्यों को अपने-अपने हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध कराने हेतु गठित समिति की समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं जिनके अन्तर्गत उपलब्ध पानी सिंचाई के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में वांछित अनुपात में बंटवारा किया जाता है।

जहां तक बिजली का संम्बन्ध है चूंकि विद्युत के बंटवारे के लिए समिति का कोई गठन नहीं हुआ है अतः उसके द्वारा प्रयास करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

तालिका 'क'

स्टॅन्डिग कमेटी नं. 2 मध्य प्रदेश राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सि. एवं वि.) कंट्रोल मण्डल के सदस्यों को सूची

(1) सचिव, सिंचाई विभाग राजस्थान/मध्य प्रदेश।

(2) अध्यक्ष, चम्बल कमाण्ड एरिया डवलपमेंट अोथोरिटी एवं आयुक्त चम्बल खंड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

(3) एरिया डवलपमेंट कमिश्नर, चम्बल, कोटा।

(4) सदस्य (प्रसारण एवं वितरण) म.प्र.वि.मं.।

(5) तकनीकी सदस्य, रा.रा.वि.मं., जयपुर।

(6) मुख्य अभियंता, सिंचाई, राजस्थान।

(7) मुख्य अभियंता, चम्बल बेटवा बेसिन, सिंचाई विभाग, म.प्र.।

(8) मुख्य अभियंता (ओ. एण्ड एम.) रा.रा.वि.मं.।

(9) सचिव, अन्तर्राज्यीय कन्ट्रोल मण्डल।

कृषि उपज मंडियों द्वारा गोदामों का निर्माण

49. श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार कितने गोदाम कृषि उपज मंडियों द्वारा निर्मित किये गये ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में किसान का उत्पादन गोदामों में रहन कर कितनी राशि का ऋण उपलब्ध कराया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) 40 गोदामों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) गत दो वर्षों में कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ग्रामीण गोदामों की सूची

क्र.सं. 1	जिला 2	मण्डी समिति 3	स्थान का नाम 4
1.	अलवर	अलवर	(1) मालाखेड़ा
		खेड़ली	(2) दातिया
2.	भरतपुर	वाड़ी	(3) बाड़ी
3.	सीकर	सीकर	(4) पलसाना
4.	जयपुर	जयपुर (अनाज)	(5) बगरू
		कोटपूतली	(6) कोटपूतली
		बांदीकुई	(7) गीजगढ़
		चाकसू	(8) चाकसू
		नरायना	(9) नरायना
5.	कोटा	कोटा	(10) मण्डाना
		सुमेरगंज	(11) सुमेरगंज
6.	झालावाड़	चोमेला	(12) चोमेला
7.	बून्दी	बून्दी	(13) दई
8.	टौंक	टौंक	(14) मालपुरा
		देवली	(15) देवली
			(16) दूनी
9.	उदयपुर	उदयपुर	(17) उदयपुर
		नाथद्वारा	(18) नाथद्वारा

1	2	3	4
			(19) राजसमन्द
		फतेहनगर	(20) फतेहनगर
10.	चित्तौड़गढ़	कपासन	(21) कपासन
		निम्बाहेड़ा	(22) छोटीसादड़ी
		बेगूं	(23) बेगूं
11.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	(24) गंगापुर
		माण्डलगढ़	(25) माण्डलगढ़
			(26) बिजोलिया
			(27) काचोला
		आसीन्द	(28) आसीन्द
		शाहपुरा	(29) शाहपुरा
12.	जोधपुर	पीपाड़ सिटी	(30) पीपाड़ सिटी
13.	पाली	सोजत सिटी	(31) सोजत सिटी
		जैतारण	(32) जैतारण
			(33) रायपुर
		रानी	(34) रानी
		सुमेरपुर	(35) सुमेरपुर
14.	नागौर	कुचामन सिटी	(36) कुचामन सिटी
15.	बीकानेर	नोखा	(36) नोखा
16.	चूरू	चूरू	(37) सादुलपुर
17.	अजमेर	अजमेर	(39) पीसांगन
		विजयनगर	(40) विजयनगर

विश्व बैंक से हैण्ड पम्प्स हेतु सहायता

50. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में हैंड पम्प्स लगाने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से योजना के अनुसार हैंड पम्प के लिए 180 फीट गहरे गड्ढे खोदने के बजाय 80 फीट गहरे खोदने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) विश्व बैंक से केवल मात्र हैण्ड पम्प्स लगाने हेतु पृथक् से कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है। ग्रामीण एवं शहरी पेयजल तथा सीवरेज योजनाओं हेतु सामूहिक रूप से वर्ष 80-81, 81-82 व 82-83 (दिसम्बर, 82 तक) में क्रमशः 0.8 करोड़ रुपये, 4.956 करोड़ रुपये व 5.239 करोड़ रु. की राशि विश्व बैंक से प्राप्त हुई है।

(2) जी नहीं।

कृषि उद्योग निगम में घाटे की पूर्ति

51. श्री भैंरूलाल भारद्वाज (जमुवारामगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उद्योग निगम के कारखाने में उत्पादित तथा निगम द्वारा अधिकृत विक्रय की वस्तुओं को सरकारी विभाग खरीदने के लिए पाबन्द है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या कृषि उद्योग निगम के निरन्तर बढ़ रहे घाटे की पूर्ति के लिए निगम के अध्यक्ष द्वारा भेजे गये सुझावों को सरकार ने क्रियान्वित करने की ओर आवश्यक कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार के सभी विभाग निगम के कारखानों में उत्पादित तथा निगम द्वारा अधिकृत विक्रय वस्तुओं के क्रय करने के लिये पाबन्द नहीं हैं।

(2) प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पंचायत समिति एवं तहसील स्तर पर छात्रावास खोलना

52. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रत्येक पंचायत समिति एवं तहसील स्तर पर छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार पंचायत समिति सिणधरी, बायतू एवं तहसील गुढ़ामालानी मुख्यावास पर छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। जिला बाड़मेर में समाज कल्याण विभाग द्वारा 10 छात्रावास चलाये जा रहे हैं, और छात्रावास खोलने हेतु बजट प्रावधान नहीं है।

पंचायत समिति इटावा में हुए गन्ना कांड में कार्यवाही

53. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, इटावा में गन्ना कांड में हुए गबन एवं घोटाले को सरकार ने स्वीकार किया

(श्री हीरालाल आर्य)

है तथा यह भी आश्वासन दिया था कि दोषी व्यक्ति को नहीं बख्शा जावेगा ?

(2) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिलाधीश, कोटा से अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि पंचायत समिति इटावा द्वारा गन्ना वितरण में गबन व घोटाला किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) इस मामले की जांच हेतु जिलाधीश, कोटा को लिखा गया है। जिलाधीश, कोटा से अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उन्हें पुनः स्मरण करवाया गया है।

अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना

54. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य का किन-किन अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं में कितना-कितना हिस्सा है ?

(2) उक्त परियोजनाओं में राज्य की कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है ?

(3) राज्य को पिछले 5 वर्षों में इन परियोजनाओं से पानी का कितना-कितना हिस्सा प्राप्त हुआ है ? क्या यह हमारे हिस्से से कम रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य की विभिन्न अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं में औसत वर्ष में राज्य का हिस्सा निम्नानुसार है :–

1. (गंग नहर) 1.11 (एम.ए.एफ) एवं कुल 9.71/एम.ए.एफ. रावी व्यास का आधिक्य (सरप्लस) पानी (8.60) एम. ए. एफ.
2. भाखड़ा परियोजना 1.4 एम. ए. एफ.
3. चम्बल उपलब्धि का 50 प्रतिशत
4. माही बजाज सागर कुल उपलब्धि का 18.37 प्रतिशत
5. नर्मदा 0.5 एम. ए. एफ.
6. गुड़गांव नहर 0.09 एम. ए. एफ.
7. भरतपुर फीडर 0.021 एम. ए. एफ.

(2) इन परियोजनाओं में वर्ष 1981-82 तक राज्य की निम्नानुसार पूंजी लगी हुई है :–

1. गंगनहर एवं रावी व्यास का आधिक्य (सरप्लस) पानी
   - (अ) गंगनहर 322.25 लाख रु.
   - (ब) राज. नहर 30473.00 लाख रु.
   - (स) व्यास परियोजना 13555.05 लाख रु.
2. भाखड़ा परियोजना 2790.00 लाख रु.
3. चम्बल 5348.46 लाख रु.
4. माही बजाज सागर 5297.00 लाख रु.
5. नर्मदा 30.23 लाख रु.
6. गुड़गांव नहर 754.17 लाख रु.
7. भरतपुर फीडर 17.29 लाख रु.

(3) राज्य को पिछले पांच वर्षों में प्राप्त पानी का हिस्सा तथा अन्य विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(210)

राजस्थान को अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्त पानी का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वर्षवार पानी की मात्रा एम. ए. एफ. में					विशेष विवरण
		1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	
1.	भाखड़ा परियोजना	1.652	1.714	1.452	1.352	1.450	अपने भाग से अधिक पानी मिला है।
2.	गंग नहर एवं रावी व्यास का आधिक्य (सरप्लस) पानी	6.062 (+) 1.051	6.247 (–) 0.146	6.715 (–) 0.455	5.180 (–) 0.308	6.021 (–) 0.359	रावी व्यास में पानी हिस्से से कम मिलने का कारण हैडवर्क्स पर पंजाब का नियन्त्रण है तथा जब पानी की उपलब्धि कम होती है तो पंजाब अपनी आवश्यकता पूरी करने की चेष्टा में राजस्थान को पानी कम देता है।
3.	चम्बल	1.5453 (–) 0.2927	1.3495 (–) 0.2785	1.6446 (+) 0.0253	1.3608 (+) 0.1715	1.0306 (+) 0.0173	राजस्थान ने वर्ष 1978 एवं 1979 में सर्दी के मौसम में वर्षा के कारण कम आवश्यकता होने से अपने हिस्से का कुछ पानी मध्य प्रदेश को दे दिया था। 1980, 1981 एवं 1982 में अपने हिस्से से ज्यादा प्राप्त किया।
4.	गुड़गांव नहर	–	–	–	0.002	0.0015	राजस्थान का हिस्सा निश्चित नहीं हुआ है।
5.	भरतपुर फीडर	–	0.0036	0.0047	0.0062	0.0105	
6.	नर्मदा	–	–	–	–	–	निर्माणाधीन है।
7.	माही बजाज सागर	–	–	–	–	–	निर्माणाधीन है।

बड़ेडा बांध से प्रभावित किसानों को मुआवजा

56. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर की तहसील भीनमाल के ग्राम बड़ेड़ा में बांध बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस बांध के डूब में आने वाली जमीनों का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो कब-कब और कितना-कितना दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त काश्तकारों, जिनकी जमीनें बांध की डूब में आई हैं, को मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

घूघरा घाटी (अजमेर) में मकानों को तोड़फोड़

57. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि 20-8-1982 से 21-8-1982 को घूघरा घाटी पहाड़ी (अजमेर) इलाकों की बसी बस्तियों के पक्के मकानों को तोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या मकान तोड़ने के पहले कोई नोटिस दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मकान तोड़ने के समय कोई पुरुष घरों में नहीं थे ?

(3) क्या यह सही है कि पहाड़ी में बसे मकानों का निर्माण जनवरी, 1982 से मई, 1982 के करीब तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री की घोषणा के अनुरूप किया गया था ?

उत्तर

(1) दिनांक 21-8-82 को घूघरा घाटी पर बने कच्चे व पक्के मकानों आदि को तोड़ा गया था। तोड़ने से पहले नोटिस जारी किये गये थे।

(2) पुरुष कहां थे, यह रिकार्ड नहीं रखा गया।

(3) नहीं, इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई जिसके तहत इस प्रकार नाजायज निर्माण हो सके।

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची

जिला बाड़मेर और जैसलमेर में जिन स्थानों पर देशी मदिरा की दुकानें चल रही हैं उनका विवरण

क. सं.	नाम दुकान	अनुज्ञाधारी का नाम
1	2	3
1.	जैसलमेर	1. श्री नारायणदास पुत्र रामलाल सोनी
		2. ,, होतचन्द पुत्र नारायणदास सोनी
		3. ,, हेमसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत
		4. ,, मिश्रीलाल पुत्र डामरचन्द सोनी
		5. ,, मुरलीधर पुत्र बाबूलाल सोनी
2.	पोकरण	1. श्री लेखराज पुत्र रूगाजी सोनी एण्ड पार्टी
3.	बाड़मेर	1. श्री हीरालाल पुत्र भानुजी कलाल
		2. ,, पोकर चन्द पुत्र नारायण जी
		3. ,, सुरेश पुत्र भैरूलाल कलाल एण्ड पार्टी
4.	गडरारोड	1. श्री किशनचन्द पुत्र तेजमल खत्री
		2. ,, घेवरचन्द पुत्र मिश्रीलाल खारवाल एण्ड पार्टी
5.	कवास	
6.	साता	
7.	बायतु	
8.	सिणधरी	
9.	गुडामालानी	
10	पादरू	
11.	मोकलसर	
12.	पचपदरा सिटी	
13.	पचपदरा साल्ट	
14.	जसोल	
15.	काननापारलू	
16.	नाचना	
17	रामगढ़	

1	2	3
18.	बालोतरा	1. श्री बलवन्तसिंह पुत्र शिवनाथसिंह राजपूत
		2. श्री हजारीलाल पुत्र गामाजी
19.	समदड़ी	1. श्री अम्बालाल पुत्र मोहनलाल मेवाड़ा कलाल
20.	सीवाना	1. श्री किशनसिंह पुत्र बख्तावरसिंह राजपूत

सूची विदेशी मदिरा दुकानात जिला जैसलमेर व बाड़मेर

क. सं.	दुकान का स्थान	अनुज्ञाधारी का नाम
1.	जैसलमेर नं. 1	श्री महेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत (मै. जैसल वाइन स्टोर जैसलमेर)
2.	जैसलमेर नं. 2	श्री नारायणदास पुत्र रामलाल सोनी सा. जैसलमेर
3.	पोकरण	1. श्री उम्मेदसिंह पुत्र चन्दनसिंह राजपूत
		2. श्री मोहनलाल पुत्र नारायणदास सोनी जैसलमेर
4.	सम	1. श्री नारायणदास पुत्र रामलाल सोनी जैसलमेर
		2. श्री हीरचंद पुत्र नारायणदास सोनी
5.	चौहटन	1. श्री भेरूसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत सा. बाखासर
		2. श्री जगेन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीराजसिंह राजपूत सा. बाखासर
6.	बालोतरा	1. श्रीमती सरोज आहुजा पुत्री के. एन. आहुजा सा. रातानाडा जोधपुर
		2. श्री बाबूलाल पुत्र जोगराज कलाल पाल (मै. नाकोड़ा वाइन स्टोर बालोतरा)
7.	गडरारोड	1. श्री मदनलाल पुत्र गोतमदास जी माहेश्वरी बाड़मेर
		2. श्री रमेशकुमार पुत्र व्यापारीमल सा. बाड़मेर
8.	बीदासर	1. श्री भरतसिंह पुत्र भोजराजसिंह सोढा सा. निंबीतला (बाड़मेर)
9.	जैसलमेर	मूमल टूरिस्ट बंगलो, जैसलमेर।

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 7 की प्रतियां

दिनांक 14-7-82

सेवामें,

श्रीमान् आई. जी. पी. साहब;
राजस्थान, जयपुर।

विषय:–श्री एस. एस. व्यास, अधीक्षण अभियन्ता वृत्त–दो, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर और ठेकेदारों की मिलीभगत से लाखों रुपये का घोटाला करने व राज्य को हानि पहुंचाने बावत।

महोदय जी,

निवेदन है कि व्यासजी व ठेकेदारों ने सांठगांठ कर राज्य सरकार को धोखा देने के लिये षड़यन्त्र किया जिसका मकसद सरकार को अनुचित हानि व ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाने का था। ठेकेदारों ने रिंग बनाकर एक षड़यन्त्र रचा जिससे करीबन 35–40 लाख की सरकार को हानि पहुंचाई व ठेकेदारों ने उसका फायदा उठाया।

कि पिछले वर्ष 1981–82 में बाड़मेर जिले में लगभग 3 करोड़ के अकाल राहत कार्य बाड़मेर के ठेकेदारों ने किये परन्तु पिछले वर्ष टैण्डर्स की रेट बी.एस.आर. से बिलो गई क्योंकि टैण्डर्स करीबन अधिशासी अभियन्ता, बाड़मेर मुख्यावास में ही करवाये थे परन्तु सन् 1982-83 यानी इस साल अधीक्षण अभियन्ता, श्री व्यासजी के आने के बाद बाड़मेर जिले के अकाल राहत कार्यों में लाखों रुपयों के घोटाले सरेआम हो रहे हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

1. इस बार अधीक्षण अभियन्ता, व्यासजी ने लगभग दो करोड़ रुपये के टैण्डर जोधपुर में करवाये उनकी निम्न दिनांक है–30-4-82. 9-5-82, 18-5-82. 10-6-82 17-6-82, 21-6-82 इन कार्यों के टैण्डर अधिशासी अभियन्ता, बाड़मेर नियमानुसार कर सकते थे परन्तु व्यासजी ने उच्च राजकीय अधिकारी होने से अपना व ठेकेदारों को. लाभ. पहुंचाने की नीति से जोधपुर में ही टेण्डर करवाये। ऐसा भी सुनने में आया कि मुख्य अभियन्ता, जयपुर से 5 लाख रुपये तक के टैण्डर करवाने के अधिकार अधिशासी अभियन्ता को माह मई, 1982 में ही किये हैं। श्री व्यासजी ने उस आदेश को जान बूझकर रोका और इस आदेश को आगे अधिशासी अभियन्ता को नहीं भेजा। जिससे उन्होंने (श्री व्यासजी) और ठेकेदारों ने षड़यन्त्र रचकर लाखों रुपये का घोटाला कर लिया। श्री व्यासजी ने जान बूझकर राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया और अपने पद का दुरुपयोग

किया। जो करीब दो करोड़ के कार्य हैं इनमें टेण्डर जोधपुर में ही करवाये जो कि बी. एस. आर. के बराबर या एक दो प्रतिशत कम या अधिक करवाये जबकि बाड़मेर जिले में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत बी.एस.आर. से बिलो गये। इस प्रकार दो करोड़ के कार्यों पर अनुमानित 15 प्रति. से 20 प्रति. बिलो की रेट से राज्य सरकार को लगभग 35 से 40 लाख रुपये की हानि हुई। ऐसा भी सुनने में आया है कि व्यासजी ने हर टेण्डर के पीछे करीबन 10,000) रुपये की घूस भी ली है जो कि करीबन 7 लाख रुपये तक भी हो सकती है। जोधपुर में जो भी टेण्डर हुए उसमें 90 प्रति. सारे कार्य अच्छे थे तथा कुछ बनी हुई सड़क थी कहीं-कहीं पर पटड़ियों का मुरड़ा था। दूसरी ओर बाड़मेर में जो टेण्डर हुए थे वे रेतीले टीलों में थे जिसका आप स्वयं मौका मुलाहिजा फरमा सकते हैं। बड़े अचम्भे की बात है कि जोधपुर में हुए टेण्डर्स में अच्छी सड़कों के कार्य बी. एस. आर. तक जाते हैं दूसरी ओर खराब रास्ते के कार्य खर्च 15 प्रति. से 20 प्रति. बिलो जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण एक ही है कि व्यासजी खुले आम ठेकेदारों से मिलकर घोटाला करने पर तुले हुए हैं। दिनांक 21-6-82 को जो टेण्डर्स हुए हैं उसमें सभी कार्यों की तीन-तीन प्रतियां दी गई हैं। सिर्फ 3–3 प्रतियां ही ली गई क्यों?

2. श्रीमान् व्यासजी ने मूकाकरना रोड (मूका डंडाली रोड वाया करना) जो अपने लघु भ्राता श्री मांगी लाल को स्वीकृत की उस रोड पर गत साल 900 क्यूबिक मीटर ग्रेवल प्रति किलोमीटर डाला गया था परन्तु उसी बनी हुई रोड पर वापिस टेण्डर करवाकर अपने भाई का 1600 क्यूबिक मीटर प्रति किलोमीटर में उसी बनी हुई रोड पर ग्रेवल डालने का टेण्डर स्वीकृत कर काम दिया गया। गत वर्ष मडाली नाडी मूका पर जो ग्रेवल खुदवाया था जो कि ठेकेदारों ने गत वर्ष ही रोड पर डाल दिया था। इस वर्ष जो मुरड़ा मूका करना डंडाली में खुदवाया है जो कि एम.बी. में ज्यादा बताया जा रहा है जब कि स्टोक में मुरडा कम बताया गया है। एक और अचम्भे की बात है कि वन विभाग द्वारा इसी रोड़ पर मूका बस स्टेण्ड से लेकर मूका ग्राम तक मुरडा डाला हुआ था जिसका एस्टीमेट में दर्ज नहीं है।

3. बूनाधनवा वाया मीठा खेडा रोड जो कि पूर्णतया सही रूप से बनी हुई है उसी रोड पर 1400 क्यूबिक मीटर प्रति किलोमीटर मुरडा डालने का टेण्डर अपने सगे भाई श्री मांगी लाल के भागीदार श्री जीतमल पारू को दिया गया जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का कर्मचारी है। अन्याय की हद है।

4. बालोतरा साइड की कुछ बनी हुई रोड पर फिर ज्यादा मुरडा डालने के टेण्डर जानबूझ कर करवाये जा रहे हैं। जैसे पाटोदी से बरनाश, परलू से रेवाडा इत्यादि।

5. कवास से बाटाड जिस पर पटडियों का मुरड़ा पहिले से ही काफी है परन्तु व्यासजी ने जानबूझ कर पटड़ियों के मुरड़े को फिर से बिछाने के लिये 4 लाख का टेण्डर स्वीकृत किया जबकि इस रोड पर पूरे दिन में दो बसें ही चलती हैं।

6. जालोया रामदेवरा रोड पर प्रति किलोमीटर में 400 क्यूबिक मीटर ग्रेवल डलवाने का टेण्डर करवाया गया जबकि उस रोड पर 70 किलोमीटर की स्पीड से कार भी चल सकती है।

7. श्री व्यास जी द्वारा 50 हजार के टेण्डर हुए कार्य को पूर्ण रूप से परिणित करके उक्त कार्य को 3 लाख रुपये का पूरा एग्रीमेन्ट कर कार्य को एक्सेस (अधिक) कर दिया यह क्यों, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये। उदाहरण के लिए बायतू से बागूनी रोड रामजी जोल से गुडा। इस प्रकार व्यासजी अपने पद का दुरुपयोग कर घोटाला करने में लगे हुए हैं।

8. दि. 30-4-82 को जोधपुर में बाड़मेर क्षेत्र के लिये जो टेण्डर्स हुए थे उन टेण्डर्स व कागजों में काफी हेरा फेरी व कटिंग किये गये। इसका कारण यह हो सकता है कि इस दिन ठेकेदारों और व्यासजी के पूर्व में सांठगांठ नहीं हुई बाद में षड्यंत्र रचकर यह कार्य किया। इसमें रेटों में हेरा फेरी व कटिंग काफी है। अतः इस प्रकार के कागजों को तुरन्त प्रभाव से कब्जे में लिये जाने चाहिए।

9. दि. 21-6-82 को जो टेण्डर्स जोधपुर में हुए थे उसमें एक काम करीबन दो लाख रुपये का एक अपने खास ठेकेदार को गवारनाडा रोड पर मुरड़ डालने का दिया जबकि इस काम का एन आई. टी. नहीं ली गई। यह एक बड़ी विचित्र बात है। दि. 25-6-82 को व्यासजी ने एक पत्र बाड़मेर के तीनों अधिशासी अभियन्ताओं को लिखकर दिये कि 21-6-82 को जो टेण्डर्स जोधपुर में हुए थे उनके वर्क आर्डर नहीं दिये जायें उसमें यह कार्य गवारनाडा रोड भी शामिल है। यह भी सुनने में आया है कि इस रोड पर 4 किलोमीटर ग्रेवल डाल भी दिया गया है। इस प्रकार इस ठेकेदार ने सरकार के माल की चोरी की है।

10. मेरे ध्यान में यह भी लाया गया है दि. 21-6-82 को जो टेण्डर्स जोधपुर में बाड़मेर क्षेत्र के हुए थे जिनका वर्क आर्डर नहीं दिया गया था उन पर कुछ ठेकेदारों ने सरकार के ग्रेवल (मुरेड़) की चोरी कर माल रोड पर डाल दिया गया है। जिसकी सूचना श्री व्यास जी का अधिशाषी अभियन्ता रोडी बाल बाड़मेर को मुख्य अभियन्ता, जयपुर को दि. 12-7-82 को लिखित में कर दी है।

11. चन्द दिन पूर्व श्री व्यासजी बाड़मेर आये। बड़े-बड़े ठेकेदारों को, अधिकारियों को बुलाकर बातचीत की व रेकार्ड अपूर्ण था, पूर्ण करवाया। आंतरिक रूप से क्या सलाह की वे जान सकते हैं। मेरी समझ में यहां पर भी इन लोगों ने अवश्य कोई न कोई षड्यंत्र रचा है।

12. चन्द दिन पूर्व में श्री कल्याणसिंह जी अधिशाषी अभियन्ता, अकाल राहत कार्य, वाड़मेर के कार्यालय में निम्न कार्यों के टेण्डर्स हुए थे उनका विवरण निम्न है :—

1. नेतडीयार से साई का तला 25–40 प्रति. लैस।
2. नोसर से सणफा 22–25 प्रति. लैस।
3. हाथीतला से गरल 15–15 प्रति. लैस।

ऐसा भी सुनने में आया है कि दिनांक 9–7–82 को अधिशाषी अभियन्ता, रोहिंबालजी के कार्यालय में टेण्डर हुए थे वे भी बी. एस. आर. से बिलो के थे।

उपरोक्त तथ्यों को देखने से यह साफ जाहिर है कि श्री व्यासजी ने अधिकार क्षेत्र से अनधिकृत रूप से अपने स्वार्थ सिद्ध करने की नीयत से काम किया जिसमें सरकार को धोखा दिया। घाटा में लाये व साथ में ठेकेदारों का गैर-कानूनी रूप से प्रलोभन देकर लाभ पहुंचाकर इसके साथ-साथ ठेकेदारों ने भी अपनी स्वार्थसिद्धी को सफल बनाने के लिए गलत कार्य करवाने के लिए श्री व्यास जी को घूंस भी देनी पड़ी। जिसका असर गरीब किसान व मजदूर वर्ग पर भी पड़ता है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त तथ्यों की सही जांच करने के लिए आपके विभाग के किसी ईमानदार अधिकारी को लगाने के आदेश फरमावें और टेण्डर्स काल करने के जो फोर्मस् दिए जाते हैं उस प्रक्रिया से लेकर जब तक वर्क आर्डर्स दिए गये हैं इस तक के सारे रेकार्ड रजिस्टर शीघ्र कब्जे में लिये जायें। इस सम्बन्ध में श्री व्यास जी ने जो भी अनियमित कार्यवाही की उसकी भी जांच की जाये।

इसके अतिरिक्त निम्न कागजात व रेकार्ड कब्जे में लिये जायें :—

1. अधीक्षण अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता को कितने रुपयों तक का टेण्डर काल करने के व रिकाल करने की प्रक्रिया व अधिकार के आदेश की प्रतियां।

2. किस-किस तारीख को कितनी-कितनी प्रतियां टेण्डर्स की किस-किस ठेकेदार को कितने रुपये में दी उसकी सूची।

3. टेण्डर्स आने के बाद उसका रजिस्टर में दर्ज किया वह रजिस्टर।

4. किस-किस ठेकेदार का बी.एस.आर. की दर से कम या अधिक के कितने-कितने काम किस-किस तारीख को वर्क आर्डर दिये की सूची।

5. कितने कामों का वर्क आर्डर नहीं दिया गया की सूची।

अतः इस सम्बन्ध में श्री एस. एस. व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर व सम्बन्धित ठेकेदारों के विरुद्ध जो मुल्जिम की तारीफ में आते हैं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109, 409, 120, 420, 467, 161, 468, 471 के अन्तर्गत एवं धारा 5 प्रीवेन्शन आफ करेप्शन एक्ट से दंडित करने की कार्यवाही करने का आदेश फरमावें व साथ में जो नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है। उसे शीघ्र बन्द किया जाये जिससे होने वाली राज्य सरकार को हानि नहीं हो।

ह. पूनम चन्द चौधरी,
मंत्री जिला लोकदल।

आर. पी. फार्म नं. 63

रिपोर्ट इत्तिला अव्वल (प्रथम सूचना)

(नियम 285 रा. पु. रे.)

नं. ....

(जो काबिल दस्तन्दाजी पुलिस जुर्म में हस्ब दफा 143 जा. फौ. थाने पर चाक होती है)

थाना भ्र. नि. वि., चौकी बाड़मेर, जिला राजस्थान बाड़मेर (राजस्थान) जुर्म नं. (सुर्खी में) 62/82 तारीख और वक्त वकुग्रा दि. 26–8–82

वित्तीय वर्ष 1982–83

तारीख और वक्त जब इतिला हुई मय रिपोर्ट नं. रोजनामचा ग्राम	जाय वकुग्रा और फासला और सिम्त थाने से मय नाम हल्का ग्रगर कोई दूसरा हो	तारीख व वक्त रवानगी थाने से
23–8–82 वक्त 6 पी एम. रपट नं. 180 प्रधान ग्रारक्षी केन्द्र भ्र. नि. वि. राज. जयपुर के रपट नं. 888 दि. 26-8-82 समय 1 पी. एम.	जिला बाड़मेर में सा. नि. वि. द्वारा निर्मित सड़कें	23–8–82

नाम व नम्बर हल्का — हल्के में वकुग्रा ग्रन्द साल नं.

नाम और सकूनत इत्तिला कुनिन्दा और मुस्तगीस (सूचना देने वाले और ग्रभियोगी का नाम और निवास स्थान)	नाम और सकूनत मुल्जिमान (निवास स्थान ग्रपराधी)	मुख्तसिर हालात मय दफा और माल ग्रगर कोई गया हो	कार्यवाही तफतीस जो अमल में लाई गई और वजह देरी जो इत्तिला करने में हुई हो	नताजा मुकदमा
1	2	3	4	5
सरकार जरिये पुलिस ग्रधिकारीगण, सा. नि. वि., ग्रधीक्षक भ्र.नि.वि. सा. नि. वि. ग्रधिकारीगण ने ठेकेदारान			जांच कर मुकदमा दर्ज किया गया कोई देरी	

1	2	3	4	5
राज., जयपुर (वी.बी. सिंह)	खण्ड द्वितीय जोधपुर व बाड़मेर तथा ठेकेदारान	से साजिस कर पूर्व में कराये गये कार्यों का पुनः टेण्डर आमंत्रित किये व गलत कार्य कराये जो धारा 120बी, 420, 468, 471 भा.दं.सं. व धारा 5(2) सहपठित (5)(1)डी (2) की परिधि में आते हैं।	नहीं हुई।	

दस्तख्त — ओहदा

हस्ता. वी. बी. सिंह — सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट, जयपुर।

रिपोर्ट जुबानी या तहरीरी (पुश्त पर)

महोदय,

एक सूचना भ्र.नि.वि. मुख्यालय जयपुर (सूत्र) के माध्यम से प्राप्त हुई जिसकी नकल निम्न प्रकार है :—

ऐसा ज्ञात हुआ कि दिनांक 5 जून, 1982 को फैमिन कार्य बाड़मेर डिविजन के लिये एस.ई. कार्यालय, जोधपुर में टेण्डर आमन्त्रित शुदा खोले गये तथा 15 जुलाई को अधिशाषी अभियन्ता, बाड़मेर द्वारा कार्य ठेकेदारों को दिया गया था और वह कार्य तारीख 30 जुलाई तक राज्य सरकार के आदेशानुसार निर्धारित समय में ही बन्द कर देना था। चूंकि उक्त आदेश के तहत वे सभी फेमिन ट्रान्सपोर्टेशन का कार्य पूर्ण अथवा अपूर्ण 30 तक होकर तत्पश्चात् पूर्ण रूप से बन्द कर दिये जाने थे वे कार्य राज्य सरकार के आदेशों के पश्चात् भी अधिशाषी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता द्वारा 30 जुलाई के बाद भी निरन्तर करवाये जा रहे हैं और ठेकेदारों को पुरानी तारीख में एम. बी. सं. में कार्यों का इन्द्राज दिखाकर यानि 30 जुलाई के पहले दिखा कर आगे की तारीख के भुगतान जरिये चैक किया जा रहा है तथा आज भी फेमिन का कार्य का मेट्रियल ट्रान्सपोर्टेशन अभी भी चल रहा है। इन तथ्यों की पुष्टि एम. बीज. तथा कैश बुक जप्त करने से हो जावेगी तथा साइट पर निरीक्षण करने पर भी यह कार्य जारी मिलेगा। करीब 80 लाख की तादाद का कार्य ट्रान्सपोर्टेशन का 30 जुलाई तक की अवधि में पूर्ण या अपूर्ण अवस्था में बन्द हो जाना चाहिये था तथा राज्य सरकार के ऐसे आदेश थे कि यह कार्य केवल अकाल राहत के लिए

अकालग्रस्त लोगों को रोजगार देने के लिए सम्पन्न किया गया है जिसमें मुख्यतः 75 प्रतिशत बजट की राशि मजदूर अकालग्रस्तक्षियों को काम के बदले देनी चाहिये शेष राशि तकनीकी तथा गैर तकनीकी खर्चों में खर्च की जानी चाहिये। जबकि उन ग्रामीण मजदूरों को 30 जुलाई को ही साइट के कार्य से हटा कर अब ठेकेदारों की लेबर से कार्य करवा राज्य कोष की राशि का दुरुपयोग किया ············· निरन्तर प्रथम सूचना प्रतिवेदन विरुद्ध अधिकारीगण सा. नि. वि. ठेकेदारान रहा है। जबकि 28/29 जुलाई को वितन्तु सन्देश राज्य सरकार से उन्हें प्राप्त हो गया था कि फेमिन कार्य पूर्ण या अपूर्ण बन्द कर दिया जावे। इस राशि से अनुचित लाभ अर्जित करने वाले अधिकारी अधिशाषी अभियंता सर्वश्री रोहिवाल एवं अन्य सहायक अभियन्तागण व कनिष्ठ अभियन्ता ने अपनी रिपोर्ट में एस. ई., जोधपुर को यह सूचित कर दिया है कि हमने राज्य सरकार के आदेशानुसार 30 जुलाई के पहले ही सभी कार्य बन्द कर दिये हैं जबकि राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना कर उन्हीं पुराने कार्यों की एन. आई. टी. कर पुनः वर्क आर्डर दिये जाने हेतु 20–8–82 को टेण्डर मांगे जा रहे हैं। जबकि राज्य सरकार की उनके पास कोई स्वीकृति नहीं है जब कि इन 20-8-82 की नई एन. आई. टी. में अंकित कार्य पहले ही 5 जून को एन. आई. टी. एस. जारी हो चुकी हैं वो कार्य अभी भी चल रहा है तथा पुराने कार्य की ही पुनरावृत्ति कर एन. आई. टी. जारी की गई हैं। टेण्डर की फोटो कापी संलग्न है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त 2, जोधपुर, अल्पकालीन निविदा सूचना/राजस्थान राज्य के राज्यपाल की ओर से पी. डब्ल्यू. डी. (बी. एण्ड. आर) राजस्थान सैनिक अभियान्त्रिक सेवाओं पी. डब्ल्यू. डी. अन्य राज्य सरकार तथा प्रसिद्ध इन्जीनियर फर्मों हेतु उपयुक्त वर्ग के पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य के लिए मुहरबन्द प्रतिशत निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं जो कि जोधपुर में निम्नहस्ताक्षरकर्ता के पास प्रत्येक कार्य के आगे अंकित तिथि पर अपराह्न 3 बजे तक पहुंच जाये निविदा उसी दिन अपराह्न 4 बजे उस समय उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेंगी।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा मूल्य	प्रपत्र कार्य सम्पूर्ण की अवधि	निविदा की प्राप्ति तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	माल ढुलाई का कार्य पाटोदी से नवलता कि. मी. 0 से 18	3.00 लाख	6000/–	10/–	3 माह	20-8-82

1	2	3	4	5	6	7
2.	माल ढुलाई का कार्य पाटोदी से मडनोदा कि. मी. 0 से 18	3.00 लाख	6000/–	10/–	3 माह	20-8-82
3.	माल ढुलाई का कार्य गुडावरा से अरावा कि.मी. 0 से 10	3.00 ,,	6000/–	10/–	,,	,,
4.	माल ढुलाई का कार्य सीकारी बेरी से लाफुदरा कि.मी. 0 से 18 तक	3.00 ,,	6000/–	10/–	,,	,,
5.	माल ढुलाई का कार्य लाफूदरा से होलामी कि.मी. 0 से 8 तक					
6.	माल ढुलाई का कार्य साजयाली पदमसिंह से नवातला वाया चरण का स्कूल कि.मी. 0 से 23	4.50 ,,	9000/-	10/–	,,	,,
7.	माल ढुलाई का कार्य पटीयाला से कमालया कि.मी. 0 से 8 तक	1.00 ,,	6000/–	10/–	,,	,,
8.	माल ढुलाई का कार्य जोधपुर से बालोतरा कि.मी. 56 से 70	5.00 ,,	1000/–	10/–	,,	,,
9.	माल ढुलाई का कार्य फलु से रेवाड़ा	3.00 ,,	6000/–	10/–	,,	,,
10.	माल ढुलाई का कार्य जोधपुर से बालोतरा तक कि.मी. 70 से 90	5.00 ,,	10000/–	10/–	,,	,,
11.	माल ढुलाई का कार्य खाटूबेरी से खाटू गांव	4.00 ,,	8000/–	10/–	,,	,,

222

1	2	3	4	5	6	7
	निरन्तर प्रथम सूचना प्रतिवेदन विरुद्ध अधिकारीगण, सा. नि. वि. व ठेकेदारान					
12.	माल ढुलाई का कार्य बालोतरा से सिंदरी कि.मी. 138 से 153	5.00 लाख	10000/–	10/–	3 माह	20-8-82
13.	माल ढुलाई का कार्य बाड़मेर से गुढ़ा रोड कि.मी. 20 से 30	5.00 ,,	1000/–	10/–	,,	,,
14.	माल ढुलाई का कार्य रोड बाड़मेर सिन्दरी कि.मी. 45 से 52	5.00 ,,	10000/–	10/–	,,	,,
15.	माल ढुलाई का कार्य रोड बाड़मेर सिन्दरी कि.मी. 0 से 20 तक	5.00 ,,	10 000/-	10/-	,,	,,
16.	माल ढुलाई का कार्य रोड बाड़मेर सिन्दरी कि.मी. 56 से 66	5.00 ,,	10000/-	10/-	,,	,,
17.	माल ढुलाई का कार्य पचभद्रा थोप माडपुरा	4.50 ,,	9000/-	10/-	,,	,,
18.	माडपुरा से आंगोलाई (बाड़मेर सीमा तक)	4.50 ,,	9000/-	10/-	,,	,,

निविदादाताओं को निर्देश

1. सादे निविदा फार्मों की प्रतियां व शर्तें आदि किसी भी कार्य के दिन कार्यालय के समय के भीतर आकर देखी जा सकती हैं।
2. निविदायें दिनांक 18-8-82 तक विक्रय की जायेंगी।
3. सशर्त निविदायें अमान्य होंगी।

अधीक्षण अभियन्ता,
सा. नि. वि., वृत्त-2, जोधपुर।

आदेशानुसार सूचना के सत्यापन हेतु में, वी. बी. सिंह पुलिस अधीक्षक, भ्र. नि. वि., राज., जयपुर मय श्री अमरसिंह, अपर पुलिस अधीक्षक व स्टाफ के 20-8-82 को प्रातः जोधपुर पहुंचा और पुलिस अधीक्षक, जोधपुर से वाहनों, पुलिस स्टाफ की सहायता ली गई, स्थानीय तौर पर फोटोग्राफर व टेपरिकार्डर का प्रबन्ध किया गया व श्री मुरादअली अबरा अपर पुलिस अधीक्षक, भ्र. नि. वि., जोधपुर मय स्टाफ के भी सहायतार्थ साथ लिया जाकर निम्नलिखित पार्टीज सत्यापन हेतु बनाई गई :–

1. श्री वी. बी. सिंह, पु. अ. भ्र.नि.वि., जयपुर अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. बाड़मेर के कार्यालय से रिकार्ड लेने हेतु।

2. श्री ओंकार सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि.वि., जयपुर एवं पार्टी अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय सा. नि. वि., जोधपुर के कार्यालय से रिकार्ड लेने हेतु।

3. श्री मुरादअली अबरा, अपर पुलिस अधीक्षक एण्ड पार्टी उपरोक्त कार्यों के क्र. सं. 6 से 10 के निरीक्षण हेतु ।

4. श्री दशरथलाल, पुलिस निरीक्षक एण्ड पार्टी उपरोक्त कार्य क्र. सं. 1 से 5 तक के निरीक्षण हेतु।

5. श्री नाहर सिंह, पुलिस उप निरीक्षक, एण्ड पार्टी कार्य क्र. सं. 16 से 18 तक के निरीक्षण हेतु ।

6. श्री रामगोपाल, उप निरीक्षक, पुलिस, एण्ड पार्टी कार्य क्र. सं. 11 से 15 तक के निरीक्षण हेतु ।

उपरोक्त पार्टीज को आवश्यक निर्देश देकर वांछित कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया। रात्रि के करीब 9 पी. एम. बजे पार्टीज सं. 3 से 6 मेरे पास बाड़मेर कैम्प पर लौटी। पार्टीज 4 व 5 को निर्माणाधीन सड़कों पर कोई मजदूर या ट्रक नहीं पाये गये, पार्टी सं. 6 को खाट्टू से बायतू की तरफ कच्चे रास्ते के···

निरन्तर प्रथम सूचना प्रतिवेदन विरुद्ध अधिकारीगण, सा. नि. वि., केदार पास ट्रक नं. आर आर एन 2539, आर एस क्यू 808, आर आर क्यू 333, आर जे एल 322, आर एस एन 8743, आर आर क्यू 7389, आर आर क्यू 351 व आर जे क्यू 9066 ग्रिट (कंक्रीट) से भरे हुये खाट्टू से बायतू की तरफ कच्चे रास्ते पर खड़े पाये, जिनके फोटो खिचाये गये व चैकिंग मीमो बनाये गये । श्री बाबू लाल मेंट, सा. नि. वि. (निवासी थोप) व श्री माधोसिंह माली पुत्र श्री कन्नीराम माली (ठेकेदार) निवासी जोधपुर बायतू रोड पर करीब 150-200 गज की दूरी पर खडा उपस्थित मिला जांच पर माधोसिंह ने उपरोक्त अंकित आठों ट्रक स्वयं की किराये पर होना बताया तथा बाबू लाल, मेंट ने उपरोक्त ट्रक कन्नीराम ठेकेदार जो माधोसिंह के पिता हैं कि होना बताया ।

श्री नाहर सिंह, पुलिस उप निरीक्षक ने बताया कि रोड क्र. सं. 17 पंचभद्रा थोक माडपुरा की सड़क अपूर्ण है एवं सडक के दोनों तरफ कई स्थानों पर ग्रेवल व ग्रीट के चंद्धे लगे हुये थे। कुछ स्थानों पर ग्रीट बिना चट्टों के पडी हुई पायी। रिकार्ड के अनुसार उक्त कार्य को सही व पूर्ण होना बताया गया है तथा अन्तिम भुगतान भी हो जाना बताया है।

श्री दशरथ मल, पुलिस निरीक्षक ने अपने निरीक्षण में क्र. सं. 4 से 5 के मार्गों पर अकाल राहत कार्य नहीं होना पाया जाता तथा मार्ग नं. 4 पर कार्य पूरा नहीं होना बताया।

श्री मुरादअली अबरा अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जोधपुर बाड़मेर मैन रोड के पूर्व में तीन किमी. की दूरी लूणावास डूंगरी एव चारण स्कूल पर टैंक नं. आर एस एम 9967 खान में पडे चट्टे में से कंक्रीट भरता हुआ पाया गया जिसके फोटो लिवाया गया व फर्द चैंकिग बनायी गयी व जांच की गई। सड़क पर से मिट्टी पर कुटाई का काम ठेकेदार धीरेन्द्र व्यास का काम मजदूरों द्वारा चालू पाया गया।

वक्त रात्रि हो जाने, गाड़ियाँ खराब हो जाने तथा लूनी नदी में पानी का बहाव तेज आजाने से अन्य कार्यों का निरीक्षण नहीं किया जा सका। सूत्र सूचना में अंकित 18 कार्यो की एन. आई. टी. साप्ताहिक हिन्दू सन्देश दिनांक 14-6-82 के अंक में अधीक्षण अभियन्ता सा. नि. वि., द्वितीय जोधपुर द्वारा छापने के लिए दिनांक 5-6-82 को पत्र भेजा गया जब कि अधिषाशी अभियन्ता, सा. नि. वि., बाड़मेर के यहां से 11–6–82 को एस्टीमेट अधिक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि. द्वितीय जोधपुर को अनुमोदनार्थ भेजा गया। यही नहीं इस विज्ञापन का भुगतान ताबड़ तोड़ कर दिया गया। अधीक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि./द्वितीय जोधपुर द्वारा पुनः उन्हीं कार्यों की एन. आई. टी. हिन्दू संदेश के अंक दि. 9-8-82 में छपवायी गयी। उक्त वर्णित 18 कार्यों में से 11 कार्य दिनांक 31–7–82 तक कराये गये। इनमें से कई कार्यों का निर्माण दिनांक 31–7–82 तक पूर्ण नहीं हुआ था लेकिन उन कार्यों का अन्तिम भुगतान ठेकेदारों को किया जाना बताया।

कार्यवाही पुलिस

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से अधिकारीगण, सा. नि. वि., द्वितीय खण्ड जोधपुर बाड़मेर तथा ठेकेदारान के विरुद्ध साजिश मुजरिमान का षड्यन्त्र कर अपने पदों का दुरुयोग करते...... लगातार प्रथम सूचना प्रतिवेदन विरुद्ध अधिकारीगण सा. नि. वि. व ठेकेदारान हुये स्वयं ने अनुचित लाभ उठाया एवं पहुंचाते हुये सरकार को धोखा देकर फर्जी अभिलेख बनाए जो प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये जाने पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 120 बी भा. द. सं. व 5(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा धारा 420, 468, 471, भा. द. सं. सहपठित धारा 5 (1) डी (2) भ्रष्टाचार निरोधक अधि-

नियम पंजीकृत किया जाकर अन्वेषण श्री मुराद अली अबडा, अपर पुलिस अधीक्षक, भ्र. नि. विभाग, जोधपुर को सुपुर्द किया कि वह अन्वेषण निर्देशानुसार प्रारम्भ करें।

ह./-
(वी. बी. सिंह)
पुलिस अधीक्षक व सील
भ्रष्टाचार निरोधक विभाग,
राजस्थान, जयपुर (कैम्प बाड़मेर)।

प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान, जयपुर पर पंजीबद्ध क्रमांकित किया जावे। तफ्तीश सुपुर्द श्री मुराद अली अबडा, अपर पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि. वि., जोधपुर के सुपुर्द की जाती है।

ह./-
(भागीरथ राय)
विशिष्ट पुलिस महानिरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

बिना नम्बरी प्रथम सूचना श्रीमान् वी. बी. सिंह, पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.वि., राज. जयपुर हाल कैम्प बाड़मेर द्वारा अधिकारीगण, सा.नि.वि. खण्ड, जोधपुर व बाड़मेर तथा ठेकेदारान के विरुद्ध प्रेषित की है जिस पर श्रीमान् विशिष्ट महानिरीक्षक पुलिस, भ्र.नि.वि., राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार अपराध सं. 62/82 दि. 26-8-82 अन्तर्गत धारा 120बी, 420,468,471 भा.दं.सं. व 5 (2) सहपठित 5 (1) (डी) (2) पी.सी. एक्ट प्रधान आरक्षी, केन्द्र भ्र.नि.वि., राज. जयपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया अग्रिम अनुसंधान अपर पुलिस अधीक्षक, भ्र. नि. वि., जोधपुर को सुपुर्द किया जाता है। प्रथम सूचना की प्रतिलिपियां नियमानुसार प्रेषित हैं।

ह./-
(सवन्तसिंह)
अपर पुलिस अधीक्षक (प्रशा.)
भ्रष्टाचार निरोधक विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

(1) श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक मामले, जोधपुर।

(2) उप शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(3) श्रीमान् पुलिस अधीक्षक (द्वितीय), भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान जयपुर।

(4) अपर पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जोधपुर।

हस्ता:–
अपर पुलिस अधीक्षक (अशा.),
भ्र.नि.वि., राज., जयपुर।

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 की सूची

RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORP. LIMITED

(Udyog Bhawan : Tilak Marg, Jaipur)

RATE PREVAILING IN THE INDUSTRIAL AREA OF RIICO LIMITED

S.No.	Name of Ind. Area	Rate per smg.
1	2	3
1.	Bhiwadi	25.00
2.	Behror	20.00
3.	Khairthal	25.00
4.	Kherli Rail	10.00
5.	Rajgarh	5.00
6.	M.I.A., Alwar	20.00
7.	Bharatpur	15.00
8.	Deeg	8.00
9.	Bayana	18.00
10	Tonk	6.00
11.	Sawai Madhopur (RTR)	4.00
12.	Sawai Madhopur (Kherda Road)	9.00
13.	Newai	6.00
14.	Malpura	9.00
15.	Hindaun City	11.00
16.	Gangapur City	9.00
17.	Vishwakarma, Jaipur	30.00
18.	Malaviya, Jaipur	40.00
19.	Bagru	15.00
20.	Shahpura	10.00
21.	Dudu	10.00
22.	Renwal	7.00
23.	Dausa	15.00
24.	Lalsot	5.50
25.	Phulera	17.00
26.	Kanakpura	5.00
27.	Sambhar	3.50

228

1	2	3
28.	Inderprasth, Kota	15.00
29.	Opposite Multi-Metal	20.00
30.	Railway Crossing, Kota	20.00
31.	Ramganj Mandi	5.50
32.	Sumerganj Mandi	5.00
33.	Bhawani Mandi	9.00
34.	Jhalawar	3.00
35.	Aklera	6.00
36.	Bundi (BCR)	4.00
37.	Bundi (BNR)	4.00
38.	Bundi (BPR)	10.00
39.	Bichwal, Bikaner	16.00
40.	Beriwali	5.00
41.	Loonkaransar	12.00
42.	Napasar	8.00
43.	Gharsana	7.50
44.	Suratgarh	12.50
45.	Anoopgarh	3.00
46.	Sikar	20.00
47.	Shri Madhopur	9.00
48.	Reengus	16.00
49.	Neem-Ka-Thana	10.00
50.	Ramgang	10.00
51.	Khandela	8.00
52.	Bidasar	5.00
53.	Churu	10.00
54.	Sadulpur	8.00 (Provisional)
55.	Khetri	20.00
56.	Chirawa	8.50
57.	Pilani	10.00
58.	Jodhpur (Bhagat-Ki-Kothi)	20.00
59.	Marudhar, Jodhpur	20.00
60.	Khichan, Jodhpur	6.00
61.	Phalodi, Jodhpur	6.00
62.	Mathania, Jodhpur	6.00
63.	Mandore, Jodhpur	15.00
64.	Balotra, Jodhpur	13.00

1	2	3
65.	Samdari	9.00
66.	Barmer	11.00
67.	Pali (I and II-Phase)	20.00
68.	Pali, Mandia Road	14.00
69.	Sumerpur	8.00
70.	Takhatgarh	7.00
71.	Marwar Junction	5.50
72.	Babra	3.00
73.	Pipliyan Kalan	3.00
74.	Sojata City	3.50
75.	Jalore	6.50
76.	Bishangarh	6.50
77.	Sirohi	6.00
78.	Shivganj	3.00
79.	Abu-Road	4.00
80.	Mewar-Udaipur	20.00
81.	Fatehnagar	8.00
82.	Rajnagar (Rajsamand), Udaipur	12.00
83.	Sagwara	3.50
84.	Dungarpur	3.50
85.	Kushalgarh, Udaipur	3.50
86.	M. T. C. Ajmer	8.00
87.	Kekri	10.00
88.	Parbatpura	8.00
89.	Bijaynagar	5.50
90.	Kishangarh	8.00
91.	Merta City	7.00
92.	Makrana	10.00
93.	Jahajpur	5.00
94.	Bigod	4.00
95.	Bhilwara	12.00
96.	Chittorgarh	12.00
97.	Kapasan	5.00
98.	Pratapgarh	3.50
99.	Nimbahera	11.00

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची

वर्ष 1982–83 में राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर हुए बलात्कार की जिलेवार सूची

क्र.सं.	जिला	सामान्य अपराध	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	7	1	–
2.	भीलवाड़ा	9	2	2
3.	नागौर	15	6	–
4.	भरतपुर	17	–	–
5.	धौलपुर	3	1	–
6.	अलवर	8	2	1
7.	सवाई माधोपुर	26	4	–
8.	बीकानेर	14	4	–
9.	चूरू	10	4	–
10.	गंगानगर	23	9	–
11.	जोधपुर	12	2	–
12.	जालौर	2	–	1
13.	जैसलमेर	–	–	–
14.	पाली	10	–	1
15.	सिरोही	–	–	–
16.	बाड़मेर	7	1	1
17.	जयपुर	12	1	–
18.	झुन्झुनू	4	1	–
19.	सीकर	9	4	1
20.	टोंक	6	–	1
21.	कोटा	33	3	1
22.	झालावाड़	14	2	1
23.	बून्दी	5	1	–
24.	उदयपुर	11	–	–
25.	बांसवाड़ा	12	1	3

1	2	3	4	5
26.	डूंगरपुर	1	–	–
27.	चित्तौड़गढ़	9	1	–
28.	जी. आर. पी.	2	–	–
	योग	281	50	18

गत तीन वर्षों में (वर्ष 1980 से 1982 तक) राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर हुए बलात्कार की जिलेवार सूची (1-1-80 से 31-12-82)

क.सं.	जिला	सामान्य अपराध	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	30	7	–
2.	भीलवाड़ा	25	6	5
3.	नागौर	35	20	–
4.	भरतपुर	51	8	1
5.	धौलपुर	3	1	–
6.	अलवर	32	5	1
7.	सवाई माधोपुर	62	9	1
8.	बीकानेर	41	12	–
9.	चूरू	33	13	–
10.	गंगानगर	115	37	–
11.	जोधपुर	44	7	–
12.	जालौर	21	2	4
13.	जैसलमेर	6	2	–
14.	पाली	31	5	1
15.	सिरोही	5	–	–
16.	बाड़मेर	25	4	3
17.	जयपुर	60	3	2
18.	झुंझुनूं	17	6	1
19.	सीकर	25	10	–

1	2	3	4	5
20.	टोंक	9	–	1
21.	कोटा	100	15	6
22.	झालावाड़	58	11	3
23.	बूंदी	12	1	–
24.	उदयपुर	43	2	3
25.	बांसवाड़ा	35	–	8
26.	डूंगरपुर	5	1	1
27.	चित्तौड़गढ़	20	1	–
28.	जी.आर.पी.	7	1	–
	योग	950	189	41

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का विवरण

टोंक जिले में वर्ष 1981 में क्षतिग्रस्त सिंचाई के बांधों का विवरण

क्र. सं.	क्षतिग्रस्त बांधों का नाम	आवंटित राशि माह व सन्	राशि लाख रुपये में	व्यय की गई राशि जनवरी 83 तक लाख रु. में	कार्य पूर्ण हुआ या नहीं	कार्य पूर्ण न होने का कारण	यदि अपूर्ण तो दोषी व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
	अ-मद-289 बाढ़ राहत						
1.	लुहारासानथ	जनवरी, 82	0.55	0.50	कार्य पूर्ण हो चुका है	–	–
2.	लुहारा नाथ	जनवरी, 82	0.45	0.45	कार्य पूर्ण हो चुका है	–	–
3.	हरभांवता	जनवरी, 82	0.65	0.40	कार्य पूर्ण हो चुका है	–	–
4.	किशनपुरा	जनवरी, 82	0.30	0.25	कार्य पूर्ण हो चुका है	–	–
5.	लवादर	जनवरी, 82	0.30	0.25	कार्य पूर्ण हो चुका है	–	–
6.	वजीरपुरा	जनवरी, 82	0.40	0.27	कार्य पूर्ण हो चुका है	–	–
7.	हरचेन्द्रडा	जनवरी, 82	0.40	0.39	कार्य पूर्ण हो चुका है	–	–
8.	अरनियामाल	जनवरी, 82	0.40	0.35	कार्य पूर्ण हो चुका है	–	–
9.	माखली	जनवरी, 82	0.30	0.25	कार्य पूर्ण हो चुका है	–	–
10.	साखला	जनवरी, 82	0.55	0.64	कार्य पूर्ण हो चुका है	–	–
11.	रुस्तमगंज	जनवरी, 82	0.50	0.40	कार्य पूर्ण हो चुका है	–	–
12.	मोहम्मदगंज	जनवरी, 82	0.60	0.54	कार्य पूर्ण हो चुका है	–	–
13.	मोहम्मदगढ़	जनवरी, 82	0.50	0.44	कार्य पूर्ण हो चुका है	–	–
14.	बालापुरा	जनवरी, 82	1.00	0.66	कार्य पूर्ण हो चुका है	–	–

233

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	श्रमेठा	जनवरी, 82	5.00	4.58	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
16.	विजयसागर लावा	जनवरी, 82	0.50	0.44	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
17.	सुलतानसागर लावा	जनवरी, 82	1.00	0.91	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
18.	मेघसागर डिग्गी	जनवरी, 82	1.00	0.67	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
19.	प्रतापसागर डिग्गी	जनवरी, 82	1.00	0.69	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
20.	माशी बंध व केनाल	जनवरी, 82	7.25	6.46	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
21.	हरिपुरा	जनवरी, 82	0.50	0.38	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
22.	मोतीसागर बंध व केनाल	जनवरी, 82	0.50	0.50	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
	मालपुरा उपखण्ड के बाढ़ग्रस्त कार्य						
23.	रामसागर कनवर	जनवरी, 82	0.30	0.19	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
24.	नार्थ केनाल टोरडी सागर	जनवरी, 82	0.60	0.41	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
25.	साउथ केनाल टोरडी सागर	जनवरी, 82	0.50	0.58	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
26.	मिडिल केनाल टोरडीसागर	जनवरी, 82	0.30	0.26	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
27.	चान्मेन केनाल व बंध	जनवरी, 82	0.50	0.25	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
28.	किरावलसागर	जनवरी, 82	0.50	0.20	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
29.	रामसागर लाम्बा हरिसिंह	जनवरी, 82	0.40	0.19	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
30.	गलवा डेम	जनवरी, 82	3.00	2.75	कार्य प्रगति पर है	—	—
	गलवा केनाल	जनवरी, 82	4.75	4.91	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
31.	अ-गलवानिया बांध	जनवरी, 82	2.00	1.12	कार्य प्रगति पर है	बंध में पानी होने के कारण	
	ख-गलवानिया नहर	जनवरी, 82	0.50	0.37	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
32.	बोरखण्डी खुर्द	जनवरी, 82	0.60	0.61	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
33.	देवपुरा बंध	जनवरी, 82	1.00	0.28	कार्य प्रगति पर है	बंध में पानी होने के कारण	

34. गोठड़ा	जनवरी, 82	1.00	3.67	कार्य प्रगति पर है	बंध में पानी भर जाने के कारण	
35. नागफनी	जनवरी, 82	2.00	3.39	कार्य प्रगति पर है	बंध में पानी भर जाने के कारण	
36. दाखिया		2.00	1.58	कार्य अपूर्ण है	बंध में पानी और मुवानी ए.क. द्वारा शिथिलता	
37. चन्द्नाई		14.00	9.02	कार्य प्रगति पर है	बंध मे पानी बंध एस. एम. क.क. ठेकेदार की कार्य में शिथिलता	
38. सोहेला		0.40	0.12	कार्य अपूर्ण है	पहले बंध में पानी होने एवं अब फसल खड़ी होने के कारण	
39. दौलत सागर		5.00	7.02	कार्य प्रगति पर है	"	"
		63.00	57.34			
ब. मद—333 रखरखाव						
40. बोरखण्डी कला	सितम्बर, 81	0.06	0.06	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
41. हयोना	सितम्बर, 81	0.05	0.03	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	सुखपुरा	जून, 82	0.55	0.34	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
43.	हैदरीपुरा	मार्च, 82	0.62	0.15	कार्य प्रगति पर है	—	—
44.	पैराना	फरवरी, 82	0.71	0.12	कार्य अपूर्ण है	ठेकेदार की शिथिलता	—
45.	खेण्डली सागर	सितम्बर, 82	0.65	0.16	कार्य प्रगति पर है	—	—
46.	लसाडिया	जुलाई, 81	0.26	0.26	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
47.	हालोलाभ	मई, 82	0.96	0.28	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
48.	चोरू सागर	मार्च, 82	0.60	0.40	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
49.	कण्डेल सागर	मार्च, 82	0.50	0.38	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
50.	रिजोंदा	मार्च, 82	0.79	—	कार्य अपूर्ण है	—	—
51.	भांवती	मार्च, 82	0.87	—	कार्य अपूर्ण है	—	—
52.	बगडी	मई, 82	0.78	0.58	कार्य अपूर्ण है	—	—
53.	निमेड़ा	अक्टूबर, 82	0.04	0.03	कार्य पूर्ण हो चुका है	—	—
			7.44	2.79			
54.	बिडोली	—	—	—	—	—	—
55.	दूदू सागर	—	—	—	—	—	—
56.	आगरा विलासपुरा	—	—	—	—	—	—
57.	पारली	—	—	—	—	—	—
58.	विजयगढ	—	—	—	—	—	—
59.	देवपुरा	—	—	—	—	—	—
60.	बेगम सागर	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का विवरण

राजस्थान में गत 5 वर्षों का जिलेवार वर्षा का विवरण

क्र.सं. जिले का नाम	वर्ष 1978	1979	1980	1981	1982
1. अजमेर	596.5	788.3	421.8	510.4	408.4
2. अलवर	837.2	618.8	419.7	491.5	476.0
3. बांसवाड़ा	1139.5	487.2	877.0	1473.0	816.0
4. बाड़मेर	310.9	239.2	120.5	211.0	192.6
5. भरतपुर	520.5	290.0	685.1	356.7	775.5
6. भीलवाड़ा	747.0	376.6	408.8	469.0	947.5
7. बीकानेर	409.7	227.6	182.4	348.0	337.0
8. बूंदी	808.3	700.0	375.5	429.9	1020.5
9. चित्तौड़गढ़	628.2	804.6	743.9	503.2	668.9
10. चूरू	831.2	286.0	401.4	288.0	361.5
11. डूंगरपुर	1158.3	747.2	1050.6	802.3	962.8
12. श्रीगंगानगर	434.2	226.9	220.1	161.1	293.0
13. जयपुर	1018.2	509.1	561.2	1162.62	624.1
14. जैसलमेर	276.1	288.7	173.3	201.5	192.5
15. जालौर	525.4	551.1	167.3	260.8	273.9
16. झालावाड़	785.0	833.3	514.2	659.0	956.4
17. झुंझुनूं	668.0	225.5	324.0	240.5	360.0
18. जोधपुर	405.3	509.4	226.4	279.4	451.2
19. कोटा	968.1	783.7	385.6	753.0	772.4
20. नागौर	595.6	254.8	259.3	320.7	511.0
21. पाली	433.5	585.0	260.0	169.7	324.6
22. सवाई-माधोपुर	976.0	790.2	748.0	604.0	654.0
23. सीकर	871.3	376.9	652.3	743.0	593.0
24. सिरोही	724.0	601.6	436.0	350.0	366.0
25. टोंक	627.6	793.0	518.2	838.8	632.3
26. उदयपुर	832.8	489.4	598.1	618.0	571.0
27. धौलपुर	566.2	342.2	491.0	432.4	744.5

नोट :—वर्षा मि. मि. में।

वर्षा के आंकड़े जिला मुख्यालय के हैं।

(238)

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 15 की सूची

क्र. सं.	तहसील का नाम	गांव का नाम	कोड संख्या	जन संख्या 1971	योजना का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1.	आमेर	डावरी	176	901	हैण्ड पम्प
2.	,,	धानकाबास	35	264	,,
3.	,,	भण्डाभीम	39	957	,,
4.	,,	रेसानी	171	561	,,
5.	,,	सोडा	147	317	,,
6.	,,	उदयपुरा	188	787	,,
7.	,,	झोलाई	131	224	,,
8.	,,	विगवारा गुंडालिया	9	1092	,,
9.	,,	अनेत डूंगर	202	909	,,
10.	,,	चीतावाला	194	499	,,
11.	,,	किशन मानपुरा	3	2087	पी. एण्ड. टी.
12.	जयपुर	बसेरी	27	70	हैण्ड पम्प
13.	,,	भेरडनपुरा	11	142	,,
14.	,,	चक शरण डूंगर	13	132	,,
15.	,,	धरमपुरा	32	120	,,
16.	,,	जैसिंहपुराकरेडा	49	78	,,
17.	फागी	डीडावाला	148	1201	,,
18.	,,	जुगलनाथपुरा	78	121	,,
19.	,,	झारना	104	790	,,
20.	,,	रामसिंहपुरा	136	134	,,
21.	,,	पांचेला	31	513	,,
22.	,,	मंडावास	72	1830	पी. एण्ड. टी.
23.	,,	पीपला	118	2328	,,
24.	,,	गोधी	41	789	क्षेत्रीय (41)
25.	,,	लाडना	39	2796	,, ,,
26.	,,	नवलकिशोरपुरा	40	216	,, ,,
27.	,,	अमरपुरा	23	84	,, ,,

1	2	3	4	5	6
28.	फागी	डाबला बजरंग	126	595	क्षेत्रीय (128)
29.	,,	घरणवास	123	221	,, ,,
30.	,,	डाबलाखुर्द	125	340	,, ,,
31.	,,	श्रीराजपुरा	121	252	,, ,,
32.	,,	नन्दलालपुरा	3	43	,, (3)
33.	,,	हिंगोनिया	2	228	,, ,,
34.	,,	गोविन्दपुरा	7	224	,, ,,
35.	,,	घरडवा	6	197	,, ,,
36.	,,	जैयसिंहपुरा	5	504	,, ,,
37.	फुलेरा	देवकाबास	19	605	हैण्ड पम्प
38.	,,	कोरसाना	152	770	,,
39.	,,	रामजीपुरा	54	880	,,
40.	,,	ट्योड	73	862	,,
41.	,,	हरबंसपुरा	149	550	,,
42.	,,	कांसरा	168	98	,,
43.	,,	रामनगर	175	60	,,
44.	,,	नौरंगपुरा	136	1115	क्षेत्रीय (134)
45.	,,	पचकोड़ियां	51	714	,, (55)
46.	,,	सालगरामपुरा	52	98	,, ,,
47.	,,	परतापपुरा	58	427	,, ,,
48.	सांगानेर	बलरामपुरा	78	135	हैण्ड पम्प
49.	,,	बरखेड़ा	150	199	,,
50.	,,	बरश्योपुरा	177	62	,,
51.	,,	बरटिलावाला	146	72	,,
52.	,,	चक अंभिब	128	57	,,
53.	,,	चक करड़	165	63	,,
54.	,,	चक सालगरामपुरा	205	67	,,
55.	,,	हरबंसपुरा	58	184	,,
56.	,,	जीरोता	200	201	,,
57.	,,	सिंगरपुरा	7	58	,,
58.	,,	सुखिया	81	188	,,
59.	,,	भनवारिया	11	519	,,
60.	,,	जैपुरा	164	540	,,

1	2	3	4	5	6
61.	सांगानेर	नरवारिया	21	380	हैण्ड पम्प
62.	,,	हसमपुराबास भांकरोटा	62	208	क्षेत्रीय (62)
63.	,,	नरसिंहपुरा	50	386	,, ,,
64.	,,	रामनगरिया	148	273	क्षेत्रीय (149)
65.	,,	नुरलीपुरा	172	144	,, ,,
66.	,,	भूक्कार	166	186	,, ,,
67.	,,	मांडला	169	81	,, ,,
68.	,,	श्री किशनपुरा	174	290	,, ,,
69.	,,	रावपुराबास देवलिया	43	89	क्षेत्रीय (43)
70.	,,	टिबनलिया	47	864	,, ,,
71.	,,	सांगरिया	2	683	,, ,,
72.	दूदू	जबनपुरा	32	298	क्षेत्रीय (33)
73.	,,	बिगोलिया	36	323	,, ,,
74.	,,	महलन	72	2013	क्षेत्रीय (70)
75.	,,	केसरीसिंहपुरा	71	440	,, ,,
76.	,,	कल्याणसर	73	60	,, ,,
77.	,,	गिरदास	74	145	,, ,,
78.	,,	नासोसा	75	615	,, ,,
79.	,,	भरना	76	501	,, ,,
80.	चाकसू	चिमनपुरा	233	374	हैण्ड पम्प
81.	,,	रसूलपुरा	157	422	,,
82.	,,	दामोदर का बास	51	381	,,
83.	,,	बद्रीनाथपुरा	200	143	,,
84.	,,	हरिकिशनपुरा	36	273	,,
85.	,,	जैतपुरा	227	130	,,
86.	,,	नन्दगांव बासरी	267	52	,,
87.	,,	बिमलपुरा	252	360	,,
88.	जयपुर	मालपुराचेरा	96	78	,,
89.	बस्सी	डयूडाचोर	1	832	,,
90.	,,	हरचन्दपुरा	3	136	,,
91.	,,	घाटी मीणा खोट घाटी	10	372	,,
92.	,,	हिंगोनिया	16	326	,,

1	2	3	4	5	6
93.	बस्सी	खोखावाला	25	731	हैण्ड पम्प
94.	"	बासरी	38	76	"
95.	"	महाराजपुरा	51	257	"
96.	"	सवाई जयसिंहपुरा	94	240	"
97.	"	पेयपुरा	147	113	"
98.	"	ब्रह्मपुरा	95	186	"
99.	"	श्रीरामनगर	116	77	"
100.	"	चकमाधोगढ़	184	81	"
101.	"	बिहारीपुरा	188	81	"
102.	"	सियाकावास	199	300	"
103.	"	टिड्डीवाली	205	130	"
104.	"	मानेसर खेड़ी	24	1233	"
105.	"	रामसिंहपुरा	20	369	"
106.	"	लसेरिया गोकुलपुरा	29	532	"
107.	"	खेरी	136	1014	"
108.	"	माधोवाला	202	212	"
109.	"	गीला की नांगल	7	534	क्षेत्रीय (11)
110.	"	हरडी	13	497	" "
111.	"	बीलवा खुर्द	60	76	" (62)
112.	"	हरीरामपुरा	58	160	" (82)
113.	"	माधोगढ़	186	1030	" (184)
114.	"	नांगल बोहरा	148	608	" (160)
115.	"	मीठोंवास	151	548	"
116.	जमवारामगढ़	बोबांरो	10	1075	हैण्ड पम्प
117.	"	जयसिंह नगर	33	76	"
118.	"	वास दोवारी	107	54	"
119.	"	कालनेवास	115	123	"
120.	"	सुरंधी	116	63	"
121.	"	गोदियाना	118	98	"
122.	"	चकं दातिली	134	137	"
123.	"	छांगलपुरा	147	85	"
124.	"	बड धामस्या	216	101	"
125.	"	धर्मपुरा	218	113	"

1	2	3	4	5	6
126.	जमवा रामगढ़	रिकस्या	178	137	हैण्ड पम्प
127.	,,	रामपुरावासथली	177	74	,,
128.	,,	हररामपुरा	172	108	,,
129.	,,	कांकरेल	150	664	,,
130.	,,	नारदपुरा	155	490	,,
131.	,,	गोठ की पट्टी	230	389	,,
132.	,,	गठवारी	10	1826	पी. एण्ड टी.
133.	,,	नांगल तुलसीदास	111	508	क्षेत्रीय (111)
134.	,,	भानपुर कलां	65	2673	,, ,,
135.	,,	ब्रहलोर	83	1211	,, (18)
136.	,,	चक बारवास	90	435	,, (89)
137.	,,	भीवावास	142	220	,, (142)
138.	,,	गोपालगढ़	169	416	,, ,,
139.	,,	कुशलपुरा	158	109	,, (16)
140.	,,	चक इन्द्रगढ़	161	65	,, (160)
141.	,,	इन्द्रगढ़	162	694	,, ,,
142.	,,	हीरावाला	186	23	,, ,,
143.	,,	डेयूडा डूंगर	209	530	,, (209)
144.	,,	कांकरियावाला	208	248	,, ,,
145.	,,	मानोता	222	452	,, ,,
146.	,,	फतेहपुरा	241	369	,, ,,
147.	,,	नन्दपुरा	226	531	क्षेत्रीय (226)
148.	,,	कवंरपुरा	189	209	,, ,,
149.	,,	रामपुरा	195	354	,, ,,
150.	,,	कुहास	250	101	,, ,,
151.	सिकराय	भ्रस्तवाड़ा	13	115	हैण्ड पम्प
152.	,,	जोधपुरिया	15	116	,,
153.	,,	किरधरपुरा	17	95	,,
154.	,,	खेड़ावास	67	105	,,
155.	,,	करड़ाखुर्द	69	276	,,
156.	,,	गेरोजी	122	67	,,
157.	,,	बनेपुरा	132	198	,,
158.	,,	नांदरी	30	1245	,,

1	2	3	4	5	6
159.	सिकराय	निकतपुरी	12	417	क्षेत्रीय (39)
160.	,,	मुरलीपुरा	40	395	,,
161.	,,	मीनासिमली	23	1007	,, (23)
162.	,,	सुमेर	19	487	,, (23)
163.	,,	ब्रह्माबाद	21	471	,, ,,
164.	,,	पारली	22	855	,, ,,
165.	,	बिदरवाड़ा	45	1843	,, (45)
166.	,,	ब्राह्मण बड़ौदा	46	767	,, ,,
167.	,,	ईंटका	48	579	,, ,,
168.	,,	कालड़ा	5	392	क्षेत्रीय (53)
169.	,,	जेजान	82	423	,, (86)
170.	,,	बारली	83	1490	,, ,,
171.	,,	रामगढ़	84	625	,, ,,
172.	,,	पाडली वर	85	512	,, ,,
173.	बसवा	जगसोली	8	107	,, ,,
174.	,,	खुर्द जटाली	9	126	,, ,,
175.	,,	टाटिया थलवास	12	92	,, ,,
176.	,,	नयागांव	54	381	,, ,,
177.	,,	सुनेल	154	69	,, ,,
178.	,,	ईखवारी	24	988	,, ,,
179.	बसवा	शेखपुरा	112	640	हैण्ड पम्प
180.	,,	अर्निया	61	1841	पी. एण्ड टी.
181.	,,	विवाई विद चक	120	2094	,,
182.	,,	मोनाका वास	93	296	क्षेत्रीय (92)
183.	,,	मोरदी विद चक	95	622	,, ,,
184.	,,	कूकरखाड़ी	80	114	,, ,,
185.	,,	पीजपुर कलां	105	995	क्षेत्रीय (90) ,,
186.	,,	सूंगरी	106	413	,, ,,
187.	,,	रूपवास	130	556	,, (139)
88.	,,	बिडदीमीणा	150	441	,, ,,
89.	,,	हुंडली	155	343	,, ,,
90.	,,	अल्यापुरा	149	327	,, ,,
91.	,,	नानगवारा	114	115	,, (116)

1	2	3	4	5	6
192.	बसवा	मीनडी (मुंनडी)	127	436	क्षेत्रीय (116)
193.	तहसील दौसा	वेरोली	27	1318	हैण्ड पम्प
194.	,,	घाई	47	75	,,
195.	,,	बनेठा	56	227	,,
196.	,,	ढेलारी	148	97	,,
197.	,,	गिरधरपुरा	195	226	,,
198.	,,	काल्यावास	197	217	,,
199.	,,	किशोरपुरा	201	198	,,
200.	,,	बुहियावास	215	489	,,
201.	,,	जीतपुरा	217	126	,,
202.	,,	माहापुरा	218	66	,,
203.	,,	घोखरपट्टी	177	67	,,
204.	,,	खेड़ातापाजान	233	646	,,
205.	,,	खेड़ली	120	391	,, (121)
206.	,,	भागोलाव	128	385	,, (128)
207.	,,	चक भागोलाव	126	97	,, ,,
208.	,,	स्यालवास	130	965	,, (130)
209.	,,	ईटड़ा	145	122	,, ,,
210.	,,	चक कानपुरा	159	19	,, (165)
211.	,,	वेलवाग	166	90	,, ,,
212.	,,	पीपल्या चेनपुरा	162	481	,, ,,
213.	,,	जगराईपुरा	172	174	,, ,,
214.	,,	कानपुरा	205	380	,, (212)
215.	,,	लखेर का वास	213	1433	,, ,,
216.	,,	भगपुरा	214	652	,, ,,
217.	लालसोट	महाडेरा	7	114	हैण्ड पम्प
218.	,,	चक अभयपुरा	16	64	,,
219.	,,	कैला का वास	17	67	,,
220.	,,	बड़ फतेहपुरा	111	71	,,
221.	,,	बड़ देवता	122	62	,,
222.	,,	बगड़ा	129	120	,,
223.	,,	वर रतनपुरा	141	118	,,
224.	,,	वेडियावास	155	118	,,

1	2	3	4	5	6
225.	लालसोट	गुमानपुरा	182	74	हैण्डपम्प
226.	,,	पट्टी चिमनपुरा	196	115	,,
227.	,,	मालावास	229	106	,,
228.	,,	बड़ कल्याणपुरा	240	110	,,
229.	,,	पट्टी सुल्तानपुरा	261	65	,,
230.	,,	बास लक्ष्मीपुरा	277	137	,,
231.	,,	महाराजपुरा	192	771	,,
232.	,,	अनियाकलां	74	421	,,
233.	,,	लेवना	216	1889	पी. एण्ड टी.
234.	,,	सूरतवाड़ा	262	1748	,,
235.	,,	अनिया	74	421	क्षेत्रीय (99)
236.	,,	माधोपुरा	163	87	,, (153)
237.	,,	लखनपुरा	174	481	,, (163)
238.	,,	मोहब्बतपुरा	208	98	,, ,,
239.	,,	उगरियावास	172	308	,, ,,
240.	,,	मिराजपुरा	212	728	,, (218)
241.	,,	लालपुरा	217	304	क्षेत्रीय (218)
242.	,,	बिहारीपुरा	208	294	,, ,,
243.	,,	जापड़ा खुर्द	152	1226	क्षेत्रीय (153)
244.	,,	अनूपपुरा	154	442	,, ,,
245.	विराटनगर	बड़सापुरा	131	133	हैण्ड पम्प
246.	कोटपूतली	नवल कुशालपुरा	3	125	,,
247.	,,	गोनेर	17	1371	,,
248.	,,	पानियाकला	50	1728	पी. एण्ड टी.
249.	,,	डेहा सुन्दरपुरा	27	2142	,,
250.	,,	भांखरी	110	2812	,,
251.	,,	खेराब	24	1962	क्षेत्रीय (24)
252.	,,	किचाणी	25	155	,, ,,
253.	,,	पुरुषोत्तमपुरा	26	1238	,, ,,
254.	,,	पावावाला	4	418	क्षेत्रीय (4)
255.	,,	क्यूहि	5	746	,, ,,
256.	,,	भोपतपुरा	6	150	,, ,,
257.	,,	भकराना	16	922	,, ,,

1	2	3	4	5	6
258.	कोटपूतली	जयसिंहपुरा	42	828	क्षेत्रीय (16)
259.	,,	खेर की बीरभान	61	653	क्षेत्रीय (62)
260.	,,	भट्ट लोढ़ा	81	624	,, (81)
261.	,,	सुजात नगर	82	781	,,

टिप्पणी:– 256+5 स्रोत ग्राम

=261

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का विवरण

अलवर नगर परिषद् क्षेत्र जिनमें जल वितरण हेतु पाइप लाइन नहीं बिछी हुई है:–

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम
1	2
1.	शाहजी का बास, मिलट्री अस्पताल के पास
2.	नया बास (स्कूल का मोहल्ला)
3.	नया बास, कालाकुआ रोड- दरगाह् के पास
4.	सोहनावा मोहल्ला, स्कीम नं. 8 के पास पुरानी बस्ती
5.	जगन्नाथ जी का मन्दिर (फैमिली लाईन) (हरिजन बस्ती)
6.	मोती डूंगरी डाक्टर देशबन्धु के पीछे
7.	हीराबास (स्टेशन के बाहर)
8.	सैनी स्कूल के पास मनुमार्ग
9.	खोरा मोहल्ला
10.	ब्रह्म कालोनी लाल डिग्गी के पास
11.	लाल डिग्गी मोहल्ला हनुमान मन्दिर वाली गली
12.	लाल डिग्गी श्री रामगोपाल वाली गली
13.	करोली कुंड के सामने हारूमल सोलानी के पास
14.	राजाजी का बास पुलिस ग्राउण्ड के पास
15.	अखैपुरा मोहल्ला तेली पाड़ा
16.	गायत्री मन्दिर के पास
17.	गाड़ो मोहल्ला पुरानी पुलिस चौकी के पास
18.	बागर का बास मोहल्ला के पीछे
19.	नवाबपुरा मोहल्ला
20.	हजूरी दरवाजा मोहल्ला खास
21.	स्वर्ग रोड़
22.	चेलापाड़ी
23.	बुबली बास
24.	शिकारी का बास
25.	फतेहसिंह की गुम्बज के पीछे
26.	इन्द्रा कालोनी

1	2
27.	स्कीम नम्बर 10
28.	नौर्थ इस्ट ब्लोक योजना
29.	सेठ़ की बावड़ी मोहल्ला
30.	लाल खान अखैपुरा मोहल्ला
31.	हरिजन बस्ती तीज की पूर्व पश्चिम क्षेत्र
32.	चमारपाड़ी
33.	मोहल्ला भीखम सैयद
34.	मोहल्ला खदाना
35.	फेमिली लाईन

(249)

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 17 की सूची

गांवों का विवरण जहां पेयजल योजना स्वीकृत नहीं हुई है :–

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड सं.	तहसील	जनसंख्या (1971)	विशेष विवरण
1.	मजोली	19	शिव	31	
2.	मोगेराई	64	,,	15	
3.	पादरली	1	सिवाना	3	
4.	सजियाली मूलराज II	23	पचपदरा	473	
5.	बगिया चारनान	32	,,	281	
6.	सोभावास	43	,,	8	
7.	गोलियार	35	चौहटन	136	
8.	मवरूप का पार	54	बाड़मेर	41	
9.	सोमेसरा जूवा	201	,,	26	
10.	गंगाली	225	,,	7	
11.	एवाड़ी चारनान	232	,,	58	
12.	सिलू	369	,,	93	

गांवों का विवरण जहां पेयजल योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं :–

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	तहसील	जनसंख्या (1971)	योजना का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1.	हाथमा	104	बाड़मेर	671	हैण्ड पम्प
2.	मीठीसर	109	,,	229	,,
3.	जसाई	106	,,	385	,,
4.	सिहानी	30	,,	1322	,,
5.	इन्द्रोही	34	,,	536	,,
6.	सिन्धासवा हरखवा	380	,,	1866	,,
7.	ऊण्डखा	126	,,	1686	,,
8.	कातरला	332	,,	842	,,

1	2	3	4	5	6
9.	रडवा	123	बाड़मेर	516	हैण्ड पम्प
10.	कमठाई	238	”	365	”
11.	गांधव खुर्द	359	”	399	”
12.	सनावड़ा खुर्द	362	”	151	”
13.	मोडावास	309	”	156	”
14.	लम्बावास	381	”	167	”
15.	भोकली	349	”	196	”
16.	रामजी का गोल	354	”	178	”
17.	चरवा तख्ताबाद	67	”	683	”
18.	धमन का पार	58	”	159	”
19.	जालीला	60	”	53	”
20.	बुकड़ी	62	”	76	”
21.	बुदपुदिया	63	”	83	”
22.	पीरों का पार	69	”	173	”
23.	मोहम्मद का पार	76	”	25	”
24.	मेकरववाला	80	”	317	”
25.	अजब का पार	55	”	89	”
26.	सिण्दड़ी चारनान	240	”	707	”
27.	टाकू	234	”	670	”
28.	बालेरा	122	”	664	”
29.	गादेसरा	255	”	102	”
30.	डेगवा	253	”	43	”
31.	तेजिया वास	355	”	166	”
32.	बीवाड़ा	108	”	52	”
33.	गेहूं	115	”	1145	”
34.	मीठड़ी खुर्द	119	”	341	”
35.	भदरू	99	”	185	”
36.	माकडी	116	”	554	”
37.	दारूडा	117	”	587	”
38.	दांता	118	”	221	”
39.	भांटा	261	”	181	”
40.	असाडा की बेरी	107	”	323	”
41.	रानी गांव	124	”	1705	पारम्परिक जल

1	2	3	4	5	6
42.	चोखला	139	बाड़मेर	2041	स्त्रोत योजना
43.	गांगाला	102	,,	1408	(T.S.S)
44.	खारा राठौड़ान	103	,,	1004	,,
45.	जूना पतरासर	120	,,	1055	,,
46.	संतरा	181	,,	1579	,,
47.	सड़ा	295	,,	1737	,,
48.	सवाऊ पद्मसिंह	190	,,	3556	पम्प व टैंक
49.	बान्दरा	137	,,	2915	योजना
50.	ढूंढ़ा	134	,,	3302	(P.&.T.)
51.	कपूरडी	16	,,	836	,,
52.	महावीर	130	,,	4644	,,
53.	बोथिया जागीर	13	,,	358	,,
54.	भाडखा	140	,,	2371	,,
55.	जालीपा	113	,,	626	,,
56.	भाखरपुरा	377	,,	1584	,,
57.	ग्रांडेल	289	,,	3143	,,
58.	कोजा	324	,,	1396	,,
59.	मांगता	279	,,	1700	,,
60.	भलीसर	325	,,	1521	,,
61.	भीमड़ा	141	,,	1964	क्षेत्रीय जल
62.	बायतू पनजी	198	,,	2827	प्रदाय योजना
63.	बायतूभीमजी	199	,,	2403	,,
64.	बायतू भोपजी	200	,,	3750	,,
65.	बायतू चिमनजी	197	,,	2962	,,
66.	छितर का पार	138	,,	1757	,,
67.	भुरटिया	133	,,	2740	,,
68.	चवा	206	,,	3522	,,
69.	रावतसर	207	,,	4264	,,
70.	बाटाडू	145	,,	5177	,,
71.	हुडो की ढ़ाणी	142	,,	1065	,,
72.	माडपूरा सानी	136	,,	1065	,,
73.	कोसरिया	143	,,	1383	,,
74.	माडपुरा बरवाला	135	,,	2168	,,

1	2	3	4	5	6
75.	हीरा की ढाणी	155	बाड़मेर	1575	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
76.	नीम्बा की ढाणी	159	,,	651	
77.	खोखरसर	162	,,	3303	,,
78.	सोहड़ा	189	,,	1136	,,
79.	परेऊ	166	,,	2302	,,
80.	कुम्पोलिया	165	,,	1526	,,
81.	गिडा	186	,,	1219	,,
82.	समरखिया	164	,,	1103	,,
83.	खारड़ा चारनान	167	,,	300	,,
84.	कसूम्बला	154	,,	807	,,
85.	रतेऊ	149	,,	234	,,
86.	पनावडा	196	,,	1564	,,
87.	कानोड़	191	,,	1902	,,
88.	सहुर	148	,,	1214	,,
89.	कोलू	144	,,	2348	,,
90.	खींपर	147	,,	1161	,,
91.	मकदड़ा	195	,,	2207	,,
92.	भीलों का पार	52	,,	646	,,
93.	कन्टल का पार	49	,,	332	,,
94.	कन्टालियों का पार	48	,,	456	,,
95.	रामसर	41	,,	2015	,,
96.	गागरिया	44	,,	372	,,
97.	नोपटिया	38	,,	101	,,
98.	बाबूसरिया	39	,,	164	,,
99.	बाबुगुलिय्या	40	,,	211	,,
100.	बनवा	37	,,	133	,,
101.	सुजावल का पार	47	,,	99	,,
102.	लासवा	96	,,	135	,,
103.	सुवाडा	97	,,	568	,,
104.	खारिया	42	,,	494	,,
105.	सेतराऊ	88	,,	1104	,,
106.	चाडवा बांवलसर	91	,,	347	,,
107.	चाडवा मदरूप	90	,,	355	,,

1	2	3	4	5	6
108.	चाडवा दखमाद	92	बाड़मेर	101	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
109.	चाडी	94	,,	1120	
110.	खडीन	101	,,	2155	,,
111.	बगते की बेरी	100	,,	345	,,
112.	भाचभर	98	,,	459	,,
113.	तामलियार	95	,,	994	,,
114.	सोनरी	12	,,	270	,,
115.	सुरा चारनान	6	,,	404	,,
116.	सुरा नरपतान	8	,,	161	,,
117.	सुरा जागीर	7	,,	438	,,
118.	नाद	5	,,	1331	,,
119.	दूदा बेरी	2	,,	262	,,
120.	भांक	146	,,	1751	,,
121.	बूठिया	51	,,	836	,,
122.	शिवकर	131	,,	2674	,,
123.	कुलडा	132	,,	1796	,,
124.	बाड़मेर (रूरल)	131A	,,	1810	,,
125.	भाटाला	296	,,	441	,,
126.	नेहरों का ढाणी	297	,,	834	,,
127.	कोसल	291	,,	910	,,
128.	खारिया खुर्द	290	,,	1204	,,
129.	नीम्बल कोट	264	,,	1405	,,
130.	साजटा	209	,,	2170	,,
131.	हुण्डू	263	,,	3999	,,
132.	गोलिया महेचान	244	,,	460	,,
133.	धनवा	245	,,	852	,,
134.	जूना मीठा खेड़ा	247	,,	1204	,,
135.	भाटा खेडा	246	,,	1536	,,
136.	बोथिया पुरोहितान	14	,,	148	,,
137.	भादरेश गांधव	17	,,	542	,,
138.	भादरेश पुनिसिया	18	,,	276	,,
139.	चूली	112	,,	320	,,
140.	धनोड़ा	20	,,	192	,,

1	2	3	4	5	6
141.	त्रिसिंगड़ी	22	बाड़मेर	275	क्षेत्रीय जल प्रदाय
142.	त्रिसिंगड़ा	21	,,	198	योजना
143.	बोला	23	,,	447	,,
144.	गुडीसर	110	,,	551	,,
145.	देरासर	25	,,	1446	,,
146.	लोहारवा	320	,,	1913	,,
147.	खारूडी	316	,,	273	,,
148.	सनावड़ा	317	,,	686	,,
149.	भीमथल	318	,,	1003	,,
150.	पाबुबेरा	339	,,	315	,,
151.	पंजाबेरी	340	,,	439	,,
152.	पीपरली	342	,,	1887	,,
153.	खुंडाव	322	,,	723	,,
154.	कोठाला	338	,,	792	,,
155.	रोहिली	15	,,	1130	,,
156.	खारिया राठौड़	93	,,	890	,,
157.	बांटा	365	,,	730	,,
158.	घीमडी	366	,,	262	,,
159.	मालपुरा	368	,,	699	,,
160.	गुडा	370	,,	5531	,,
161.	सोखऊ	4	,,	406	,,
162.	मलवा	3	,,	198	,,
163.	केरवा	9	,,	192	,,
164.	लाबराऊ	29	,,	83	,,
165.	जायड	32	,,	531	,,
166.	बघेरा	31	,,	319	,,
167.	सवाऊ मूलराज	157	,,	1109	,,
168.	खारापोर	177	,,	357	,,
169.	पानादेवड़ा	178	,,	94	,,
170.	झलमलिया	179	,,	169	,,
171.	झुंड	180	,,	462	,,
172.	उतरवी	182	,,	748	,,
173.	झाजवा	192	,,	1671	,,

1	2	3	4	5	6
174.	चक सन्तरा	193	बाड़मेर	247	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
175.	खारची	36	,,	279	
176.	कानोड़ा	10	,,	280	,,
177.	बीरमियार	50	,,	243	,,
178.	पांदी का पार	43	,,	533	,,
179.	बालू का पार	46	,,	19	,,
180.	दभा का पार	59	,,	247	,,
181.	विनोद का पार	65	,,	123	,,
182.	चखाभरवा	68	,,	96	,,
183.	बादू सियोनी	70	,,	44	,,
184.	चन्दनियों का पार	71	,,	515	,,
185.	तलब का पार	73	,,	409	,,
186.	लपून्दड़ा बोरठान	171	,,	408	,,
187.	लपून्दड़ा महेचान	172	,,	279	,,
188.	लपून्दड़ा तरल	170	,,	898	,,
189.	मांगला की बेरी	312	,,	409	,,
190.	नगर	311	,,	2887	,,
191.	भेडाना	302	,,	1577	,,
192.	देदावास जागीर	371	,,	697	,,
193.	धमलियाला	304	,,	677	,,
194.	खड़ाली	314	,,	613	,,
195.	राडू	345	,,	197	,,
196.	भरनियाली	346	,,	869	,,
197.	मांकी	347	,,	962	,,
198.	गांधव कलां	360	,,	636	,,
199.	पुरावा	348	,,	698	,,
200.	देगड़िया	361	,,	618	,,
201.	रोली	363	,,	373	,,
202.	गादेवी	364	,,	612	,,
203.	भाखड़दा	352	,,	128	,,
204.	बेरी	356	,,	586	,,
205.	पानवाली	357	,,	172	,,
206.	पादड़ली	382	,,	363	,,

1	2	3	4	5	6
207.	सनपामानजी	217	बाड़मेर	1376	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
208.	बिलासर	235	"	134	
209.	घन्ना की ढाणी	236	"	778	"
210.	सरनचिमनजी	210	"	700	"
211.	सरली	208	"	3273	"
212.	खंरटिया	213	"	941	"
213.	सिदावास छोटू	378	"	935.	"
214.	जूडी	379	"	198	"
215.	सुदाबेरी	333	"	473	,
216.	भाऊड़ा	334	"	397	"
217.	चेनपुरा	336	"	497	"
218.	मीठी	337	"	147	"
219.	हेरज का गोल	341	"	123	"
220.	बीर चारनान	343	"	592	"
221.	भादराई	344	"	211	"
222.	बूल	329	"	718	"
223.	बलाऊ	125	"	683	"
224.	कुरजा	129	"	284	"
225.	मालपुरा	267	"	1702	"
226.	खुंडावा	268	"	752	"
227.	गरल	271	"	1541	"
228.	हाथीतला	272	"	1680	"
229.	रामदेवरिया	273	"	761	"
230.	सवावडा	274	"	2956	"
231.	कगाऊ	275	"	690	"
232.	बाम्रोडी जेतमाल	276	"	1306	"
233.	मेहूल	277	"	1577	"
234.	गोलिया जेतमाल	286	"	1786	"
235.	लूखू	282	"	1749	"
236.	रोहिला	283	"	1292	"
237.	ऊदासर	284	"	1289	"
238.	बांड	285	"	1986	"

1	2	3	4	5	6
239.	रानासर खुर्द	287	बाड़मेर	760	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
240.	छोट	288	,,	1436	
241.	भलीरेवाल	315	,,	1003	,,
242.	आलमसिरिया	321	,,	479	,,
243.	कबूली	335	,,	694	,,
244.	खाली	330	,,	875	,,
245.	मीठडा खुर्द	331	,,	1876	,,
246.	राणासर कला	326	,,	1299	,,
247.	कोलियाना	327	,,	619	,,
248.	भागभरे की बेरी	328	,,	572	,,
249.	सोभाला	278	,,	1573	,,
250.	दूधिया	280	,,	812	,,
251.	दूधू	281	,,	2788	,,
252.	गोलिया कल्लां	303	,,	701	,,
253.	लूनवा चारनान	374	,,	154	,,
254.	रतनपुरा	375	,,	166	,,
255.	खुरा	376	,,	106	,,
256.	कोरना	223	गूढा	667	,,
257.	डंडाली	224	,,	967	,,
258.	मानावास	226	,,	83	,,
259.	भूका थार्वसिंह	227	,,	309	,,
260.	भूका भगतसिंह	228	,,	1643	,,
261.	हरसाना	24	बाड़मेर	18	,,
262.	भंवरलाई	27	,,	393	,,
263.	चोथिया	28	,,	71	,,
264.	परा	105	,,	1024	,,
265.	लूनूखुर्द	111	,,	826	,,
266.	होपों की ढार्ना	114	,,	268	,,
267.	भांटो खुर्द	121	,,	1026	,,
268.	पिदियों का तला	127	,,	94	,,
269.	लंगेरा	128	,,	768	,,
270.	सिसोदियों कान्ता	169	,,	357	,,
271.	मलवा पतवान	173	,,	124	,,

1	2	3	4	5	6
272.	मलवा चारनान	174	बाड़मेर	530	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
273.	मलवा गोगलान	175	,,	305	,,
274.	वेजपुरा	183	,,	265	,,
275	चिबि	176	,,	330	,,
276.	होलानी	184	,,	526	,,
277.	चक उत्तरना	185	,,	57	,,
278.	मालदेता	187	,,	198	,,
279.	लेगे की ढाणी	188	,,	94	,,
280.	कलूम्बला महेचान	150	,,	174	,,
281.	कलूम्बला चारनान	151	,,	82	,,
282.	कलूम्बला सरदार सिंह	152	,,	48	,,
283.	कलूम्बला हरचंद	153	,,	375	,,
284.	चक नीम्बा की ढाणी	156	,,	108	,,
285.	सुन्तला	158	,,	149	,,
286.	धनपुरा	160	,,	817	,,
287.	झाखड़ा	161	,,	721	,,
288.	खारडा भरत सिंह	163	,,	449	,,
289.	मानपुरा खारड़ा	168	,,	633	,,
290.	गारडिया	82	,,	459	,,
291.	सेलाऊ	83	,,	382	,,
292.	हिण्डिया	84	,,	100	,,
293.	सुराली	85	,,	441	,,
294.	रावत का तला	86	,,	45	,,
295.	शेरे का तला	87	,,	38	,,
296.	सालोरियां	89	,,	26	,,
297.	कलां का पार	77	,,	75	,,
298.	सोड़ाई	56	,,	107	,,
299.	भमरे का पार	61	,,	307	,,
300.	गंगारियों का पार	64	,,	327	,,
301.	बुकार	72	,,	750	,,
302.	नगे का पार	78	,,	221	,,
303.	साजन का पार	75	,,	381	,,
304.	लगे का पार	74	,,	108	,,

1	2	3	4	5	6
305.	भीड़े का पार	79	बाड़मेर	155	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
306.	सोडेचा	265	,,	861	
307.	नोखरा	266	,,	2515	,,
308.	नोख	269	,,	870	,,
309.	वक्षे का तला	270	,,	485	,,
310.	आलेटी	351	,,	346	,,
311.	घोली नाड़ी	353	,,	293	,,
312.	दबोई	350	,,	196	,,
313.	डाबली	358	,,	412	,,
314.	चक गुड़ा	367	,,	683	,,
315.	खुड़ाला	298	,,	745	,,
316.	जालीखेरा	306	,,	573	,,
317.	उंदरी नाई	307	,,	525	,,
318.	उंदरी जुनी	308	,,	919	,,
319.	घघलवास	310	,,	445	,,
320.	गवां की गोलियां	313	,,	698	,,
321.	दरगुड़ा	293	,,	414	,,
322.	गड़ावाला	294	,,	1388	,,
323.	लुलावा	299	,,	589	,,
324.	फुलेरी	300	,,	128	,,
325.	गोलिया जींवराज	301	,,	472	,,
326.	टूकियां	305	,,	568	,,
327.	खारा मेहचान	248	,,	1149	,,
328.	चन्दे की ढाणी	249	,,	1311	,,
329.	अरनोयाली मेहचान	250	,,	280	,,
330.	गोलनाड़ी	251	,,	574	,,
331.	लूनाकला	252	,,	316	,,
332.	अमरपुरा	254	,,	205	,,
333.	भालरवारी	256	,,	269	,,
334.	पायला खुर्द	257	,,	870	,,
335.	सीलन	319	,,	327	,,
336.	लोहिड़ा	229	,,	268	,,
337.	सिन्दूरी पंवार	237	,,	118	,,

1	2	3	4	5	6
338.	नाकोड़ा	239	बाड़मेर	500	क्षेत्रीय जल प्रदाय
339.	दारवां	243	,,	2185	योजना
340.	सिन्दरी चौसीरा	259	,,	2178	,,
341.	बामनी	241	,,	547	,,
342.	धंध	242	,,	473	,,
343.	झाखा	19	,,	99	,,
344.	एवाडी मान जी	230	,,	195	,,
345.	एवाडी भीम जी	231	,,	345	,,
346.	रानेरी	233	,,	203	,,
347.	नीम्बली	258	,,	278	,,
348.	एड अमर सिंह	260	,,	491	,,
349.	एड सिन्धडी	461	,,	819	,,
350.	एड मान जी	262	,,	473	,,
351.	पायला कल्ला	292	,,	1740	,,
352.	सरनू पनजी	212	,,	788	,,
353.	सरनू भीमजी	211	,,	958	,,
354.	बाछोरी खुर्द	219	,,	125	,,
355.	सोमेसरा नया	202	,,	739	,,
356.	भोजासर	203	,,	893	,,
357.	नौसर	204	,,	2079	,,
358.	सेवनियाला	205	,,	950	,,
359.	बोडवा	214	,,	1397	,,
360.	त्रिसूलिया	215	,,	317	,,
361.	साजन की ढाणी	216	,,	241	,,
362.	झरोखा	218	,,	18	,,
363.	गिरल कितपालिया	220	,,	72	,,
364.	गिरल चारनाव	221	,,	44	,,
365.	अमझर	222	,,	19	,,
366.	देदावास चारनान	372	,,	128	,,
367.	लूनवा जागीर	373	,,	1034	,,
368.	चिड़िया	194	,,	865	,,
369.	बिशाला	11	,,	3074	पाइप्ड
370.	धोरीमना	323	,,	3690	,,

1	2	3	4	5	6
371.	रेडाणा	20	शिव	1101	हैण्ड पम्प
372.	बालेवा	18	,,	996	,,
373.	बेदरियार	21	,,	253	,,
374.	नागडदा	32	,,	487	,,
375.	ग्राकली	52	,,	266	,,
376.	गरल	54	,,	111	,,
377.	मेघे का गांव	45	,,	142	,,
378.	शेखे का गांव	67	,,	71	,,
379.	खारची	17	,,	457	,,
380.	गिराब	11	,,	2197	पम्प व टैंक
381.	हुरसानी	16	,,	4461	,,
382.	साजीतडा	57	,,	307	,,
383.	सून्दरा	1	,,	2195	,,
384.	मेदूसर	12	,,	2934	,,
385.	गडरा रोड	14	,,	2599	पाइप्ड
386.	बालासर	27	,,	418	पारम्परिक योजना (T.S.S.)
387.	मुनाबाव	2	,,	215	,,
388.	शिव	59	,,	1905	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना (R.W.SS.)
389	गूंगा	43	,,	1437	,,
390.	नीम्बला	56	,,	808	,,
391.	भागोरिया	55	,,	165	,,
392.	थूम्बली	53	,,	402	,,
393.	ऊण्डू	72	,,	2795	,,
394.	कानासर	71	,,	1453	,,
395.	काश्मीर	73	,,	1765	,,
396.	भीयांड	63	,,	2548	,,
397.	बलाई	60	,,	611	,,
398.	बिस्सूकला	62	,,	454	,,
399.	बिस्सू खुर्द	61	,,	174	,,
400.	हारबेचा	44	,,	282	,,
401.	हारवा	33	,,	615	,,

1	2	3	4	5	6
402.	कोटडा	51	शिव	2657	क्षेत्रीय जल प्रदाय
403.	जसा का गांव	49	,,	183	योजना
404.	रावत का गांध	48	,,	50	,,
405.	चक भेंस का	50	,,	185	,,
406.	बांडासर	15	,,	653	,,
407.	तामलोर	13	,,	726	,,
408.	जयसिंघर	3	,,	3447	,,
409.	बटडा	79	,,	171,	,,
410.	मोखाबकलां	74	,,	970	,,
411.	नागडदा	77	,,	1285	,,
412.	पोसल	78	,,	447	,,
413.	चोचरा	70	,,	911	,,
414.	छकुडिया	68	,,	209	,,
415.	अरंग	69	,,	942	,,
416.	झिनकली	9	,,	599	,,
417.	बग्घडा	6	,,	707	,,
418.	गोधनली	7	,,	105	,,
419.	त्रिबनियार	23	,,	262	,,
420.	ठुडिया	10	,,	242	,,
421.	कोना का गांव	28	,,	99	,,
422.	बरसिंगा	29	,,	248	,,
423.	खुडाल	38	,,	267	,,
424.	मुंगेरिया	25	,,	1016	,,
435.	सुवाला	26	,,	392	,,
426.	बनरोड	8	,,	668	,,
427.	डाबर	4	,,	696	,,
428.	हाफिया	5	,,	74	,,
429.	पोसमा	24	,,	13	,,
430.	फोगेरा	22	,,	554	,,
431.	पुसर	41	,,	552	,,
432.	राजदाल	36	,,	434	,,
433.	स्वामी का गांव	30	,,	623	,,

1	2	3	4	5	6
434.	काली जाल	31	शिव	14	क्षेत्रीय जल प्रदाय
435.	चक गूंगा	42	,,	123	योजना
436.	मनपली कल्ला	46	,,	398	,,
437.	मनपली खुर्द	47	,,	65	,,
438.	मोती का गांव	37	,,	103	,,
439.	धारकी कल्ला	65	,,	803	,,
440.	बरियारा	39	,,	356	,,
441.	धारवी खुर्द	40	,,	673	,,
442.	आंलेचा	66	,,	62	,,
443.	चूक मोरबाब	75	,,	92	,,
444.	मोरबाब खुर्द	76	,,	61	,,
445.	सूती	35	सिवाना	91	,,
446.	बालू	65	,,	282	,,
447.	भूटी	69	,,	116	,,
448.	मांगता	38	,,	590	,,
449.	सराना	102	पचपदरा	1975	पारस्परिक योजना
450.	कीतनोद	103	,,	1563	(TSS)
451.	बलाऊ जती	121	,,	1010	हैण्ड पम्प
452.	रेवारा हरचन्द	68	,,	68	,,
453.	कुरी	98	,,	940	,,
454.	मण्डाली	127	,,	960	,,
455.	गंगावास	128	,,	872	,,
456.	आकडली धनसिंह	25	,,	491	,,
457.	चम्पा	34	,,	165	,,
458.	बलाऊ सासन	120	,,	357	,,
459.	बलाऊ सासन गोलिया	33	,,	65	,,
460.	पतासर	119	,,	640	,,
461.	नुगाना	134	,,	854	,,
462.	मेगावास	117	,,	272	,,
463.	बनियावास	118	,,	274	,,
464.	सिमरखिया	83	,,	688	,,
465.	साथुनी चारणान	84	,,	239	,,
466.	साथुनी पुरोहितान	85	,,	298	,,

1	2	3	4	5	6
467.	केलनकूट	86	पचपदरा	83	हैण्ड पम्प
468.	बरिथा तगजी	46	,,	21	,,
469.	बामसीन	42	,,	37	,,
470.	मण्डावास	18	,,	14	,,
471.	बागावास	81	,,	1700	TSS
472.	चूम्बली	124	,,	554	पम्प व टैंक
473.	कल्याणपुरा	113	,,	1972	क्षेत्रीय योजना
474.	सुरपुरा	157	,,	515	,,
475.	कांकरला	107	,,	589	,,
476.	पिण्डारन	110	,,	327	,,
477.	सांखला की ढाणी	158	,,	610	,,
478.	बागलोप	153	,,	283	,,
479.	गेरी सोढा	154	,,	71	,,
480.	गेरी चारणान	111	,,	234	,,
481.	धमीसर	152	,,	239	,,
482.	गोपड़ी	35	,,	684	,,
483.	जानियाना	100	,,	933	,,
484.	रामसीन	60	,,	339	,,
485.	मूंगडा	61	,,	1049	,,
486.	बिटूजा	58	,,	1204	,,
487.	मन्डियावास	64	,,	793	,,
488.	होटलू	59	,,	178	,,
489.	पारलू	105	,,	2501	,,
490.	उमरलाई	99	,,	1042	,,
491.	डोली कलां	149	,,	843	क्षे. योजना
492.	डोली खुर्द	144	,,	423	,,
493.	डोली राजगुरा	150	,,	889	,,
494.	आसाखा उण्डा	142	,,	478	,,
495.	आसाखा चारणान	143	,,	470	,,
496.	असाखा नागेचा	140	,,	62	,,
497.	मेवा नगर	44	,,	915	,,
498.	आसोतरा	57	,,	2811	,,
499.	कालूडी	49	,,	708	,,

1	2	3	4	5	6
500.	टापरा	52	पचपदरा	2223	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना
501.	जागसा	53	"	1523	"
502.	बुरीवाडा	54	"	1237	"
503.	असाड़ा	55	"	3045	"
504.	पचपदरा साल्ट	36	"	48	"
505.	बरिया भगजी	50	"	382	"
506.	सिनली चोसीरा	15	"	480	"
507.	मीगरलाई	3	"	452	"
508.	सीमालिया	47	"	383	"
509.	बागावास	13	"	190	"
510.	कीटपाला	48	"	621	"
511.	मेकरना	12	"	167	"
512.	गोल	11	"	534	"
513.	बरिया बारेचा	45	"	229	"
514.	तिलवाड़ा	16	"	558	"
515.	सिनली जागीर	14	"	88	"
516.	थान मलीनाथ	17	"	85	"
517.	चान्देसरा	2	"	1542	"
518.	कालेवा	29	"	1597	"
519.	खारड़ी	77	"	845	"
520.	खिरघानी	62	"	111	"
521.	पाटोदी	76	"	9452	"
522.	रिन्छोली	74	"	772	"
523.	क्यार चार नान	30	"	170	"
524.	सजियाली पदमसिंह I	24	"	428	"
525.	सजियाली पद्मसिंह II	22	"	522	"
526.	सजियाली रूपजी I	21	"	551	"
527.	सजियाली रूपजी I	27	"	25	"
528.	सजियाली मूलराज II	26	"	392	"
529.	कुंवरली	31	"	478	"
530.	बांकियावास कल्ला	137	"	279	"
531.	बांकियावास खुर्द	138	"	160	"
532.	छाछरलाई कुला	135	"	546	"

1	2	3	4	5	6
533.	छाछरलाई खुर्द	114	पचपदरा	191	क्षे.ज.प्र.योजना
534.	सरवड़ी	94	,,	1142	,,
535.	पटाऊ कलां	96	,,	138	,,
536.	पटाऊ खर्द	97	,,	305	,,
537.	त्रिसिंगड़ी सोढा	92	,,	616	,,
538.	त्रिसिंगडी चारनान	93	,,	179	,,
539.	सितली	136	,,	140	,,
540.	नीम्बा खेड़ा	139	,,	19	,,
541.	रनिया दहीपुरा	158	,,	456	,,
542.	गोदावास	148	,,	844	,,
543.	हालिया	146	,,	359	,,
544.	शिवनगरी	147	,,	844	,,
545.	ग्वालनाडा	145	,,	783	,,
546.	जस्ती	129	,,	616	,,
547.	परालिया धामट	130	,,	188	,,
548.	परालिया सासन	131	,,	294	,,
549.	देवरिया	133	,,	590	,,
550.	बागावास	125	,,	130	,,
551.	तिबनियार	126	,,	110	,,
552.	कोरना	132	,,	2853	,,
553.	थोब	87	,,	1774	,,
554.	मोहनपुरा	89	,,	399	,,
555.	नेरली	90	,,	78	,,
556.	ढुंढाली	91	,,	109	,,
557.	एकरली	88	,,	99	,,
558.	चक चारनोट	116	,,	27	,,
559.	निवाई	65	,,	361	,,
560.	खाट्टू	1	,,	1190	,,
561.	रेडवा कल्ला	122	,,	457	,,
562.	रेडवा खुर्द	123	,,	463	,,
563.	खानोड़ा	78	,,	845	,,
564.	बरनावा चारनान	79	,,	663	,,
565.	बरनाग जागीर	80	,,	1551	,,

1	2	3	4	5	6
566.	माडपुरा	82	पचपदरा	251	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
567.	पटियाल	28	"	67	
568.	कोड़का	73	"	268	"
569.	मेडवासन	75	"	120	"
570.	आकरली बनसीराम	7	"	160	"
571.	सांभरा	20	"	1126	"
572.	बेदरलाई	37	"	192	"
573.	माडपुरा	38	"	269	"
574.	जेरला	39	"	179	"
575.	बालोतरा रूरल	39(ए)	"	236	"
576.	टेमावास	40	"	36	"
577.	रेवाडी सांडेचा	67	"	14	"
578.	कानावास	69	"	25	"
579.	इकरनी	72	"	248	"
580.	रेवाडा आसियान	66	"	28	"
581.	रेवाडा मियाम	70	"	379	"
582.	रेवाडा सोढ़ा	71	"	123	"
583.	भिण्डा कुआ	101	"	293	"
584.	दूधवा	4	"	1492	"
585.	बागूंडी	5	"	455	"
586.	गूंगरी	6	"	155	"
587.	बोरवास	8	"	460	"
588.	सोढो की ढाणी	9	"	144	"
589.	रखेड	41	"	198	"
590.	कालेवा	19	"	277	"
591.	असरावा पुरोहितान	141	"	7	"
592.	असरावा दुधावतान	151	"	782	"
593.	रेवाड़ा जेतमाल	95	"	360	"
594.	खारवा	106	"	785	"
595.	मोहडा	108	"	31	"
596.	घरसी का वेरा	109	"	227	"
597.	बाबु का वेरा	112	"	141	"
598.	नेवड़ी	115	"	766	"

1	2	3	4	5	6
599.	पचपदरा	63	पचपदरा	3555	पाइप्ड
600.	जसोल	56	,,	4921	,,
601.	कानाका	104	,,	2691	,,
602.	सनाऊ	36	चोहटन	1195	टी.एस.एस.
603.	बीजासर	50	,,	1010	,,
604.	मीठे का तला	51	,,	1146	,,
605.	जानपालिया	75	,,	1007	,,
606.	बिसासर	78	,,	1096	,,
607.	कुन्दनपुरा	82	,,	1273	,,
608.	बामनोर भंवरशाह्	58	,,	2112	,,
609.	ग्रांटिया	38	,,	796	,,
610.	मते का तला	25	,,	888	,,
611.	ग्रालमसर	62	,,	2316	पम्प टैंक
612.	धनाऊ	63	,,	2868	,,
613.	बुरान कोतला	68	,,	1520	,,
614.	सेडवा	83	,,	1466	,,
615.	सिहानिया	95	,,	868	,,
616.	कोनेरा	53	,,	2490	,,
617.	नेतराड	54	,,	3638	,,
618.	सोडियार	56	,,	950	,,
619.	बिसारनिया	61	,,	3704	,,
620.	बाग्रोडी कलां	41	,,	1628	,,
621.	चौहटन	28	,,	4499	,,
622.	बाबतलाई	110	,,	471	हैण्ड पम्प
623.	सुहागी	128	,,	317	,,
624.	बछवाल	129	,,	383	,,
625.	सनवालासी	142	,,	433	,,
626.	हेमावास	143	,,	298	,,
627.	मोडवा	146	,,	356	,,
628.	पनोरिया	144	,,	1223	,,
629.	त्रिसरा	133	,,	222	,,
630.	ग्रोगाला	111	,,	1605	,,
631.	कारटिया	113	,,	1383	,,

1	2	3	4	5	6
632.	गिडा	140	चोहटन	716	हैण्ड पम्प
633.	लखवाडा	37	,,	961	,,
634.	सोमराड	74	,,	274	,,
635.	भलगांव	130	,,	600	,,
636.	गोहुडा का तला	71	,,	831	,,
637.	कापराऊ	39	,,	1235	,,
638.	बूठ	40	,,	879	,,
639.	बोली	145	,,	880	,,
640.	कित्तनोरिया	64	,,	2052	क्षेत्रीय जल
641.	सांवा	67	,,	1917	प्रदाय योजना
642.	एहुसान का तला	81	,,	389	,,
643.	पूजासर	77	,,	895	,,
644.	ढेम्बा	80	,,	257	,,
645.	सिहारे	89	,,	820	,,
646.	सालारिया	84	,,	789	,,
647.	इटाडा	52	,,	1744	,,
648.	ऊपरला	29	,,	677	,,
649.	पराडिथा	27	,,	791	,,
650.	धारासर	9	,,	2067	,,
651.	ढोक	26	,,	829	,,
652.	ढोर्निया	11	,,	512	,,
653.	बीजराड	12	,,	2357	,,
654.	म्राकोड़ा	31	,,	652	,,
655.	सांवलोर	32	,,	620	,,
656.	तारातरा	33	,,	3071	,,
657.	दूदूसर	24	,,	1161	,,
658.	गंगासरा	96	,,	2046	,,
659.	पीरोकातला	97	,,	324	,,
660.	म्रालूक तला	98	,,	439	,,
661.	चिचड़ासर	99	,,	785	,,
662.	एकल	112	,,	784	,,
663.	गोरा	114	,,	1575	,,
664.	बामनोर ममीरशाह	59	,,	881	,,

1	2	3	4	5	6
265.	नवातला राठौड	60	चौहटन	603	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
666.	भूनिया	63	,,	2641	
667.	गुमाने का तला	43	,,	352	,,
668.	समेलों का तला	45	,,	46	,,
669.	रवासर	69	,,	518	,,
670.	अब्दुल रहीम का तला	70	,,	788	,,
671.	सैयद मोज अली का तला	72	,,	643	,,
672.	नवातला खासरा	89	,,	437	,,
673.	झरपा	93	,,	767	,,
674.	धुरावा	121	,,	396	,,
675.	भारा	122	,,	732	,,
676.	नवातला जेतनमाल	44	,,	637	,,
677.	लरियाला	23	,,	111	,,
678.	सोभाला जेतमाल	22	,,	749	,,
679.	उदसियार	21	,,	176	,,
680.	आरबी की गफन	19	,,	246	,,
681.	रासबानी	16	,,	235	,,
682.	तमाची की गफन	13	,,	208	,,
683.	सादुल की गफन	14	,,	128	,,
684.	राठौड़ों का तला	3	,,	346	,,
685.	कुम्हारों का तला	1	,,	96	,,
686.	भोजारिया	7	,,	882	,,
687.	जैसार	8	,,	990	,,
688.	रमजान की गफन	5	,,	564	,,
686.	भंवर	85	,,	1265	,,
690.	हरपालिया	86	,,	980	,,
691	सारला	87	,,	1470	,,
692.	दीपला	88	,,	97	,,
593.	सुजा का निवान	90	,,	528	,,
694.	पांदी का निवान	91	,,	366	,,
695.	फकीरों का निवान	92	,,	746	,,
696.	हेजम का तला	17	,,	55	,,
697.	केलनोर	18	,,	816	,,

1	2	3	4	5	6
698.	भीलों का तला	15	चौहटन	95	क्षेत्रीय जल
699.	रतासर	10	,,	1150	प्रदाय योजना
700.	भीलों का तला	46	,,	111	,,
701.	मठिराऊ	47	,,	407	,,
702	स्वरूप का तला	49	,,	1407	,,
703.	मीयों का तला	48	,,	268	,,
704.	तालसर	73	,,	551	,,
705.	जालीला	76	,,	881	,,
706.	गवाली	127	,,	302	,,
707.	लरकासर	94	,,	334	,,
708.	भारटी	118	,,	934	,,
709.	मूगवा	119	,,	434	,,
710.	मूलानी	120	,,	654	,,
711.	एकल	123	,,	585	,,
712.	हाथला	124	,,	969	,,
713.	मीथड़ी	125	,,	643	,,
714.	साता	126	,,	548	,,
715.	पाडरवाली	136	,,	554	,,
716.	तरला	139	,,	335	,,
717.	सागरवाव	115	,,	236	,,
718.	फुवालिया	116	,,	1065	,,
719.	पांचरला	117	,,	346	,,
720.	भंवरिया	137	,,	465	,,
721.	भम्बवा	138	,,	246	,,
722	डीडावा	147	,,	372	,,
723.	खारी	141	,,	655	,,
724.	सोभाला	66	,,	1696	,,
725.	सोनरी	100	,,	1211	,,
726.	रोहिला	101	,,	641	,,
727.	केकर	102	,,	519	,,
728.	मियांजाल की बेरी	103	,,	1113	,,
729.	वावरला	104	,,	2113	,,
730.	चम्पाबेरी	106	,,	223	,,

1	2	3	4	5	6
731.	चलकमा	107	चौहटन	492	क्षेत्रीय योजना
732.	मेरुडी	108	"	394	"
733.	कोटिलानी	109	"	534	"
734.	वच्छाला	105	"	427	"
735.	बूधवा खुर्द	30	"	772	"
736.	इजरोल	34	"	1477	"
737.	लीलसर	55	"	2972	"
738.	वाछराऊ	57	"	1772	"
739.	बरवासर	132	"	2375	"
740.	नवापुरा	135	"	685	"
741.	भंवरवाला	134	"	1101	"
742.	चदेसानी	131	"	250	"
743.	रानी देशीपुरा	22	सिवाला	1489	पारम्परिक योजना
744.	अजीत	29	"	1542	"
745.	कोटड़ी	31	"	1464	"
746.	मेली	39	"	1424	"
747.	मावड़ी	43	"	1268	"
748.	थापन	3	"	1088	"
749.	इन्दराना	4	"	1332	"
750.	रमनिया	62	"	1636	"
751.	कांखी	52	"	1014	"
752.	सिथोर	6	"	1400	"
753.	देवडा	37	"	675	"
754.	देवडी	42	"	441	"
755.	कथड़ी	61	"	1384	हैण्ड पम्प
756.	भगवा	56	"	1026	"
757.	कुन्डल	47	"	1728	"
758.	गुडा	8	"	1050	"
759.	दरबाला	57	"	568	"
760.	पाऊ	51	"	744	"
761.	कुम्पावास	15	"	363	"
762.	फूलन	67	"	635	"
763.	धीरन	60	"	1203	"

1	2	3	4	5	6
764.	गोदन का बाड़ा	77	सिवाना	156	हैण्ड पन्प
765.	चारनों का बाड़ा	30	,,	135	,,
766.	लूडरडा	64	,,	620	,,
767.	बीजलिया	66	,,	308	,,
768.	खाखरलाई	13	,,	760	,,
769.	बलियाना	5	,,	488	,,
770.	गुगरोट	46	,,	327	,,
771.	जिनपुर	58	,,	323	,,
772.	मांगी	59	,,	419	,,
773.	भरजीयाला	41	,,	539	,,
774.	दंताला	40	,,	26	,,
775.	मुवारी	53	,,	133	,,
776.	पिपलोन	45	,,	499	,,
777.	कुशीप	12	,,	2118	पम्प एवं टेंक
778.	समदड़ी	20	,,	8401	पाइप्ड स्कीम
779.	सिवाना	10	,,	10610	,,
780.	मोकलसर	63	,,	6075	,,
781.	बामलीन	36	,,	715	क्षेत्रीय योजना
782.	खण्डप	88	,,	3440	,,
783.	राखी	85	,,	1931	,,
784.	सामरला	70	,,	689	,,
785.	मोखण्डी	21	,,	257	,,
786.	पादरु	50	,,	5545	,,
787.	मिठूडा	49	,,	2271	,,
788.	करमावास	34	,,	2128	,,
789.	सियाली	84	,,	473	,,
790.	मोतीसरा	86	,,	1017	,,
791.	डावली	87	,,	224	,,
792.	रातडी	82	,,	655	,,
793.	भरथण्डी	83	,,	603	,,
794.	सेवाली	71	,,	621	,,
795.	सरवरी	89	,,	345	,,
796.	पाले का बारा	28	,,	353	,,

1	2	3	4	5	9
797.	मियों का वारा	27	सिवाना	547	क्षेत्रीय योजना
798.	देवलियाखी	19	"	321	"
799.	बूरड	32	"	123	"
800.	त्रिगंती	33	"	109	"
801.	लालिया	74	"	332	"
802.	कम्मो का बारा	72	"	812	"
803.	मजल	81	"	2691	"
804.	खरन्टिया	75	"	827	"
805.	मते खरन्तिया	76	"	624	"
806.	धम्बो का बारा	73	"	54	"
807.	धारना	48	"	1759	"
808.	खेजडियाली	25	"	815	"
809.	चिरडिया	26	"	601	"
810.	रामपुरा	78	"	644	"
811.	समूजा	79	"	684	"
812.	ढीडस	80	"	838	"
813.	भानावास	23	"	393	"
814.	भलरों का बाड़ा	24	"	1047	"
815.	मूठली	2	"	826	"
816.	नाल	7	"	648	"
817.	पादरली कलां	11	"	783	"
818.	खेरा खिरावाला	14	"	56	"
819.	गोलिया	44	"	566	"
820.	थान माता हिंगलाज	9	"	371	"
821.	सिलोर	18	"	762	"
822.	जेठन्तरी	17	"	1537	"
823.	ललना	16	"	145	"
824.	सेला	54	"	757	"
825.	तिलवाडा	55	"	529	"

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 19 की प्रतियां व सूचना

राजस्थान सरकार

मुख्य मंत्री कार्यालय

क्रमांक एफ 42(1) अ. स. को/मु. मं./78 दिनांक 21 मार्च, 78

अधिसूचना

राज्यपाल महोदय ने राज्य में अस्पतालों; चिकित्सालयों एवं औषधालयों के समुचित विकास में गैर-शासकीय सहायता के स्थायी स्त्रोत की स्थापना के उद्देश्य से "राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष" के गठन की तथा कोष के शासनार्थ निम्न-लिखित नियमों की स्वीकृति प्रदान की है :—

(1) ये नियम "राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष" नियम 1978 कहलायेंगे तथा ये 1 जनवरी, 1978 से प्रभावशील माने जावेंगे।

(2) राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष में सहायता/व्यक्तियों/संस्थाओं/प्रतिष्ठानों से नकद में अथवा चेक्स/बैंक ड्राफ्ट्स के रूप में तथा उपकरण संयंत्र में प्राप्त की जा सकेगी।

(3) इस कोष का निर्माण 3.00 करोड़ रुपये की पूंजी से किया जावेगा जिसमें से 75.00 लाख रुपया "राजस्थान राज्य नागरिक परिषद कोष" से इस कोष में स्थानान्तरित किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा इस कोष में 75.00 लाख की अनावर्तक सहायता, दो किस्तों में दी जावेगी। इस चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा 50.00 लाख रुपया स्वीकृत किया जावेगा, शेष 25.00 लाख रुपया आगामी वर्ष (78-79 में) स्वीकृत किया जावेगा इसके अतिरिक्त 1.50 करोड़ की सहायता की (नकद में तथा उपकरण संयंत्रों के रूप में) जनता से अपेक्षा की जाती है।

(4) यह एक स्थायी कोष होगा जिसमें किसी भी सीमा तक पूंजी जमा की जा सकेगी। स्थायी कोष से अर्जित व्याज से ही कोष से सहायता दी जावेगी।

(5) राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष से सहायता निम्नांकित उद्देश्यों के लिए अनावर्तक रूप में (एक मुस्त) दी जावेगी अर्थात् :—

(क) राजस्थान में स्थित किसी भी राजकीय एवं गैर राजकीय अस्पताल/चिकित्सालय/औषधालय/ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि तथा इन सब से संलग्न धर्मशाला एवं विश्रामशालाओं आदि जो केवल रोगियों

तथा उनके साथ आये हुए सहायकों के उपयोग में ही आ सके, के समुचित विकास एवं जन सुविधा की दृष्टि से अधिकतम उपयोग के लिये किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु,

(ख) उपरोक्त संस्थाओं में नितान्त आवश्यक उपकरणों एवं संयंत्रों आदि की खरीद के लिये,

(ग) उपरोक्त संस्थाओं में नितान्त आवश्यक ऐसी औषधियों की खरीद के लिए जो सामान्यतः राजकीय बजट से उपलब्ध न कराई जा सके,

(घ) प्रदेश में महामारी, अकाल, अतिवृष्टि एवं अन्य दैवी प्रकोप के समय प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की जीवन रक्षा हेतु औषधियां तथा कार्यों के लिए, उक्त अंकित सभी प्रकार की सहायता राजकीय अथवा गैर राजकीय ऐलोपैथिक/आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी/प्राकृतिक चिकित्सा/योगिक केन्द्रों के लिए दी जा सकेगी।

(6) कोष का नियन्त्रण पूर्णतः मुख्य मंत्री महोदय के अधीन रहेगा तथा कोष से सहायता की स्वीकृति भी किसी भी सीमा तक मुख्य मंत्री महोदय द्वारा चिकित्सा विभाग अथवा आयुर्वेदिक विभाग अथवा संबंधित जिलाधीश द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर या सीधे ही उनके विवेकानुसार दी जा सकेगी।

(7) इस कोष में प्राप्त होने वाली धनराशि किसी भी राष्ट्रीय अथवा शिड्यूल बैंक अथवा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा आरक्षित ग्रामीण बैंक अथवा सहकारी बैंक में, मुख्य मंत्री महोदय के आदेशों से जमा कराई जावेगी। राशि आहरित करने के लिए चेक्स पर हस्ताक्षर सचिव, मुख्य मंत्री करने के लिए प्राधिकृत होंगे। कोष से धन-राशियों का विनियोजन तथा राजकीय निगमों/संस्थाओं को ऋण देने एवं उसके लिए स्थायी जमा राशियों के पेटे बैंकों से ऋण लेने के लिए भी सचिव, मुख्य मंत्री सक्षम होंगे।

(8) कोष का नियमानुसार पूर्ण लेखा मुख्य मंत्री कार्यालय (लेखा एवं कोष प्रकोष्ठ) में रखा गया जावेगा और लेखों का अंकेक्षण परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जावेगा। आवश्यक होने पर कोष से व्यय के पृथक् से भी नियम बनाये जा सकेंगे।

(9) इस कोष के लिए धन राशियां/सामग्री जिला स्तरों पर भी एकत्रित की जावेगी। कोष के संग्रह के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा गत वर्ष प्रसारित "मुख्य मंत्री राजस्थान द्वारा नियंत्रित कोष के निर्माण एवं संग्रह सम्बन्धी सामान्य निर्देश" उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार अन्य कोषों पर लागू हैं।

यह अधिसूचना वित्त विभाग की सहमति क्रमांक (व्यय–1) 1602 दिनांक 17-3-78 से प्रसारित की जाती है।

आज्ञा से

ह.

उप शासन सचिव, मुख्य मंत्री

प्रतिलिपि अधिसूचना क्रमांक एफ–42 (1) अ. वि.को/मु.मं./78/दिनांक 7 अप्रेल, 79 ओर से उप शासन सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री कार्यालय, राज., जयपुर :

अधिसूचना

विषय :—राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष निर्माण तथा कोष के शासनार्थ नियमों में संशोधन के बारे में।

इस कार्यालय की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 21-3-78 द्वारा प्रसारित "राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष नियम, 1978" निम्न प्रकार परिशोधन करने की राज्यपाल महोदय ने स्वीकृति प्रदान की है :—

(I) उक्त अधिसूचना के अनुच्छेद 5 (ग) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जावे :—

"5 (ग) :—विशिष्ट मामलों/परिस्थितियों में (I) किसी भी राजकीय/गैर-राजकीय चिकित्सा संस्था की मूल्यवान ऐसी औषधियों की खरीद के लिए सहायता जो सामान्यत: राजकीय/संस्था के नियमित बजट से उपलब्ध नहीं करायी जा सके, तथा

(II) किसी ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को किसी गम्भीर रोग के लम्बे समय तक चलने वाले उपचारों के लिए एक मुश्त सहायता"

(II) उक्त अधिसूचना के अनुच्छेद 5 (II) के नीचे एक नवीन उप अनुच्छेद 5 (ड) निम्न प्रकार जोड़ा जावे :—

"5 (ड) जनस्वास्थ्य (मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण कार्यों सहित) सम्बन्धी कार्यों/आयोजनों एवं अभियानों जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लोकहित में माने जावें तथा अपंगों को कृत्रिम पैर/हाथ, लगाने के लिए स्वयं की अथवा किसी संस्था को एक मुश्त सहायता"

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू किये माने जावेंगे।

प्रतिलिपि पत्र संख्या एफ. 42 (1) अ.बा.को/78/1985–90 दिनांक 21 अगस्त, 78 ओर से सचिव मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री कार्यालय राज. जयपुर वास्ते समस्त जिलाधीश।

विषय:–जिला अस्पताल विकास कोष समिति के गठन के बारे में।

राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष से अस्पतालों/चिकित्सालयों को सहायता दी जानी है। यह सहायता जिला प्रशासन के माध्यम से दी जावेगी और प्राय: उतनी सीमा तक दी जावेगी जितनी राशि जिले में स्थानीय रूप से, उक्त कार्यों के लिए जन सहयोग के रूप में संग्रहीत करली जावेगी।

इस तथ्य को ध्यान में रख कर राज्य सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार अनुभाग–1) की आज्ञा क्रमांक एफ 36 (7) का प्रसु/प्रसु–1/78 दिनांक–29-7-78 के अनुसार प्रत्येक जिले में "जिला अस्पताल विकास कोष समिति" का गठन किया गया है। जिलाधीशों को इन समितियों में चार गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत कर लेने के भी अधिकार दिये हैं साथ ही जिलाधीशों को इस कोष के नाम से बैंकों में खाता खोल कर धनराशि जमा रखने तथा उससे आवश्यक होने पर निकालने के भी अधिकार दे दिये गये हैं।

इस प्रकार अब जिलों में अस्पतालों के विकास के लिए जनसहयोग संग्रहीत किया जा सकता है। आरम्भ में यह प्रस्ताव था कि जिलों की अस्पताल विकास कोष समितियां राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष के अन्तर्गत जिला इकाइयों के रूप में गठित की जावे। किन्तु जिलाधीशों को अपने विवेक का अधिकतम उपयोग करने तथा निर्माण कार्यों के संबंध में अधिकारी के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रख कर अब "जिला स्तरीय समितियां" मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष से पृथक एवं स्वतंत्र रूप से गठित की गई है। चूंकि रसीद बुक यहां छप चुकी है अतः आपकी मांग के अनुसार वे यहां से भेजी जावेगी ओर स्थायी रूप से आपके जिले को आवंटित मानी जावेगी। तथा अन्यत्र कहीं उनका उपयोग नहीं होगा। अतः आप सूचित करावें कि कितनी संख्या में रसीद बुक्स भेजी जावें। एक रसीद बुक में 50 रसीदें हैं।

इसके अतिरिक्त कृपया तुरन्त ही अपने कार्यालय के निकट राष्ट्रीय/शिड्यूल्ड बैंक में बचत खाता खोल लें और इस संबंध में प्राप्त तथा प्राप्त होने वाली समस्त राशियां तुरन्त ही उस बचत खाते में जमा करादें।

आपके जिले के लेखों के रख-रखाव/संधारण के लिए आप राज्य सरकार के वित्तीय नियम तथा इस कार्यालय द्वारा गत वर्ष प्रसारित मुख्य मंत्री राजस्थान द्वारा नियंत्रित कोषों के निर्माण एवं संग्रह संबंधी सामान्य निर्देशों को आधार मान सकते हैं।

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1)

क्रमांक एफ 36 (7) प्र. सु./1/78 दिनांक 28 नवम्बर; 1979

अधिसूचना

राजस्थान में अस्पतालों/चिकित्सालयों/औषधालयों के समुचित एवं योजनाबद्ध विकास गैर शासकीय सहायता के स्थायी स्रोत की स्थापना एवं उसके लिए जन सहयोग प्राप्त करने तथा जन प्रतिनिधियों की चिकित्सा सुविधाओं के विकास की योजनाओं में सहयोगी बनाने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय ने प्रत्येक जिले में निम्नांकित सदस्यों की "जिला अस्पताल विकास कोष समिति" के गठन के आदेश प्रदान किये हैं।

1. जिलाधीश	अध्यक्ष
2. जिला प्रमुख	सदस्य (सह अध्यक्ष)
3. अधिशाषी अभियन्ता, भवन व पथ	सदस्य
4. सचिव, नगर विकास न्यास (जहां हो)	सदस्य
5. अध्यक्ष/प्रशासक/नगरपालिका (जिलास्तरीय)	सदस्य
6. जिला आयुर्वेद अधिकारी	सदस्य
7. अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी	सदस्य
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य सचिव

नोट:--

(1) इन समितियों में विधायकों को सम्मिलित करने के बारे में राज्य विधान सभा के अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर पृथक् से आदेश जारी किये जावेंगे।

(2) उक्त समिति में प्रत्येक जिले के जिलाधीश, 4 की संख्या तक 1 जिले के गैर सरकारी उत्साही/समाज सेवी/दानवीर व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकेंगे।

(3) जिलाधीश की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख कर सकेंगे।

उक्त समिति के निम्न अंकित उद्देश्य/कार्य होंगे:--

(1) जिले में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं का आंकलन करना।

(2) सामान्य जन के हितों के अनुसार, चिकित्सा सुविधाओं के विकास की योजनायें बनाना।

(3) योजनाबद्ध रूप से चिकित्सा विकास के कार्य कराना और उनका सामयिक मूल्यांकन करना।

(4) जिले की चिकित्सा सुविधाओं के विकास की योजनाओं के लिये स्थानीय रूप से आर्थिक जन सहयोग जुटाना।

प्रत्येक जिले में उक्त समिति के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत/शिड्यूल/सहकारी बैंक में बचत खाता खोल कर जन सहयोग से प्राप्त समस्त धनराशि तथा मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष से स्वीकृत धनराशि तुरन्त ही जमा की जावेगी। जिलाधीश (समिति के अध्यक्ष होने के नाते) इस खाते से रकम निकालने को प्राधिकृत माने जायेंगे।

उक्त गठित समिति की एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम चार बैठक अवश्य की जावेगी। प्रत्येक का कार्यवृत्त मुख्य मंत्री कार्यालय तथा चिकित्सा निदेशालय में अवश्य भेजा जावेगा।

यह अधिसूचना इस विभाग के आदेश क्र. एफ 36 (7)का. प्र. सु./प्र. सु./ 1/78 दिनांक 29-7-78 के अतिक्रमण में प्रसारित की जा रही है।

आज्ञा से,

ह. केवलराम,

उप शासन सचिव।

राजस्थान सरकार

मुख्य मंत्री कार्यालय

जिलाधीश महोदय,

...............।

क्रमांक एफ 42 ( ) अविको/मु.म./78 दिनांक

विषय:–राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष से जिलों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता देने के बारे में।

संदर्भ :—आपका पत्र क्रमांक........दिनांक.........।

महोदय,

आपके उक्त पत्र में अंकित प्रस्तावों पर विचार कर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने अस्पताल विकास कोष से, सहर्ष आपके जिले में, निम्न अंकित चिकित्सा सुविधाओं

के विकास/निर्माण के लिये रुपये........लाख (अक्षरे रुपये ....) की वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की है।

कार्यों का विवरण :–

यह सहायता निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी गई है :—

1. उक्त अंकित समस्त कार्यों पर कुल व्यय.........लाख से अधिक नहीं होना चाहिये।
2. उक्त कार्य आरम्भ कराने से पूर्व चिकित्सा-विभाग के सक्षम अधिकारी से निर्माण कार्यों के नक्शे अनुमोदित करा लिये जावें और सार्वजनिक निर्माण विभाग से व्यय के सही नक्शे बनवा कर प्राप्त कर लिये जावें।
3. मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष से उक्त स्वीकृत धनराशि तब ही यहां से एक मुश्त अथवा किश्तों में भेजी जावेगी जब आपकी ओर से यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो जावेगा कि कुल स्वीकृत व्यय की 50 प्रतिशत धनराशि स्थानीय रूप से जन सहयोग से संग्रहित कर "जिला अस्पताल विकास कोष समिति" के खाते में जमा हो गई है।
4. उक्त निर्माण कार्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जावेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग ऐसे कार्यों पर कोई प्रोरेटा व्यय अथवा प्रशासनिक व्यय चार्ज नहीं करेगा।
5. यदि किसी स्थान पर निर्माण कार्य अन्य दानशील संस्था अथवा समाज/समिति द्वारा कराया जाता है तो उस कार्य की देखरेख/निगरानी आपके जिले के अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही की जावेगी और व्यय पर नियन्त्रण आपका (जिला अस्पताल विकास कोष समिति के अध्यक्ष की हैसियत से) ही रहेगा।
6. निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कुल व्यय का एक उपयोगिता प्रमाण-पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिया जावेगा जिस पर आप प्रति हस्ताक्षर करेंगे। ऐसा उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय की निर्माण कार्य की सम्मति के 3 माह में प्राप्त हो जाना चाहिये।

भवदीय

राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष से वर्ष 78-79 में अस्पतालों के भवन निर्माण/विकास हेतु आवंटित राशि का मानचित्र

क्र.सं.	जिला	अस्पताल एवं कार्यों का विवरण जिनके लिए राशि प्रदान की गई है	राशि
1	2	3	4
1	उदयपुर	(1) रैफरल अस्पताल भिण्डर के निर्माण कार्यों के लिए	10,000.00

1	2	3	4
		(2) गोगुन्दा अस्पताल के भवन निर्माण/विकास कार्यों के लिए	20,000.00
2.	सवाई माधोपुर	जनाना अस्पताल करौली (जच्चा खाना) निर्माण कार्यों के लिए	1,00,000.00
3.	भीलवाड़ा	(1) शाहपुरा अस्पताल को क्रमोन्नत करने हेतु	50,000.00
		(2) अस्पताल/औषधालय खारी, दौलतगढ़ पीपलुन्द एवं कोटू कोटा को अनुदान	46,000.00
4.	टोंक	उनियारा क्षेत्र के मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र के विकास/निर्माण कार्य के लिए	10,000.00
5.	अलवर	बहादुरपुर अस्पताल के निर्माण कार्यों के लिए	20,000.00
6.	जोधपुर	उम्मेद अस्पताल में विकास/निर्माण कार्यों के लिए	12,500.00
7.	बाड़मेर	टी. बी. क्लिनिक के निर्माण कार्यों के लिए	35,000.00
8.	चित्तौड़गढ़	बड़ी सादड़ी बिलोदा एवं आश्मा के विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु	26,000.00
9.	पाली	बांगड़ अस्पताल के विकास/निर्माण कार्यों के लिए	20,000.00
10.	सिरोही	जिला अस्पताल सिरोही में टी.बी. वार्ड के निर्माण हेतु	20,000.00
11.	बांसवाड़ा	घाटोल में एक्सरे मशीन स्थापित करने एवं कमरों का निर्माण करवाने हेतु	10,000.00
		कुल योग	3,79,500.00

सीताराम
17–2–83
सहायक लेखाधिकारी,
मुख्य मंत्री कार्यालय,
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष से वर्ष 79-80 में चिकित्सालयों के भवन निर्माण/विकास हेतु आवंटित राशि का मानचित्र

क्र.सं.	जिला	अस्पताल एवं कार्यों का विवरण जिनके लिए राशि प्रदान की गई है।	राशि
1	2	3	4
1.	उदयपुर	(1) रेफरल अस्पताल भिण्डर के निर्माण कार्यों के लिए	40,000.00
		(2) गोगुन्दा अस्पताल के भवन निर्माण/विकास कार्यों के लिए	10,000.00
		(3) कानोड़ जिला उदयपुर में वार्डस एवं आउटडोर निर्माण कार्यों के लिए	15,000.00
2.	भीलवाड़ा	(1) शाहपुरा अस्पताल को क्रमोन्नत करने हेतु	86,000 00
		(2) चिकित्सालय/औषधालय खोरी, दौलतगढ़ पीपलून्द एवं कोटू कोटा को अनुदान	10,000.00
		(3) जहाजपुर चिकित्सा भवन निर्माण के लिए	10,000.00
3.	टोंक	टोंक में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के विकास निर्माण कार्यों के लिए	45,000.00
4.	अलवर	(1) बहादुरपुर अस्पताल के निर्माण कार्यों के लिए	20,000.00
		(2) खेरलीगंज, अलवर के मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के लिए	30,000.00
5.	जोधपुर	(1) उम्मेद अस्पताल में विकास निर्माण कार्यों के के लिए	12,500.00
		(2) न्यू टीचिंग अस्पताल जोधपुर में कोबाल्ट टेलीथेरेपी यूनिट के भवन निर्माण कार्यों के लिए	50,000.00
6.	बाड़मेर	ग्राम धोरीमना में राजकीय चिकित्सालय/डिस्पेन्सरी तथा आवासों के निर्माण के लिए	25,000.00
7.	चित्तौड़गढ़	बड़ी सादड़ी विलोदा एवं जास्मा के अस्पताल चिकित्सालय के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु	40,000.00

1	2	3	4
8.	पाली	(1) बांगड़ अस्पताल के विकास/निर्माण कार्यों के लिए	55,000.00
		(2) ग्राम पंचायत बाबरा तहसील रायपुर चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए।	10,000.00
9.	सिरोही	जिला अस्पताल में टी. बी. वार्ड के निर्माण हेतु	16,000.00
10.	बांसवाड़ा	(1) बांसवाड़ा रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के उपयोगार्थ डिस्पेन्सरी भवन के निर्माण कार्यों हेतु	10,600.00
		(2) बागीदोरा डिस्पेन्सरी के साथ भवन निर्माण तथा आठ शैयाओं के वार्ड के निर्माण हेतु	40,000.00
11.	अजमेर	प्राथमिक चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र भिनाय को रेफरल अस्पताल बनाने के सम्बन्ध में निर्माण कार्यों के लिए	50,000.00
12.	सीकर	नेत्र एवं शल्य चिकित्सा शिविर के लिए	50,000.00
13.	चूरू	भारतीय अस्पताल चूरू में प्रयोगशाला आदि के निर्माण एवं अधूरे पड़े कार्यों के पूर्ण करने के लिए	10,000.00
14.	श्री गंगानगर	हनुमानगढ़ कस्बे में 50 शैयाओं के स्वीकृत एवं निर्माणाधीन अस्पताल के लिए	50,000.00
		कुल योग ..	6,85,100.00

ह०
सीताराम
सहायक लेखाधिकारी,
मुख्य मंत्री कार्यालय,
शासन सचिवालय, जयपुर।

परिशिष्ट–21 फरवरी, 1983–परिशिष्ट

राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष से वर्ष 80–81 में चिकित्सालयों के भवन निर्माण/विकास हेतु आवंटित राशि का मानचित्र।

क्र.सं.	जिला	अस्पताल एवं कार्यों का विवरण जिनके लिये राशि प्रदान की गई है	राशि
1.	टौंक	जिला स्तरीय अस्पताल टौंक में अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिये	27,000.00
2.	चुरू	(1) भारतीय अस्पताल चुरू में प्रयोगशाला एवं अधूरे निर्माण कार्यों के लिये	15,000.00
		(2) रतननगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्यों के लिये	50,000.00
3.	बाड़मेर	ग्राम धोरीमना में राजकीय अस्पताल (डिस्पेन्सरी) तथा आवासों के निर्माण के लिये	75,000.00
4.	सिरोही	सिरोही में टी.बी. वार्ड के निर्माण के लिये	15,000.00
5.	उदयपुर	ग्राम पंचायत रेलमगरा में आयुर्वेदिक औषधालय के निर्माण कार्यों के लिये	10,000.00
6.	डूंगरपुर	डूंगरपुर अस्पताल में विभिन्न विकास/निर्माण कार्यों के लिए	50,000.00
7.	जोधपुर	(1) कोबाल्ट टेलीथेरेपी यूनिट के भवन निर्माण कार्यों के लिये	50,000.50
		(2) पीपाड शहर में निर्माणाधीन रेफरल अस्पताल के लिये	1,00,000.00
8.	पाली	बांगड़ अस्पताल के भवन निर्माण कार्यों के लिये	25,000.00
9.	चित्तौड़गढ़	अस्पताल भवन बस्सी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पारसोली के भवन निर्माण कार्यों के लिए	65,000.00
10.	बीकानेर	पी.बी.एम. अस्पताल के ई. एन. टी. विभाग के निर्माण कार्यों के लिये	36,500.00
11.	भीलवाड़ा	जिला स्तरीय महात्मा गांधी अस्पताल में निर्माण कार्यों के लिये।	1,00,000.00
		कुल योग	6,18,500.00

ह० सीताराम
सहायक लेखाधिकारी,
मुख्य मंत्री कार्यालय,
शासन सचिवालय, जयपुर।

राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष से वर्ष 1981-82 में अस्पतालों के भवन निर्माण/विकास हेतु आवंटित राशि का मानचित्र

क्र.सं. जिला	अस्पताल एवं कार्यों का विवरण जिनके लिए राशि प्रदान की गई है	राशि
1. चित्तौड़गढ़	1. भादसोड़ा डिस्पे. के भवन निर्माण के लिए	20,000.00
	2. बेगूं अस्पताल के भवन निर्माण कार्यों के लिए	20,000.00
	3. ग्राम रावत भाटा में अस्पताल भवन के निर्माण के लिए	25,000.00
	4. जनरल अस्तपाल प्रतापगढ़ के भवन निर्माण हेतु	50,000 00
2. उदयपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानोड़ में वार्डस एवं आउटडोर भवन के निर्माण के लिए	10,000.00
3. जोधपुर	कोबाल्ट टेलीथेरेपी यूनिट के भवन के निर्माण कार्यों के लिए	1,00,000.00
4. बाड़मेर	बाड़मेर टी. बी. क्लिनिक भवन के निर्माण कार्यों के लिए	65,000.00
5. टौंक	जिला स्तरीय अस्पताल टौंक की परिधि में अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु	48,000.00
6. सिरोही	जनाना अस्पताल सिरोही के परिसर में एक 10 रोगी शैयाओं के शिशु वार्ड के निर्माण के लिए	27,000.00
7. अजमेर	(1) खारवा राजकीय डिस्पेन्सरी हेतु चीरघर के निर्माण कार्यों के लिए	3,500 00
	(5) राजकीय अमृतकौर अस्पताल ब्यावर के निर्माण कार्यों के लिए	1,00,000.00
8. डूंगरपुर	डूंगरपुर अस्पताल के विभिन्न विकास/निर्माण कार्यों के लिए	50,000.00
9. अलवर	जनरल अस्पताल अलवर में आपरेशन थियेटर आउटडोर/वार्डस के निर्माण के लिए	1,00,000.00
	कुल योग	6,18,500.00

ह.
सीताराम,
सहायक लेखाधिकारी,
मुख्य मंत्री कार्यालय,
शासन सचिवालय, जयपुर।

राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष से वर्ष 82-83 में अस्पतालों के भवन निर्माण/विकास हेतु आवंटित राशि का मानचित्र:—

क्र. सं.	जिला	अस्पताल एवं कार्यों का विवरण जिनके लिए राशि प्रदान की गई है		राशि
1	2	3		4
1.	पाली	पाली में सिटी डिस्पेन्सरी के भवन निर्माण कार्यों के लिए		77,500.00
2.	अलवर	खेडलीगंज अलवर में वर्तमान डिस्पेन्सरी भवन के 10 शैयाओं का मातृ शिशु कल्याण केन्द्र बनाने के लिए		20,000.00
3.	डूंगरपुर	रेफरल अस्पताल सागवाड़ा में अतिरिक्त भवन निर्माण कार्यों के लिए		1,50,000.00
4.	चित्तौड़गढ़	रेफरल अस्पताल चित्तौड़गढ़ के निर्माण/विकास कार्यों के लिए		50,000.00
5.	भीलवाड़ा	1. जिला स्तरीय महात्मा गांधी अस्पताल में नवीन वार्डों के निर्माण कार्यों के लिए		2,00,000.00
		2. जिला भीलवाड़ा के अस्पतालों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए		
		(अ) अस्पताल माण्डलगढ़	50,000–00	
		(ब) अस्पताल बनेड़ा	61,000.00	
		(स) अस्पताल गंगापुर	50,000.00	
		(द) अस्पताल शाहपुरा	1,50,000.00	
		(य) अस्पताल गुलाबपुरा	1,50,000.00	
				4,61,000.00
		3. जहाजपुर अस्पताल के भवन निर्माण के कार्यों के लिए		40,000.00
		4. ग्राम बड़लिया/पंचायत समिति कोटड़ी में अस्पताल के वार्ड निर्माण के लिए		21,000.00
		5. राजकीय अस्पताल रुपहेली खुर्द के भवन निर्माण के कार्यों के लिए		33,000.00

1	2	3	4
6.	उदयपुर	(1) उदयपुर में कैंसर प्लान्ट के निर्माण के लिए	2,00 000.00
		(2) भीण्डर अस्पताल भवन निर्माण कार्यों के लिए	50,000.00
7.	कोटा	जिला स्तरीय अस्पताल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए	2,00,000.00
8.	बीकानेर	प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल जनाना अस्पताल बीकानेर में प्रसूती वार्ड के निर्माण कार्यों के लिए	50,000.00
9.	जैसलमेर	राजकीय जवाहर अस्पताल जैसलमेर में 12 बेडस् का एक वार्ड एवं इनसे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के लिए	75,000.00
		कुल योग	16,27,500.00

ह.
सीताराम
सहायक लेखाधिकारी,
मुख्य मंत्री कार्यालय,
शासन सचिवालय, जयपुर।

राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष में मैचिंग ग्रान्ट के अतिरिक्त अस्पतालों के भवन निर्माण/संयत्र क्रय/विकास हेतु आवंटित राशि का मानचित्र वर्ष 78 से 82-83 तक

क्र.सं. 1	विवरण 2	राशि 3
1.	निदेशक अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाए (परिवार) नियोजन जयपुर को	25,000.00
2.	मैसर्स वोल्टाज एण्ड कम्पनी जयपुर से वाटर कुलर क्रय करने के लिये	36,322.00
3.	जिला कोटा के भ्रमण शील शल्य अस्पताल ईकाई के शिविर के लिये	10,000.00

1	2	3
4.	जिला डूंगरपुर के नेत्र शल्य अस्पताल शिविर के लिये	10,000.00
5.	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर को अनुदान	1,65,000.00
6.	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति पाली को अनुदान	75,000.00
7.	मैजर विजय भटनागर किडनी फाउन्डेशन को अनुदान	8,600.00
8.	एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों के लिए अनुदान	72,000.00
9.	डूंगरपुर जिले में नेत्र एवं शल्य चिकित्सा शिविर के लिए	10,000.00
10.	सवाई मानसिंह अस्पताल में ब्लड बैंक के लिये उप करणों एवं संयंत्रों की खरीद के लिये	2,50,000.00
11.	कार्डियक कैंसर रिसर्च सोसाइटी एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में मोबाईल वान एवं उपकरणों की खरीद के लिये	1,00,000.00
12.	सर पदमपत मातृ शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर के विभिन्न उपकरणों के क्रय के लिए	1,00,000.00
	कुल योग	8,61,922.00

सीताराम

17–2–83

सहायक लेखाधिकारी,

मुख्य मंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर ।

राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष में प्राप्त अनुदान का मानचित्र ।

क्र.सं.	विवरण 1	दिनांक 2	राशि 3
1.	महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लि., पाली मारवाड़	24–1–79	1,00,000.00
2.	मैसर्स प्रेफेटी इण्डिया लि., 31 चोरंगीर रोड, कलकत्ता–16	24–1–79	1,00,000.00

1	2	3	4
3.	एस.सी.डाबरीवाल आदर्श महिला शिक्षा प्रशिक्षण, जिला श्री गंगानगर।	9–4–79	3,000.00
4.	,, ,,	16–7–79	2,000.00
5.	,, ,,	10–10–79	1,000.00
6.	,, ,,	24–11–79	4,000.00
7.	,, ,,	6–12–79	1,000.00
8.	जोधपुर की जनता मार्फत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।	4–1–80	214.00
9.	एस.सी.डाबरीवाल, 16 इंडिया एक्सचेन्ज पेलेस, कलकत्ता।	14–1–80	1,000.00
10.	,, ,,	8–3–80	3,000.00
		कुल योग	2,15,214.00

ह.
सीताराम
सहायक लेखाधिकारी,
मुख्य मंत्री कार्यालय,
शासन सचिवालय, जयपुर।

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 21 की सूची

श्री कल्याण अस्पताल सीकर के स्टॉफ की वर्तमान स्थिति

क्र. सं.		स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	6	4	2
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	7	5	2
3.	सी. ए. एस.	23	23	–
4.	मेट्रन ग्रेड प्रथम	1	1	–
5.	मेट्रन श्रेणी द्वितीय	2	–	2
6.	सिस्टर	6	6	–
7.	मेल नर्स श्रेणी प्रथम	13	13	–
8.	मेल नर्स श्रेणी द्वितीय/स्टाफ नर्स/प्रसाविका	56	56	–
9.	रेडियोग्राफर	3	3	–
10.	लेब. तकनीशियन	3	3	–
11.	फिजीयोथेरेपिस्ट	1	1	–
12.	ओकोपेशनल थेरेपिस्ट	1	–	1
13.	दन्त तकनीशियन	1	1	–
14.	कार्यालय अधीक्षक श्रेणी-2	1	–	1
15.	वरिष्ठ लिपिक	5	5	–
16.	कनिष्ठ लिपिक	4	2	2
17.	वाहन चालक (एम्बूलैन्स)	3	3	–
18.	कारपेन्टर	2	–	2
19.	इलेक्ट्रीशियन कम मेकेनिक	3	3	–

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का विवरण

कार से की गई यात्रा के व्यय का विवरण

क्रमांक	अधिकारी	टैक्सी सं. एवं मालिक का नाम	कुल भुगतान किए गये किराये की राशि	कुल उठाया गया यात्रा व्यय
1	2	3	4	5
				रु. पै.
1.	उप आवासन आयुक्त	–	–	1747.60
2.	आवासीय अभियन्ता (प्रथम)	मै. त्रिलोक कुमार अरोड़ा कोटा, आर.एस.टी. 5004,5035,5077	1079	2123.32
3.	आवासीय अभियन्ता (द्वितीय)	–	–	983.50
4.	आवासीय अभियन्ता (तृतीय)	(1) मै. त्रिलोक कुमार अरोड़ा, कोटा, आर.एस.टी. 5004,5035,5077	4433.50	5001.84
		(2) मै. नवरंग टैक्सी स्टैंड कोटा, 5144 तथा 5244	2178.00	
5.	आवासीय अभियन्ता (चतुर्थ)	,, ,,	2349.00	3182.30
		,, ,,	538.80	
6.	आवासीय अभियन्ता (पंचम)	मै. त्रिलोक कुमार अरोड़ा कोटा	1341	3138.82

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 24 का विवरण

नगरपालिका सांगानेर द्वारा बाढ़ सहायता राशि से कराये गये कार्यों की सूची मय लागत राशि के

1	2	3
1.	वार्ड नं. 1 लक्ष्मी नगर हरिजन कालोनी में सड़क व नाली निर्माण कार्य	19,771.27
2.	डा. खेमचन्द की दुकान से साठीवाल हाउस रोड व नाली वार्ड नं. 7	22,741.77
3.	मालपुरा गेट से दांवों के डा. सुरेन्द्रसिंह की दुकान तक नाली	24,186.12
4.	मुख्य सड़क से मानवभारती स्कूल वाया सरस्वती कालोनी सड़क व नाली	37,399.38
5.	कनकों की ढाणी से विभिन्न स्थानों पर मिट्टी की भरती वार्ड नं. 12	3,997.55
6.	जयनारायण के मकान की तरफ एवं तलाई के पास मिट्टी की भरती वार्ड नं. 12	9,067.47
7.	डिग्गी रोड से लड्डूराम के मकान तक सड़क निर्माण का कार्य	16,302.30
8.	वार्ड नं. 1 में मिट्टी भराई का कार्य	17,245.58
9.	लादूराम के मकान से रामजीलाल के मकान तक सड़क निर्माण	21,528.11
10.	वार्ड नं. 11 में मिट्टी की भराई का कार्य गोपालजी की तलाई	1,509.97
11.	त्रिपोलिया गेट से दौसा दरवाजे तक सड़क व नाली निर्माण कार्य	36,408.85
12.	त्रिपोलिया से बस स्टेण्ड वाया जैन मन्दिर सड़क व नाली निर्माण	60,289.12
13.	डा. इन्द्र की दुकान से त्रिपोलिया गेट तक नाली व सड़क	8,988.48
14.	बिजली के कूये से रेगरों की मोरी कागजी मोहल्ला मस्जिद तक सड़क व नाली	27,887.80
15.	वार्ड नं. 12 में मिट्टी की भरती का कार्य महादेवजी के मन्दिर के पास	4,012.34
16.	रघुनाथजी के मन्दिर से बस स्टेण्ड तक सड़क व नाली	20,116.67
17.	नगरपालिका से डिग्गी रोड तक सड़क व नाली	24,307.70

1	2	3
18.	सीताराम भ्रांकड़ के मकान से मोहनाई के मकान तक सड़क व नाली	22,030.77
19.	नगरपालिका कार्यालय से मालपुरा गेट तक वी. टी. रोड व नाली	30,936.14
20.	विभिन्न स्थानों पर हैण्ड पम्पों का कार्य	32,972.41
21.	वार्ड नं. 1 से 13 तक सार्वजनिक नलों का कार्य	10,289.93
22.	विद्युत बिलों का बकाया भुगतान	43,899.36
23.	विद्युत संबंधी सामान क्रय	91,110.08
24.	विद्युत लाइन वृद्धि	89,032.00
25.	चतुर्भुज मन्दिर से मेन रोड तक सड़क	33,831.95
26.	नगरपालिका द्वारा विभागीय निर्माण कार्यों पर व्यय	1,65,282.73
	कुल योग	8,49,084.95

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 25 की सूची

न्यास द्वारा सैनिकों को आवंटित भूखण्डों की सूची

क्र. सं. 1	नाम व पता 2	भू-खण्ड संख्या 3	विशेष विवरण 4
1.	श्री सुधीर कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेशसिंह नं. 5522,356,695 ट. पी. टी. सी. श्रो. एक्स. ए. एस. सी., टी. ओ. एन. टी. एक्स.पी. ई. श्रो के द्वारा 56 ए. पी. श्रो	बी–191	निरस्त-राशि जमा न कराने के कारण
2.	श्री एच. श्रार. चौधरी पुत्र सहाराभशाह एक्स. आर्मी सी. पी. पी. एफ. द्वारा 99 ए. पी. श्रो.	बी–192	" "
3.	श्री के. नन्दलाल माथुर पुत्र श्री रतनलाल नं. आई. सी. 20144 25 जी.एम. एल. डिविजन लाइन द्वारा 56 ए. पी. श्रो.	बी–190	" "
4.	मै. हरीन्द्रसिंह नन्दा पुत्र श्री मोहिन्द्रसिंह नं. आई 13967 हैड क्वाटर एल लाइन मिलेट्री ट्रेनिंग द्वारा 99 ए.पी.श्रो.	बी–181	" "
5.	श्री के. एम. के. पुरी पुत्र ए. एस. पुरी नं. आई सी. 23827 मिस आई. प्रिया गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल गर्ल्स स्कूल, अजमेर	बी–180	" "
6.	ले. गोपेशचन्द पुत्र श्री गणपतलाल नं. 55222021 द्वितीय स्टेशन डब्लू ए. एस. ई. एम. सेन्ट पंजाब जालन्धर।	बी–179	" "
7.	के. श्रीमती सुमन गोयल पत्नी डा. बी. के. गोयल द्वारा डा. वी. के. गोयल गवर्नमेन्ट डेन्टल कालेज अहमदाबाद।	बी–184	" "
8.	ले. क. सतीन्द्रनाथ पुत्र श्री श्रो. पी. कुमारनाथ सी. एम. ई. रूम नं. 18 पुने पिन 411031	बी–189	" "

1	2	3	4
9.	ले. क. पी. पी. सिंह पुत्र श्री राजा नरेन्द्र सिंह दी ग्रीनलाइन रजिट. सेन्ट्र. नसीराबाद (राज.)	बी–193	निरस्त-राशि जमा न कराने के कारण
10.	कर्नल शिवजीसिंह पुत्र श्री सरदारसिंह न. श्राई.सी. 6394 दी ग्रीन लाइन रजिस्ट. सेन्ट्र. नसीराबाद अजमेर ।	बी–188	" "
11	मै. उम्मेदसिंह सागवान पुत्र नाहरसिंह नं. श्राई.सी. 16003 ग्रीन लाइन रजिस्ट. सेन्ट्र. नसीराबाद (राज.)	बी–187	" "
12.	श्री के. एम. सी. शर्मा पुत्र सीताराम 4 राज. बटा. एन. सी. सी., अजमेर	बी–178	" "
13.	से. ले. सूरजप्रकाश पुत्र श्री गुरबचनसिंह ए. ई. एम. एफ. डिग्री कोर्स, पूना	बी–183	" "
14.	मै. जे. एस. बेदी पुत्र डा. बी. एम. बेदी 3 बटा., राजपूताना राईफल द्वारा 56 ए. पी. ओ.	बी–182	" "
15.	श्री एम. एम. बालानी पुत्र श्री एम. एल. बालानी श्राफिस कमाण्डिग 250 एफ. डी. वर्क्स. पी. सी. ओ. एक्स. ई. एम. ई. 608 बटा. द्वारा 99 ए. पी. ओ.	बी–185	" "
16.	मै. विनोदचन्द पचोरी पुत्र श्री द्वारका प्रसाद मेजर वी. सी. पचोरी 5/1 गोरखा राईफल द्वारा 56 ए. पी. ओ.	बी–186	
17.	श्री नवीन चन्द पंथ नं. 814545 पी. ओ. नवीन चन्द पंथ श्राई. एम. एस. एम.टी. द्वारा ई. एम. ओ. विशाखापटनम् (ए.पी.-1)	सी–192	
1.8	के. सुशील गुप्ता पुत्र कर्मचन्द गुप्ता के. सुशील गुप्ता नं. श्राई. सी. 19081 बिपिन माया इन्फेन्टरी स्कूल महू (एम. पी.)	बी–54	
19.	के. गजेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री बी. आर. त्रिपाठी एक्स के. द्वारा डिप्टी डायरेक्टर गवाल्डन 149 ए. श्राई. मोर. बी. ट्रेसीनीज सेनट्रं पी. ओ. सेलानी हिस्ट्री दरंग (आसाम)	बी–45	

1	2	3	4
20.	श्री सज्जन सिंह तोमर पुत्र श्री रामसुख सिंह पार्टनर हिन्द कार्माशियल हाउस केसर-गंज, अजमेर ।	बी-55	
21.	के. प्रताप दयाल पुत्र श्री पी. दयाल नं. एम. आर. 230 के. प्रताप दयाल प्रेसि-डेन्ट बोडीगार्ड 19 प्रेसीडेन्ट एस्टेट, नई दिल्ली।	बी-46	
22.	मेजर मगजीत सिंह बिन्द्रा पुत्र श्री रूस्तम सिंह आफिस आफ दी गैम्स इन्जीनियर, नसीराबाद ।	बी-56	
23.	मै. प्रभाकर बाबले पुत्र श्री के. आर. बाबले आई. सी. 13022 मेजर पी. बावले डी. ए. ए.जी. एच. क्यू. (1) कामजोन सब एरिया द्वारा 56, ए. पी. ओ.	बी-19	
24.	के. कमा. आर. एल. मेहरा पुत्र श्री देवी दयाल मेहरा सी. ओ. वाई. क. आर. पी. एफ. एस. नं. 8 बटाशन चित्तौड़गढ़ (वेस्ट बंगाल)	बी-174	
25.	ले. क. जेठू सिंह पुत्र श्री पन्नासिंह आफिस कमाण्डिग 12 गुजरात आई. एम. डी. ई. एन. सी. सी. बलसार ।	बी-176	निरस्त-राशि जमा न कराने के कारण
26.	मेजर भागीरथ सिंह पुत्र श्री गिरधारी लाल नं. आई. सी. 12717 गाइन्डर्स द्वारा 99 ए. पी. ओ.	बी-50	
27.	ले. कमान्डिग एस. एस. दा पुत्र श्री आर. बी. शिकरचरणदास नं. आई. सी. एस. एल. दास आफिसर क. मिल्ट्री ट्रेनिग सेन्टर, मारगावों ।	बी-175	
28.	के. ए. आर. वर्टक पुत्र श्री एम. डी. वर्टक के. ए. आर. वर्टक एच जी. सी. ए. ओ. सी./ओ. आई. एन. एफ. डी. द्वारा 56 ए. पी. ओ.	बी-52	

1	2	3	4
29.	मै. डा. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री एन. सी. मित्तल एक्स मेजर ए. एम. सी. 098 बैंक कालोनी ट्राई आर. बी. सी ग्रारस हाउस हियर मार्ग निवास, अलवर (राज.)	बी–49	
30.	फिट ले. सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र सरदार गुरवचनसिंह फिट ले. सी. आर. पी. एफ. ए. आई. फोर्स स्टेशन, जोधपुर	बी–48	
31.	के. श्रीराम पुत्र श्री रामभवानीराम नं. एस. एल. 678 के. श्रीराम ग्राफिसर बाडिंग 722 टी. पी. टी. वर्क्स क. द्वारा 56 ए. पी. ग्रो.	बी–20	
32.	कमाण्डेन्ड मनमोहन सिंह दमन पुत्र गुरचरण सिंह नं. एस. एल. 22096 क.5 सिक्किम द्वारा 56 ए. पी. ग्रो.	बी–51	
33.	के. श्यामलाल जेठवाल पुत्र श्री उमरावलाल नं. 231736 के. श्यामलाल गढ़वाल नं. 33 टी. पी. टी. सक्वारडन ए.ई. द्वारा 99 ए. पी. ग्रो.	सी–23	
34.	एक्स मेजर श्याम सुन्दर लाल पुत्र पन्नालाल सुन्दर लाल जैन निवास 130/10 लाईन, अजमेर ।	सी–15	
35.	ले. हरि शंकर मिश्र पुत्र श्री रामदयाल न. 693714 डीटेचमेन्ट 32 आई. एम. एस. भारत (एस. आई. डी.) जी. एच. क्यू. पी. ग्रो., नई दिल्ली ।	सी–27	
36.	श्री नवदयाल बालानी पुत्र छगनीमल नं. 52658 ई. ग्रार. ए. म. नं. 16/211 खारी कुई, अजमेर ।	सी–19	
37.	न. क्लर्क गोपालकिशन पुत्र श्री कन्हैयालाल नं. 7621838 एन. के. एल. डी. के. एल.क्यू. रिकार्टिंग जोन सरक्यूलर रोड, अजमेर ।	सी–16	

(299)

1	2	3	4
38.	श्री वीरेन्द्र कुमार उप्पल पुत्र श्री हरगोपल नं. 68879 लेम्प बी. के. उप्पल एन. आई. आई. एन. एस, मैसूर द्वारा ई. एम. सी. बम्बई एक	सी–18	
39.	श्री गणपतसिंह चन्द्रवाल पुत्र श्री किशनसिंह नं. 82661 एल. पी. एम. आई. एन. एस, जरावा पोस्ट ब्लोहर (एन्डोमान)	सी–20	
40.	श्री महेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री सुल्तान सिंह नं. 68340 एल. एम. ई एम. एस, यादव आई. एन. एस. रंजीत द्वारा ई. एम. सी. बम्बई एक	सी–24	
41.	श्री जगत किशोर झा पुत्र श्री राम झा नं. 7053930 एन. के. एल. इलेक्ट 12 ग्राइन्डर्स द्वारा 56 ए. पी. ओ.	सी–22	
42.	श्री वेदवृत शर्मा पुत्र श्री छगनलाल नं. 7097427 सी/एन. म. न. 341/1 कौशिक भवन, क्रिश्चन गंज, अजमेर	सी–29	
43.	श्री दीपचन्द पुत्र श्री ताराचन्द अग्रवाल म. नं. 89019 लेमार दीपचन्द बंसल इण्डियन नेवल एयर शाउड्रन 330 आई. एन. एस. ग्राउन्ड्स सेवा एयर स्टेशन, कोचीन–4	ई–140	
44.	श्री डूंगर सिंह पुत्र श्री बल्लभ सिंह नं. 64226 सी. पी. ओ. एस. पी. टी. एस. हवल ट्रेजिन टीम एन. डी. ए. खड़गवासला (पूना)	ई–139	

आनासागर

1	2	3	4
1.	मै. एस. के. अरोड़ा पुत्र श्री प्रेमनाथ अरोड़ा द्वारा 56 ए. पी. ओ. बी. 13 कचहरी रोड, अजमेर	21	
2.	मेजर शिवसिंह पुत्र श्री एस. गोदा सिंह 33 शेलेन्द्र वी. सी. रोड, नसीराबाद, अजमेर	92	
3.	एस. पी. एस. सिरोही पुत्र श्री होशियार सिंह एच. क्यू. 45 ईनफ्रट बटा. द्वारा 56 ए. पी. ओ. नसीराबाद छावनी	22	
4.	ब्रिगेडियर आर. ओ. परबन्दा पुत्र श्री संतूराम 22, तेगबहादुर रोड देहरादून हैड क्वार्टर 45 इन्फेन्ट्री रोड द्वारा 56 ए. पी. ओ.	20	

1	2	3	4
5.	कर्नल गिरधारी सिंह पुत्र श्री ठा. कार्नसिंह सी. ए. एस. बी. एच. क्यू 61 (1) कोमन जोन सब ऐरिया द्वारा 56 ए.पी.ओ.	23	
6.	मेजर रामचन्द्र पुत्र श्री रिछपालराम 3 राज. राइफल्स द्वारा 56 ए. पी. ओ. एवं कोटारी डि. महेन्द्रगढ़, हरियाणा	16	
7.	मेजर कालमा सिंह पुत्र श्री राणा 3 राज. राइफल्स द्वारा 56 ए. पी. ओ. एवं गांव व पोस्ट ठाढ़लान जिला रोहतक, हरियाणा	81	
8.	के. आर. एल. महलावत पुत्र श्री रतिराम 3 राज. राइफल्स द्वारा 56 ए. पी. ओ. एवं 10/1989 गंज मीरदान पी. ओ. दरियागंज, दिल्ली--6	19	
9.	मै. दौलतखान पुत्र दलबखाव 368 सी.ओ.वाय (एस.क्यू.पी.) टाइप डी द्वारा 56 ए. पी. ओ. एवं गांव सथाना, पो. डीडवाना, जिला नागौर	17	
10.	श्री लीलाधर पुत्र डालसिंह 580/21 डिग्गी बाजार, अजमेर	90	
11.	श्री विनोद सहगल पुत्र श्री रूपचन्द 7694259 एल. एन. के. टी. सी. सी. 251 एफ. की वर्कशोप द्वारा 56 ए. पी. ओ. एवं यू. 279 ई. डी. चिनारा ग्रेट जालन्धर शहर यू. पी.	89	

शास्त्री नगर

1.	श्री महेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता 6/5 गोरखा राइफल्स (एफ एफ) द्वारा 56 ए.पी. ओ., 2, शास्त्रीनगर	ई 100
2.	मै. लालमास्टर पुत्र श्री एच. सी. मास्टर 32/137 लोकस गंज, आर्यनगर	ई 99
3.	क. रवीन्द्र कुमार पुत्र श्री देसराज 257 एफ. डी. वर्क्स कालोनी, ई.एम.ई. द्वारा 56 ए.पी.ओ.	ई 98
4.	जगदीश सिंह पुत्र श्री मीठू सिंह आर.एन.एस. वलसुरा जामनगर एवं पुलिस अस्पताल, अजमेर	ई 213
5.	ए.के.अरोड़ा पुत्र श्री रामेश्वर दास अरोड़ा 36 इक्यूपमेन्ट डिपार्टमेन्ट एयरफोर्स स्टेशन देवलानी	ई 214

क्र.सं.	नाम व पता	भूखण्ड सं.	विशेष विवरण
	जिला नासिक महाराष्ट्र एवं कसारो नाडी रामगंज, अजमेर		
6.	पायलट उदयसिंह राठौड़ पुत्र श्री महाराज किशन सिंह, सेक्योरिटी आफीसर, राजस्थान	ई 93	
7.	उमेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल डी.डी.ई.आफ नवल एयर मेटेरियल नवल हैडक्वाटर्स, नई दिल्ली 110011	ई 92	
8.	उम्मेदसिंह पुत्र समन्दर सिंह, दिल्ली फरनीचर हाउस स्टेशन रोड अजमेर	ई 95	
9.	मेजर डी. रामदास पुत्र श्री आलाराम के/आफ मुकन्द गार्डन्स आदर्शनगर, अजमेर	ई 94	
10.	ले. उत्तमचन्द ई 97 पुत्र श्री शिवचंद नं. जे.सी. 49459, सावरकर, बालाजी के मंदिर के पास, नया बाजार, अजमेर	ई 97	
11.	मेजर ए. पी. भार्गव, पुत्र श्री के. पी. भार्गव 18 कालोनी के/आफ 56 ए.पी.ओ.	ई 96	
12.	हवलदार वीरसिंह पुत्र श्री गबरूलाल महाबर पुलिस लाइन, अजमेर	ई 197	
13.	हवलदार मदन सिंह पुत्र श्री समरथ सिंह नं. 12006 एक्स हाव पोस्ट नरवात जिला अजमेर	ई 198	
	भगवानगंज		
1.	देवराज पुरोहित नं. 7094239-614 कापीटित वर्क्स	306	निरस्त राशि जमा न कराने बाबत
2.	कन्हैयालाल कापली के/आफ 56 ए.पी.ओ. नं. 6805359 मस/स.ज. 306 फिल्ड आफीसर 56 ए.पी.ओ.	311	"
3.	पी. डी. गौर नं. 224548 सी.पी.डी.सुकडी मालिन हाउस चन्दर, अजमेर।	314	

क्र.सं.	नाम व पता	भू खण्ड संख्या	विशेष विवरण
4.	गोवर्धन सिंह नं. 2652626 रावत 14 ग्रेंडरिल के/आफ 56 ए. पी. ओ.	296	निरस्त राशि जमा न कराने बाबत ।
5.	रामगोपाल शर्मा नं. 2674360 बाटार ग्राम एवं पी. ओ. पीसांगन जिला अजमेर	295	
6.	रामलाल भतरा पुत्र श्री जीवनदास भतरा नं. 2649986 एन. के./सी.एल.के.पं. ज्वाला-प्रसाद की कोठी के पास, अजमेर	305	
7.	पी. सी. गौड़ ई. लीट 11 ई. आई. सैक्सन नं. 225/27 ए. सी. नं. 14 सी/ओ 99 ए. पी. ओ.	329	
8.	मंगलराम नं. 2849709 एन. एन. 9 राज. टिट सी/ओ 56 ए. पी. ओ.	316	
9.	देवाराम नं. 2944195 साव. 5 राजपूत रिवट सी/ओ. ए. पी. ओ.	263	
10.	रामनिवास वर्मा नं. 6350459 कंचनकिट होलीधड़ा अशोक गली, अजमेर	259	निरस्त राशि जमा न कराने
11.	रामकिशन गुप्ता, नं. 7049403 सी/एम नाथद्वारा भवन जी.आर. एस. के. पीछे, अजमेर	337	बाबत ।
12.	राकेश एस.राड. बालकिशन जौहरी नं. 214513 सुनारों का मोहल्ला, मेड़ता सिटी राजस्थान	302	
13.	जे. एस. जैन नं. 663305 के/आफ श्री केसरीमल जैन, पालबीचला, अजमेर ।	312	निरस्त राशिजमा न कराने बाबत ।
14.	पी. सी. टांक नं. 196 एल.ओ. सी. नोनिक 15 वी. एस.एफ. बाड़मेर	323	
15.	संग्राम सिंह केन्टीन नं. 1021545–14 गांधी के/आफ 56 ए.पी.ओ.	300	निरस्त राशि जमा न कराने बाबत ।
16.	त्रिलोकसिंह नं. 7025373–15 आरम्ड रजि.ई.एम.ई. के/आफ 56 ए.पी.ओ.	319	

303

1	2	3	4
17.	बी. एन. खन्ना, नं. 280303, ए. सी. वारी भवन, आर्य नगर, श्री नगर रोड अजमेर	293	निरस्त राशि न जमा कराने बाबत।
18.	चन्द्र प्रकाश, नं. 6308344, 31 वी एन्ट्री बिग्रडसिग्नल कालोनी, 56, ए. पी. ओ.	326	
19.	एन. एल. चौहान, नं. 262272 पुलिस लाइन्स नया पाडा, अजमेर	304	
20.	मिट्ठू लाल, नं. 6634976, एच. ओ., 30 आई. ई. जी. डी. ई. 56 ए. पी. ओ.	294	
21.	सीताराम संडीया, नं. 1428/065 सिग्नल 129, ए. पी. ओ.	327	
22.	एम. एल. तंवर, नं. 7029070, 204 एफ.डी.डब्लू. के एस.पी. कौसिम, 991 ए. पी. ओ.	299	
23.	बी. एम. झा., नं. 9503786, 1701/170 किन्ड रजि. के/आफ 56 ए. पी. ओ.	264	
24.	गोपीलाल, नं. 6886509 सील, 15 बटालियन 5 किन्ड, 99 ए. पी. ओ.	313	
25.	मदन सिंह, नं. 35524 एने. सी. सन् 167 भुगतान बिग्रेड के/आफ 99 ए. पी. ओ.	317	
26.	भगवान राम, नं. 6267555, 11 मिलट्री डिवीजन सिगल रजिमेन्ट, 56 ए. पी. ओ.	321	
27.	केदारनाथ, आरमी हैड क्वार्टर, टी.पी.टी. कालोनी, ए.एम.सी. न्यू दिल्ली-23	324	
28.	हरिकिशन माथुर, नं. 2956780-16 राजपूत के/आफ 56 ए. पी. ओ.	307	
29.	सूरजमल, नं. 1291091 एन./के. सी./के 983/98 भुगतान रेजिमेन्ट 56 ए. पी. ओ.	325	
30.	महेशचन्द, नं. 6287368 एन. के. एल./एम, 164 मटन बिग्रेड सिग्नल, 99 ए. पी. ओ.	318	

1	2	3	4
31.	लक्ष्मणसिंह/कुशालसिंह म. नं. 1184/25 सवाई मोहल्ला, ब्यावर रोड, अजमेर।	301	
32.	डी. डी. वैश्या नं. 272006 ए. एफ एफ. सी. जोधपुर	308	निरस्त राशि न जमा कराने बाबत
33.	एन. के. भार्गव नं. 7026102 एन. के. यूनिट 245 एफ डी. डब्लू, एस. पी. कोलोनी, 56, ए. पी. ओ.	298	
34.	जगदीश सिंह यादव, नं. 7078579 सप्ट/सी /कि. ओ. डी. ई. एम. ई., रिकार्ड आफिस, सिकन्दराबाद 521	298	
35.	एन. के. सेन 7079536 सप्ट सी./कि. 813 कोरप्स, टी. पी. एल. डब्लू के. एस. पी. को., 56, ए. पी. ओ.	330	
36.	लाडूसिंह पुरोहित नं. 13928463, 11 रसवाल फिपेसेस 56 ए. पी. ओ.	303	
37.	सायरसिंह, नं. 34403 एन. सी. पी. ओ. आई. एन. एस. टी. आई. आर., बम्बई	322	
38.	घातसिंह राजपूत, नं. 6890392 के/आफ सुगनसिंह ग्राम पी. ओ. क्रिश्चयन गंज, जिला अजमेर	260	
39.	पी. डी. माथुर नं. 226062 एयर फोर्स फ्लाईंग कालेज ए. सी. एच. आई 56, ए. पी. ओ.	261	
40.	अलमीखान, नं. 264589610 पारा कमान्ड 56, ए. पी. ओ.	328	
41.	एच. एस. बदलानी, नं. जे. सी. 31728 सुपरवाईजर 17, एस. डी. ओ. 810, एफ. पी. 6 एम. आई, डन डिवीजन पोस्टल, यूनिट, 56, ए. पी. ओ.	262	निरस्त राशि जमा न कराने बाबत।
42.	जयसिंह नं. जे. सी. 32839 सब. आर. एच. जी./12 एफ. जी. रजि. 56. ए. पी. ओ.	297	
43.	गिरीश चंद शर्मा, नं. 7097766, 6021 (1) के. एस. पी. कोम, 56, ए. पी. ओ.	315	
44.	एस. एस. राठौड़, गिनेडरिस नं. 85–187462 एम. जे. लाइन्स इबसल बंगलोर–6	310	
45.	हवलदार महेशचन्द भटनागर, उत्तारसपेटी, अजमेर	86	
46.	जी. सी. गुप्ता, कोमोमेण्ड पी. ओ. बिठाजा	88	

1	2	3	4
47.	छीतरसिंह नं. आई.पी. 3 राज. बी. एन. सी. सी. जोहरपुर।	87	
48.	हवलदार सोहनलाल सरवाड, 153 सी.एफ.टी., 56, ए.पी.ओ.	87	निरस्त राशि जमा न कराने बाबत
49.	नायक, किशनगोपाल गौड़ ए.के. क्लर्क जी. डी. हैडक्वार्टर 15 आई. एन. एफ. डिवी. 56, ए.पी. ओ.।	85	
50.	नत्थूराम भटनागर, नं. 123/1158 यू.एन.के. 24/318 केसरगंज, अजमेर।	89	
	अजयनगर		
1.	हवलदार क्लर्क नारायण सिंह नं. 7631/825 सिविल लाइन्स, अजमेर।	28	
2.	लीसनायक मोतीलाल पुत्र मनीराम शोमल, नं. 6349352 मं. नं. 212 गुलाब बाड़ी, अजमेर।	95	
3.	नायक रविचन्द शर्मा पुत्र श्री मनीराम, नं. 704266, 56, ए. पी. ओ.।	93	
4.	कन्हैयालाल पुत्र श्री एच. पी. श्री राम नं. 7110987 ए. डी. रजि. डब्लू. के. एस. पी. ई. एम. ई. के./आफ 56 ए. पी. ओ.।	94	

परिशिष्ट-20

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 का विवरण

नगर परिषद्, अलवर के वर्तमान आयुक्त के मुख्यावास से बाहर रहने एवं सरकारी कार्य से यात्रा करने का विवरण

माह	परिषद कार्य से मुख्यावास से बाहर (जयपुर)	कुल दिवस	यात्रा भत्ता उठाने के दिनों की संख्या	आकस्मिक अवकाश पर रहने की संख्या	यात्रा का कारण	यात्रा भत्ता राशि	वि. विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
जून, 1982 (दि. 18-6-82 कार्यभार संभाला)	20-6-82 से 22-6-82	3	2	–	श्री गिर्राजप्रसाद मेहरा भू. पू. ना. नाकेदार की अपील के मामले में निदेशालय में	85.50	20-6-82 (रविवार)
"	26-6-82 से 28-6-82	3	2	–	1. 26-6-82 को निदेशालय में 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक में 2. 28-6-82 परिषद् का उच्च न्यायालय में वाद में उपस्थित।	यात्रा भत्ता नहीं उठाया	27-6-82 (रविवार)

जुलाई, 1982	4-7-82 से 7-7-82	4	3	–	वित्तीय वर्ष 1982-83 का बजट पारित न होने से, निदेशालय में एवं मंत्री महोदय से विमर्श कर पारित कराया।	99.50	4-7-82 (रविवार)
,,	16-7-82 से 18-7-82	3	2	–	श्री राजेन्द्रसिंह यादव, राजस्व निरीक्षक एवं एक नाकेदार के अपील केस में निदेशालय में।	85.50	18-7-82 (रविवार)
,,	24-7-82	–	–	1	–	–	–
,,	28-7-82	1	1	–	1. 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक निदेशालय में।	143.00	1-8-82
अगस्त, 1982	1-8-82 से 2-8-82	–	–	1	–	–	(रविवार)
,,	8-8-82 से 9-8-82	2	1	–	2. हुडको से ऋण लेने व परिषद के निर्माण कार्यों के संबंध में अधिक्षण अभियंता से निदेशालय में विमर्श।	–	8-8-82 (रविवार)
,,	17-8-82	–	–	1	–	–	–
,,	26-8-82	1	1	–	20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक निदेशालय में।	71.50	–
,,	27-8-82 से 28-8-82	–	–	2	–	–	
,,	31-8-82	1	1	–	कर्मचारियों की अपील व विचाराधीन मामलों में विमर्श निदेशालय में।	513.75	29-8-82 (रविवार)
सितम्बर, 1982	2-9-82	1	1	–	भूमि विक्रय के मामलों पर निदेशालय में विमर्श	–	–
,,	5-9-82 से 6-9-82	2	1	–	उच्च न्यायालय में एडवोकेट की नियुक्ति हेतु निदेशालय में।	–	5-9-82 (रविवार)
,,	11-9-82 से 13-9-82	3	1	–	अस्थाई कर्मचारियों की सेवा अवधि में वृद्धि हेतु निदेशालय में।	–	11-9-82 (अवकाश) 12-9-82 (रविवार)

(307)

1	2	3	4	5	6	7	8
सितम्बर, 1982	19-9-82 से 21-9-82	3	3	–	विधान सभा प्रश्न के सम्बन्ध में लेखाकार, टाइपिस्ट को लेकर निदेशालय में प्रश्न तैयार कराया।	–	19-9-82 को रविवार को भी प्रश्न तैयार कराया।
,,	24-9-82 से 26-9-82	3	2	–	1. 24-9-82 को 20 सूत्री कार्यक्रम बैठक निदेशालय में।	–	26-9-82 (रविवार)
				–	2. 25-9-82 को उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद भूमि विक्रय पर एडवोकेट से विमर्श एवं चन्द्र कुमार नाकेदार की अपील में निदेशालय में उपस्थित।		
अक्टूबर, 1982	2-10-82 से 4-10-82	3	1	–	कर्मचारियों के ग्रुप इन्श्योरेन्स के संबंध में निदेशालय में।	–	2-10-82 (गांधी जयंती) 3-10-82 (रविवार)
						998.75	
,,	18-10-82	–	–	1	–	–	–
नवम्बर, 1982,	8-11-82	1	1	–	श्री जगमोहन गौड़, अधिदर्शक व श्री मैदान सफाई निरीक्षक की अपील में निदेशालय में।	अभी भत्ता नहीं उठाया	–
,,	22-11-82 से 23-11-82	–	–	2	–	–	–

दिसम्बर, 1982	3-12-82 से 6-12-82	4	3		1. 3-11-82 को निदेशालय में बैठक में भाग लिया । 2. 4-11-82 को कर्मचारियों की अपील की सुनवाई के क्रम में निदेशालय में । 3. 6-11-82 को 20 सूत्री कार्यक्रम की योजना के तहत हरिजनों की नियुक्ति एवं फायरमैनों की नियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए निदेशालय में ।	–	5-11-82 (रविवार)
माह दिसम्बर, 1982	13-12-82	1	1	–	निदेशालय में विचाराधीन मामलों, कर्मचारियों की वर्दी एवं सेवा अवधि में वृद्धि हेतु निदेशक महोदय से विमर्श ।	अभी भत्ता नहीं उठाया	–
,,	20-12-82	1	1	–	न. प. जयपुर के वाद में मुन्सिफ न्यायालय जयपुर में उपस्थित ।	,,	–
,,	27-12-82 से 28-12-82	–	–	2	–	–	–
जनवरी, 1983	1-1-83	1	1	–	निदेशालय में बैठक में भाग लिया एवं सुलभ शौचालयों के संबंध में निदेशक महोदय से विमर्श ।	अभी भत्ता नहीं उठाया	–
,,	7-1-83	–	–	1	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
जनवरी, 1983	21-1-83 से 24-1-83	4	3	–	21 एवं 22-1-83 को 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक निदेशालय में। 24-1-83 को जयपुर नगर परिषद् के वाद में मुन्सिफ न्यायालय में उपस्थित।	अभी भत्ता नहीं उठाया	23-1-83 (रविवार)
		45	32	11			

परिशिष्ट–21

अतारांकित प्रश्न संख्या 28 की सूची

कागदीवाड़ा (सीवेज फार्म के पीछे से गढ़गणेश से नीचे आ रहे परकोटे तक) व छीपीवाड़ा के मकानों का विवरण परिशिष्ट "क"

क.सं.	मकान मालिक का नाम	जमीन का क्षेत्रफल (लगभग) वर्गमीटर में	चार दीवारी का लम्बाई मीटर में	मकान का क्षेत्रफल (लगभग) वर्गमीटर में		चबूतरे का क्षेत्रफल (लगभग) वर्गमीटर में
				कच्चा	पक्का	
(क)	ग्राम कागदीबाड़ा					
1.	श्री कल्याण सहाय	–	31 मीटर	–	–	58.53
2.	श्री नाथूराम पुत्र श्री पांचूराम	5.57 वर्गमीटर	–	–	–	5.57 वर्गमीटर
3.	श्री रघुनाथ	54 वर्गमीटर	–	9.29	10.50	–
4.	श्री कैलाश पुत्र श्री गोपाल	8.9 वर्गमीटर	2.66	–	–	–
5.	श्री घोलाराम पुत्र श्री जगन्नाथ	70.31	18.50	–	–	–
6.	श्रीमती गीता पत्नी श्री भोपाल सिंह	95.4	13.8	–	6.13	–
7.	श्री हनुमान पुत्र श्री गोपीराम	15.32	–	–	–	–
8.	श्री लादू पुत्र श्री गोपीराम	10.68	–	–	–	–
9.	श्री हरचन्द पुत्र श्री मूलचन्द	62	38.1	–	–	–
10.	श्री छोटेलाल पुत्र श्री मूलजी	0.7	–	–	–	–
11.	श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री ज्ञानचन्द	187.7	98.45	–	24.52	–
(ख)	ग्राम छीपीवाड़ा–कोई भी मकान प्रस्तावित सड़क के बीच नहीं आता।					

311

परिशिष्ट—22

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 का विवरण

चरागाह विकास जिला, बीकानेर

परिशिष्ट-1

क. सं.	निर्माण वर्ष	नाम वन मण्डल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	व्यय 1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	4/82 1/83	योग
1.	1980-81	बीकानेर	250 है.	–	1.25	0.625	0.16	0.14	2.175
		छत्तरगढ़	2000 है.	–	10.00	7.80	1.40	0.85	20.05
		बेरियावाली	3480 है.	–	15.58	10.42	3.46	1.33	30.79
		योगः–	5730 है.	–	26.83	18.845	5.02	2.32	53.015
2.	1981-82	बीकानेर	134 है.	–	–	0.96	0.63	0.11	1.70
		छत्तरगढ़	468 है.	–	–	2.67	1.27	0.27	4.21
		बेरियावाली	600 है.	–	–	3.89	2.15	0.56	6.60
		योगः–	1202 है.	–	–	7.52	4.05	0.94	12.51
3.	1982-83	बीकानेर	695 है.	–	–	–	4.04	4.92	8 96
		छत्तरगढ़	771 है.	–	–	–	5.77	2.27	8.04
		बेरियावाली	1650 है.	–	–	–	8.03	8.71	16.74
		योगः–	3116 है.	–	–	–	17.84	15.90	33.74
		महायोगः–	10048 है.	–	26.83	26.365	26.91	19.16	99.265

नोखा पौधशाला, तहसील नोखा, जिला बीकानेर में उगाये गये पौधों एवम् किये गये व्यय का विवरण:–

वर्ष	उगाये गये पौधों की संख्या	किया गया व्यय	विशेष विवरण
1	2	3	4
		(रुपयों में)	
1980–81	शून्य	शून्य	–
1981–82	30,000	7,678/–	नर्सरी का कार्य फरवरी, 82 में आरम्भ किया गया था।
1982–83	30,000	7,308/–	गत वर्ष के 30,000 पौधों का संधारण कर विकास कार्यों एवम् ग्रामवासियों के वितरण हेतु उपयोग में लिए गए।

परिशिष्ट 23

परिशिष्ट-क-1

अतारांकित प्रश्न संख्या 30 की सूचियां

जिला जैसलमेर में वर्ष 81-82 में बनाये जा रहे खडीनों की सूची

नाम तहसील	योजना का नाम	खडीन कार्य का नाम
1	2	3
पोकरण	डी.पी.ए.पी.	1. उजला
		2. कैलावा
		3. बडली चरणान्
		4. कैलावा-II
		5. भिणीयाणा-I
		6. उचपदरा
	योग: पोकरण	6
जैसलमेर		1. डांगरी ( )
		2. भीकोलाई ( )
		3. उण्डा ( ) जैसलमेर
		4. कोडियासर
		5. सांडा-I
		6. सांडा-II
		7. रामगढ़
		8. देवीकोट
		9. फतेहगढ़
		10. भिलानी
		11. छोड
		12. जोगा
		13 सखा
		14. भाकरानी
		15. चटरेल
		16. रामधरा
	योग: जैसलमेर	16

815

1	2	3
सम		1. दामोदरा-I
	योग : सम	1
	कुल योग : डी.पी.ए.पी.	23
	एम. आर. ई. पी.	
सम		1. दामोदरा-II
		2. सलखा
	योग : सम	2
	कुल योग :	25

परिशिष्ट 2

जिला बाड़मेर में वर्ष 81-82 में बनाये जा रहे खडीनों की सूची

नाम तहसील 1	योजना का नाम 2	खडीन कार्य का नाम 3
शिव	डी.पी.ए.पी.	1. खुडाल-II
		2. फुसड-II
		3. हुडवेचा-I
		4. कोटडा-I
		5. हुडवेचा-II
		6. खुडाल-I
		7. राजेदाल-I
		8. फुसड-I
		9. फुसड-III
		10. फुसड-IV
		11. कोटडा-II
		12. सिमरिया
		13. बलाई-I
		14. सोनारी-II

1	2	3
		15. बरियाडा-III
		16. बरियाडा–II
		16
शिव	डी.डी.पी.	1. कोटडा–III
		2. राजदाल–II
		3. बरियाडा–I
		3
	कुल योग	19
शिव	अकाल सहायता	1. भियाड
		2. धाखी खुर्द
		3. धाखी कलां
		4. चेतरोडी
		4
सिवाना		1. राखी
		1
	योग:	5
	कुल योग :	24

परिशिष्ट 3

वर्ष 1982–83 में बाड़मेर जिले में स्वीकृत नये खडीनों की सूची

तहसील का नाम 1	योजना का नाम 2	खडीन कार्यों का नाम 3
बाडमेर	अकाल सहायता	1. नाद
		1

1	2	3
शिव		1. सुवाला
		2. राणासर–I
		3. राणासर–II
		4. सुवाला–II
		5. सुवाला–III
		6. झापूली
		7. हरसानी–I
		8. हरसानी–II
		9. बरसिंगा–I
		10. उन्दू–I
		11. उन्दू–II
		12. उनरोद
		12
पचपदरा		1. भागावास–I
		2. भागावास–II
		3. साथुनी चारणान
		4. केवलनकोर
		5. थोब
		6. त्रिसीगडी–I
		7. त्रिसगडी–II
		8. त्रिसगडी–III
		9. चरलाई
		10. भराता
		11. फीडर एण्ड टैंक त्रिरसगढ़ी
		12. कल्याणपुरा
		13. डोली
		14. रोडवा
		15. गंगावास–I
		16. गंगावास–II
		17. मण्डली
		17

1	2	3
सिवाणा	अकाल सहायता	1. देवडा
		2. राखी–II
		3. राखी–III
		4. डण्डाली–I
		5. डण्डाली–II
		6. डण्डाली–III
		7. डण्डाली–IV
		8. डण्डाली–V
		9. डण्डाली–VI
		10. भवडो पीपलिया सिवाणा मोकलसर
		11. कुसीपगोडेश्वर
		12. गुडा
		13. थापन
		14. सिणेर
		15. सुईली–I
		16. भुती–I
		16

परिशिष्ट 4

वर्ष 1982–83 में जिला जैसलमेर में प्रस्तावित खडीनों की सूची

नाम तहसील 1	योजना का नाम 2	खडीन कार्य का नाम 3
जैसलमेर	अकाल सहायता	1. खडीन मण्डाई
		2. ,, भाडलो II
		3. ,, देवीकोट
		4. ,, सावता
		5. ,, भेलानी
		6. ,, छोडीया
		7. ,, मंडाई–I
		8. ,, मंडाई–II

1	2	3
		9. खडीन मंडाई–III
		10. " सांडा–II
		11. " सीयासर
		12. " कल्याणघाट
		13. " बरमसर
		14. " देवीकोट–III
		15. " हमीरा
		16. " कोडियासर–II
		16
पोकरण		1. खडीन मांडवा–II
		2. " मांडवा–IV
		3. " नेडान–II
		4. " नेडान–IV
		5. " नेडान–I
		6. " उजला
		7. " नरावतों की ढाणी
		8. " मांडवरा–III
		9. " केलावा
		10. " भिणयाणा–IV
		11. " पदरोडा
		12. " पोकरण
		13. " लवा
		14. " पोकरण–II
		14

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 की सूची

5 वर्षों की पशुधन फाटक दण्ड की सूची

जोड़बीड़ प्रजनन फार्म पर पशुधन पर गत 5 वर्षों में फाटक दण्ड वसूल करने की सूची।

क्र.सं.	वर्ष	फाटक दण्ड से आय
1.	77–78	5002.00
2.	78–79	8709.00
3.	79–80	3487.00
4.	80–81	2385.00
5.	81–82	13507.00
6.	82–83 (31-1-83) तक	14454.00

पशुधन–गाय, बैल, भेड़, बकरी व ऊंट

परिशिष्ट–25

अतारांकित प्रश्न संख्या 34 का विवरण

ग्राम पंचायत का नाम जहां निर्माण कार्य कराया गया	व्यय की गई धन राशि	निर्माण कार्यों का विवरण
1. झाड़गांव	3750.00	5 व्यक्तियों को अनुदान किया गया
2. बनेठिया	4500.00	6 व्यक्तियों ,,
3. भांडा हेडा	3000.00	4 व्यक्तियों ,,
4. नीमोदा	6000.00	8 व्यक्तियों ,,
5. चोमामालियान	2250.00	3 व्यक्तियों ,,
6. मंडावरा	5250.00	7 व्यक्तियों ,,
7. दीगोद	3000.00	4 व्यक्तियों ,,
8. रेलगांव	4500.00	6 व्यक्तियों ,,
9. खेरूला	4500.00	6 व्यक्तियों ,,
10. किशोरपुरा	4500.00	6 व्यक्तियों ,,
11. तोरण	4500.00	6 व्यक्तियों ,,
12. सारोला	5250.00	6 व्यक्तियों ,,
13. बड़ोद	4500.00	6 व्यक्तियों ,,
14. खेड़लीतंवरान	5250.00	7 व्यक्तियों ,,
15. डूंगरज्या	3750.00	5 व्यक्तियों ,,
16. मोरपा	4500.00	6 व्यक्तियों ,,
17. कोडसुवां	3000.00	4 व्यक्तियों ,,
18. बूढादीत	3750.00	5 व्यक्तियों ,,
19. अमरपुरा	750.00	1 व्यक्ति ,,
योग	76500.00	102 व्यक्तियों को अनुदान दिया गया

विकास अधिकारी
पंचायत समिति सुलतानपुर

नाम ग्राम पंचायत जहां निर्माण कार्य कराया गया	व्यय की गई धन राशि	निर्माण कार्यों का विवरण
1. झाडगांव	27500.00	10 व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु ऋण दिया गया
2. वनेठिया	17500.00	5 व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु ऋण दिया गया
	योग ऋण 45000.00	

विकास अधिकारी
पंचायत समिति सुलतानपुर

योजना का नाम – माडा पेयजल योजना

नाम ग्राम पंचायत	ग्राम	व्यय की गई राशि	निर्माण कार्य का विवरण
1. लाख सनीजा	रामपुरिया	9650.59	अधूरे कुओं को पूर्ण हेतु
2. मदनपुरा	नीमोदा उजाड	5243.00	"

योजना का नाम—माडा—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

1. लाख सनीजा	लाख सनीजा	26361.00	नई शाला निर्माण
	कोटडापुरा	11793.00	"

विकास अधिकारी
पंचायत समिति सुलतानपुर

विशिष्ठ योजना संगठन (बढ़िया शिक्षा)

योजना का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम जहां निर्माण कार्य कराया गया	ग्राम	व्यय की गई धन राशि	निर्माण कार्य का विवरण
1. बडोद	बडोद	2300.00	शाला मरम्मत व
2. खेडलीतंवरान	झोटेली	2300.00	अपूर्ण को पूर्ण
3. डूंगरज्या	डूंगरज्या	2300.00	,,
4. खैरूला	खैरूला	2300.00	,,
5. मंडावरा	मंडावरा	2300.00	,,
6. बूढादीत	बूढादीत	2300.00	,,
7. तोरण	पडासलिया	2300,00	,,
8. मदनपुरा	मदनपुरा	2300.00	,,
9. सारोला	सारोला	2300.00	,,
10. मोरपा	बिसलाई	2300.00	,,
11. ढाबा	ढाबा	2300.00	,,
12. नीमोदा	नीमोदा	2300.00	कार्य नहीं हुआ
13. सीमल्या	सीमल्या	2300.00	कार्य नहीं हुआ

विकास अधिकारी
पंचायत समिति सुलतानपुर

ग्राम पंचायत का नाम जहां निर्माण कार्य करवाये गये	नाम ग्राम	व्यय की गई धनराशि	निर्माण कार्य का विवरण
1	2	3	4
1. खेडलीतंवरान	जियाहेडी	4337.00	अपूर्ण कुआं पूर्ण कराया गया
	झोटेली	4372.00	,,
	झोटेली	3360.00	तालाब की मरम्मत
		12069.00	

1	2	3	4
2. किशोरपुरा	बांक्या	2926.36	अधूरी शाला को पूर्ण
3. सुलतानपुर	सुलतानपुर	·34471.80	औषधालय को पूर्ण हेतु
4. डूंगरज्या	उदपुरिया	227.10	कूप मरम्मत
5. मोरपा	मोरपा	18872.48	शाला निर्माण हेतु
6. मंडावरा	मंडावरा	12540.00	अधूरा सहकारी भवन सभा पूर्ण कराने हेतु
7. नोताडा	नोताडा	5394.00	अधूरी शाला पूर्ण कराने
8. शाला मांडाहेडा	मांडहेडा	2574.26	,,

विकास अधिकारी
पंचायत समिति सुलतानपुर (कोटा)

प्रपत्र

पंचायत समिति सांगोद

क्रम संख्या	योजना का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहां निर्माण कार्य करवाये गये	व्यय की गई राशि	निर्माण कार्यों का विवरण
1	2	3	4	5
1.	विशिष्ठ योजना संगठन	नोट :—विशिष्ठ योजना संगठन से पंचायत समिति सांगोद को वांछित अवधि में किसी कार्य हेतु धन राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः सूचना शून्य ( ) समझी जावे।		
2.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एनीकट निर्माण हेतु अनुदान	1. विनोद खुर्द	75,829.00	एनीकट विनोट कला निर्माण हेतु
		2. खडिया	30,568.00	एनीकट डाबरा कला निर्माण हेतु
		3. किशनपुरा	10,000.00	एनीकट खरकना खेड़ा निर्माण हेतु
		4. कुन्दनपुर	10,000.00	एनीकट कुन्दनपुर निर्माण हेतु
		योग	1,26.397.00	
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना निर्माण कार्य हेतु	1. कुन्दनपुर	2,274.00	एनीकट कुन्दनपुर निर्माण कार्य हेतु
			3,764.08	अपूर्ण कूप मूड़किया हेतु
			5,542.00	अपूर्ण कूप बायड़ा हेतु
		2. योग	11,580.08	

325

1	2	3	4	5
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना निर्माण कार्य हेतु	2. किशनपुरा	6,264.00	एनीटक खरकना खेड़ा निर्माण हेतु
		3. बोराना कला	2,084.30	अपूर्ण कूप तरकसिया निर्माण हेतु
			1,095.00	,, बोराना कला निर्माण हेतु
		4. हीगोनिया	2,496.00	अपूर्ण कूप जगदीशपुरा निर्माण हेतु
			2,467.51	अपूर्ण कूप कोलानी निर्माण हेतु
		5. कुराड़	779.52	शाला भवन/मरम्मत हेतु बजलिया
		6. विनोद खुर्द	23,485.00	एनीटक विनोद कला निर्माण हेतु
		7. हिगा	1,755.00	अपूर्ण कूप मोई खुर्द निर्माण हेतु
		8. खडिया	37,926.60	एनीटक डाबरा कला निर्माण हेतु
		9. सावन भादों	निल	अपूर्ण कूप कोलाना निर्माण हेतु
		महा योग	89,933.01	
4.	गृह निर्माण योजना (अनुदान)	1. ढोटी	9,000.00	12. व्यक्तियों को आवास गृह निर्माण तथा भूखण्ड विकास हेतु अनुदान दिया।
		2. मंडाप	6,000.00	8 व्यक्तियों ,,
		3. दीगोद	8,250.00	11 व्यक्तियों ,,
		4. कुन्दनपुर	9,000.00	12 ,, ,,
		5. कमोलर	12,000.00	16 ,, ,,

6. मोई कला	9,000.00	12	,,	,,
7. लटूरी	10,500.00	14	,,	,,
8. लबानिया	10,500.00	14	,,	,,
9. किशनपुरा	9,750.00	13	,,	,,
10. बोरदीना कला	8,250.00	11	,,	,,
11. खजूरा	10,500.00	14	,,	,,
12. कुराड़	8,250.00	11	,,	,,
योग	1,11,000.00	148		

नोट:—पेयजल योजना अन्तर्गत पंचायत समिति सांगोद में वर्ष 81–82 व 82–83 अर्थात् गत डेढ़ (1½) वर्ष में कोई धनराशि का आवंटन नहीं हुआ है। अतः सूचना निल ( ) समझी जावे।

घनश्यामलाल शर्मा,
जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी,
कोटा।